खण्ड-249, अंक-6
शुक्रवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1886
(8 मई, 1964 ई0)

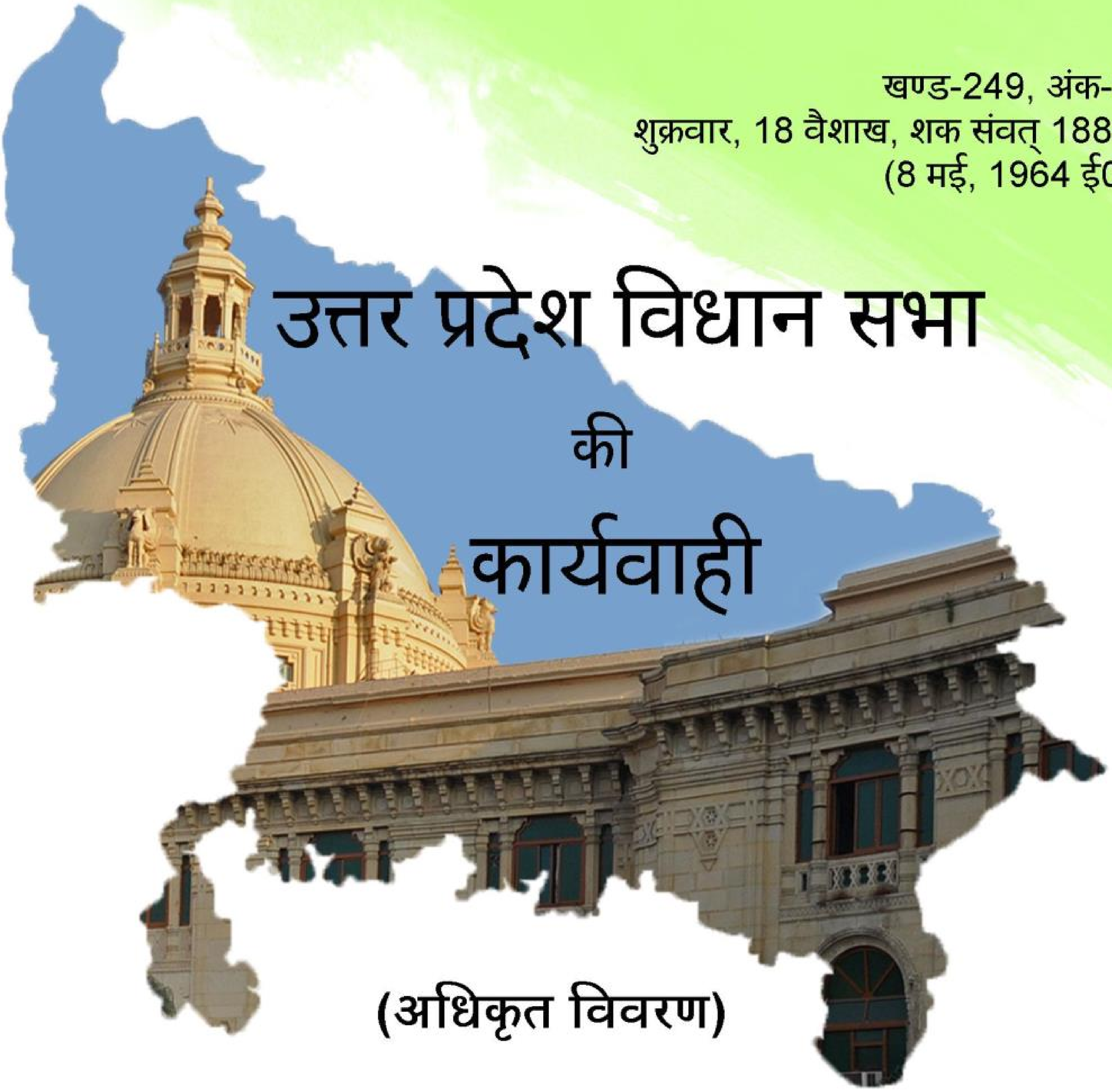

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 249 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५९३–५९७
प्रश्नोत्तर	५९८–६८७
संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा पर व्यवस्था का प्रश्न	६८८–६८९
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास विधेयक, १९६४ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६८९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६८९–६९१
कतिपय विषय	६९१–६९२
श्री बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर जीवनोपयोगी सामग्री अत्यधिक मूल्य पर प्राप्त होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६९२–६९५
नहर माट ब्रांच के बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा जिलों के अन्तर्गत क्षेत्रों के सभी रजबहों, माइनर तथा कुलाबों को बन्द करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६९५–६९९
इलाहाबाद जिले में पाले से फसल नष्ट हो जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६९९–७०१
प्रधान मंत्री के गोरखपुर जाने पर हुई घटना के समाचार के संबंध में वक्तव्य ..	७०२
आजमगढ़ जिले में शारदा कैनाल में पानी न होने के संबंध में वक्तव्य ..	७०२
शिक्षण संस्थाओं में राजकीय हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	७०३–७३४
राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को अपनी तथा अपने परिवार की चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा करने के संबंध में संकल्प (जारी)	७३५–७४२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	७४२
कृषि विभाग में १५ वर्ष से ऊपर के काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी न करने के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	७४२–७४७
विधान सभा का सत्रावसान	७४७
सदन को आहूत करने के संबंध में सूचना	७४७
नत्थियां	७४८–७९१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ मई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द माहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रासद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर , आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नैनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री

रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह,
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक्वी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री

शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट : गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उप-मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ मई, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अध्यापकों का वेतन समान करने के लिये केन्द्र से सुझाव

**१—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार से ऐसा कोई परिपत्रक या आदेश आया है जिसके द्वारा प्रान्तीय सरकार को यह आदेश दिया गया है कि प्राइवेट हायर सेकेन्डरी स्कूलों के तथा इन्टर कालेज के अध्यापकों का वेतन-क्रम राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा इन्टर कालेजेज के अध्यापकों के वेतन-क्रम के बराबर कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब और क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी हां । केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के नाम एक अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा यह सुझाव भेजा है कि प्राइवेट हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों का वेतन-क्रम राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा इन्टर कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम के बराबर कर दिया जाय । उन्होंने यह भी लिखा है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का ५० प्रतिशत वहन करने को तैयार है, यदि यह सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय इस प्रदेश की प्लान सीमा (प्लान सीलिंग) के अन्दर हो ।

यह विषय अभी हाल में हुए अखिल भारतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचारार्थ रखा गया था, जिस पर इस प्रदेश ने यह मांग की है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय, प्लान सीमा के बाहर १०० प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सरकार वहन करे, तभी यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है । कुछ और प्रदेशों की भी ऐसी ही मांग थी और केन्द्रीय शासन अब इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ते अनाज की व्यवस्था

**२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों में काम करने वाले हजारों अस्थाई मजदूरों तथा नैनीताल आदि स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों तथा श्रमिकों के लिये सस्ते गल्ले की क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जिलाधीश स्थानीय आवश्यकतानुसार जहां चाहे सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवा सकते हैं । इन दूकानों से बिना कार्ड या पर्ची के भी आटा के वितरण की व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटक तथा श्रमिक लाभान्वित हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त वन विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रमिकों के लिये आटा वितरण के निमित्त दूकानें खुलवाने का भी प्रबन्ध किया गया है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

उत्तर में यह कहा गया है कि वन विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रमिकों के लिये आटा वितरण के निमित्त दूकानें खुलवाने का भी प्रबन्ध किया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विकास कार्य कस्बों से काफी दूर जंगलों में

हो रहे हैं और जहां पर कि ठेकेदार काम करा रहे हैं वहां कितनी ऐसी दूकानें खोली गई हैं जिनसे कि मजदूर सस्ता गल्ला और आटा ले सकें ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

यह जंगलों में आदेश दे दिये गए हैं कि डिवीजन फारेस्ट आफिसर जो हैं वह इस तरह की आटे की दूकान मजदूरों के लिये अपने इलाके में खोल सकते हैं और हल्द्वानी के असोसियशन ने एक ऐसी दूकान मांगी थी, वह उनको यहां से दे दी गई है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की भी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जहां इस प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं और जहां इस प्रकार के एसोसियेशन नहीं हैं और काफी मात्रा में मजदूर हैं, वहां उन ठेकेदारों के नाम परमिट दे दिये जायं गल्ले और आटे के जिससे कि वह मजदूरों में वितरण करा सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ठेकेदारों के नाम तो नहीं कर सकते हैं । अलबत्ता अगर कोई आफिसर जो जिम्मेदार हो वह उनको मांगे और ठीक आदमी नियुक्त करे तो कोई उज्र नहीं होगा ।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि वहां जैसे उन्होंने बताया कि ठकेदारों को नहीं दिया जा सकता तो मजदूरों की सोसाइटियां बनवाकर उनके जरिये से गल्ला वितरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हम हर सोसाइटी को तो इस तरह से नहीं दे सकते । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उचित समझते हैं और खाद्य समितियां ठीक समझती हैं तो वह इन्तजाम कर लें ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि बद्रीनाथ की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को गल्ला, चीनी इत्यादि का बड़ा कष्ट है, तो उसके उपचार के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये मेरा स्टेटमेंट अभी आगे आयेगा । अभी तो प्रश्न का उत्तर यह है कि हम समुचित प्रयत्न कर रहे हैं ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को मालूम है कि रोजाना की मजदूरी वाले मजदूरों को मजदूरी कम मिलती है और कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता है इसलिये उनके लिये क्या सरकार सस्ते गल्ले का कोई इन्तजाम करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो प्रश्न से संबंधित है नहीं । इसको तो अलग उठायें तो इस पर विचार किया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव)जिला आजमगढ़)--

अभी सुरजनराम जी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि मजदूर अपनी सोसाइटियां बनाकर दूकानों के लिये अप्लाई करें तो यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है कि वह दे दें तो चूंकि सरकार खुद चाहती है कि सस्ता गल्ला मजदूरों को मिले और सोसाइटीज के जरिये से मिले तो क्या जिलाधीशों को निर्देश इस प्रकार का देंगे कि प्राथमिकता ऐसी सोसाइटीज को दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हर प्रकार की कोआपरेटिव्ज को प्राथमिकता देने के लिये पहले से ही आज्ञा प्रसारित है और चूंकि हर यूनिट अपने स्थान पर कहीं न कहीं लगी हुई है इसलिये इस तरह अलग कोआपरेटिव करने से डुप्लीकेशन हो सकता है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे प्रदेश के सीमान्त क्षेत्र हैं वहां गल्ले का वितरण कार्ड के द्वारा कराने की कृपा करेंगे जिससे वह गल्ला वहां ब्लैक में न जाने पाये और चोरी से दूसरे देश को भी न जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जैसा मैंने कहा यह प्रश्न केवल पर्वतीय क्षेत्र से ही संबंधित नहीं है बल्कि व्यापक है । जो आगे आने वाला स्टेटमेंट है उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिये ब्योरेवार कहूंगा ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य मंत्री जी को ज्ञात है कि सीमा पर स्थित जो पर्वतीय जिले हैं जहां पर यह काम हो रहा है वहां पर मजदूरों को गल्ला मिलने में कठिनाई होती है ; वहां पर बिना वहां की जनसंख्या और मजदूरों की संख्या को ध्यान में रखे हुये गल्ला भेजा जाता है और वह गल्ला बाहर चला जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसी बात नहीं है । कम से कम पर्वतीय क्षेत्र से नहीं जा रहा है । वहां पर पी० डब्लू० डी० के जो इन्चार्ज हैं और मजदूरों को गल्ला देते हैं उनसे हमारा गल्ला देने का संबंध रहता है । मेरा खयाल है कि वह देखते हैं कि किसी तरह से गल्ला सीमा के बाहर न जाय ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

मंत्री जी ने बतलाया कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है । पर्वतीय क्षेत्रों में न्याय पंचायत २० मील के अन्तर पर होती हैं तो इस प्रकार से श्रमिकों को अन्न ले जाने में बहुत असुविधा होगी । उनकी अलग अलग यूनियन हैं । उनकी संख्या को देखते हुये अगर यूनियन को दूकान देकर एक्सट्रा कोटा देने की व्यवस्था करें तो लोगों को असुविधा न होगी । क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये सरकार तैयार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं पहले कह चुका हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में मैं बाद को बतलाऊंगा । उनको इस नियम के अतिरिक्त कुछ और सुविधायें हमने दी हैं ।

विस्थापितों के लिये पुनर्वासन योजना

**३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापितों के पुनर्वास के लिये जो योजना तथा लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसकी सम्पूर्ण रूपरेखा क्या है तथा अब इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

राज्य सरकार का लक्ष्य इस प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के ५,००० विस्थापित परिवारों के बसाने का है। भारत सरकार से परामर्श कर के आरम्भ में १००० विस्थापित परिवारों के लेने का निश्चय हुआ है। इन परिवारों को कृषि, उद्योग तथा अन्य धंधों में बसाने के लिये योजनायें बन रही हैं। इन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा परामर्श लेकर अंतिम रूप देने, भूमि तैयार करने, और बसाने के लिये मकान इत्यादि बनाने में कुछ समय लगेगा। अतएव यह निर्णय हुआ है कि २ मार्गस्थ शिविरों की स्थापना रुद्रपुर, जिला नैनीताल व हस्तिनापुर, जिला मेरठ में की जाए। प्रत्येक शिविर में ५०० परिवार रक्खे जायेंगे। इन परिवारों का पोषण शिविरों में तब तक होता रहेगा जब तक उन्हें पुनर्वासन स्थलों पर नहीं भेज दिया जाता। इन परिवारों के पोषण एवं पुनर्वासन पर सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

रुद्रपुर तथा हस्तिनापुर मार्गस्थ शिविरों की स्थापना के संबंध में लगभग सभी प्रबन्ध पूरे हो रहे हैं।

१६१ विस्थापित परिवारों को भूमि पर तथा १५५ परिवारों को उद्योगों में बसाने की योजनायें भारत सरकार के स्वीकारार्थ भेजी जा चुकी हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह योजनायें बनाने में समय लगेगा वह कितना समय लगेगा ?

डाक्टर सीताराम—

योजना बन चुकी है। कुछ बाकी है। जब शरणार्थी आते जायंगे उस समय वह योजनायें पूरी होती जायंगी उन्हीं के साथ साथ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले एक शरणार्थियों को बसाने की योजना हस्तिनापुर के लिये बनाई गई थी वह असफल रही तो यह जानते हुये फिर वहां बसाने के लिये यह प्रयास क्यों किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

चूंकि जून के पहले सप्ताह में वहां शरणार्थी आने शुरू हो जायेंगे इसलिये ज्यादा समय नहीं है कि थोड़े समय के अन्दर बसाने की प्लानिंग और जगह बनाई जाय। यह टैम्पोरेरी जगह उनके रहने के लिये होगी। रुद्रपर वगैरा में जैसे ही उनके लिये भूमि प्राप्त हो जायगी तो उनकी योजना वहां पर कर दी जायगी। जब तक दूसरी जगह उनके लिये स्थायी प्रबन्ध नहीं होता है तब तक के लिये यह योजना बनाई जा रही है। फिर बाद में यह जगह खाली कर दी जायगी। जब तक नई व्यवस्था न हो पाये तब तक के लिये टैम्पोरेरी वहां पर रहने दिया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर लोग पहाड़ी इलाके से आ रहे हैं इसलिये उन्हें ऐसे ही स्थान पर बसाया जाय जिसमें खेती आदि करने के वे आदी हैं ?

डाक्टर सीताराम---

केन्द्रीय सरकार जो भी लिस्ट भेजेगी उस हिसाब से ही लोग बसाये जायेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

वहां के लोग गारो हिल्स से आ रहे हैं और उन्हीं को बसाने की समस्या है । तो वह जिस तरह के इलाके से आ रहे हैं उसी तरह के इलाके में बसाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो उन्होंने बतला दिया कि जैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया उनको बसाने के लिये कहेगी, वैसे ही वह बसाये जायंगे ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार पर्वतीय प्रदेशों से इस प्रकार की मांग प्राप्त हुई है कि इन शरणार्थियों को वहां बसाया जाय ? यदि हां, तो क्या यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम---

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र पर्वतीय क्षेत्रों से नहीं प्राप्त हुआ ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो ५००० शरणार्थी बसाने की योजना आपने भारत सरकार को भेजी है उस पर कितना रुपया खर्च होगा और उसमें भारत सरकार कितना देगी और प्रदेशीय सरकार का हिस्सा कितना होगा ?

डाक्टर सीताराम---

प्रदेशीय सरकार का उसमें कुछ खर्च नहीं होगा । सारा रुपया केन्द्रीय सरकार देगी ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

इनको बसाने के सिलसिले में क्या भारत सरकार ने प्रदेश की सरकार को कोई ऐसा निर्देश भेजा है कि जो लोग वहां उद्योग धंधों में लगे थे और यहां भी उद्योग कायम करना चाहते हैं उनको उद्योग-धंधों में लगाया जाय ? यदि हां, तो वह क्या योजना है ?

डाक्टर सीताराम---

१५५ परिवारों को उद्योगों में बसाने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि रुद्रपुर और हस्तिनापुर को छोड़ कर इनको परमानेन्टली कहां बसाये जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---

१६१ परिवारों को नैनीताल, रामपुर, बरेली और पीलीभीत के जिलों में बसाया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

(२० मार्च, १९६४ के माल मंत्री द्वारा स्थगित प्रश्न)

चकबन्दी में शासकीय कर्मचारी

*३—श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच) तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में कितने शासकीय कर्मचारी भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम में काम कर रहे हैं तथा उसमें पांच वर्ष से अधिक अवधि के भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम में कितने कर्मचारी हैं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४८–७४९ पर)

डुमरियागंज तहसील में तकावी

*४—श्री मेड़ी लाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि डुमरियागंज तहसील जिला बस्ती में १९६० तक जो लोग तकावी बकायादार थे, उन्हें १९६१–६२ में फिर तकावी दी गई ? यदि हां, तो कितने लोगों को ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं, ऐसे किसी भी तकावी के बकायादार को १९६१–६२ में दुबारा तकावी नहीं दी गई।

इलाहाबाद तथा अन्य जिलों में पाला से क्षति

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों से पाला पड़ने से फसल खराब होने की खबर आयी है और सरकार ने अब तक कौन-कौन सी सहायता पीड़ित किसानों को दी है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

प्रदेश में पाले के कारण पिथौरागढ़, चमोली गढ़वाल व टेहरी-गढ़वाल जिलों के अतिरिक्त सभी जिलों में रबी की फ़सल न्यूनाधिक प्रभावित हुई। सहायता हेतु आवश्यकतानुसार मालगुजारी, तकावी के बकाया की वसूली स्थगित की गई। सस्ते गल्ले की दूकानें व टेस्ट वर्क खोले गये तथा सहायता वितरित की गई। २४ अत्याधिक प्रभावित जिलों में चकबन्दी शुल्क की वसूली भी स्थगित कर दी गई। मालगुजारी में छूट नियमानुसार दी जायगी।

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में किन-किन तहसीलों में पाला पड़ने से खेती के खराब होने का असर पड़ा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इलाहाबाद जिले की सभी तहसीलों में फ़सल पाले से प्रभावित हुई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

इलाहाबाद में भुखमरी है, हजारों किसान भूखों मर रहे हैं। वहां टेस्ट वर्क नहीं चलाये गये और मालगुजारी बाकायदा वसूल की जा रही है, क्या यह सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां जहां मुल्तवी की गयी वहां वसूली नहीं होती और जहां मुल्तवी नहीं की गई वहां होती ह ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तीन जिलों को छोड़ कर सारे जिले ओले और पाले से क्षतिग्रस्त रहे, तो भिन्न भिन्न जिलों में कितनी छूट दी है ? बलिया में १२ आने नुकसान हुआ है और हमने लिख कर दिया था कि तीनों गांवों में भुखमरी फैल रही है और रुस्तमपुर का एक बढ़ई मर गया, तो मंत्री जी इन जिलों में लगान में छूट देने के विषय में क्या कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बोर्ड आफ रेवेन्यू के जरिये से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है। जब आ जायगी तो फाइनल कर दिया जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह क्या उत्तर है, कब रिपोर्ट आयेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

हम और आप गवर्नमेंट को जवाब देने के लिये मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

जहां लगान की वसूली मुल्तवी की गयी उसका मौलिक आधार क्या था और...

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां ८ आने खरीफ में और ८ आने रबी में या उससे ज्यादा नुकसान हुआ वहां मुल्तवी की गयी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

पूरा सवाल आपने सुना नहीं। क्या यह सही है कि जहां केवल पाले से ८ आने से ज्यादा नुकसान हुआ वहां भी मुल्तवी नहीं की गयी वसूली ? क्योंकि मैंने कलेक्टर से सुना है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो मैंने बताया कि खरीफ में ८ आने और रबी में ८ आने से ज्यादा नुक्सान है जहां वहां मुल्तवी की जायगी ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि फैजाबाद में किसी भी जगह टेस्ट वर्क नहीं खोला गया है जब कि पाले से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और बहुत से गांव ऐसे हैं जहां के लिए आपने आश्वासन दिया था कि फिर से सर्वे करा रहे हैं वहां कोई सर्वे नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

फैजाबाद के बारे में यदि मेरे मित्र जानकारी करा देंगे तो उस की कार्यवाही हम कर लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का सवाल है। मंत्री महोदय जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, वह बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके दिमाग में अंग्रेजी राज की परम्पराएं घुसी हुई हैं, जैसा उस समय जवाब दिया करते थे वैसा ही दे रहे हैं। डेढ़ सौ बरस का यह रेवेन्यू का कानून पुराना है, तो सही जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं जानना चाहूंगा कि पश्चिमी जिलों के अन्दर पाला पड़ने से गेहूं की फसल तो नष्ट हुई है, लेकिन साथ साथ चने की फसल भी बिलकुल नष्ट हो गयी है, तो चना प्रोवाइड करने के लिए मंत्री जी क्या इंतजाम कर रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

जहां जहां नुकसान होगा वहां छूट देंगे और चना प्रोवाइड खाद्य मंत्री करेंगे।

श्री हिम्मतसिंह--

ऐसे कितने जिले हैं जिनमें खरीफ और रबी दोनों का नुक्सान हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

कागज बनाया जा रहा है।

श्री मैनेजरसिंह--

बलिया जिले के पूर्वी अंचल में जो गांव हर वर्ष बाढ़ में डब जाते हैं जहां खरीफ की फसल का सोलहों आना और रबी में भी १२ आने और १६ आने नुकसान हुआ, त्रिवेदी जी ने मेरे साथ बीसियों जिलों का दौरा किया, फिर भी वहां छूट क्यों नहीं दी गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमारे मित्र और गांवों के नाम देंगे तो मैं फिर रिपोर्ट मागूंगा अगर मुल्तवी नहीं हुई है तो।

श्री काशीनाथ मिश्र--

डेढ़ सौ वर्ष से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियम चले आ रहे हैं कि ८ आने खरीफ और ८ आने रबी में नुकसान होगा तो सरकार छूट देगी, तो क्या इसी नियम को मद्देनजर रख कर आदेश जारी किया गया कि कोई भी कलेक्टर ८ आने से अधिक की बरबादी न दिखलावे?

श्री हुकुमसिंह वसेन--

यह बिलकुल गलत है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

पाले से जो नुक्सान हुआ है उसके कागजात कब तक तैयार हो जायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

कई जिलों से सूचना आ गयी है, कुछ जिलों से नहीं आयी है, हमने उसके लिये हिदायत कर दी है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

१५ मई से आप की वसूली हो जायेगी और अभी तक आपके कागजात ही तैयार नहीं हुये हैं। तो यह कैसे हो पायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिलाधीशों को हमने वह अधिकार दे दिये हैं कि जहां जहां छूट मिलना हो, वहां वह वसूली मुल्तवी कर दें।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

मैं बाराबंकी जिले की बता रहा हूं, वहां पर लोग मौके पर न जा कर जिले में बैठे-बैठे ही कागज तैयार कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी है मंत्री जी को ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह हमें नहीं मालूम।

श्री नत्थाराम रावत—

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और वहां की सही रिपोर्ट मंगवायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरा तो ऐसा खयाल है कि सही रिपोर्ट ही आयेगी, हमने सही रिपोर्ट भेजने के लिये कहा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

इस समय इलाहाबाद में भुखमरी की हालत है और वहां लाखों किसान भूख से मर रहे हैं, न वहां टेस्ट वर्क हुआ है और न कोई राहत दी गई है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं दरियाफ्त करूंगा जिला मैजिस्ट्रेट से इन सब बातों के लिये।

श्री बलवानसिंह—

आपकी पंचसाला योजनाओं का उद्देश्य यही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। जहां पर लोग पाले आदि से एफेक्टेड हैं वहां वसूलयाबी न हो और उनको कुछ सहायता दी जाय। तो इसको ध्यान में रखते हुये जहां जहां ८० फीसदी नुकसान हुआ है, वहां पर क्या उतनी ही मालगुजारी उनकी माफ करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कायदे में आ जायेगा, हम उसे जरूर करेंगे।

ग्राम सभा, कोटरा में सुरक्षा कोष की वसूली

*७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर, तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटरा से प्राप्त सुरक्षा कोष के रुपये की रसीद रुपया प्राप्त होने के कितने दिन बाद तहसीलदार ने दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उप प्रधान कोटरा द्वारा सुरक्षा कोष के लिये एकत्रित किया गया धन भिन्न-भिन्न तारीखों पर लेखपाल द्वारा तहसील में प्राप्त हुआ, जिसकी रसीद रुपया प्राप्त होने के दिन ही दे दी गई।

*८—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ग्राम सभा द्वारा जिलाधीश को तहसीलदार द्वारा रुपयों को जमा करने की रसीद न देने का कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिसके बाद ही तहसीलदार ने एक कच्ची रसीद सादे कागज में बना कर दी, जिसमें न तहसीलदार की मोहर है और न हस्ताक्षर ही ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उप प्रधान ने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि उसको सुरक्षा कोष के रुपयों की रसीद नहीं प्राप्त हुई। इस पर उन्हें रुपयों की प्राप्ति की पुष्टिकरण में डुप्लीकेट रसीद दे दी गई है। यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता कि दी गई रसीद पर तहसीलदार की मोहर या उनका हस्ताक्षर है या नायब तहसीलदार के। किसी के हस्ताक्षर अवश्य होंगे।

*९—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या सरकार पक्की रसीद दिलवाने एवं इतने दिन बाद रसीद देने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह प्रश्न नहीं उठता।

* * * *

गाजीपुर कलेक्ट्रेट में अभिलेख उतारने के लिये रस्सी का इस्तेमाल

*११—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के कलेक्ट्रेट के माल और फौजदारी के रेकार्ड रूम में रस्सी द्वारा ऊपर चढ़ कर बस्ते वगैरह उतारते हैं, जिसमें रस्सी टूट जाने के कारण कई अहलकारों को चोट आयीं ? यदि हां, तो इस रस्सी को हटाने के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है और उसमें क्या खर्च होगा ?

श्री हुकुमसिंह वसेन—

गाजीपुर कलेक्ट्रेट के माल और फौजदारी अभिलेख कक्षों में केवल बस्तों को चढ़ाने व उतारने के लिये रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। किसी अहलकार को चोट लगने की दुर्घटना नहीं हुई है।

* * * *

रजबपुर ग्राम सभा की भूमि

*१९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम रजबपुर, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद में चकबन्दी द्वारा कितनी जमीन ग्राम सभा को मिली ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

९०.०९ एकड़।

*२०—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि वहां के प्रधान ने उस जमीन को कुछ लोगों को देकर और निजी तौर से रुपया लेकर बुआ दिया है, और उसकी आमदनी का कोई हिसाब नहीं रखा? क्या यह सही है कि इस सिलसिले में शिकायती दरख्वास्तें एस० डी० एम०, डी० एम० तथा अन्य अधिकारियों को भी मिली हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गांव सभा की कुछ भूमि को अनियमित रूप से पट्टे पर उठने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर जिला-स्तर पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

रामपुर जिले में जमीन का लगान

*२१—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि निम्नलिखित जिलों की सालाना मालगुजारी कितनी-कितनी है और वहां का औसत लगान फी एकड़ सिंचित और असिंचित जमीन का कितना-कितना है? रामपुर में सब से अधिक लगान होने का क्या कारण है:

"मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर?"

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिला	सालना मालगुजारी	औसत लगान फी एकड़
	रु०	रु०
१—मुरादाबाद	७०,६३,६६०	५.४८
२—बिजनौर	४८,७१,१९६	५.६४
३—बदायूं	४७,२८,५६०	४.१५
४—बरेली	५४,३१,२०८	६.९३
५—पीलीभीत	२४,८२,६५२	४.५४
६—शाहजहांपुर	३५,६३,५२९	३.७८
७—रामपुर	४१,३५,१६२	८.५८
८—मुजफ्फरनगर	४२,२८,६९३	४.९०
९—मेरठ	६१,८७,३११	५.४०
१०—बुलन्दशहर	५४,५१,६३९	५.६८
११—सहारनपुर	४६,०२,२२४	५.०६

नोट—सिंचित और असिंचित भूमि का औसत लगान फी एकड़ के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

रामपुर में सब से अधिक लगान होने का कारण साबिक बन्दोबस्त है जो नवाब रामपुर व किसानों के बीच हुये थे।

श्री रियासत हुसैन—

उत्तर प्रदेश में सब से अच्छे जिलों का लगान औसत ५.४० रुपये करीब है और रामपुर का ८.५८ है, उसे मर्ज हुए १२,१३ साल हो गये हैं। तो क्या सरकार वहां नया बन्दोबस्त करने की कृपा करेगी ताकि वहां भी लगान ठीक हो?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मौजूदा कानून के अनुसार जमींदारी अबालीशन से ४० साल तक दूसरा बन्दोबस्त नहीं हो सकता है। लेकिन जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में कुछ दफ़ायें तरमीम करके हमने यह रखा है कि जैसे और जिलों में हीयरडिटैरी रेट का डबल रेट से ज्यादा हो तो वह कम किया जा सकता है। लेकिन रामपुर में अगर हीयरडिटैरी रेट का सवाया से ऊपर हो तो भी कम किया जा सकता है। किसानों ने इन आदेशों का फ़ायदा नहीं उठाया। तब कलेक्टर को आदेश दिया गया कि इसमें कार्यवाही करे। हम करीब ८९,००० रुपया मालगुजारी में कम कर चुके हैं। १५० के करीब गांव बाकी हैं, वे भी इसके तहत में आवेंगे।

श्री बलवानसिंह---

क्या सरकार औसतन लगान फर्टीलिटी के मुताबिक करने की कृपा करेगी चूंकि गरीब ज्यादा और पुराने जमींदार कम लगान दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जब सैटिलमेंट होगा तब रेशनेलाइज कर दिया जायगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

रामपुर में सी० एल० आर० डी० द्वारा करेक्शन्स हुए या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उधर पहले ही ज्यादा है।

श्री ऊदल---

क्या मन्त्री जी इस ठेकेदारी की प्रथा के लगान का सर्वे कराके ठीक करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हमने कम करने का प्रबन्ध कर रखा है, जैसा अभी कहा था।

श्री काशीनाथ मिश्र---

आज भी रामपुर के नवाब किसानों से नजराना और दूसरे तरह से रुपया वसूल करते हैं, सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मुझे ऐसी इत्तिला नहीं है। आप लिखकर दें तो जाँच कराऊं।

श्री मैनेजरसिंह---

जो ९०.०९ एकड़ जमीन चकबन्दी योजना में गांव सभा को दी गई वह किन-किन प्रयोजनों के लिये दी गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

पब्लिक यूटीलिटी के लिये, यह बड़ा कंप्रिहेंसिव टर्म है।

श्री मैनेजरसिंह---

यह किन-किन सामूहिक प्रयोजनों के लिये निकाली गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या रामपुर का स्पेशल केस मान कर उन १५,२० गांवों के हिसाब से जो मुरादाबाद से काटकर रामपुर में मिलाये गये, रामपुर में भी लगान मुकर्रर करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो योजना हमने चलाई है उसमें बड़ा फायदा होगा।

फतेहपुर जिले में पाला पीड़ितों को सहायता

*२२—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले मास लगातार कई दिनों तक पाला पड़त रहने से जिला फतेहपुर में किन-किन फसलों का कितना-कितना नुकसान हुआ है तथा प्रभावित किसानों के सहायतार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जनवरी के द्वितीय पक्ष में पाले से हुई क्षति का विवरण संलग्न है। जहां तक प्रभावित किसानों की सहायता का प्रश्न है, दस हजार रुपये अहेतुक सहायता तथा ५०,००० रु० आपद्कालीन तकावी के रूप में स्वीकृत किये गये थे जो वितरित किये जा रहे हैं। जिन जोतों में पिछली खरीफ में तथा इस वर्ष रबी की फसल ५० नये पैसे से या अधिक नष्ट हुई है, उनमें लगान की वसूली रोक दी गई है। रबी में ५० नये पैसे से अधिक जोत क्षति वाले जोतों में चकबन्दी शुल्क की भी वसूली रोक दी गई है। १६२ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई हैं। अंतिम सहायता प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार लगान में छूट भी दी जावेगी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५० पर)

श्री रक्षपालसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह १० हजार रुपये की अहेतुक सहायता कितने काश्तकारों को वितरित की गयी है और किस रेट आफ इन्टरेस्ट पर की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तादाद तो नहीं बता सकता लेकिन जो गरीब हैं उनको दी गयी है।

श्री रक्षपालसिंह—

सरकार की तरफ से जो तकावी दी गयी है क्या वह इन्टरेस्ट फ्री दी गयी है ? अगर इन्टरेस्ट पर है तो उसकी रेट क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर डिस्ट्रेस है तो इन्टरेस्ट फ्री है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिन लोगों की फसल नष्ट हो गयी है, उनके जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न हो गया है उसमें उनके खाने की ही परेशानी हो रही है लेकिन जानवरों के भूसा आदि के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हुकुमसिंहविसेन—

जो जंगल के किनारे के गांव हैं उनके लिये कुछ एरिया फ्री ग्रेजिंग एरिया कर दिया गया है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि फतेहपुर की गरीबी की हालत को देखते हुए, फसलों के नुकसान को देखते हुए, तथा आग भी लग गयी है, इसको देखते हुए, उनके लगान में छूट देने तथा पिछली तकावी की वसूली बन्द करने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जो आदेश जारी किये गये हैं, उनसे यदि यह कवर होता है तो हो जायगा।

श्री बलवानसिंह--

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि राजस्थान में चारा अमेरिका से आ रहा है और यू०पी० में ५ रुपया मन भूसा मिल रहा है, जब कि उत्तर प्रदेश में जानवर सब से अधिक हैं ? क्या मन्त्री जी जानवरों के लिये चारे का प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अगर जिला मैजिस्ट्रेट लिखेंगे तो प्रबन्ध किया जायगा।

* * * *

नैनीताल जिले में फरार एलाटियों की भूमि

*२५--श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के कालोनाइजेशन क्षेत्र, तहसील काशीपुर, बाजपुर व किच्छा में जो एलाटी वर्षों से फरार हैं उनके नाम एलाट भूमि को क्या भूमिहीन व्यक्तियों को एलाट करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कालोनाइजेशन क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र वर्ग विशेष के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित हैं तथा फरार व्यक्तियों की भूमि उसी वर्ग के लोगों को दी जा सकती है जिसके लिये वह सुरक्षित थी। उदाहरण के लिये फरार राजनीतिक पीड़ितों की भूमि राजनीतिक पीड़ितों को, फरार भूमिहीन व्यक्तियों की भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को ही दी जा सकती है। पुनः एलाट किये जाने वाले व्यक्तियों के साथ यह शर्त अवश्य होती है कि उन्हें उस भूमि से सम्बन्धित फरार काश्तकारों द्वारा देय सरकारी बकाया की अदायगी का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है।

*२६--श्री खुशीराम--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्षेत्रों में ऐसी कितनी एकड़ भूमि उपलब्ध होगी जिनके एलाटी फरार हैं तथा ऐसी भूमि को दूसरे व्यक्तियों को कब तक एलाट करने का विचार है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

फरार एलाटियों की भूमि किच्छा में १२५ एकड़, काशीपुर में ६१४.३४ एकड़ तथा बाजपुर में ३,७१५ ८/२० बीघा है--इसमें से अधिकांश भूमि इस समय अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं। केवल २०.७८ एकड़ भूमि काशीपुर में तथा १४१ १/२० बीघा भूमि बाजपुर में रिक्त है जिसपर किसी का कब्जा नहीं है। अनधिकृत कब्जे वाली भूमि का एलाटमेंट बेदखली के बाद हो सकता है जिसके लिये जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जा रही है। रिक्त शेष भूमि के एलाट करने के लिये भी उचित कार्यवाही हो रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग फरार हैं वे कब से फरार हैं और किन कारणों से वे धरती छोड़ कर भाग गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं उनके दिल की बात नहीं बतला सकता ।

श्री दयाराम शाक्य--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने एलाटी फरार हैं और उनको जो भूमि एलाट की गयी थी वह कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना मिली है कि तहसील किच्छा की कालोनाइजेशन स्कीम के मातहत जिन लोगों को वहां से हटाया गया और उनको दूसरी जगह जमीन दी गयी, उनको कागज के अन्दर जबरदस्ती फरार दर्ज कर दिया गया है, जबकि असलियत में वे फरार नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मेरी तो सूचना यही है कि वे फरार हैं ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब एलाटी वर्षों से गायब हैं तो मालगुजारी किससे कैसे वसूल हुई ? यदि मालगुजारी नहीं मिली तो इसकी इत्तला सरकार को कब हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मालगुजारी के बारे में कुछ न कहिये । उसकी वसूली में ऐसी दिक्कतें पड़ती हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या सरकार इस प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था करेगी कि तमाम उन जमीनों से जो लोग फरार होकर चले गये हैं, वहां भूमिहीनों को बसाया जाय और उन्हें वे जमीनें दे दी जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इनेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स तो हो रही है जो ट्रेसपासर्स काबिज हैं उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही हो रही है ।

श्री हिम्मतसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एलाटी फरार हैं उसी कैटेगरी के राजनीतिक पीड़ितों ने दरख्वास्तें दी हैं कि उन जमीनों को उनके नाम से एलाट कर दिया जाय ? यदि हां, तो ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बलवानसिंह—

आपकी कालोनाइजेशन स्कीम के मातहत जो बाजपुर व काशीपुर की जमीन है वह हिन्दुस्तान की सब से बेहतर और अच्छी जमीन है, तो क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम बनायेगी जिससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर के जरिये वहां की जमीन एलाट हो ताकि उन जमीनों का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नैनीताल में हमने कलेक्टर और वहां के एम० एल० एज० की एक कमेटी बना दी है। वह उनके काम की देखरेख करें और जमीन का एलाटमेंट करें।

* * * *

खागा तहसील में चकबन्दी

*२९—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) तथा श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में खागा तहसील में चल रही चकबंदी को उत्तरी क्षेत्र में क्या इसलिये स्थगित कर दिया गया था कि वहां पर रामगंगा नहर सम्बन्धी निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो वहां पर चकबंदी फिर से चालू किये जाने का क्या कारण है ? यदि नहीं, तो चकबंदी नियमावली १७ (१) के अन्तर्गत उसे स्थगित करने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

खागा तहसील के उक्त क्षेत्र में चकबंदी कार्य स्थगित नहीं किया गया था। रामगंगा नहर सम्बन्धी निर्माण-कार्य की जानकारी होने पर चकबंदी कार्य को तकरीबन ३०९ गांवों में स्थगित करने की कार्यवाही चकबंदी अधिनियम की धारा ६ के अधीन अब की जा रही है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर में रामगंगा नहर के विस्तार के कारण चकबंदी रोक दी गई है और वह नहर इलाहाबाद जिले में भी जाती है, तो क्या इलाहाबाद जिले में भी रोकी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नाम याद नहीं है। एक तहसील में रोकी जा रही है। उन गांवों में रोकी गई है जो उसके अफेक्ट में आने वाले हैं।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो चकबंदी रोकी गई वह किस-किस स्टेज पर रोकी गई और क्या ऐसे गांव अब भी हैं कि जहां अब भी चकबंदी चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां रिकार्ड आपरेशन हो रहे हैं वहां रोका गया है और जहां चक तैयार हो गये हैं उन ५—६ में नहीं रोका गया है, बाकी सब में रोक दिया गया है।

हाटा तहसील में लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*३०—श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के अन्तर्गत तहसील हाटा, ग्राम पट्टन के ग्राम सभा के सभापति ने स्थानीय लेखपाल के विरुद्ध कोई शिकायत की दरख्वास्त तारीख १६ दिसम्बर, १९६३ को आपको तथा मुख्य मंत्री को दी थी जिसमें कि इस बात की शिकायत की गयी थी कि स ग्राम के लेखपाल ने ग्राम समाज की भूमि को अवैधानिक रूप से अपने पिता, चचरे भाई तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों के नाम लिख लिया है ? यदि उपरोक्त बात सही है, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस प्रकार की एक बिला तारीख की दरख्वास्त मुख्य मंत्री जी को दी गई थी। उस पर परगनाधीश, हाटा ने जांच की थी। लेखपाल के विरुद्ध यह शिकायत प्रमाणित न हो सकी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव समाज की भूमि को अवैधानिक रूप से अपने पिता, चचेरे भाई तथा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम लिखा।

*३१—श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय—

क्या यह सही है कि इसी लेखपाल को सन् १९५६ में भी तत्कालीन परगनाधीश ने भूमि नं० ७३३,७६५,७९५ व ८२६ को, जिसे ग्राम सभा की ओर से भमिदान में दे दिया गया था, अपने पिता के नाम पर लिख लेने के आरोप पर मुअत्तल किया गया था ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह सत्य है कि इस लेखपाल को सन् १९५६ में मुअत्तल किया गया था। इसका कारण यह था कि इस लेखपाल के विरुद्ध गाटा संख्या ७३३, ७६५, ७९५ तथा ८२६ अपने पिता के नाम अभिलेख में दर्ज करने की शिकायत थी। बाद में इस लेखपाल को बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसको मुअत्तली के समय का वेतन नहीं दिया गया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब इस लेखपाल के खिलाफ गलत इन्दराज की ऐसी शिकायतें थीं तो उस को मुअत्तली का वेतन रोकने की सजा ही देना क्यों मुनासिब समझा गया और उसको बरखास्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसने वह इन्दराज नायब तहसीलदार के आर्डर से किया था, वह पटवारी ने खुद नहीं लिख लिया था। लिहाजा उसका खुद का कसूर नहीं था।

श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय—

यह लिखित उत्तर हमें अब उत्तर हो जाने के बाद मिला है। पहले वक्त से मिल जाता तो हम प्रश्न करते।

श्री उपाध्यक्ष—

आइन्दा से उत्तर समय से सदस्यों को मिलने चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यदि नायब तहसीलदार की गलती मानी गई कि उसने हुक्म दिया था, तो उस नायब तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उससे कांग्रेस का मेम्बर होने को कहा गया होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, प्रश्न ३० के उत्तर में तो उन्होंने कहा है कि जो शिकायत आई थी वह जांच करने पर फर्जी पाई गई लेकिन फिर ३१ प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उनका इन्दराज उसने अपने नाम कर दिया था, तो कौन बात ठीक है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दोनों सवाल अलग-अलग हैं और ोनों के उत्तर ठीक हैं ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

मंत्री जी ने कहा कि प्रधान ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसकी शिकायतें निराधार थीं । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रार्थना-पत्र की जांच किसने की थी और जांच के समय प्रधान को क्यों आरोपों को सिद्ध करने का अवसर दिया नहीं गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माफ करें, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

विनोवापुरी पर व्यय

*३२—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत विनोबापुरी नामक कोई ग्राम बसाया गया था ? यदि हां, तो सरकार इन ग्राम वासियों पर १९५४ से लेकर १९६४ तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय कर चुकी है ? क्या यह सही है कि वहां की जो अच्छी जमीन थी उसको भूदानी कार्यकर्ताओं ने अपने नाम पट्टा करा लिया है ? यदि करा लिया है, तो उनके नाम क्या-क्या हैं ? विनोबापुरी के हरिजनों के नाम कितने एकड़ भूमि अलग की गयी है और उनके नाम क्या हैं और हर एक को कितनी-कितनी जमीन मिली है और सरकार को तथा सरकारी अधिकारियों को बिनोबापुरी के हरिजनों के कितने शिकायती-पत्र आये हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, १९५४ से १९६४ तक सहायता में १७६६५ रु० व्यय हुआ, जिसका विस्तृत विवरण तालिका "क" के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

ग्राम विनोबापुरी में न किसी भूदानी कार्यकर्ता को और न किसी हरिजन को भूमि दी गई है । विनोबापुरी के हरिजनों को ९८.७ एकड़ भूमि का पट्टा दूसरे गांवों में दिया गया, जिसका विस्तृत विवरण तालिका "ख" के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है । जांच से पता चला कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५१–७५३ पर)

श्री रतीपाल—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दिसम्बर, १९६३ में हरिजन सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के, बैजनाथपुरी जी, एम० पी० ने किया । वहां पर प्रस्ताव हरिजन भूदान कार्यकर्ताओं के खिलाफ हरिजनों की तरफ से पास हुआ, जिसको लेकर मैं और श्री बैजनाथपुरी हरिजन अधिकारी से डेपुटेशन के रूप में मिले । इस बात को सरकारी अधिकारियों ने छिपा लिया है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करा कर सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आप लिखकर दे दीजिये कि किस अधिकारी से मिले थे, मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री रतीपाल—

मैं और श्री बैजनाथ, एम० पी० हरिजन अधिकारी से डेपुटेशन में मिले थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ठीक है, मैं पूछ लूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय रतीपाल ने जो प्रश्न किया है यह रायबरेली का ही प्रश्न नहीं है। रेवेन्यू विभाग में जहां पर सैकड़ों भ्रष्टाचार चल रहे हैं वहां इस बिनोबा कमेटी ने बड़ा भ्रष्टाचार फैलाया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि विनोबा के नाम पर जितनी जमीनें मिली हैं, उसकी जांच अलग से बैठा कर क्या उसके हिसाब-किताब, अलाटमेंट के बारे में मुकम्मिल जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझसे रायबरेली जिले की विनोबापुरी के बारे में पूछा गया। अब जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है उसके लिये सवाल अलग से करेंगे, तो जवाब दूंगा।

[२० मार्च, १९६४ के माल मंत्री द्वारा स्थगित तारांकित प्रश्न]

मोहकमगंज बाजार की तहबाजारी

*६—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में मोहकमगंज बाजार की तहबाजारी अब ग्राम समाज द्वारा वसूल की जाती है अथवा भूतपूर्व जमींदार द्वारा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

तहबाजारी भूतपूर्व जमींदार द्वारा वसूल होती है जिनकी यह भूमि है।

श्री गयाप्रसाद—

क्या यह सही है कि हू बहू यही सवाल १९५९–६० में आया था और मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि उक्त भूमि पर गांव समाज का कब्जा है और जमींदार को मुआवजा मिल चुका है और तहबाजारी गांव समाज वसूल करता है, लेकिन आज जवाब दे रहे हैं कि जमींदार वसूल करते हैं उनका कब्जा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों उत्तरों में कौन-सा उत्तर सही है और असली बात क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे याद नहीं क्या जवाब दिया गया, देखकर बता सकूंगा।

श्री गयाप्रसाद—

यह प्रश्न स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, यह प्रश्न स्थगित किया गया।

*७—श्री गयाप्रसाद—

क्या यह सही है कि उक्त भूमि का मुआविजा भूतपूर्व जमींदार साहब को वर्षों पूर्व प्राप्त हो चुका है तथा उस भूमि से उसका अब कोई सम्बन्ध मुआविजा मिलने के बाद नहीं रहा ? यदि हां, तो क्या माल मंत्री उपरोक्त बाजार की तहबाजारी वसूली का रुपया (जब से उपरोक्त जमींदार साहब को उक्त बाजार का मुआविजा मिल चुका है) भूतपूर्व जमींदार साहब से वसूल करने के आदेश देंगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह सही है कि भूतपूर्व मध्यवर्ती को अपने आस्थान, जिसमें आबादी का स्थल भी सम्मिलित है, का प्रतिकर मिल चुका है परन्तु यह सत्य नहीं है कि उनका अब इस बाजार की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

* * *

श्री ज्योतिप्रसाद, एम० एल० सी० द्वारा किस्त अदायगी में देरी

*९—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री ज्योति प्रसाद, एम०एल० सी०, शाहजहांपुर पर लगभग बारह हजार रुपया ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स व वृहत् जोत-कर का बाकी है और उसकी सरकार ने दो हजार रुपया प्रति छमाही की किस्तें कर दी हैं और उसमें यह पाबन्दी है कि यदि एक भी किस्त निश्चित समय पर न अदा करें, तो एक साथ पूरा सरकारी रुपया वसूल किया जावे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां ।

*१०—श्री सुक्खनलाल तथा श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या यह सरकार की जानकारी में है कि उनकी ३१ दिसम्बर, १९६३ को अदा होने वाली किस्त समय पर अदा नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार अब पूरा रुपया एक साथ वसूल करने का आदेश जिला अधिकारियों को देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । इस किस्त को जमा करने के लिये उन्हों ने एक माह का और समय दिया था और इस अवधि में वह किश्त जमा कर दी गई ।

*११—श्री सुक्खनलाल तथा श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त किस्त को अदा करने के कार्यकाल को ३१ जनवरी, सन् १९६४ तक की रियायत पुनः दी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या श्री ज्योति प्रसाद ने ३१ जनवरी, १९६४ तक रुपया अदा कर दिया है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, क्योंकि समय देने के लिए समुचित कारण थे । किश्त ३१-१-१९६४ तक जमा कर दी गई ।

* * *

नोटः—तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इलाहाबाद जिले में सूखा पीड़ितों को सहायता

*२२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ दिसम्बर, १९६३ को विधान सभा द्वारा इलाहाबाद जिले में सूखे की स्थिति पैदा होने और खरीफ की फसल नष्ट होने के बारे में प्रश्नकर्ता की जो नोटिस उनके पास आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित की गयी थी, उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त पत्र को जिलाधीश के पास उचित जांच और रिपोर्ट के लिये भेजा गया था। इस जिले की तीन तहसीलों—चायल, सिराथू व मेजा में खरीफ की फसल में नुकसान होने के कारण आवश्यकतानुसार गल्ले व शक्कर की दुकानें खोली गयीं, तकावी बांटी गई, टेस्ट-वर्क चलाया गया, रबी की किश्त देय होने तक वसूली रोकी गई तथा लगान में नियमानुसार छूट दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

* * *

फतेहपुर जिले के लेखपाल

*२५—श्री रक्षपालसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में तहसीलशः कितने-कितने लेखपाल हैं जो ३ वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे हैं तथा वे अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ? इन लेखपालों को स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला फतेहपुर में ८६ इस प्रकार के लेखपाल हैं। जिले की तहसील फतेहपुर, बिंदकी और खागा में यह संख्या क्रमशः ३१, २१ और ३४ है।

उपर्युक्त ८६ लेखपालों में से २९ अभी परीक्षण काल पर हैं। इनके अलावा २६ लेखपाल जिनके परीक्षण काल की अवधि या तो समाप्त हो गई है या होने वाली है, उनके स्थायीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शेष लेखपाल या तो लेखपाल परीक्षा पास नहीं कर सके हैं या उनकी आयु नियुक्ति की नियत आयु से अधिक है, वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं।

फतेहपुर जिले के नायब तहसीलदार सीलिंग के विरुद्ध कथित जांच

*२६—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या एडीशनल लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर ने फतेहपुर जिला के नायब तहसीलदार सीलिंग के विरुद्ध किसी शिकायत की जांच जनवरी, फरवरी या मार्च, सन् १९६३ में की है ? यदि हां, तो उसमें किसका-किसका बयान लिया गया तथा अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

घोसी तहसील के लेखपाल के विरुद्ध कथित शिकायत

*२७—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिसवां देवारा, पोस्ट धर्मपुर बिशुनपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों द्वारा दिनांक १६ अक्तूबर, १९६३ का लिखित आवेदन-पत्र परगनाधीश घोसी को प्राप्त हुआ है, जिसमें लेखपाल के विरुद्ध गलत इन्दराज करने तथा घूस लेने की शिकायत है ? यदि हां, तो उसकी जांच कब और कहां एवं किस अधिकारी से करायी गयी और परिणाम क्या निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

किसानों द्वारा लिखित ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। बाकी प्रश्न नहीं उठता।

*२८—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवेदकों द्वारा शिकायत के तथ्य में बयान प्रमाण आदि लिये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

फरेंदा तहसील में किसानों को सहायता

*२९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में गत ५ वर्षों में बाढ़, ओला, सूखा आदि से अलग-अलग जो क्षति हुई उसमें किस किस प्रकार की सहायता लोगों को दी गयी तथा मालगुजारी में कितनी-कितनी छूट दी गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५४–७५५ पर)

* * *

लालगंज तहसील के लेखपाल, कल्पनार्थसिंह के सर्टीफिकेट की जांच

*३२—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला की लालगंज तहसील के अन्तर्गत श्री कल्पनार्थसिंह, लेखपाल ८वीं श्रेणी भी उत्तीर्ण नहीं हैं ? यदि हां, तो वे लेखपाल कैसे बना दिये गये ? क्या कुछ व्यक्तियों ने इसकी सूचना परगनाधीश को दी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री कल्पनार्थसिंह का सुभाष विद्या मंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, बहरियाबाद, जिला गाजीपुर से कक्षा ८ पास होना पाया जाता है। कुछ व्यक्तियों ने जिलाधीश, आजमगढ़ को प्रार्थना-पत्र दिया था कि श्री कल्पनार्थसिंह ने फर्जी सर्टिफिकेट हासिल किया है। परगनाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं।

* * *

पटना ग्राम समाज की भूमि का मामला

*३७—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के पटना ग्राम के सभापति के आवेदन-पत्र के साथ सरकार और जिलाधीश, गोरखपुर को कोई आवेदन-पत्र दिसम्बर, १९६३ में इस आशय का मिला है कि गांव समाज की भूमि को अधिकारीवर्ग कब्रिस्तान लिखने का आदेश दे रहे हैं, जबकि उसी भूमि पर जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल हैं और क्या अभी इसी फरवरी, १९६४ में कोई आवेदन-पत्र इस आशय का भी मिला है कि शांति भंग के अन्देशा को बचाया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, सरकार को इस आशय के दो पत्र दिनांकित ११ दिसम्बर, १९६३ तथा १९ दिसम्बर, १९६३ के मिले हैं। प्रधान द्वारा दिसम्बर, १९६३ में प्रेषित पत्र जिलाधीश को तो नहीं, पर परगाधीश, बांसगांव को मिला था। फरवरी, १९६४ में शांति भंग होने के संबंध में कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। सरकार को प्राप्त पत्र जिलाधीश, गोरखपुर को भेज दिये गये हैं।

*३८—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो जांच की गयी है उसमें ग्राम प्रधान का बयान या प्रार्थीगण में कितने लोगों का बयान लिया गया है और उस भूमि को गांव सभा के बजाय कब्रिस्तान दर्ज करने के क्या कारण हैं, जबकि वहीं लगभग १ एकड़ भूमि कब्रिस्तान के लिये दर्ज है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जांच के समय केवल खुशी मोहम्मद तथा गांव सभा के प्रधान के बयान लिये गये।

परगनाधीश ने अपने दिनांक २५-११-६३ के आदेश द्वारा अतिरिक्त भूमि कब्रिस्तान दर्ज करने के लिये कहा था पर उन्होंने अपने दिनांक ११-३-६४ के आदेश द्वारा उक्त आदेश निरस्त (Cancel) कर दिया। अब केवल ०.९० एकड़ भूमि जो पहिले भी मुर्दे गाड़ने के लिये थी ही, कब्रिस्तान दर्ज है।

ए० एस० ओ० सी०, गोंडा के न्यायालय में मुन्तकली की दरख्वास्तें

*३९—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रीमान् ए०एस०ओ० सी०, गोंडा के न्यायालय में ३ फरवरी, सन् १९६४ से ७ फरवरी, सन् १९६४ तक कितनी मुन्तकली दरख्वास्तें गुजरी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३ फरवरी, १९६४ से ७ फरवरी, १९६४ तक ए० एस० ओ० सी०, गोंडा के न्यायालय में कोई मुन्तकली की दरख्वास्त नहीं गुजरी। हां, दो अपीलों में इस आशय के प्रार्थना-पत्र दिये गये थे कि उनमें तारीख बढ़ा दी जाय ताकि उनकी सुनवाई ए० एस० ओ० सी० के स्थान पर एस० ओ० सी० द्वारा हो सके।

*४०—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

[हटा दिया गया।]

* * *

घाटमपुर तहसील से चकबन्दी संबंधी प्रार्थना-पत्र

*५२—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के किसानों के कितने प्रार्थना-पत्र किसानों द्वारा या किसी विधायक द्वारा मंत्री जी, चकबन्दी, आयुक्त व एस० ओ० सी०, घाटमपुर को पृथक्-पृथक् १ जनवरी, १९६३ से १९ फरवरी, १९६४ तक प्राप्त हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त अवधि में तहसील घाटमपुर के चकबन्दी कार्य से संबंधित क्रमशः ७० तथा ७९१ तथा ३,४९३ प्रार्थना-पत्र राजस्व मंत्री, चकबन्दी आयुक्त तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) कानपुर के कार्यालय में प्राप्त हुये।

* * *

देवरासई ग्राम में चकबन्दी

*५६—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिलान्तर्गत भर्थना तहसील के देवरासई ग्राम में बिना गांव के लोगों को किसी प्रकार की जानकारी हुये उस गांव की पूरी चकबन्दी कर दी गयी तथा गांव की बहुत-सी जमीनें बाहर के अपरिचित असम्बद्ध लोगों के नाम लिख दी गयीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सही नहीं है।

*५७—श्री सहदेवसिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या चकबन्दी ऐक्ट की धारा ४ का प्रकाशन कराया गया था ? क्या आकार पत्र ५-९-११-२३-२५ किसानों को बांटे गये थे और क्या कोई भी चकबन्दी कर्मचारी गांव में पड़ताल करने या चक बनाने के लिये गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस ग्राम के संबंध में धारा ४ का प्रकाशन किया गया था तथा उक्त आकार पत्र भी नियमानुकूल वितरित किये गये थे। ग्राम में पड़ताल करने व चक बनाने के लिये चकबन्दी कर्ता व सहायक चकबन्दी अधिकारी गये थे।

*५८—श्री सहदेवसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त गांव के किसानों ने कभी कोई आपत्ति, प्रार्थना-पत्र या मुकद्दमा चकबन्दी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उनकी तिथियां, वाद-पत्र प्रस्तुत करने वालों के नाम तथा वाद-पत्र क्या थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

[उत्तरप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पयागपुर इन्टर कालेज के विद्यार्थी का पीटा जाना

*१—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के पयागपुर स्थित एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा उसी विद्यालय की दसवी कक्षा के एक छात्र को स्वंय एक चपरासी की सहायता से बुरी तरह पीटा गया जिससे कि विद्यालय में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है तथा आजकल विद्यालय ७ दिन के लिये बन्द कर दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पयागपुर इन्टर कालेज की दसवीं कक्षा के एक विद्यार्थी को प्रधानाचार्य ने स्वयं पांच-सात छड़ी मारी, परन्तु इसके कारण विद्यालय में कोई तनाव नहीं था। विद्यालय २३-२-६४ से १-३-६४ तक होली के उपलक्ष में बन्द रहा।

*२—श्री शारदानन्द—

यदि हां, तो पूरी घटना क्या है, तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

घटना का विवरण संलग्न है। शासन द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५६ पर)

हायर सेकेन्डरी स्कूल, ताजगंज, आगरा के प्रिंसिपल की नियुक्ति पर आपत्ति

*३—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा महापालिका के अन्तर्गत हायर सेकेन्डरी स्कूल, ताजगंज में अभी हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया गया है जिसमें इन्टरमीडिएट अधिनियम के अन्तर्गत दी हुई अनिवार्य योग्यता भी नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप में हुई है।

*४—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह सच है कि उपरोक्त व्यक्ति सी० टी० ग्रेड का है और एजूकेशनल कोड के मुताबिक वह उक्त स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। वह रु० ७५-५-१२०-८-२०० रु० के वेतन क्रम में रु० २०० मासिक वेतन पा रहे थे, जब कि सी० टी० वेतन क्रम रु० ७५-५-११०-६-१४०-७-१६८-८-२०० है। एजुकेशनल कोड में ऐसे वेतन पाने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल बनाने का कोई निषेध नहीं है।

*५—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

अगर हां, तो इस नियुक्ति का क्या कारण है और इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १०८ के अनुसार प्रिंसिपल के पद पर एक वर्ष तक के लिये अस्थाई नियुक्ति का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी को ही है। शासन द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नगसिया ग्राम सभा की भूमि के संबंध में श्री लालमणि द्वारा भूख-हड़ताल

*६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि विधान सभा भवन के सामने फाटक पर हरिजन कृषि सहकारी समिति, नगसिया, जिला कानपुर का एक प्रतिनिधि ३ मार्च, १९६४ से कृषि सहकारी समिति के लिये ग्राम सभा की कई सौ एकड़ परती भूमि में से समिति के लिये प्रधान द्वारा द्वेष मान कर न देने के कारण अनशन कर रहा है? यदि हां, तो सरकार इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सत्य है कि श्री लालमणि ने जो अपने को प्रश्न में उल्लिखित कृषि सहकारी समिति का प्रतिनिधि कहते हैं। ३ मार्च से ७ मार्च तक अनशन किया। भूमि देने का अधिकार, भूमि प्रबन्धक समिति को जहां तक सरकार को ज्ञात हुआ है। भूमि प्रबन्धक समिति नियमानुकूल इस समिति को भूमि देने के लिये प्रयत्नशील है।

राठ परगना के अग्नि पीड़ितों को सहायता

*७—श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सिड़सिड़, परगना पच्छिम राठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में दिनांक ६ मार्च, १९६४ को भीषण आग लगी? यदि हां, तो कितने जन व धन की हानि हुई और सरकार की ओर से क्या सहायता पहुंचायी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। उक्त अग्निकांड से अनुमानतः ७,००० रु० की हानि हुई और २ स्त्रियों की मृत्यु हुई। पीड़ितों को १२६ रु० नगद और ४९ गज कपड़ा तात्कालिक सहायता के रूप में वितरित किया गया।

*८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[वापस ले लिया गया।]

बहेठा ब्लाक में अग्निपीड़ितों को सहायता

*९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १६ फरवरी, १९६४ को दोपहर को जिला सीतापुर, तहसील बिसवां के अन्तर्गत बहेठा ब्लाक की ग्राम सभा, चन्दसुवा के अन्तर्गत विलायतपुरवा में आग लग गयी थी, जिस के कारण संपूर्ण गांव जल कर भस्म हो गया? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा पीड़ित परिवारों को क्या-क्या सहायता पहुंचायी गयी और उस ग्राम में कितनी अनुमानित क्षति हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस अग्निकांड से कुल ५ मकान जले और अनुमानतः १,२७८ रु० की हानि हुई। पीड़ितों को गृह निर्माण सामग्री उपलब्ध की गई तथा २२५ रु० तकावी ऋण दिया गया।

लपकनी ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१०--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या माल मंत्री बतायेंगे कि गत ६ मार्च को देवरिया जिले की देवरिया तहसील में गौरी बाजार कानूनगो गोवाई के लपकनी नामी ग्राम में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जन एवं जानवरों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो अहेतुक सहायता हेतु अब तक कौन सा कदम उठाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

इस अग्निकांड से २९ झोपड़ियां जल गयीं और एक लड़की, एक बकरी व ९ मुर्गियों की भी मृत्यु हो गयी। अनुमानतः १७,१५० रु० की संपत्ति की हानि हुई। पीड़ितों को ३३० रु० नगद अहेतुक सहायता तथा १ पेड़ की लकड़ी गृह निर्माण सहायता हेतु प्रदान की गई।

लखनऊ में श्री जगदीश गांधी द्वारा संस्थापित मान्टेसरी स्कूलों की व्यवस्था

*११--कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ) आदि--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में श्री जगदीश गांधी एवं श्रीमती भारती गांधी द्वारा संस्थापित सिटी मांटेसरी स्कूलों की कितनी शाखायें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और उन्हें कितना-कितना अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है तथा जब से ये स्कूल खुले हैं, तब से अब तक शिक्षा विभाग ने कुल कितना रुपया इन स्कूलों को अनुदान के रूप में दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

१२--मान्यता प्राप्त शाखायें हैं। इन संस्थाओं को सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अनावर्तक अनुदान स्कूल के खुलने की तिथि से अब तक १७,१९७ रु० दिया गया है।

*१२--कुमारी श्रद्धादेवी आदि--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन स्कूलों मे किन-किन विषयों की शिक्षा दी जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इन स्कूलों में प्री-प्राइमरी, प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के स्तर की शिक्षा दी जाती है।

*१३--कुमारी श्रद्धादेवी आदि--

इन स्कूलों में ट्यूशन फीस, मेंटिनेंस फीस तथा स्टेशनरी शुल्क क्या लिया जाता है और एक कक्षा में अधिकतम कितने बच्चे भर्ती किये जाते हैं ? क्या इनके यहां प्रशिक्षित अध्यापिकायें काम करती हैं ? यदि हां, तो ये कहां से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापिकायें हैं और उन्हें क्या वेतन दिया जाता है ? कुल अध्यापिकाओं में से कितनी अध्यापिकायें प्रशिक्षण प्राप्त हैं तथा कितनी अप्रशिक्षित हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इन समस्त विद्यालयों में शुल्क की दर निम्नांकित है:--

ट्यूशन फीस--५ रु० प्रतिमास

मेंटिनेंस तथा स्टेशनरी--३ रु० प्रतिमास।

प्रत्येक कक्षा में २० से २५ तक विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं। इन संस्थाओं में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षित १५ अध्यापिकायें हैं। बाकी ३७ सिटी मांटेसरी प्रशिक्षण विद्यालय से प्रशिक्षित हैं। परन्तु इनको अप्रशिक्षित ही माना जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण विद्यालय मान्य नहीं है। प्रधानाध्यापिकाओं एवं सहायक अध्यापिकाओं के वेतन-क्रम निम्नांकित है :—

प्रधानाध्यापिकाओं को—१७५ रु०—२३५ रु० ।

सहायक अध्यापिकाओं को—१२०रु०—१५० रु० ।

तराईडीहा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१४—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत ६ मार्च को ११ बजे दिन में आग लग जाने से आजमगढ़ जिला की घोसी तहसील का तराईडीहा गांव का आधा भाग जल गया, जिसमें मकान, एक लड़की, वृक्ष, खलिहान और पुस्तकालय सब भस्म हो गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस अग्निकांड से एक मकान का कुछ भाग, एक छोटा पुस्तकालय, आठ वृक्ष और पांच झोंपड़ियां जो आवास के लिये नहीं प्रयुक्त होती थीं जलीं। एक ५ वर्षीया बालिका जो इस आग से झुलस गई थी, जीवित है।

*१५—श्री झारखण्डेराय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

यदि हां, तो सरकार ने ग्रामवासियों की सहायता के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सहायता के उपयुक्त पाये गये एक व्यक्ति को २५ रुपये अहेतुक सहायता तथा ३ साल की बल्लियां पुनर्वास हेतु दी गई।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

दीक्षा विद्यालय

*१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और गोरखपुर रीजन में कौन-कौन गवर्नमेंट नार्मल स्कूल और राजकीय दीक्षा विद्यालय कहां-कहां पर हैं ?

*२—इन गवर्नमेंट नार्मल स्कूलों तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कौन कौन अध्यापक कब कब और किस किस पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

†सूचियां सदन की मेज पर हैं।

---

† छापी नहीं गईं।

अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*३—श्री बृजराजसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, सन् १९६३ तक :

(क) उत्तर प्रदेश सीलिंग ऐक्ट द्वारा कितनी भूमि सरकार को प्राप्त हुई;

(ख) उपरोक्त भूमि में से कितनी भूमि, भूमिहीनों को वितरण हो गई और कितनी बाकी हैं;

(ग) कितने क्षेत्रफल भूमि के बारे में भूमि स्वामी और सरकार के बीच अदालत में वाद-विवाद चल रहा है;

(घ) कितने भूमि स्वामियों का मामला तय हो गया और कितनों का मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है;

(च) लगभग कितनी भूमि सरकार को सीलिंग ऐक्ट द्वारा प्राप्त होने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ज्ञानपुर तहसील कार्यालय के कर्मचारियों का शेष वेतन

*४—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत ज्ञानपुर तहसील के कार्यालय में सन् १९६१ में कितने चपरासियों और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है तथा न मिलने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् १९६१ में ज्ञानपुर तहसील के कार्यालय के एक अमीन तथा २ चपरासियों को क्रमशः ४ दिन तथा २ माह का वेतन नहीं मिला । इनके वेतन का भुगतान महालेखापाल, उत्तर प्रदेश । इलाहाबाद के पास प्री-आडिट हेतु रुका हुआ है ।

*५—श्री हरिगैनराम—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त समय की तनख्वाह कब तक मिलेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

महालेखापाल की स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायगा ।

गोरखपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री एक रपट जांच कराकर रखने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष बाढ़ से कुल प्रदेश में कितने एकड़ फसल का नुक्सान हुआ तथा कितने धन जन की क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् १९६३ की बाढ़ से प्रदेश में निम्न हानि हुई :—

क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल	२९,१२,०००एकड़
क्षतिग्रस्त फसल का मूल्य	१८,८०,१४,०००रु०
क्षतिग्रस्त मकानों का मूल्य	२,७४,०८,०००रु०
मानव जीवन हानि	२९२ व्यक्ति

*७---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के महाराजगंज, फरेंदा, सदर तथा बांसगांव तहसीलों में गत वर्ष १९६३ में कुल कितने एकड़ फसल का नुक्सान बाढ़ से हुआ तथा कितने धन जन की बरबादी हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५७ पर)

*८---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिले के फरेंदा, महराजगंज, बांसगांव तथा सदर तहसीलों में अलग-अलग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कहां-कहां टेस्ट वर्क चालू हैं तथा कुल कितनी अहेतुक सहायता और मालगुजारी में छूट दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

गोरखपुर जिले में बाढ़ के कारण कोई टेस्ट वर्क चालू नहीं है । मालगुजारी में छूट दिये जाने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । वितरित की गई अहेतुक सहायता का विवरण निम्नांकित है:---

तहसील	वितरित की गई	
	वस्तु	मात्रा
सदर	—	—
बांसगांव	गल्ला	४४ मन
महाराजगंज	गल्ला	२२८ मन १० सेर
	नमक	९ बोरे
	मिट्टी का तेल	१८ टिन
	दियासलाई	३० दर्जन
फरेंदा	गल्ला	४४ मन ३८ सेर
	नमक	१५ मन १० सेर
	मिट्टी का तेल	८ टिन
	दियासलाई	१४ दर्जन

सर्किट हाउसेज व डाक बंगलों में विधायकों के ठहरने के लिये नियम

*९---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सर्किट हाउसों में विधायकों को ठहरने की सहूलियत न होने के क्या कारण हैं ? प्रदेश के डाक बंगलों में विधायकों से भी दो व ढाई रुपया प्रतिदिन पर हेड लेने पर उन्हें ठहरने की सुविधा दी जाती है ? क्या सरकार विधायकों की उन कठिनाइयों को देखते हुए जबकि उन्हें दौरे करने पड़ते हैं जिला अधिकारियों को सर्किट हाउस व डाक बंगलों में ठहरने की सुविधायें देने का आदेश देगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

सर्किट हाउसों में स्थान सीमित होने के कारण विधायकों के ठहरने की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

जब विधायक विधान सभा या विधान परिषद् या सरकार द्वारा नियुक्त की गयीं कमेटियों में भाग लेने जाते हैं, तब उन्हें विभागों के निरीक्षण भवनों में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें निरीक्षण भवनों में ठहरने के लिये नियमानुसार शुल्क देना पड़ता है।

जौनपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*१०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मछलीशहर टाउन एरिया के अन्दर से जाने वाली सरकारी रोड तथा उससे लगी हुई नालियों के बनाने का क्या तखमीना है और यह सड़क कब तक निर्मित हो जायेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सड़क और नालियों का तखमीना १,१५,००० रु० है और इनके निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

*११—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नोटिफाइड एरिया। मुगरा, बादशाहपुर, जौनपुर के अन्दर से जाने वाली सरकारी सड़क के निर्माण की कोई योजना है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो सरकारी सड़क मुगरा। बादशाहपुर से होकर जाती है वह अच्छी हालत में है। किन्तु जो सड़क जिला परिषद् की है, उसके निर्माण का उत्तरदायित्व जिला परिषद् का है।

जौनपुर जिला परिषद् द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

*१२—श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिला परिषद् ने जो ६०० अनट्रेंड टीचर्स नियुक्त किये हैं, जबकि जे०टी०सी० तथा एच० टी० सी० ट्रेंड अध्यापक बेकार बैठे हैं? उसके लिये जिला परिषद ने सरकार से कोई अनुमति ली है? यदि हां, तो कब?

श्री कैलाशप्रकाश—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, १९६३ से जिला परिषद्। जौनपुर को ६०० अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने की अनुमति दी गयी थी। जिले से सूचना मिली है कि जिन जे० टी० सी० अथवा एच० टी० सी० अध्यापकों ने अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-क्रम में कार्य करना स्वीकार किया। उन्हें उक्त पदों के लिये चुन लिया गया था।

गुलावठी-धौलाना-डासना सड़क

*१३—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सन् १९४७ में गुलावठी, धौलाना, डासना स्टेशन (जिला मेरठ) कच्ची सड़क बनाने के लिये किसानों की भूमि का मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है? क्या मंत्री जी उसके शीघ्र भुगतान की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सड़क जिला परिषद् के अन्तर्गत है और इस सड़क के निर्माण के लिये सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित (acquire) नहीं की गई है, इसलिये सरकार द्वारा मुआविजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

*१४--श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

उक्त सड़क में आये हुये पेड़ों के स्वामित्व के बारे में क्या विभाग ने कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्नगत सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है। अतः इस सड़क पर पड़ने वाले पेड़ों के स्वामित्व के बारे में इस विभाग द्वारा नियम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१५--श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात पर ध्यान देते हुए कि देहली गढ़गंगा, मुरादाबाद रोड पर जनपथ (पब्लिक हाईवे) हो जाने से यह गुलावठी, धौलाना, डासना स्टेशन सड़क पर बाई रोड का काम करेगी और गढ़मुक्तेश्वर से गुलावठी तक पक्की सड़क हो गयी है। गुलावठी से डासना स्टेशन तक भी इस सड़क को पक्की करने का विचार करेंगे? यदि हां, तो वह इस सड़क को ओ०डी०आर०से पी०डब्लू०डी० में कब लेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत--

धनाभाव के कारण प्रस्तावित मार्ग को पक्का करवाना तथा इस विभाग के अन्तर्गत लेना इस समय संभव नहीं है।

सी० टी० ग्रेड के विभागीय चुनाव में श्रीमती हरप्यारीदेवी, मेरठ की पदोन्नति पर आपत्ति

*१६--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १० व ११ अक्टूबर, सन् १९६३ ई० को अतिरिक्त शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय, इलाहाबाद में बी०टी०सी०ग्रेड से सी०टी०ग्रेड में पदोन्नति करने के लिए कितनी अध्यापिकाओं ने भाग लिया, उनमें से कितनी अध्यापिका हरिजन थीं? उनमें से कितनी अध्यापिकाओं को सी०टी०ग्रेड में पदोन्नति किया गया, उस पदोन्नति में परिगणित जाति की अध्यापिकायें कितनी थीं? उनके नामों की सूची बताने की कृपा की जायगी?

श्री कैलाशप्रकाश--

सी०टी०ग्रेड के विभागीय चुनाव में ९० अध्यापिकाओं ने भाग लिया जिनमें से २ अध्यापिकायें हरिजन थीं। केवल ६० अध्यापिकाओं को सी०टी०ग्रेड में पदोन्नति किया गया। पदोन्नति पाने वाली इन ६० अध्यापिकाओं में से एक हरिजन अध्यापिका थी, जिसका नाम श्रीमती गेंदादेवी है।

*१७--श्री जसरामसिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक महोदय के पत्र-संख्या ए०(२)३७४/तेईस(२३) (१)--६३-६४, दिनांक २३ अक्टूबर, क्रमांक ४ की श्रीमती हर प्यारी देवी, सहायक अध्यापिका राजकीय विद्यालय, मेरठ किस नियम के अन्तर्गत सी०टी० ग्रेड पदोन्नत किया गया जबकि उन्होंने साक्षात्कार में भाग नहीं लिया?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस सहायक अध्यापिका को विभागीय चुनाव समिति द्वारा उसके पूर्व के संतोषप्रद एवं अपने रेकार्ड तथा चरित्रावली की प्रविष्टियों के आधार पर पदोन्नत किया गया ।

*१८—श्री जसरामसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक महोदय के उपरोक्त पत्र-संख्या के अनुसार सात (७) अध्यापिकाओं को सी०टी० ग्रेड से उनके वास्तविक ग्रेड बी०टी०सी० ग्रेड में किस नियम के अन्तर्गत वापिस किया गया है । जबकि उनकी जूनियर अध्यापिकायें अस्थायी रूप से सी०टी० ग्रेड में कार्य कर रही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रसंगागत सात (७) अध्यापिकाओं को विभागीय चुनाव समिति द्वारा उन लोगों को सी० टी० ग्रेड में पदोन्नति हेतु अयोग्य पाये जाने एवं तद्नुसार निर्वाचित न किये जाने के फलस्वरूप बी०टी०सी० ग्रेड में प्रत्यावर्तित किया गया ।

विकास क्षेत्र, खुटार में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

*१९—राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद्, शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र, खुटार क अन्तर्गत कितने प्राइमरी स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१६ स्थान रिक्त हैं ।

*२०—राजा विक्रमशाह—

विकास क्षेत्र, खुटार के कितने अध्यापक उक्त विकास क्षेत्र के बाहर कब से और क्यों नियुक्त हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो ४ अध्यापक खुटार क्षेत्र के बाहर नियुक्त हैं, उनका विवरण निम्नवत् है:—
दो अध्यापक अगस्त, १९६२, एक नवम्बर, १९६३ तथा एक दिसम्बर, १९६३ से प्रबन्धात्मक दृष्टि तथा स्वेच्छा मांग के कारण बाहर नियुक्त हैं ।

*२१—राजा विक्रमशाह—

दूसरे विकास क्षेत्रों के निवासी कितने प्राइमरी स्कूलों के प्रधान अध्यापक विकास क्षेत्र, खुटार के प्राइमरी स्कूलों में कब से और क्यों काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दूसरे विकास क्षेत्रों के ८ निवासी व खुटार विकास क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में निम्नवत् तिथि तथा कारणों से कार्य कर रहे हैं:—

तिथि—एक अध्यापक दिसम्बर, १९५८, एक अगस्त, १९६२, एक नवम्बर, १९६२ तथा पांच नवम्बर, १९६३ से ।

कारण—प्रबन्धात्मक दृष्टि, पदोन्नति तथा स्वेच्छा की मांग के कारण ।

कांठ–अमरोहा सड़क, मुरादाबाद में रामगंगा पर नया पुल

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांठ से अमरोहा, जिला मुरादाबाद जाने वाली सड़क, जिस पर बसें चलती हैं कब तक पक्की हो जायेंगी और इस सड़क पर आने वाली नदियों के पुल के विषय में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क का निर्माण सड़कों और पुलों की तीसरी योजना में सम्मिलित नहीं है। गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत इस सड़क के पहले ३ मील पर सी०सी० ट्रैक डाल दिये गये हैं उनकी योजना सड़क को आगे पैगम्बरपुर तक बढ़ाने की भी है।

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद जाने वाली सड़क कितने वर्ष से बन रही है और अब तक मुकम्मल न होने के क्या कारण हैं ? कब तक सरकार इसको पूरा करने की सोचती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सड़क जिला परिषद् के अधीन है। इसके निर्माण की कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

*२४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह मालूम है कि मुरादाबाद में रामगंगा रेलवे पुल के बन्द होने के कारण कभी-कभी कई घंटे आना जाना बन्द रहता है ? क्या सरकार कोई दूसरा पुल बनाने को सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। सड़क के अलग पुल निर्माण की योजना केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर ली और आशा है कि यह नया पुल १९६६ तक तैयार हो जायगा।

पी० आर० हायर सेकेन्डरी स्कूल, सिद्धपुर के अध्यापक, श्री वीरेन्द्रपाल शर्मा का वेतन

*२५—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक एटा ने अपने पत्र संख्या Endt. no. E V—14(5), dated 29-6-62 तथा Endt. no. E V—13(8), dated 4-5-62 के द्वारा प्रबन्धक, पी० आर० हायर सेकेंडरी स्कूल, सिद्धपुर, जिला एटा को यह आदेश दिया था कि अध्यापक, श्री वीरेन्द्रपाल शर्मा को ८० रुपये मासिक वेतन के स्थान पर ९२ रुपये मासिक वेतन दिया जाये ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक ने उक्त आदेश का पालन कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा ने इस प्रकार के आदेश दे दिये थे।

किन्तु प्रन्धबक ने यह सूचित किया है कि वीरेन्द्र पाल शर्मा अप्रशिक्षित स्नातक हैं और उन्हें अस्थायी रूप से एक-एक वर्ष के लिए रखा जा रहा था तथा साथ ही साथ उनका कार्य तथा व्यवहार असन्तोषजनक था, इसलिये उनको वार्षिक वेतनवृद्धि देना उचित नहीं है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने उन्हें पुनः वेतन वृद्धि देने पर बल नहीं दिया और श्री शर्मा ने भी बिना वार्षिक वेतन वृद्धि के वेतन स्वीकार कर लिया।

*२६—श्री सूबेदारसिंह—

क्या यह सत्य है कि उक्त पत्रों के अनुसार श्री वीरेन्द्र पाल शर्मा उस विद्यालय में reinstate किये गये थे, किन्तु जब वह विद्यालय में join करने गये, तो उन्हें join नहीं करने दिया? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह सत्य है। प्रबन्धक ने श्री वीरेन्द्रपाल शर्मा की पुनः नियुक्ति का आदेश दिया और उनको शिक्षा सत्र के अन्त तक का सम्पूर्ण वेतन भी भुगतान कर दिया। लेकिन उनके असन्तोष-जनक व्यवहार के कारण विद्यालय में उन्हें ज्वाइन (join) नहीं करने दिया।

*२७—श्री सूबेदारसिंह—

क्या उक्त विद्यालय के प्रबन्धक ने उक्त अध्यापक का पूरा महंगाई भत्ता दे दिया है? यदि नहीं, तो कितना शेष है और अभी तक क्यों नहीं दिया?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री वीरेन्द्रपाल शर्मा का कुल महंगाई भत्ता रु० ३७८.०६ न०पै० होता है, जिसमें से उन्हें रु० ३५२.२५ न०पै० दिये जा चुके हैं। शेष रु० २५.८१ न०पै० का भुगतान अध्यापक को, उनका निश्चित पता उपलब्ध न होने के कारण, नहीं किया जा सका।

बलरामपुर तहसील में किसानों की मांगें

*२८—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के बलरामपुर तहसील के हजारों किसानों ने परगनाधीश महोदय, बलरामपुर के कोर्ट पर ६ नवम्बर, १९६३ को जो प्रदर्शन किया था उसमें उनकी मांगें क्या थीं और वे अब तक पूरी हुई अथवा नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

परगनाधीश, बलरामपुर के न्यायालय के सामने दिनांक ६-११-६३ को किसानों ने जो प्रदर्शन किया था उसमें उनकी मांगें निम्नलिखित थीं :—

(१) खरीफ की फसल का लगान बिलकुल माफ कर दिया जावे।
(२) बीज बोने तथा सिंचाई के साधन के लिए तकावी दी जाय।
(३) अच्छे बीज की समुचित व्यवस्था की जावे।
(४) कुल सरकारी मुतालबा की वसूली रोक दी जाय।
(५) टेस्ट वर्क खोला जाय।

शासन ने बलरामपुर तहसील में सूखे से फसलों की क्षति के कारण पीड़ित व्यक्तियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की :—

(१) ७८ ग्रामों में जहां नुकसान रुपये में ५० न० पै० या उससे अधिक हुआ था, नियमानुसार लगान में छट देने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) बीज बोने तथा सिंचाई के साधन के लिए तकावी बांटी गई है।

(३) उस समय तक रबी १३७१ फसल की बुवाई हो चुकी थी। अतः बीजों की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) खरीफ १३७१ फसली की फसल को जहां ५० न० पै० या उससे अधिक हानि हुई थी और अब पाला से रबी १३७१ की फसल को भी उन्हीं जगहों पर ५० नये पैसे अथवा अधिक नुकसान हुआ है वहां पर मालगुजारी तथा तकावी की वसूली स्थगित कर दी गई है।

(५) तहसील बलरामपुर में टेस्ट वर्क २३ मार्च, १९६४ से प्रारम्भ हुए।

*२९—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या उक्त क्षेत्र विशेषकर बलरामपुर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र एवं बलरामपुर दक्षिण का आधा भाग जो धान पैदा करने वाला क्षेत्र है, वहां वर्षा न होने के कारण फसल मारी गई। साथ ही अन्य खरीफ की फसलें सावां, कोदों, उर्द, मकई आदि भी नहीं हुईं जिससे भुखमरी फैल रही है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बलरामपुर तहसील के कुल २३९ ग्रामों में सूखे का प्रभाव पड़ा था, परन्तु भुखमरी की स्थिति नहीं पैदा हुई थी। सूखा-पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) अहेतुक सहायता के रूप में ५,००० रु० तथा ५७,३८० रु० की तकावी बांटी जा चुकी है।

(२) सूखा पीड़ित ७८ ग्रामों में सहायतार्थ लगान में नियमानुसार छूट देने की कार्यवाही की जा रही है।

(३) सूखे के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोंडा की ओर से चौधरी डीह तुलसीपुर सड़क पर काम चल रहा था जिस पर बड़ी संख्या में आदमी अच्छी मजदूरी पर लगे हुये थे।

*३०—श्री सुखदेवप्रसाद—

उक्त प्रदर्शन के पश्चात् जांच करने के बाद कितने गांवों को कितनी लगान में छूट दी गई, उसकी एक सूची सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

छूट देने की कार्यवाही की जा रही है और वह अभी पूरी नहीं हो पाई है। अतः कोई सूची प्रस्तुत कर सकना सम्भव नहीं है।

कानपुर में सड़कों की दुरव्यवस्था

*३१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

कानपुर से गुजरने वाली सार्वजनिक मार्गों की खराब हालत देखते हुये क्या नगरमहापालिका ने सरकार को सुझाव दिया था कि यह सड़कें महापालिका के अधीन कर दी जायें ? क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इन सड़कों की मरम्मत की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। ऐसा सुझाव नगर महापालिका, कानपुर की ओर से आया था और उस पर यह निश्चय किया गया कि इन सड़कों के सुधार का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाये और जो व्यय हो वह सरकार और नगर महापालिका बराबर-बराबर वहन करे। इस निर्णय की स्वीकृति नगर महापालिका से अभी प्राप्त हुई है और सरकार अब आगे की कार्यवाही पर विचार कर रही है।

*३२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर से गुजरने वाली सार्वजनिक सड़कों जी० टी० रोड, कालपी रोड, कैनाल रोड आदि की मरम्मत पिछली बार कब हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इन सड़कों पर साधारण मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है। पिछली बार वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में इन सड़कों की मरम्मत की गई थी।

नैनीताल जिले में भूमिहीन शिल्पकार

*३३—श्री खुशीराम—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के मालधन चौड़ में बैठे बेकार भूमिहीन कुमायूंनी शिल्पकारों को कब तक भूमि दिये जाने का विचार है?

*३४—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० से १९६३ के आखिर तक कितनी दरख्वास्तें भूमि चाहने के बारे में जिलाधीश, नैनीताल तथा सरकार के पास आयी हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रतापगढ़ जिले में लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें

*३५—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहली अगस्त, सन् १९६३ से ३० सितम्बर, सन् १९६३ तक जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत परगनाधीशों तथा जिलाधीश के पास लेखपालों की शिकायत से सम्बन्धित लोगों के प्रार्थना-पत्र आये हुये हैं? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों से ये शिकायतें प्राप्त हुईं और उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। प्रार्थियों के नाम और उनके ग्राम आदि के बारे में सूचना संलग्न है। श्री रामबरन, निवासी बेनीपुर के प्रार्थना-पत्र को छोड़कर बाकी सब प्रार्थना-पत्रों पर वैभागिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है। श्री रामबरन का प्रार्थना-पत्र खो गया है। उनसे दुबारा प्रार्थना-पत्र देने को कहा गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७५८ पर)

दीक्षा विद्यालय, छिबरामऊ की जमीन

*३६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में तहसील छिबरामऊ के अन्तर्गत देवरापुर व सराय गुंजर मल के गांवों के काश्तकारों की जमीन में दीक्षा विद्यालय, छिबरामऊ की इमारत बनी है?

*३७—अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस इमारत के लिए इन जमीनों के लिए कितने साल हो गये और काश्तकारों को जमीन का मुआवजा दिया गया कि नहीं? यदि नहीं दिया गया, तो इसका क्या कारण है?

*३८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस जमीन पर दीक्षा विद्यालय की इमारत बनी है उसमें इमारत बनने के पहले कितने पेड़ थे? उनमें कितने सूख गये और कितने मौजूद हैं? सूखे हुए पेड़ कितने में नीलाम किये गये या बेंचे गये?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

दौलतपुर ग्राम की भूमि लेने के संबंध में आदर्श सेवा मण्डल का पत्र

*३९—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १६ जनवरी, १९६३ को आदर्श सेवा मण्डल ने गांव दौलतपुर, परगना शिवपुर, जिला वाराणसी की जमीन एक्वायर करके सुधाकर महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को देने के लिए जिलाधीश, वाराणसी को लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है और क्या जिलाधीश, वाराणसी को उस गाँव के किसानों ने एक प्रार्थना-पत्र २८ जनवरी, १९६४ को दिया है कि जमीन एक्वायर न की जाय ? तो क्या सरकार जमीन एक्वायर न करने का आदेश देगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। आदर्श सेवा मण्डल ने जिलाधीश, वाराणसी को उक्त आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १६-१-१९६३ को दिया था। उक्त पत्र के प्राप्त होने पर उन्होंने इस विषय में जांच-पड़ताल की तथा शासन को अपनी आख्या प्रेषित की है। यह भी सत्य है कि प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित होने वाले किसानों ने २८-१-१९६४ को जिलाधीश, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया था। अभी सम्पूर्ण मामला शासन के विचाराधीन है।

गोरखपुर जिले के खंड विभागों में टेन्डर

*४०—श्री बलवानसिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के टेम्पोरेरी और प्रान्तीय खण्ड विभागों में दो वर्ष के अन्दर किस-किस काम के टेंडर मांगे गये और किस-किस तारीख को तथा सबसे निचले टेन्डर को स्वीकृत किया गया या किसी दूसरे का ? यदि हां, तो क्यों और क्या किसी अन्य प्रकार काम कराये गये ?

*४१—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन कामों के लिए टेंडर मांग कर भी काम नहीं दिया गया उससे या अन्य प्रकार काम कराने में सरकार को कितना नुकसान या लाभ हुआ और यदि लाभ हुआ, तो अन्य ठेकेदार को उस कम रेट पर जिसका सबसे कम टेन्डर था, राजी किया गया या नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इन प्रश्नों से सम्बन्धित सूचना एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा, वह प्रश्न का उत्तर देने से अपेक्षित लाभ के अनुकूल न होगा।

दयाशंकर इन्टर कालेज, बरेली के निष्कासित अध्यापक

*४२—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दयाशंकर इंटर कालेज, बरेली की प्रबन्ध समिति ने परीक्षण काल पर रखे गये कतिपय अध्यापकों को जून व जुलाई, १९६० में अवैधानिक रूप से निकाल दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ने उन्हें अपने पत्र-संख्या EI/2174/III—3—1/A 60-61, दिनांक ४ व ५ अगस्त, १९६० द्वारा इस चेतावनी के साथ बहाल कर दिया कि यदि विद्यालय ने उन पीड़ित अध्यापकों को बहाल करके वेतन न दिया तो सरकारी अनुदान से कटौती करके उन अध्यापकों को वेतन दे दिया जावेगा ? यदि हां, तो उन अध्यापकों को क्यों नहीं बहाल किया गया है और उनको वेतन क्यों नहीं मिला है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दयाशंकर इन्टर कालेज, बरेली की प्रबन्ध समिति ने विद्यालय के केवल एक कला अध्यापक श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा को, जो २७–६–५९ से परीक्षण काल पर नियुक्त हुए थे, १९–६–६० से जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना निकाल दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ने उन्हें पुनः नियुक्त करने का आदेश दिया। किन्तु प्रबन्धक ने अभी तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया।

चूंकि यह मामला रीजनल एपीलेट कमेटी के सम्मुख जा चुका है, इसीलिए श्री वर्मा को वेतन नहीं दिया जा रहा है और रीजनल कमेटी के निर्णय की प्रतीक्षा है।

*४३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त विद्यालय का राजकीय अनुदान Suspend कर दिया गया है और तीन वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं अध्यापकों का वेतन बांट रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पीड़ित अध्यापकों को भी, उसी अनुदान में से कटौती करके हटाये जाने के दिनांक से वेतन दिलायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। विद्यालय का अनुपालन अनुदान निलम्बित है तथा स्टाफ का वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बांटा जा रहा है। चूंकि श्री वर्मा की अपील रीजनल एपीलेट कमेटी में प्रस्तुत है, अतः उनका वेतन अभी नहीं दिया गया है।

जिला परिषद् के अध्यापकों में हरिजन

*४४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने ऐसा आदेश जारी किया है कि जिला परिषदों के अधीन अध्यापकों में हरिजनों का अनुपात वही होना चाहिए जो अनुपात १९६१ की जनगणना के आधार पर कुल आबादी में हरिजनों की आबादी का है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

आदेश ये हैं कि जिले में परिगणित जाति की जन संख्या का जो प्रतिशत १९५१ की जनगणना के आधार पर हो उसी प्रतिशत के अनुसार, जहां तक सम्भव हो, स्थानीय निकायों के अधीन उन पदों पर उनकी नियुक्ति हो, जो सीधी नियुक्तियों द्वारा भरे जाते हैं और यह भी प्रयत्न हो कि यदि किसी वर्ष योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण आवश्यक प्रतिशत में परिगणित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां न हो सकें तो भविष्य में यह कमी पूरी की जाय। प्रसंगगत राजाज्ञा की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७५९–७६१ पर)

*४५—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों में हरिजनों का अनुपात क्या है और यदि कोई कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषदों में काम करने वाले अध्यापकों में ९.८ प्रतिशत हरिजन हैं। जब कि १९५१ की जनगणना के अनुसार उनका प्रतिशत लगभग १८ होना चाहिये। हरिजनों का प्रतिशत कम होने का कारण यह बताया गया है कि योग्य हरिजन अभ्यर्थी नहीं मिलते। इसी

कमी को दूर करने के लिए परिषदों को यह आदेश दिये गये हैं कि हरिजन अभ्यर्थियों की अलग लिस्ट परिषदें रखें और रिक्त स्थान की पूर्ति तथा नियुक्ति के समय हरिजन अध्यापकों की उपर्युक्त नियुक्ति को परिषदें ध्यान में रखें।

उन्नाव जिला परिषद् के अध्यापकों की वेतन-वृद्ध

*४६—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिला परिषद् के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनको वार्षिक वेतन-वृद्धि कई वर्षों से नहीं दी गयी है? यदि ऐसा है, तो क्यों और उनको वेतन वृद्धि का बकाया देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना मिली है कि १६ अध्यापकों को कई वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई थी। कारण यह है कि परिष् के पास धनाभाव था और उसे इस मद में शासन के अनुदान पाने की आशा थी। किन्तु इस मद में शासन द्वारा अनुदान देय नहीं था। परिषद् ने अध्यापकों को वेतन वृद्धि के बकाया देने के लिए अब अपनी स्वीकृति १४-२-६४ को दे दी है और भुगतान के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ससुरखदेरी नदी पर पुल की आवश्यकता

*४७—श्री दीपनारायण सिंह तथा श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत खागा-कोट नामक कच्ची सड़क पर ग्राम कुल्ली व ग्राम कोट के बीच बरसाती व नहर के पानी से भरी हुई बहने वाली ससुरखदेरी नं० २ नाम की नदी में पक्का पुल या केवल पक्की रपट बनाने में क्या खर्चा होगा और क्या उक्त नदी में पक्का पुल या रपट बनाने की सरकार कृपा करेगी जिससे जनता के यातायात के कष्ट दूर हो सकें?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत नदी पर पक्का पुल तथा एप्रोच रोड बनाने में लगभग ६ लाख रुपये व्यय होंगे। उक्त नदी पर इस समय पुल या रपट बनाने की कोई योजना नहीं है।

बस्ती जिले में सड़कों का निर्माण

*४८—श्री उग्रसेन तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें बस्ती के एक विधायक द्वारा फरवरी, १९६४ के प्रथम सप्ताह में एक पत्र मिला है, जिसके द्वारा यह मांग की गयी है कि मुंडेरवा लालगंज रोड, बस्ती-महसों रोड तथा महसों-महुली रोड तथा ऐतिहासिक जनकपुर रोड का निर्माण कार्य शीघ्र चालू किया जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां।

*४९—श्री उग्रसेन तथा श्री श्यामलाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुन्डेरवा लालगंज, महुसों, महुली तथा जनकपुर सड़क के छावनी कलवारी भाग के कुछ मीलों का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। मुन्डेरवा लालगंज सड़क पर काम रुका हुआ है क्योंकि उसकी अनुमानित लागत में वृद्धि हो गई है। महुसों–महुली सड़क पर काम चालू है और छावनी कलवारी सड़क पर उसका आगणन तैयार होने पर तथा उसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति होने के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जायेगा।

बस्ती जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन ठेकेदारों का भुगतान

*५०–श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कार्य करने वाले ठेकेदारों के कितने बिल्स अदायगी के लिए विचाराधीन हैं और कब से ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोई भी पुराना बिल अदायगी के लिये विचाराधीन नहीं है।

जिला परिषद्, फैजाबाद में अप्रशिक्षित अध्यापिकायें

*५१–श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की करेंगे कि जिला परिषद्, फैजाबाद के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाठशालाओं में कितनी अप्रशिक्षित अध्यापिकायें अगस्त, सन् १९४२ से शिक्षण कार्य कर रही हैं ? क्या सरकार का कोई इस प्रकार का भी आदेश है कि ३५ वर्ष की अवस्था तक तथा ५ वर्ष की जिनकी सेवायें हो चुकी हैं उन्हें प्रशिक्षित मान लिया जाय और उनको प्रशिक्षित अध्यापिकाओं के बराबर वेतन तथा भत्ता आदि की सुविधायें दी जायं ? यदि हां, तो कितनी अध्यापिकाओं को इस प्रकार की सुविधायें मिली हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जिला परिषद् फैजाबाद, के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाठशालाओं में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं में से एक सन् १९४२ से कार्य कर रही है।

यह आदेश दिया गया था कि ३१ मई, १९६० को जिला परिषदों के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाठशालाओं में कार्य करने वाली जिन अध्यापिकाओं की अवस्था ३० वर्ष या उसके ऊपर हो और जिन्हें कम से कम ३ वर्ष का अध्यापन अनुभव हो उन्हें प्रशिक्षण योग्यता से मुक्त किया जाय। जिला परिषद् से सूचना मिली है कि अभी तक किसी अध्यापिका को उक्त सुविधा नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

हैदरगढ़–शिवगढ़–बछरावां सड़क

*५२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ से शिवगढ़ बछरावां रोड का सर्वेक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिसर्च शाखा की ओर से किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं।

*५३–श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि इस सड़क को रिसर्च स्कीम में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया जायगा और कितनी दूरी में रिसर्च कार्य किया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं ।

*५४-श्री रामकिशोर त्रिपाठी:--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मार्ग पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ? क्या तृतीय योजना में कार्य प्रारम्भ हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस समय इस सड़क का निर्माण किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है इसलिये इस पर कार्य प्रारम्भ करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला परिषद्, गोरखपुर की निशुल्क शिक्षा मद

*५५-श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

क्या यह सच है कि कक्षा १ से ६ तक के छात्रों से शुल्क न लिये जाने के कारण जिला परिषदों को जो घाटा होता है उसकी पूर्ति सरकार अपने अनुदान द्वारा करती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां । शुल्क की निर्धारित दरों एवं योजना लागू करने के समय जो छात्र संख्या थी उसके आधार पर क्षति पूर्ति अनुदान दिया जाता है ।

*५६-श्री राम लखन शुक्ल--

क्या इस प्रकार दिये जाने वाले अनुदान की दो लाख चालीस हजार छः सौ रुपया (२,४०,६०० रुपये) की रकम जिला परिषद्, गोरखपुर को सरकार द्वारा दिया जाना बाकी है ? यदि हां, तो उक्त रकम को दिये न जाने का क्या कारण है और उसे सरकार कब तक अदा करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

नियमानुसार निःशुल्क शिक्षा की मद में जिला परिषद्, गोरखपुर को कोई धनराशि देय नहीं है ।

गवर्नमेंट इन्टर कालेज, मुरादाबाद के प्रिंसिपल की होम गार्ड्स में सेवा

*५७-श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कोई स्पेशल आडिट पार्टी गवर्नमेन्ट इंटर कालेज, मुरादाबाद के हिसाबात जांचने के लिये सन् १९६३ में मुरादाबाद भेजी गयी थी ? यदि हां, तो किसकी शिकायत पर ? इस शिकायत के मुख्य-मुख्य इल्जामात क्या थे और क्या इस आडिट पार्टी ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी ? यदि हां, तो कब दी, और क्या सरकार इस रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*५८-श्री हलीमुद्दीन--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, मुरादाबाद ने अपने आपको होमगार्डस का कमान्डेन्ट नियुक्त कर रक्खा है ? यदि हां, तो क्या इस सेवा का कोई मआविजा या आनेरेरियम वे पाते हैं ? अगर पाते हैं, तो किस दर से ? क्या उन्होंने इस सेवा के लिये मुहकमे से कोई मंजूरी प्राप्त की है ? यदि हां, तो कब और नहीं की, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिलाधीश द्वारा नियुक्त किये गये हैं ।

१५० रु० प्रति माह ।

शासन की नीति है कि सरकारी कर्मचारियों को होमगार्ड्स में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाय । अतः शिक्षा निदेशक ने ५ जुलाई, १९६३ को एक परिपत्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों को होमगार्ड्स में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया । इसी के अनुसार राष्ट्रीय इंटर कालेज, मुरादाबाद के प्रिंसिपल ने होम गार्ड्स में भाग लिया ।

जिला परिषद्, गोरखपुर के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*५९—श्री रामलखन शुक्ल—

क्या यह सच है कि जिला परिषद्, गोरखपुर के अध्यापकों को जुलाई, सन् १९५६ से मार्च, १९५९ तक की मंहगाई भत्ते की रकम जो तीन लाख तिरासी हजार सात सौ छाछट रुपये (३,८३,७६६ रुपये) है । उक्त जिला परिषद् के जिम्मे बाकी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त बकाये की रकम की अदायगी का क्या उपाय सोच रही है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बकाये के सम्बन्ध में जिला परिषद् गोरखपुर की ओर से कोई शिष्ट मंडल शिक्षा मंत्री जी से १५ जून, सन् १९६० में नैनीताल में मिला था ? यदि हां, तो उसका क्या फल रहा ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्राप्त सूचनानुसार जुलाई, १९५६ से मार्च,१९५९ तक की अवधि का अध्यापकों के मंहगाई भत्ते का ३,८३,७६६ रु० जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा दिया जाना है । उक्त बकाया भत्ते के भुगतान के लिये परिषद् को निदेश दिया गया है कि वह आवश्यक व्यय अपने साधनों से वहन करे । परिषद् का शिष्ट मंडल भी १५ जून, १९६० को शिक्षा मंत्री से मिला था किन्तु उक्त मद में अनुदान पाने के लिये परिषद् की प्रार्थना स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका ।

लोक लेखा समिति की सिफारिशें

*६०—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री उमाशंकर तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि विनियोग लेखे, १९६०—६१ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६२ पर लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश ने अपने प्रतिवेदन में जिन-जिन अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिम्मेदार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की सरकार से सिफारिश की है उनमें कितनों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*६१—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री उमाशंकर तथा श्री दौलतलाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी एक सूची मेज पर रखेंगे, जिसमें उन राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों का नाम हो जिनके कारण समिति के अनुसार राज्य कोष को हानि पहुंची ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता ।

[८ मई, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मैनपुरी जिले में आबपाशी वसूली में सख्ती की शिकायत

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार को पता है कि जिलाधीश, मैनपुरी व सरकार के पास अभी हाल ही में इस आशय के सैकड़ों प्रार्थना-पत्र काश्तकारों की तरफ से आये हैं कि मैनपुरी जिले के बाढ़ क्षेत्र की आबपाशी वसूली के लिए सम्बन्धित कर्मचारी काश्तकारों को लाठियों से मारपीट कर रहे हैं और मुर्गा बना रहे हैं, जिसके कारण बहुत से लोग जख्मी हो गये हैं और अस्पताल में पड़े हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

*२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों में क्या हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो बाढ़ क्षेत्र हैं उसमें पाला पड़ने से किसानों की हरी फसल जल कर नष्ट हो गयी है, ऐसी सूरत में सरकार विचार करने की कृपा करेगी कि बाढ़ क्षेत्र में आबपाशी की वसूली रोक दी जावे और रबी, १३७१ फसली में वसूली की जावे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

फसल की हालत देखते हुये यह आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

*४—५—श्री उमाशंकर—

[६ मई, १९६४ को प्रश्न संख्या ९४—९५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

मेरठ जिले में चारे की कमी

*६—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मंत्री को यह मालूम है कि मेरठ जिले में इस समय पशुओं के लिए चारे की बहुत कमी है और क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे पशुओं के लिए चारे का कुछ प्रबंध हो सके ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरठ जिले में इस समय चारे की कमी नहीं है । अतः ऐसी व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बबराला सड़क पर महावा नदी का पुल बनवाने की प्रार्थना

*७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में बबराला सड़क पर महावा नदी पर पक्का पुल बनवाने की कोई योजना सरकार के पास इस समय विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी नहीं। धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

खनिज पदार्थ नियंत्रण

*८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कुछ दिन पूर्व कोई ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके अन्तर्गत ग्राम समाज, या भूमिधर सीरदार अथवा अन्य किसी प्रकार वैधानिक रूप से स्वामित्व प्राप्त कृषक पर उस भूमि से जिसमें मौरम, कंकड़ या अन्य कोई ऐसी वस्तु खोदने से निकले उपयोग में लाने, नीलाम करने, बेचने या व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

राजस्व विभाग से इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। इसके अधिकार—

१—माइन्स ऐन्ड मिनरल्स (रेगुलेशन ऐन्ड डेवलपमेन्ट) ऐक्ट, १९५७, तथा

२—उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, १९६३ से नियंत्रित हैं।

बलिया जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान

*९—श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पोषण अनुदान १९६२-६३ में कितना-कितना दिया गया है और उन विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूची "क" संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७६२-७६५ पर)

*१०—श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि बलिया जिले के किन-किन अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पोषण अनुदान नहीं मिल रहा है और क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूची "ख" संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७६२-७६५ पर)

*११-१२—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १३-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*१३—श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के सहायक चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध ग्राम कुंवरपुर तथा बलहापारा के कुछ कृषकों ने प्रार्थना-पत्र चकबंदी आयुक्त को, जिसमें किसी विधायक के भी पत्र थे, सितम्बर, सन् १९६२ में दिया था जिनकी जांच श्री फजल अहमद खां एवं श्री शिवगोपाल मिश्र, डी० डी० सी० ने भिन्न भिन्न अवसरों पर की थी? यदि हां, तो जांच कब-कब की गयी और जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्री देवी प्रसाद कृषक, ग्राम कुंवरपुर की दिनांक १३-९-६२ की दरख्वास्त चकबंदी आयुक्त के कार्यालय में श्री शिवनाथ सिंह एम० एल० ए० द्वारा प्राप्त हुई थी। इस पर श्री फजले अहमद खां, डिप्टी डाइरेक्टर ने सन् १९६२ के अन्त में तथा श्री श्री गोपाल मिश्र, डिप्टी डाइरेक्टर ने १९६३ के पूर्वार्ध में जांच की। शिकायतें कुछ हद तक सही पाई गईं। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि उनकी सेवायें एक महीने की नोटिस देकर समाप्त की गई थीं।

हरिहरगंज-ललिया सड़क का निर्माण

*१४-श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा का उत्तरी क्षेत्र पाला एवं सूखा से बुरी तरह पीड़ित है और ऐसे समय में हरिहरगंज से ललिया होते हुये चौधरी डीह जाने वाली सड़क के बनने की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होते हुये भी रोक दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? उक्त क्षेत्र की जनता को रोजी मिल सके इस हेतु क्या सरकार इस सड़क के बनवाने का काम तुरन्त शुरू कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं। हरिहरगंज-ललिया सड़क के ५ मील ७ फर्लांग के भाग के लिये आगणन सरकार ने स्वीकृत कर दिया है तथा इस पर निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जायगा।

*१५-श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क पर एक पुल राप्ती पर सरकार बनायेगी? यदि हां, तो इसके पुल के बनाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्नगत सड़क पर राप्ती नदी पर एक पीपे का पुल बनाने की व्यवस्था है।

गुन्नौर तहसील में लेखपाल तथा दाखिल खारिज के मामले

*१६-श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं में ऐसे कितने लेखपाल हैं जो अस्थायी तौर पर रखे गये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

७ अस्थायी लेखपाल हैं।

*१७-श्री जुगलकिशोर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील गुन्नौर में जनवरी, १९६४ से २२ फरवरी, १९६४ तक एस० डी० एम०, गुन्नौर द्वारा कितने अस्थायी लेखपालों को नोटिस देकर उनको सेवाओं से मुक्त किया गया और उसका क्या कारण है? ऐसे लेखपालों की कितने दिनों की नौकरी थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

केवल १ लेखपाल को नोटिस देकर सेवाओं से मुक्त किया गया है क्योंकि उसकी सेवाओं की आवश्यकता विभाग को नहीं थी। इस लेखपाल ने एक बार १५-४-५३ से १७-४-५५ तक नौकरी की थी, फिर इनको २४-१२-६३ को लेखपाल के अस्थायी पद पर पुनः नियुक्त किया गया और उन्होंने ३१-१-६४ तक कार्य किया।

*१८—श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं में दाखिल खारिज के ऐसे कितने मामले हैं जोकि ६ महीने से भी पुराने हैं जिनकी दाखिल खारिज अभी तक नहीं की गयी जबकि काश्तकार अपने प्रार्थना-पत्र उचित समय पर दे चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल ५ मुकदमे ६ महीने से ज्यादा पुराने हैं ?

मंसूरी-टेहरी मार्ग

*१९—श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंसूरी—टेहरी मार्ग का जो हिस्सा म्युनिसिपल बोर्ड, मंसूरी में पड़ता है, वह कब तक बन जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस हिस्से के निर्माण का उत्तरदायित्व नगरपालिका, मंसूरी के ऊपर है। जब वह इसके निर्माण का व्यय सरकार के पास जमा करेगी तब इसका निर्माण-कार्य हाथ में लिया जायेगा।

*२०—श्री गुलाबसिंह—

क्या यह सही है कि इस हिस्से को बनाने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड, मंसूरी को धनराशि जमा करनी थी ? यदि हां, तो क्या वह दो साल से इस धनराशि को जमा नहीं कर रहे हैं जिसके कारण इतनी जरूरी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। इस हिस्से को बनाने के लिये म्यूनिसिपल बोर्ड, मंसूरी ने अभी तक कोई धनराशि जमा नहीं की है कि जिसके कारण इस सड़क का निर्माण रुका हुआ है।

*२१—श्री गुलाबसिंह—

क्या यह सत्य है कि मंसूरी बोर्ड ने इस धनराशि को जमा करने के लिए सरकार की अनुमति से सिक्योरिटी कैश कर ली और वह रुपया कहीं अन्य खर्च कर दिया है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार बोर्ड के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मंसूरी बोर्ड ने सरकार के परामर्श से सेक्यूरिटीस के प्रतिभूत (against) बैंक से रुपया ले लिया था। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यह रुपया कहीं अन्य खर्च कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या शिक्षा मंत्री बतावेंगे कि विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से १९४८ के वेतन-क्रम को बदल कर दूसरा वेतन-क्रम बदलने की मांग सरकार के पास आयी है ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं तथा उनको मानने में सरकार को कौन सी आपत्ति है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

औरंगाबाद परगना में चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*२३—श्री श्रीराम, श्री मन्नालाल (जिला खीरी), श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी, परगना औरंगाबाद में हो रही चकबन्दी में काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें माननीय मंत्री जी तथा जिलाधीश, खीरी को लिखित पहुंचायी गयीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

परगना औरंगाबाद के चकबन्दी कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्टाचार की तीन शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। इनमें से दो आवश्यक जांच के पश्चात् निराधार पाई गईं। एक शिकायत सही पाई गई परन्तु संबंधित चकबन्दी लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उसकी सेवायें समाप्त हो गई थीं।

'विधान सभा भवन' का रखरखाव

*२४—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विधान सभा के भवन को वातानुकूल (एयरकंडीशन) बनवाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो यह कार्य कितने समय में पूरा हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*२५—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान भवन के अन्दर ऊपरी गोल छत में और बाहरी गोल गुम्बद की कब पुतायी हुई थी और कितना धन व्यय हुआ था तथा भवन के उसी भाग में धूल जमी रहती है उसकी सफाई की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार इस ओर ध्यान देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विधान भवन के अन्दर ऊपरी गोल छत व बाहरी गोल गुबन्द की पुताई कभी नहीं हुई। धूल आदि साफ करने का कार्य प्रति वर्ष दो बार किया जाता है। गुम्बद का बाहरी भाग प्लास्टर के प्राकृतिक रंग का और भीतरी भाग प्लास्टर आफ पेरिस का है। अतः पुताई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

सहारनपुर जिले में पैदावार

*२६—श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में कौन-कौन सी जिन्सें और फल-सब्जियां वहां के काश्तकार पैदा करते हैं और जो लिस्ट सदन में पाले के प्रभाव की बांटी गयी है उसमें उपरोक्त सब चीजों का उल्लेख क्यों नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सहारनपुर जिले में निम्नलिखित जिन्स, फल एवं सब्जियां काश्तकार पैदा करते हैं:—

जिन्स—खरीफ—ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मडवा, कोदों, सावां, अरहर, उर्द, मूंग, मोठ, ईख, कपास, जूट, सनई, सन, तिल, मूंगफली, मिर्च, किराना मसाला, ज्वार चारा, सनई चारा, बरसीन, रिजका, ढेंचा।

रबी—गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, अलसी, तोरिया, तम्बाकू, जईचारा, बरसीन, मेथी, रिजका।

फल—केला, आड़ू, नासपाती, आम, अंगूर, लीची, पपीता, लौकोट, नीबू, नारंगी।

सब्जियां—सकरकंदी, भिंडी, लौकी, तुरई, टिंडा, कद्दू, आलू, प्याज, सलजम, मूली, गाजर, गोभी, टमाटर।

कथित लिस्ट में केवल मुख्य फसलें जो क्षतिग्रस्त हुई थीं उनका उल्लेख किया गया था।

सोराम—हण्डिया सड़क

*२७—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद में सोराम, सिकन्दरा, फूलपुर से होती हुई हंडिया तक कोई सड़क बनाने की उनकी योजना है? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां।

इस सड़क का आगणन केंद्रीय सरकार को उनकी स्वीकृति के लिये भेजा गया है जिसके प्राप्त होने पर इस सड़क का कार्य शुरू किया जायगा।

*२८—श्री बंशीलाल—

क्या इस सड़क का सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो सर्वे होने में सरकार का कितना धन व्यय हुआ है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां।

उक्त सड़क के सर्वे पर ७,५७४ रुपया व्यय हुआ है।

फर्रुखाबाद कलेक्टरी में रिक्त स्थान

*२९—श्री दयाराम शाक्य—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद कलेक्टरेट में कितने स्थान और कब से पेड अपरेंटिस तथा परमानेंट पोस्ट्स के खाली पड़े हैं तथा उनकी पूर्ति कब तक हो जावेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

फर्रुखाबाद कलेक्टरेट में १० स्थान पेड अपरेंटिसों के तथा २२ स्थान स्थायी पदों के संलग्न सूची में दी गई तिथियों से रिक्त हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति शासकीय आदेश के अन्तर्गत बनाई गई लिस्टों के अनुमोदित अभ्यर्थियों (approved candidates) की नियुक्ति द्वारा की जायेगी। उक्त लिस्टें २६-२-६४ को पूर्णतया बन चुकी हैं। कुछ कर्मचारी जो अतिवय हो गये हैं उनको आयु के प्रतिबन्ध से मुक्त कराने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है, जिसके पूर्ण होने पर उक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावेगी।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७६६ पर)

फर्रुखाबाद जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारी

*३०—श्री दयाराम शाक्य—

क्या राजस्व मंत्री २२-३-६३ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १६ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अस्थायी सूची बनायी गयी थी वह अब तक फाइनलाइज हो गयी है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, यह सूची अब फाइनल हो गई है ।

*३१—श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड के सरकुलर संख्या ५१ जी० ५-६३३/१९६०, दिनांक २६ जून, १९६३ के पैरा १ में उल्लिखित स्टेटमेंट के अनुकूल फर्रुखाबाद जिले के ४ कर्मचारी जेड० ए० सी०, आर० जी० आदि के स्थायी किये गये हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । उसके लिये अब कार्यवाही की जा रही है ।

रायबरेली जिले से चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ शिकायत

*३२—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कोंसा, जिला व तहसील रायबरेली के सहायक चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ शिकायती पत्र जुलाई, सन् १९६३ से लेकर फरवरी, सन् १९६४ तक चकबन्दी अधिकारियों के पास कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३ शिकायती-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को प्राप्त हुए जिनकी जांच उन्होंने स्वयं ग्राम में जाकर की । उक्त सहायक चकबन्दी अधिकारी को इस क्षेत्र से हटा दिया गया है । परताल तथा गाटों की मूल्यांकन से संबंधित कुछ गलतियां मालूम पड़ी हैं जिसकी जांच तथा दुरुस्ती वर्तमान सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ।

बदायूं जिला परिषद् द्वारा सुरक्षा कोष की वसूली

*३३—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या यह सत्य है कि जिला परिषद्, बदायूं के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रकार का आदेश दिया गया था कि जो छात्र कम से कम ५ रु० सुरक्षा कोष अथवा सेविंग बैंक में जमा नहीं करेगा, उसका नाम काट दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

*३४—क्या यह सत्य है कि उक्त जिले के जिला परिषद् के अध्यापकों से एक ही मास में २० रुपया प्रति अध्यापक सुरक्षा कोष के लिए लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

प्रश्नों का दूसरा भाग नहीं उठता ।

नैनीताल जिले के लिये पुल

*३५—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष, १९६४–६५ में कितने पुल बनने वाले हैं और उनमें से कितने पुल जिला नैनीताल में बनेंगे और कहां-कहां पर ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस वर्ष आशा है कि लगभग २० पुलों का निर्माण पूरा हो जायगा। जिसमें से जिला नैनीताल में केवल कोसी नदी पर गर्जियां के समीप पुल बनेगा।

*३६—श्री देवेन्द्रसिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रानीबाग में बनने वाला पुल भी इस वर्ष बन जायगा ताकि रानीबाग भीमताल मोटर रोड का उपयोग किया जा सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल का निर्माण अभी तक स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

*३७–३८—श्री कल्पनाथसिंह—

[हटा दिये गये।]

गांव सभा, भानपुर के कागजात गुम हो जाना

*३९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज, भानपुर, बाबू एवं गांव समाज बनटिफरा, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के कागजात गुम होने की सूचना कब मिली ? क्या यह सच है कि रिपोर्ट से पूर्व ही कागजात गुम किये गये और गांव सभा के कागजों पर गांव समाज का कार्य बिना किसी अधिकारी की आज्ञा के होता रहा ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो तथ्य क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गांव सभा, भानपुर, बाबू के कागजात गुम होने की सूचना प्रधान द्वारा सुनहा थाने में दिनांक ११–८–६३ को तथा तहसील डुमरियागंज में दिनांक १६–८–६३ को दी गई थी। प्रधान के रिपोर्ट करने के पूर्व ही कागजात गुम हो गये थे। प्रधान को किसी अधिकारी ने गांव सभा का कार्य करने से मना नहीं किया। अतः वह गांव सभा का कार्य करता रहा।

गांव सभा, बनटिफरा की सम्पत्ति का रजिस्टर नहीं मिल रहा है। यहां पर चकबन्दी हो रही है और उसके समाप्त होते ही गांव सभा की सम्पति का सही-सही रजिस्टर बन जायगा।

मथुरा जिले में हरिजन चकबन्दी लेखपाल

*४०—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में कुल कितने चकबन्दी लेखपाल १ दिसम्बर, १९६३ को कार्य कर रहे थे और इनमें से कुल कितने हरिजन थे ? इस दिनांक के पश्चात् कितने लेखपालों को नौकरी से अलग करने की नोटिस दिये गये और नोटिस दिये गये लेखपालों में हरिजनों की संख्या क्या थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मथुरा जिले में १ दिसम्बर, १९६३ को कुल २२२ चकबन्दी लेखपाल थे, जिनमें से ११ हरिजन थे। इस दिनांक से १५-३-६४ तक काम न रहने के कारण ४३ चकबन्दी लेखपालों को नौकरी से अलग करने की नोटिस दी गयी। यह सभी सज्जन अनट्रेंड थे। इनमें ६ हरिजन भी थे।

चोयन-कोटा मिर्जापुर सड़क

*४१--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चोयन-कोटा-विढमगंजरा, मिर्जापुर रोड का निर्माण अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ जब कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हो चुकी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस सड़क के लिये भूमि प्राप्त न हो सकने के कारण सड़क निर्माण करना संभव नहीं हो सका है।

गोरखपुर जिले में दस गुना जमा करने वालों को सनद न मिलना

*४२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज में रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तथा महराजगंज तहसीलों में कुल कितने मामले ऐसे पड़े हैं जिनमें दस गुना जमा करने के बाद भी सनदें किसानों को प्राप्त नहीं हो सकीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

फरवरी के अन्त तक गोरखपुर जिले की फरेंदा तथा महाराजगंज तहसीलों में क्रमशः ४५४ और ९७६ ऐसे मामले पड़े थे जिनमें दसगुना लगान जमा करने के बाद भी किसानों को सनदें प्राप्त नहीं हो सकी थीं।

बेसिक स्कूल

*४३--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि प्रदेश में जितने साधारण प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं उन्हें बेसिक बना देने का विचार सरकार का है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बेसिक स्कूल हैं।

*४४--श्री गेंदासिंह तथा श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जाकिर हुसैन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार समवाय पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, यथा संभव विषयों का समवाय किया जाता है।

*४५--श्री झारखण्डेराय--

[६ मई, १९६४ को प्रश्न ८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बेसिक एजूकेशन बोर्ड

*४६—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री गेंदासिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में कोई बोर्ड बेसिक एजूकेशन के लिए बनाया गया है ? यदि हां, तो कब से और कितनी मीटिंग उसकी हो चुकी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां, १ सितम्बर, १९६१ में प्रश्नगत बोर्ड स्थापित किया गया था और उसकी तीन मीटिंग हो चुकी हैं।

*४७—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री गेंदासिंह—

क्या यह सही है कि एक वर्ष में दो बार मीटिंग होने का नियम होते हुए इस नियम की अवहेलना की जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विषय से संबंधित शासकीय संकल्प के अनुसार बोर्ड की मीटिंग वर्ष में दो बार होनी चाहिये, किन्तु कतिपय कारणों से यह संभव नहीं हो सका।

*४८—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री गेंदा सिंह—

क्या यह भी सही है कि बोर्ड के सामने कई उप-समितियों की रिपोर्टें विचारार्थ प्रस्तुत हैं जिन पर शीघ्र ही विचार की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इसकी मीटिंग न बुलायी जाने का क्या कारण है ? क्या शिक्षा मंत्री बोर्ड की मीटिंग शीघ्र बुलाने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, बोर्ड की गत बैठक दिनांक १० व ११ अप्रैल, १९६४ को हुई थी जिसमें उप-समितियों की रिपोर्ट पर विचार हुआ।

कानपुर जिले में पुलों का निर्माण

*४९—श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिला अन्तर्गत सूरा–डेरापुर मार्ग पर रतवाहे नाले का पुल कब बनना प्रारम्भ हुआ था और कब तक पूरा बन कर तैयार हो जावेगा ? इतनी मन्द प्रगति का कौन जिम्मेदार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल का निर्माण फरवरी, १९६३ में आरम्भ किया गया था। पुल के कुओं की गलाई में नीचे बड़े कंकड़ की तह आ जाने से कार्य की प्रगति मन्द हो गई, ठेकेदार भी फरवरी, १९६४ में कार्य छोड़कर चला गया। इन कारणों से इस पुल के तैयार होने में देरी हुई। अब यह आशा है कि नवम्बर, १९६४ तक यह पुल बन कर तैयार हो जायेगा।

*५०—श्री ज्वालाप्रसाद—

सूरा-डेरापुर मार्ग के नवें मील पर सेंगर नदी का पुल बन रहा था उसकी डिजाइन एवं इस्टीमेट अभी तक मंजूर हुये अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो किस अधिकारी के पास पड़े हुए हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल की डिजाइन एवं इस्टीमेट मंजूर हो गये हैं तथा आदेश जारी किये जा रहे हैं।

*५१--श्री ज्वालाप्रसाद--

उपरोक्त पुल के टेंडर पुनः कब मांगे गये थे और वह अब किस स्थित में है, कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पुनः टेंडर २६ नवम्बर, १९६३ को मांगे गये थे, उन्हें स्वीकृत करने के आदेश दिये जा चुके हैं। आशा की जाती है कि कार्य इसी माह में आरम्भ हो जायगा और नवम्बर, १९६४ तक पूरा हो जायगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती में क्रय तथा वर्क चार्ज स्टाफ

*५२--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती ने १ अप्रैल, सन् १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक और १ जनवरी, १९६४ से १५ फरवरी, १९६४ तक कितने का माल खरीदा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

उक्त अवधि में क्रमशः ४,७७,६२८ रु० तथा १,७१,२६० रु० का माल खरीदा गया।

*५३--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के अंतर्गत वर्क चार्ज स्टाफ की कुल संख्या इस समय क्या है और उनकी नियुक्ति का आधार क्या है तथा उनका वेतनक्रम किसके द्वारा निश्चय किया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

(क) १९५

(ख) वर्क चार्ज स्टाफ की नियुक्ति का आधार विभिन्न आगणनों (estimates) में उक्त स्टाफ की व्यवस्था पर निर्भर करता है।

(ग) उक्त स्टाफ का वेतन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसार निश्चित किया जाता है।

क्राफ्ट टीचर्स का ग्रेड

*५४--श्री हलीमुद्दीन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग के जी० ओ० सं० ई०-१४६८/१५-२१ (४१)-६०, दिनांक ४ अगस्त, १९५९ के अनुसार हाई स्कूल कक्षाओं में क्राफ्ट पढ़ाने वाले अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेजुयेट वेतन-क्रम देने के लिये जो पांच साल की बुक क्राफ्ट ट्रेनिंग निर्धारित की गयी है वे प्रदेश में चालू नहीं है ? यदि चालू है, तो कहां-कहां और अब तक कितने अध्यापक पांच साल वाली ट्रेनिंग पास कर चुके हैं ?

*५५--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो सी०टी० ग्रेड के अध्यापक उक्त आदेश के लागू होने के पहले हाई स्कूल और इन्टर कक्षाओं को पढ़ाते थे और उक्त आदेश के लागू होने के बाद भी पढ़ाने के लिये लेजीब्ल माने गये हैं, तो ऐसे अध्यापक जो पढ़ाने के लिये उपयुक्त माने गये हैं उन्हें उक्त आदेश के अनुसार लेक्चरार ग्रेड न देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये योग्यता

*५६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब एच० टी० सी० ट्रेनिंग तथा प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी की समस्या हल करने के लिये न्यूनतम योग्यता जूनियर हाई स्कूल निर्धारित है, तब क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग अथवा निदेशक ने कोई ऐसा आदेश जिलों को दे रक्खा है कि जब तक बी० ए०, इन्टर अथवा हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी में प्रत्याशी उपलब्ध हों इससे कम योग्यता के प्रत्याशी न लिये जावें ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। यह सही है कि एच० टी० सी० ट्रेनिंग तथा प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों के लिये न्यूनतम योग्यता जूनियर हाई स्कूल निर्धारित है और यह भी सही है कि विभाग की ओर से परि-पत्र द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि यदि हाई स्कूल या उससे अधिक शिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हों। तो चयन के समय उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के बच्चों को शिक्षा सुविधायें

*५७—श्री बिशनलाल यादव तथा श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या पोलिटिकल सफरर्स के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क होती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के बच्चों/आश्रितों की शिक्षा निःशुल्क अथवा अर्धशुल्क करने पर विशेष रूप से विचार किया जाता है और जहां तक संभव होता है उनकी शिक्षा निःशुल्क होती है। साथ ही उन्हें छात्रवृत्तियों और अन्य सुविधायें देने की भी व्यवस्था है।

भड़सहिया—बनकटवा लिंक रोड

*५८—श्री श्रीराम तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर से चौधरी डीह, जिला गोंडा की सड़क से भड़सहिया से बनकटवा जाने वाली लिंक रोड जो बनायी जा रही है। वह कब से प्रारम्भ हुई और कब तक कितनी और लागत में हो जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

भड़सहिया से बनकटवा जाने वाली लिंक रोड का निर्माण नवम्बर, १९६३ से प्रारम्भ हुआ। इसके तैयार होने में लगभग ३ वर्ष और लगेंगे। इसकी अनुमानित लागत ४ लाख ३२ हजार रुपया है।

*५९—श्री श्रीराम तथा श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या उक्त सड़क में जो जमीन, घर आदि आ गये हैं, उसका मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो किस दर से दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। भूमि प्राप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर मुआवजा दिया जायेगा।

टेहरी गढ़वाल में डिग्री कालेज तथा दीक्षा विद्यालय खोलने की मांग

*६०--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन, जिला टेहरी-गढ़वाल की इस मांग की कि उस जिले में एक राजकीय डिग्री कालेज खुले, कब पूर्ति करेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

संप्रति टेहरी-गढ़वाल में राजकीय डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था नहीं है ।

*६१--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या वे शहीद श्रीदेव सुमन की स्मृति में जिला टेहरी-गढ़वाल के टेहरी नामक स्थान में खुले पुस्तकालय का प्रदेशीयकरण करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश--

पुस्तकालय का प्रदेशीयकरण करने का सरकार का विचार नहीं है ।

*६२--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन के सामने जिला टेहरी-गढ़वाल के अंदर एक ऐसा दीक्षा विद्यालय खोलने की योजना है जहां लड़कियों को प्रशिक्षित किया जा सके ? यदि हां, तो इस योजना पर काम कब शुरू होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

वर्ष १९६४-६५ के लिए७ दीक्षा विद्यालयों के खोले जाने का बजट में प्राविधान है । इन विद्यालयों का खोला जाना उचित भवनों की उपलब्धि पर निर्भर है । यदि टेहरी गढ़वाल में विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार किराये या बिना किरायें के भवन उपलब्ध होंगे तो शासन इस पर विचार करेगा ।

यदि संभव हुआ तो अगले शिक्षण-सत्र में विद्यालय खोला जा सकता है ।

अच्छल्दा-विधूत रोड

*६३--श्री विजयशंकर (जिला इटावा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अच्छल्दा विधूत रोड के प्रांतीयकरण की मांग जिला परिषद्, इटावा ने कब की थी और क्या सरकार इस सड़क के महत्व, उपयोगिता तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये इसको शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इसकी मांग अंतरिम जिला परिषद्, इटावा ने सितम्बर, १९५९ में की थी । इस समय इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लेने की कोई योजना नहीं है ।

गाजीपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*६४--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने मील पक्की सड़क बनवाने की योजना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस जिले में ४३ मील ३ फर्लांग सड़कों का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजनकाल में सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है। इसके अतिरिक्त ९१ मील और सड़कों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है।

एतमादपुर तहसील में चकबन्दी प्रभावित कुलाबे

*६५--श्री शिवचरणलाल--

क्या सरकार को मालूम है कि जिला आगरा, तहसील एतमादपुर में चकबन्दी खत्म हो चुकी है परन्तु कुलाबों का समुचित प्रबन्ध न होने की वजह से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं। जिला आगरा की तहसील एतमादपुर में अभी तक चकबन्दी क्रियायें पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं।

कथित क्षेत्र में चकबन्दी क्रियाओं से अबतक केवल ४ कुलावे प्रभावित हुये हैं इनमें से ३ कुलावों का स्थान परिवर्तन नहर विभाग द्वारा किया जा चुका है और शेष १ कुलावे के स्थान परिवर्तन के बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है।

*६६-६७--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--

[७ वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या ७-८ के अन्तर्गत निधारित किये गये।]

फिजिकल डाइरेक्टर्स

*६८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों में तथा अधीनस्थ कालेजों में फिजिकल डाइरेक्टर्स की व्यवस्था है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

६९--क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कपूर कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपनी क्या रपट दी है तथा उसके अभी तक कार्यान्वियन न करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिटी हायर सेकेण्डरी स्कूल, गाजीपुर का प्रबन्ध

*७०--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सत्य है कि सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर का मैनजमेंट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, वाराणसी खंड को दिया गया था ? यदि हां, तो डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल गाजीपुर किस जी० ओ० से उक्त विद्यालय के (ex-officio) मैनेजर घोषित किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां। १९४७ में शासन ने शिक्षा सेवाओं का पुनरसंघटन किया जिसके अनुसार हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों का सृजन भी किया गया। क्योंकि सिटी हायर सेकेण्डरी स्कूल, गाजीपुर पुनरसंघटिन योजना के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अतः इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, वाराणसी खण्ड के स्थान पर जिला विद्यालय निरीक्षक स्वतः कार्य करने लगे। इस सम्बन्ध में पृथक से कोई राजाज्ञा जारी नहीं की गई थी।

*७१--श्री राजनाथसिंह--

क्या सरकार उक्त विद्यालय से सम्बन्धित G. O. F/24 Jan. 21, 1933 तथा G. O. 3378 dated Feb. 2, 1933 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी और बतायेगी कि उसका पालन विद्यालय के संचालन में क्यों नहीं होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी० ओ० संख्या एफ/२४, दिनांक जनवरी २१, १९३३ संलग्न है। जहां तक जी० ओ० संख्या ३३७८, दिनांक फरवरी २, १९३३ का प्रश्न है यह कोई पृथक से जारी किया गया राज्यादेश नहीं है वरन् जी० ओ० संख्या एफ २४, दिनांक २१-१-१९३३ पर इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, वाराणसी खंड द्वारा पृष्ठांकित संख्या मात्र है, जैसा कि संलग्न जी० ओ० की प्रति से स्पष्ट है। अतः इसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक इसके पालन का प्रश्न है, यह जी० ओ० सिटी हायर सेकेण्डरी स्कूल, गाजीपुर की जायदाद को (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत अध्याप्त करने के संबंध में था और इसका पालन भी, उक्त जायदाद को ११,००० रु० में सरकार द्वारा अध्याप्त कर, १९३४ में ही किया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७६७ पर)

चरखारी तहसील में फसल को क्षति

*७२--श्री मदनपाल सिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री गंगाप्रसाद--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर में ओले व पाले से हुई रबी की फसल की क्षति २५ नये पैसे दिखाई गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर कि हानि के आंकड़े २५ नये पैसे से ५० व ७५ नये पैसे तक है क्योंकि मैंने स्वयं ग्राम लोहारी अकठांहां, गुढ़ा गोरखा, सूपा, सुदामापुरी आदि ग्रामों का निरीक्षण किया है, अविलम्ब दुबारा जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिससे कि किसानों को उचित सुविधायें मिल सकें और किसानों में व्याप्त असन्तोष समाप्त हो सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं। मेरे १२ फरवरी, १९६४ के वक्तव्य में उल्लिखत फसलों की क्षति तहसीलवार नहीं दिखाई गई थी। उसमें जिले भर की फसलवार अनुमानित क्षति दिखाई गई थी। पुनः जांच के अनुसार भी चरखारी तहसील के किसी भी ग्राम में ३५ नये पैसे से अधिक की क्षति नहीं हुई है। प्रश्नगत गांवों में से सूपा ग्राम में केवल पाले से २० से २५ नये पैसे तथा लोहारी, अकठांहां, गुढ़ा, गोरखा तथा सुदामापुरी में ओले तथा पाले से १५ से ३५ नये पैसे तक की क्षति हुई है। अब किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है।

इलाहाबाद जिले में क्षतिग्रस्त फसल का निरीक्षण

*७३--श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसीलों का सरकारी अफसरों द्वारा दौरा फसल खराब होने के कारण किन-किन तारीखों पर हुआ था और उसकी सूचना स्थानीय विधायकों को दी गयी थी या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। दौरों की सूचना सभी उपस्थित स्थानीय विधायकों को दी गई थी।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७६८-७६९ पर)

*७४--श्री मेवालाल जायसवाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त दौरे पर उनके साथ कौन-कौन लोग तहसील के थे?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

इन दौरों के समय प्रत्येक अधिकारी के साथ लेखपाल उपस्थित थे। जनता के प्रतिनिधियों में बहुधा ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र समिति के सदस्य, प्रधान, न्याय पंचायतों के सदस्य, स्थानीय विधान सभा सदस्य तथा अन्य लोग थे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती का अनुदान

*७५--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये जितने रुपये का अनुदान मिला था उसमें से गत ३१ जनवरी, १९६३ तक कितना व्यय हुआ और कितना बाकी है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

बस्ती जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष का कुल अनुदान ४७,९५,६०० रु० (सैंतालीस लाख, पच्चानवे हजार छः सौ) रु० था। उसमें से ३१-१२-६३ तक २१,६८,३०० रु० (इक्कीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ) रु० व्यय हुआ और २६,२७,३०० (छब्बीस लाख सत्ताइस हजार तीन सौ) रु० बाकी बचा।

संकीसा--मोहम्दाबाद सड़क

*७६--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि संकीसा--मुहम्मदाबाद सड़क कब बनी और इस पर अब तक गेट न लगने का क्या कारण है? तथा सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सड़क सन् १९५५-५६ में बन गई थी लेकिन इस पर गेट लगाने की लागत स्वीकृत लागत से बढ़ जाने के कारण यह गेट अभी तक लगाना संभव नहीं हुआ है। सरकार ने अब इस गेट के निर्माण का कार्य, इसकी बढ़ी हुई लागत पर, स्वीकृत कर दिया है।

झांसी जिले में अदालतों की इमारतों का निर्माण

*७७--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊ तहसील व एस० डी० ओ० हेडक्वार्टर और उससे संबंधित अदालतों के भवन निर्माण के लिये स्टेशन मऊरानीपुर के पास जगह नियत की जा चुकी है? यदि हां, तो उनके निर्माण कार्यों में क्यों विलम्ब किया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

जी हां। मऊरानीपुर में तहसील भवन के निर्माण के लिये तखमीनों की प्रतीक्षा की जा रही थी, यह अब २७ अप्रैल, १९६४ को प्राप्त हो गये हैं और इनकी जांच करने के बाद स्वीकृति जारी कर दी जायगी।

एस० डी० ओ० हेडक्वार्टर और उससे संबंधित अदालतों के लिये भवन बनवाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था परन्तु राष्ट्रीय संकट के कारण यह स्थगित कर दिया गया है।

यू० पी० बोर्ड की परीक्षा में दंडित परीक्षार्थी

*७८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार दिनांक १ मार्च, सन् १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि इन्टरमीडिएट बोर्ड, यू० पी० द्वारा किन-किन व्यक्तियों का रिजल्ट कैन्सिल किया गया मय पता, वल्दियत के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूची प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७७४ पर)

*७९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रिजल्ट कैन्सिल किये गये उनके अलग-अलग क्या कारण थे और मामले की जांच किसके द्वारा करायी गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सातों परीक्षार्थी केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग करते हुये रंगे हाथों कक्ष निरीक्षकों द्वारा पकड़े गये थे । घटनास्थल पर तत्काल ही केन्द्र व्यवस्थापक मै उन्हें आरोप पत्र दिये । प्रधान परीक्षक की आख्या प्राप्त होने पर दूसरा आरोप पत्र परीक्षा समिति द्वारा दिया गया । अन्त में समस्त अभिलेखों के आधार पर परीक्षा समिति ने निर्णय लेकर सातों को दंडित किया ।

*८०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या उक्त रिजल्ट जो कैन्सिल किये गये उनमें से किसी केस में अधिकारियों की भी साजिश जांच के समय सिद्ध हुई ? यदि हां, तो, किनके विरुद्ध और उनके विरुद्ध या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

फतेहपुर जिले में विज्ञान की शिक्षा

*८१—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान में हाई स्कूल व इन्टर तथा बी० एस०-सी० की शिक्षा देने के लिये इस राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी व असरकारी विद्यालयों में जिलेवार व विज्ञान की विभिन्न शाखावार कितनी-कितनी सीटों की व्यवस्था ह और वहां की जन-संख्या का क्या अनुपात विज्ञान के शिक्षार्थियों का होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस प्रश्न के उत्तर देने में जितना समय और धन व्यय होगा उसके अनुपात में लाभ न होगा ।

*८२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जिला फतेहपुर की जन-संख्या व वहां के विज्ञान में शिक्षा पाने के लि उत्सुक विद्यार्थियों की जबरदस्त महत्वाकांक्षा व मांग को दृष्टि में रखकर जिले के सरकारी इन्टर कालेज व असरकारी इन्टर कालेज व डिग्री कालेजों में विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व कृषि शास्त्र) की नयी कक्षायें खुलने व खुलवाने योग्य शिक्षक नियुक्ति करने व कराने व प्रयोग-शालयें सुसज्जित करने कराने की स्थायी व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कैलाशप्रकाश--

शासन के पास फतेहपुर जिले में विज्ञान की शिक्षा के लिये जबरदस्त मांग की कोई सूचना नहीं है? जिले के १९ मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से १ में इन्टर कक्षा तक, ७ में हाई स्कूल तक और राजकीय इन्टर कालेज में इन्टर तक विज्ञान की शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था है। जिले में एक प्राइवेट डिग्री कालेज, है जो विज्ञान शिक्षा के लिये मान्य नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक मान्यता के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त विद्यालयों में विज्ञान कक्ष निर्माण करने तथा विज्ञान सामग्री के क्रय आदि के लिये पर्याप्त व्यवस्था है और अन्य जिलों की भांति यहां के विद्यालय भी उससे लाभ उठा सकते हैं।

*८३--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

[४ मई, १९६४ को प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

पी० डब्ल्यू० डी० एम्प्लाइज यूनियन, सहारनपुर का पत्र

*८४--श्री रणबहादुरसिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें बस्ती जिले के एक वर्क मुंशी की नौकरी की समाप्ति के सम्बन्ध में यू० पी०, पी० डब्लू० डी० एम्प्लाइज यूनियन, सहारनपुर का दिनांक २८ जून, १९६२ को पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगनप्रसाद रावत--

(क) जी हां।

(ख) उक्त वर्क मुन्शी को सम्बन्धित वृत के किसी अन्य खण्ड में एक बार पुनः कार्य करने का अवसर दिये जाने के लिए आदेश दिये गये हैं।

*८५--श्री रणबहादुरसिंह--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पत्र पर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका और विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह प्रश्न नहीं उठता।

*८६--श्री रणबहादुर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बतायेंगे कि उन्हें यू०पी०,पी०डब्लू०डी० एम्पलाइज यूनियन, सहारनपुर से यूनियन की मान्यता हेतु दिनांक २८ जून, १९६२ को पत्र प्राप्त हुआ। यदि हां, तो यूनियन को अब तक मान्यता क्यों नहीं प्रदान की गयी?

श्री जगनप्रसाद रावत--

(क) जी हां।

(ख) उक्त यूनियन को मान्यता देना आवश्यक नहीं समझा गया।

महंगाई भत्ता शुल्क

*८७--श्री कन्हैयालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अपने अध्यापकों को महंगाई भत्ता देने के लिए महंगाई शुल्क वसूल करने का अधिकार समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों को न होकर केवल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही है यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार का नियम बनाने का आधार क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश--

शिक्षा संहिता के पैरा १०१ के अनुसार समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों को महंगाई भत्ता शुल्क वसूल करने का अधिकार है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

झांसी जिले में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*८८--श्रीमती बेनीबाई--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कितनी एकड़ भूमि सीलिंग में निकली और उस निकली हुई भूमि में से कितनी भूमिहीनों को दे दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

४,३९२.४१ एकड़। इसमें से १,४३९.७१ एकड़ भूमिहीनों में वितरित की जा चुकी है।

जौनपुर जिले में नियुक्त अध्यापकों में परिगणित जाति के उम्मीदवार

*८९--श्री हरिगैनराम--

क्या शिक्षा मंत्री को सूचना है कि जौनपुर जिले में जनवरी, फरवरी, सन १९६४ ई० में, जो अन्ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं उनमें से परिगणित जाति के कुछ उम्मीदवारों का नाम सूची से इसलिए निकाल दिया गया है कि उनकी आयु २६ वर्ष से अधिक थी ? यदि हां, तो क्या जिस प्रकार से सभी सरकारी नौकरियां एवं ट्रेनिंग में ५ वर्ष की छूट आयु की सीमा में परिगणित जाति के उम्मीदवारों को दी जाती है, इसमें छूट क्यों नहीं दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्राप्त सूचना से विदित हुआ कि परिगणित जाति के चार अभ्यर्थी जिनकी आयु २६ वर्ष से अधिक थी, साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये गये। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

जौनपुर जिले में हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन तथा पी० टी० अध्यापक

*९०--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री सत्यनारायण पांडेय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में कौन-कौन ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जो दिसम्बर, सन् १९६३ तक अध्यापकों का वेतन नहीं दे सके हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

तालिका 'क' संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७७१ पर)

*९१--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री सत्यनारायण पांडेय--

क्या विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को यह ज्ञात है कि इण्टर कालेज, मछलीशहर, जौनपुर की अब तक कोई प्रबन्ध समिति नहीं बन पायी है ? यदि हां, तो उक्त कालेज का प्रबन्ध किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां। विद्यालय का नित्य प्रति का कार्य प्रधानाचार्य देखते हैं तथा संस्था का निलम्बित अनुपालन अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अध्यापकों आदि में वितरित किया जा रहा है। प्रबन्ध समिति बनाने का प्रयास भी जारी है।

*९२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कौन-कौन से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें पी० टी० अध्यापक नहीं रखे गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

तालिका 'ख' संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ७७६ पर)

फतेहपुर जिले में पाला से क्षति

*९३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस वर्ष शीत लहर और पाले से फतेहपुर जिले में रबी की फसल को अधिक नुकसान हुआ है परन्तु जिलाधिकारियों ने शासन को जो सूचना दी है, वह वास्तविकता और सत्यता के विपरीत है जब कि जिले के अन्य अंचलों की अपेक्षा परगना कोड़ा, टप्पाजार और मुन्तौर अधिक क्षति के हैं ? यदि हां, तो यहां के कृषकों के लिए सरकार क्या प्रयास लगान माफी, तथा तकावी मुल्तवी के लिए कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पाले से फसल को अवश्य क्षति पहुंची है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों की रिपोर्ट प्रभावित ग्रामों के निरीक्षण पर आधारित है। यह रिपोर्ट प्रारम्भिक तथा अनुमानित अवश्य है किन्तु इन्हें सत्यता से विपरीत नहीं कहा जा सकता। परगना कोड़ा, टम्पाजार तथा मुन्तौर के २०६ गांवों में ५० नये पैसे से रबी में अधिक की क्षति पहुंची है जिसमें अन्तिम सहायता प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर नियमानुकूल लगान में छूट दी जायेगी। तकावी की वसूली इसलिए स्थगित नहीं की जा सकी कि यहां खरीफ की फसलों में ५० नये पैसे की क्षति नहीं थी।

जनखत व औसेर जूनियर हाई स्कूलों की इमारतें

*९४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १६ दिनांक ८ मार्च, १९६३ के सम्बन्ध में लिखे गये मेरे पत्र सं० २०६, दिनांक १८ मार्च, १९६३ के सम्बन्ध में जांच करायी है ? यदि हां, तो स सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, जांच कराई गई। जो अनुदान ब्लाक से भवन निर्माण हेतु दिया गया उसका उपयोग हो गया है।

मंगापुर ग्राम में पड़ताल

*९५—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मंगापुर तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में १३७० फसली में खरीफ व रबी की पड़ताल क्यों नहीं हुई ? उसका उत्तरदायित्व किस पर है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम मंगापुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ की पड़ताल खरीफ तथा रबी १३७० फसली में हुई है। इतना अवश्य है कि खसरा मुकम्मल नहीं है जिसके लिये परगनाधीश लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं।

वाराणसी में शिवपुर रेलवे क्रासिंग पर ब्रिज की आवश्यकता

*९६—श्री ऊदल—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी के शिवपुर रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवरब्रिज न होने की वजह से बाबतपुर एयरोड्रोम से आने जाने वाली सवारियों तथा यात्रियों को ट्रेन आने की वजह से तथा रोडवेज की बसों, ट्रकों, कारों को फाटक बन्द होने से घंटों रुकना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार स स्थान पर ओवर ब्रिज बनाने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। जहां कहीं (level crossing) है वहां यातायात की असुविधा होती है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार वह over bridge के निर्माण का लगभग २५ प्रतिशत व्यय वहन करती है और प्रदेशीय सरकार को बाकी ७५ प्रतिशत व्यय वहन करना पड़ता है। धनाभाव के कारण राज्य सरकार के लिए इस समय व्यय को वहन करना सम्भव नहीं है। अतः भारत सरकार से सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता।

केराकत तहसील में भूमिधरी प्रमाण-पत्र

*९७—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की केराकत तहसील में २७ मई, १९६३ से जेड० ए० ५२ फार्म भूमिधरी प्रमाण-पत्र न होने की वजह से १० गुना लगान जमा करने वालों को प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

जी हां। २७ मई, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४ तक केराकत तहसील में भूमिधरी प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने के कारण वे १० गुना लगान जमा करने वाले किसानों को नहीं दिये जा सके थे।

दीक्षा विद्यालयों के अध्यापकों का ग्रेड

*९८—श्री रामसमझावन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की समस्त राजकीय दीक्षा विद्यालयों में उन अध्यापकों को जो कि कोविद विशारद या साहित्यरत्न की परीक्षायें पास हैं, जे० टी० सी० ग्रेड देने की बात वे सोच रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राजकीय दीक्षा विद्यालयों में अध्यापकों के पद जे० टी० सी० ग्रेड से उच्च वेतन क्रम में होते हैं। अतः इन विद्यालयों में अध्यापकों को जे० टी० सी० ग्रेड देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मथुरा में पुल निर्माण पर व्यय

*९९—श्री लखीसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री २१ फरवरी, सन् १९६४ के प्रश्न संख्या ३९—४१ के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि मथुरा के पुल पर ३,१२,५३४ रुपए को किस-किस मद में खर्च किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह धन निम्नलिखित मदों में खर्च किया गया :

	रु०
१--४० नावों के निर्माण पर	२,२५,३३५
२--डेकिंग मैटीरियल (साल की लकड़ी) इत्यादि पर ..	५०,८७०
३--चेकर्ड प्लेट्स इत्यादि पर	१८,०००
४--वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों पर	१८,३२९

*१००--श्री लखीसिंह--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया था, पुल कितने महीने तक चला और उसके लिए नावें कहां से मंगायी गयी थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस पुल का ठेका किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया क्योंकि इस को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः पुल चलने के समय का प्रश्न नहीं उठता। इसके लिए नावें मथुरा तथा मिर्जापुर के ठेकेदारों द्वारा बनवाई गई थीं।

गोरहे पुल-सहावर सड़क

*१०१--श्री बेदराम (जिला एटा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरहे के पुल से सहावर टाउन जिला एटा को जो सड़क जाती है उस में अभी ३ मील के लगभग सड़क अपूर्ण है ? यदि हां, तो जब यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाना निश्चित हुई थी उसे अब तक पूर्ण न कराने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी इस सड़क की महत्ता देखते हुए उसे शीघ्र पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सोरों से सहावर जाने वाली नहर की पटरी के ५ मील के निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ था, जो पूरा हो चुका है। इस सड़क के शेष भाग के निर्माण का कार्य सड़कों तथा पुलों की किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः उस भाग का निर्माण कराना इस समय सम्भव नहीं है।

बरेली नगरपालिका के अवकाश प्राप्त अध्यापकों का पद

*१०२--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या शिक्षा मन्त्री तथा उनके अनुसचिव को बरेली नगर पालिका के अवकाश प्राप्त अध्यापकों का दिनांक २८ जनवरी, १९६४ का पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने राजाज्ञा संख्या डी०-१/६१२७/१५-२७/१९६२ द्वारा दी गयी सुविधाओं को उन्हें भी प्रदान करने की न्यायोचित मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको सन्तुष्ट करने की आज्ञा जारी कर दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां।

शासन द्वारा अध्यापकों को कोई उत्तर नहीं भेजा गया क्योंकि शासन ने जो नीति अवकाश प्राप्ति के बारे में तय की थी उसकी सूचना अध्यक्ष, नगरपालिकाओं को दे दी गयी थी और निर्णय लेना उन्हीं के विवेक पर निर्भर था जब कि कथित आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि अध्यक्ष नगरपालिका बरेली को भी भेजी गई थी।

*१०३—श्री रक्षपालसिंह—

[हटा दिया गया ।]

नागर क्षत्रों में बंजर तथा परती भूमि

*१०४—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर), श्री रघुनाथ (जिला बलिया) तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबन एरिया जमींदारी विनाश अधिनियम जिन स्थानों पर अब तक लागू किया जा चुका है, उनके अन्दर आने वाली परती व बंजर भूमि भूतपूर्व जमींदारों के कब्जे में है तो ऐसा क्यों है और स्थानीय निकायों को कब्जा दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६, केवल "कृषि क्षेत्रों" पर लागू होता है जिसके कारण उक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त भूमि जमींदारों के ही कब्जे में है। इस भूमि का कब्जा स्थानीय निकायों को दिलाने के सम्बन्ध में अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।

गोरखपुर जिले में कटाव पीड़ित गांव को सहायता

*१०५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोरखपुर के ग्राम जैतपुर, रण्डेसरी, कुण्डा नरही कोहड़ा भांवर, डेरवा कोलखास, ज्ञानकोल के किसानों को जिन का घर नदी से कट चुका है उनको सरकार द्वारा गत वर्ष कोई सहायता नहीं प्रदान की गई और इस वर्ष भी मार्च के अन्दर इन्हें कोई सहायता मिलने की सम्भावना नहीं है और इससे निवासियों में असन्तोष व्याप्त है ? क्या सरकार सहायता देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इन कटाव प्रभावित ग्रामों के निवासियों को गत वर्ष गृह निर्माण एवं अहेतुक सहायता व तकावी दी गई थी। इस वर्ष भी जहां आवश्यक समझा गया अहेतुक सहायता के रूप में गल्ले का वितरण किया गया। वहां के निवासियों में कोई असन्तोष नहीं है।

बदायूं कलेक्टरी के अपरेन्टिस

*१०६—श्री हलीमुद्दीन तथा श्री श्यामलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि कलेक्टरेट, बदायूं में सन् १९६२ में पेड अप्रेन्टिसों की कोई अप्रूव्ड लिस्ट थी ? यदि हां, तो क्या लिस्ट तैयार करते वक्त इस में रखे जाने वालों का कोई इम्तहान लिया गया था, कृपया यह सूची सदन की मेज पर रखी जावे कि वह कब-कब से काम कर रहे थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, शासकीय आदेशानुसार कलेक्टरेट बदायूं में पेड अपरेन्टिसों की एक अनुमोदित सूची (भाग अ) १९६२ में बनाई गई थी। इस सूची में जिन व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये थे वे सभी व्यक्ति पहले ही परीक्षा पास कर चुके थे, अतएव इनकी कोई लिखित परीक्षा दुबारा नहीं ली गई। उपरोक्त सूची (अ) में अंकित किये गये व्यक्तियों के नामों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ७७३ पर।)

*१०७—श्री हलीमुद्दीन तथा श्री श्यामलाल—

क्या सरकार बतलाएगी कि इस अप्रव्ड लिस्ट के होते हुए भी न्यू आदमियों को भर्ती करने के लिए १७-१८ जुलाई, १९६२ को कोई इम्तहान लिया गया जिसका नतीजा २६ सितम्बर, १९६२ को आउट किया गया और इसके बाद सिर्फ उन उम्मीदवारों को मुलाजिमत दी गयी जो इम्तहान में पास हुए हैं और क्या यह सही है कि इस इम्तहान में पास होने वालों में अव्वल नम्बर पास होने वाला आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कलेक्टरेट बदायूं का भाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, शासकीय आदेशानुसार कलेक्टरेट के ३३ प्रतिशत रिक्त स्थान बाहरी अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रहते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त किये हुए अभ्यर्थियों द्वारा ही भरे जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पेड अपरेन्टिसों की अनुमोदित सूची (भाग ब) में अंकित किये जाते हैं। अतएव १७-१८ जुलाई, १९६२, को सूची (ब) निर्माण करने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी। उक्त सूची (अ) तथा (ब) बन जाने के उपरान्त शासकीय आदेशानुसार कलेक्टरेट के सभी रिक्त पदों पर केवल इन सूचियों में अंकित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की गई। कलेक्टरेट के रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण होने वाला अभ्यर्थी बदायूं कलेक्टरेट के वर्तमान अथवा भूतपूर्व आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का भाई है।

निर्माण खंड लखनऊ में मिस्त्रियों की कथित छंटनी

*१०८—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० Construction Division Lucknow, में कुछ मिस्त्रियों एवं सहायक मिस्त्रियों को काम न होने के कारण जूनिया रिटी के आधार पर एक दिसम्बर, १९६३ से निकाला गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति तिथि क्या है ?

*१०९—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को निकाला गया है उनमें से कुछ व्यक्तियों को पुनः उसी जगह पर एक दो माह के पश्चात् रख लिया गया है ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों की सूची क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त डिवीजन में किसी भी मिस्त्री एवं सहायक मिस्त्री को १ दिसम्बर, १९६३ से नहीं निकाला गया है।

*११०-१११—श्री शारदानन्द—

[वापस ले लिये गये।]

लखनऊ यूनिवर्सिटी डिग्री कालेज एसोसियेशन की मांगें

*११२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलावेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी डिग्री कालेज एसोसिएशन का प्रतिनिधि मण्डल मार्च, १९६४ के द्वितीय सप्ताह (९-३-६४ से १४-३-६४ के बीच) में अपनी मांगें लेकर मुख्य मन्त्री से मिला था ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या थी तथा सरकार उन मांगों के सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

लखनऊ यूनिवर्सिटी डिग्री कालेज टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि मण्डल ११ मार्च, १९६४ को मुख्य मन्त्री जी से मिला था। उनकी मांगें संलग्न सूची में दी हुई है। चूंकि

अधिकांश मांगें धन की उपलब्धि तथा विश्वविद्यालय के नियमों और अधिनियमों में परिवर्तन पर निर्भर करती है अतः शासन को शीघ्र इन पर कुछ करना संभव नहीं है।

(देखिए नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ७७४ पर)।

श्री चन्द्रपाल रावत का पत्र

*११३--श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) तथा श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खखरा, तहसील नौगढ़ जिला बस्ती के खादर पर काबिज काश्तकारों को कुछ लोगों द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक २३ फरवरी, १९६४ को श्री चन्द्रपाल रावत एम० एल० ए० द्वारा प्रेषित माननीय राजस्व मन्त्री को मिला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

२३ फरवरी का तो नहीं परन्तु २४ फरवरी का पत्र अवश्य मिला।

*११४--श्री चन्द्रपाल तथा श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि सरकार द्वारा उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्री चन्द्रपाल रावत के दिनांक २४-२-६४ के पत्र की प्रतिलिपि सदन के मेज पर रख दी गई है। जिलाधीश बस्ती से मालूम करने पर पता चला कि पत्र में उल्लिखित भूमि के विषय में न्यायालय में वाद उपस्थित है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ७७५-७७६ पर।)

बेसिक स्टेज पर शिक्षा

*११५--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बेसिक स्टेज पर शिक्षा का स्तर अत्यधिक गिरा हुआ है जिसके कारण नगर निवासी जहां पर सुविधा उपलब्ध है अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों या मोन्टेसरी स्कूल में प्राइमरी स्कूलों के मुकाबले में पढ़ाना पसन्द करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

बेसिक स्टेज पर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ नहीं है। सामाजिक एवं कुछ अन्य कारणों से कुछ बड़े नगरों के निवासी अपने बच्चों को प्रश्नगत स्कूलों में भर्ती कराना चाहते हैं।

*११६--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके प्रान्त की बेसिक शिक्षा के बारे में अवलोकन और रिव्यू करने के लिये कोई शिक्षा विशारदों की कमेटी नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रश्नगत विषयों के लिये राज्याधारिक शिक्षा बोर्ड एवं स्टेट इन्सटीट्यूट आफ एलीमेन्टरी एजूकेशन की स्थापना की गई है।

गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, बिसवां की इमारत

*११७--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां, जिला सीतापुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल की अपनी इमारत कब तक बनवायी जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में इस स्कूल के भवन निर्माण हेतु कोई प्राविधान नहीं है। अभी कहा नहीं जा सकता कि स्कूल का भवन कब तक बन सकेगा।

मंडेलेश्वर महादेव संस्कृत पाठशाला, गौरा को अनुदान देने की प्रार्थना

*११८—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मण्डेलेश्वर महादेव संस्कृत पाठशाला, गौरा (मेहनगर), जिला आजमगढ़ का कोई प्रार्थना-पत्र प्रारम्भिक अनुदान प्राप्ति हेतु निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास आया है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। सरकार ने उसे १,४८८ रु० का प्रारम्भिक अनुदान वर्ष १९६३-६४ में स्वीकार किया।

*११९—श्री छांगुर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने कुछ संस्कृत पाठशालाओं के नाम अनुदान प्राप्त हेतु निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास भेजा है? यदि हां, तो क्या उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ७७७-७८० पर)

जालौन जिले में कलेक्शन अमीनों को भत्ता

*१२०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि कलेक्शन अमीनों को नित्य सरकारी काम से १० मील से भी अधिक का रास्ता तय करना पड़ता है और उनको कोई टी० ए० नहीं दिया जाता है जबकि और सभी विभागों में टी० ए० दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंहविसेन—

ऐसे कलेक्शन अमीनों को जिन्हें सरकारी काम के सम्बन्ध में रेल यात्रा करनी पड़ती है, वर्तमान आदेशों के अनुसार ५ रुपया प्रतिमास की दर से नियत यात्रा-भत्ता दिया जाता है।

*१२१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जालौन जिले में कितने कलेक्शन अमीन हैं जिनको १० मील से अधिक का रास्ता, एक दिन में चलना पड़ता है और उनको कोई टी० ए० नहीं दिया जाता?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

८९ अमीन ऐसे हैं जिनको भत्ता नहीं मिलता क्योंकि इनके हल्के में रेल न होने के कारण ये रेल द्वारा यात्रा नहीं करते हैं।

बांसी-बस्ती सड़क

*१२२--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बांसी-बस्ती सड़क कब और कितनी दूर तक गिट्टी और तारकोल से बनी है और इसके बनने से आज तक कितनी बार कब-कब मरम्मत हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

बस्ती-बांसी सड़क के गिट्टी और तारकोल से बनने का विवरण निम्नलिखित है --

सन् १९५६ में मील २ से ५ तक, मील १६ एवं १७ पेन्ट किये गये।

सन् १९५७ में मील १ तथा ६ से १५ तक, १८ एवं १९ पेन्ट किये गये।

सन् १९५९ मील ३२ के ४ फ० से ८वें फ० तक पेन्ट किये गये।

सन् १९६३ में मील २०, २१ एवं मील २२ के फ० १ से फ० ५ तक पेन्ट किये गये।

इस मार्ग पर १९५६ से अब तक प्रति वर्ष मरम्मत होती है।

मुजफ्फरनगर जिले में पुल व सड़कों की मरम्मत

*१२३--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार को पता है कि मुजफ्फरनगर शहर के पास मोती झील का पुल अर्सा दस साल से बहुत ही खराब हालत में है जिसके कारण मोटर, ठेला, बसेज आदि वेहिकिल्स पुल के नीचे बराबर से गुजरती हैं और बरसात के चार महीनों में बसें खाली करके ऊपर से उतारी जाती हैं और कभी-कभी ट्रैफिक बिलकुल बन्द कर दिया जाता है, जिसके कारण जनता को भारी परेशानी है ? यदि हां, तो सरकार इस पुल का निर्माण क्यों नहीं कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के अंतर्गत प्रश्नगत पुल का निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और उस पर कार्य आरम्भ हो चुका है।

*१२४--श्री विजयपालसिंह--

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पुल पर रात्रि के समय पी० डब्लू० डी० के कर्मचारी लदे लदाए ठेलों को रिश्वत लेकर उतरवातें हैं जिससे भारी आमदनी होती है और इस पुल का अभी तक न बनने का यह भी एक कारण है। क्या सरकार इस की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

ऐसी कोई शिकायत शासन को नहीं प्राप्त हुई है।

*१२५--श्री विजयपालसिंह--

क्या सरकार को पता है कि इस पुल से थोड़ी दूर आगे चल कर जो दूसरा काला नदी का पुल है उस के पास सड़क की चौड़ाई बहुत कम है और सड़क के दोनों तरफ की गहराई लगभग २४-२५ फुट है जो बहुत खतरनाक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सड़क का प्रश्नगत भाग नगरपालिका, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत है, अतएव उसके सुधार इत्यादि का उत्तरदायित्व उनका है ?

गांव सभा, गजोखर की भूमि तथा जिलाधीश, वाराणसी को गलत इन्दराज संबंधी पत्र

*१२६—श्री रघुनाथ, श्री ऊदल तथा श्री झिलमिटराम—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा, गजोखर, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में गांव समाज की संपत्ति नं० १३८३, जिसमें पांच हिस्से हैं कमिश्नर के यहां से गांव समाज की सम्पत्ति का फैसला २ वर्ष पहले किया गया है और उस पर देवनन्दन का नाम था, काट कर गांव समाज का कर दिया गया, और वहां के लेखपाल ने उन्हीं नम्बरों पर आत्मासिंह व परमेश्वर के नाम इन्दराज कर दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न में प्रसंगित भूमि संख्या १३८३ तो एक व्यक्ति की सीरदारी है । न तो वह गांव सभा की सम्पत्ति है और न उसके विषय में कोई वाद ही कमिश्नर के न्यायालय में चला है । अतः संभवतः प्रश्नकर्ताओं का मन्तव्य भूमि संख्या १३८३ से नहीं बल्कि भूमि संख्या १३८२ से मालूम होता है । इस भूमि संख्या में १३८२ के तीन भाग हैं । एक भाग एक एकड़ का है जो पोखरी है और गांव सभा की सम्पत्ति है । दूसरा भाग ·९२ एकड़ का है जो खंडमंडलाधीश के न्यायालय की आज्ञानुसार श्री देवनन्दन के नाम से हटा कर गांव सभा के नाम कर दिया गया है । उस पर अब किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है । तीसरा भाग एक एकड़ का है और वह श्री परमेश्वर के नाम सीरदारी अंकित है । उनका नाम भूमि से काट देने का कोई आदेश न्यायालय का नहीं हुआ है । अतः काटा नहीं गया है ।

*१२७—श्री रघुनाथ, श्री ऊदल तथा श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा नहियां, नेवादा, आदि गांवों के किसानों ने प्रार्थना-पत्र जिलाधीश वाराणसी को १३ जनवरी, १९६४ को गलत इन्दराज करने के सम्बन्ध में वहां के लेखपाल रामअधीन लाल, हल्का नहियां, तहसील व जिला वाराणसी के खिलाफ दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और किसके द्वारा जांच करायी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१३ जनवरी, १९६४ को तो नहीं बल्कि १४ जनवरी, १९६४ को ऐसा प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को दिया गया । जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि उस सम्बन्ध में जुडीशल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के न्यायालयों में वाद चल रहे हैं । कुछ आरोप प्राचीन कागजातों में त्रुटियों से सम्बन्ध रखते हैं । उनके सम्बन्ध में सम्बद्ध व्यक्तियों को कागजात दुरुस्ती के मुकदमें दाखिल करने चाहिये ।

*१२८—श्री मुरलीधर कुरील—

[हटा दिया गया ।]

सम्भल तहसील में लगान की वसूली

*१२९—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह सच है तहसील सम्भल (जिला मुरादाबाद) में किसानों से वर्तमान पूरे फसली वर्ष का लगान वसूल किया जा रहा है जब कि रबी की फसल उठाने में अभी काफी समय लग जायेगा और किसानों की फसल को पाले से काफी हानि हुई है ? यदि हां, तो ऐसे आदेश किस अधिकारी ने दिये और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं। ऐसे कोई आदेश किसी अधिकारी ने नहीं दिये। कुछ किसानों ने स्वेच्छा से अपनी सहूलियत के लिये पूरे फसली का लगान दे दिया है।

*१३०--श्री बिशनलाल यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक तहसील में कितने किसानो से पूरे वर्ष का लगान वसूल किया जा चुका है और किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तहसील सम्भल में स्वेच्छा से पूरे वर्ष का लगान देने वालों की संख्या १,५०० है। इनका दिया हुआ पूरे वर्ष का लगान जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम २१३ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

रवा तपुहसील में दरियाबुर्द क्षेत्र की भूमि

*१३१--श्री देवदत्त मिश्र (जिला कानपुर)--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिला के अन्तर्गत तहसील पुरवा का कछोहा क्षेत्र सन् १९३२ से सन् १९५० तक दरियाबुर्द हुआ है ? सन् १९५४ से गंगा की धारा बदली और मिट्टी इधर आ गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह क्षेत्र सन् १९३३-३४ से सन् १९४४-४५ तक दरिया बुर्द हुआ है और सन् ४५-४६ में गंगा की धारा बदलने से इस जिले की ओर कछार क्षेत्र निकलना प्रारम्भ हुआ।

*१३२--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि दरिया बुर्द हिस्से का किसान कानूनन लगान मुक्त हो जाता है किन्तु नाम उसका दर्ज रहता है किन्तु इस बार लगान-के साथ-साथ किसान के नाम भी काट दिये गये फलतः अब कछोहे की जमीन जो नदी से निकल आयी है गांव सभाओं द्वारा अन्य लोगों की जमीन का पट्टा किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। परगनाधीश, पुरवा, द्वारा गल्ती से सन् १९५६ से १९५८ तक दरिया-बुर्द हिस्से के किसानों के नाम भी लगान के साथ-साथ काट दिये गये थे। उनकी भूमि कछार हो कर निकल जाने पर सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा नये सिरे से अन्य व्यक्तियों को सीरदारी पट्टे पर उठा दी गयी।

*१३३--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि जमीन पर काबिज पुराने काश्तकारों को (जो दरिया बुर्द होने के पहले थे) दावा दखलयाबी करना पड़ रहा है जिस से बेजा खर्च बढ़ रहा है ? क्या माननीय मंत्री दरिया बुर्द होने के पहले के किसानों के कटे नाम पर फिर दर्ज करने का कोई आदेश सम्बधित अधिकारियों को जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसे पुराने काबिज काश्तकारों के जिनके नाम उनके दरिया बुर्द हिस्सों से काट दिये गये थे, १० मुकदमें दुरुस्ती कागजात के लिये परगनाधीश, पुरवा के यहां चल रहे हैं। इन मामलों में आदेश देने का अधिकार कानून के अन्तर्गत अधिकारियों और अदालतों को है और सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

राष्ट्रीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, तेन्दुआई का प्रबन्ध

*१३४—श्री उमाशंकर—

क्या शिक्षा मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि जिला फैजाबाद के राष्ट्रीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, तेन्दुआई कलां में दो मैनेजिंग कमेटियों को लेकर कोई झगड़ा खड़ा हो गया है और इस झगड़े की वजह से स्कूल तथा देहात का वातावरण अशान्तिमय हो गया है ? यदि हां, तो इसके निवारण का उपाय क्या हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । इसके निवारणार्थ संस्था का अनुपालन अनुदान निलम्बित करके जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त संस्था में दोनों प्रतिद्वन्दी प्रधानाचार्यों के स्थान पर एक अन्य वरिष्ठ अध्यापक को, जो दोनों कमेटियों को मान्य है, अन्तरिम रूप से प्रधानाचार्य बना कर कार्य चलाया जा रहा है । जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद को भी यह आदेश दिया गया है कि किसी भी दशा में विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई बाधा न पड़ने दें ।

इटावा कलेक्टरी कर्मचारी

*१३५—श्री घासीराम जाटव—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय जिला इटावा कलेक्टरी (रेवेन्यू) विभाग में कुल कितने उच्च अधिकारी तथा तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और इनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

*१३६—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ७८१ पर)

इण्टरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी अध्यापकों की योग्यता

*१३७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टरमीडियेट कक्षाओं के हिन्दी अध्यापकों को नवीन न्यूनतम योग्यता एम० ए० (हिन्दी) तथा बी० ए० (संस्कृत सहित) निर्धारित कर दी गयी है और बी० ए० संस्कृत सहित या शास्त्री (राज० संस्कृत कालेज, वाराणसी) हटा दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रथम भाग—जी हां ।

अन्तिम भाग—न यह योयता पहले निर्धारित थी न अब है ।

*१३८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त शब्द हटा देने से एम० ए० (हिन्दी) व शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण पुराने प्राध्यापकों और नियमित ग्रेड मिलने व स्थायी होने आदि में अत्यन्त असुविधा हो रही है और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धक उनको परेशान कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में उचित पग उठायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

नवीन योग्यताओं के अनुसार एम० ए० (हिन्दी) व शास्त्री परीक्षा को इन्टर में हिन्दी पढ़ाने के योग्य माना है। यदि किसी प्रबन्धक को इसमें भ्रम है तो उसका निवारण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जा सकता है।

वाराणसी जिले में खुलने वाले हायर सेकेण्डरी स्कूल

*१३९--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उत्तर प्रदेश के "एजूकेशनल सर्वे रिपोर्ट" देहाती क्षेत्र के जिनकी स० उस परिशिष्ट "ई०" के अनुसार २१२४ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हा० से० स्कूल खोलने की कोई विशेष व्यवस्था सरकार ने की है? वाराणसी जिले में ऐसे प्रस्तावित हा० से० स्कूल कितने और कहा-कहां खोले जा चुके हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--

जहां कहीं Private management ने ऐसे स्कूल खोलने का भार उठाया है, उन्हें मान्यता तथा आवर्तक/अनावर्तक अनुदान नियमानुसार दे दिया गया है।

वाराणसी जिले में चार ऐसे विद्यालय (१) धनुतुलसी (२) कालिका नगर (३) बबुरी तथा (४) अनेई में खोले जा चुके हैं।

दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के निम्नवर्ग कर्मचारियों की शिकायतें

*१४०--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री १३ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न सं० ६५ के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतावेंगे कि क्या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, शिक्षा संचालक सहित समस्त शिक्षा अधिकारियों एवं स्वंय मंत्री जी को राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के निम्नवर्ग के कर्मचारियों के दिनांक १४ मार्च, १९६३; ९ जुलाई, १९६३; १ अक्तूबर, १९६३; ९ अक्तूबर, १९६३ और ११ दिसम्बर, १९६३ के प्रार्थना-पत्र तथा इसी संबंध का प्रश्नकर्ता का दिनांक २३ दिसम्बर, १९६३ के पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उनमें क्या-क्या शिकायतें हैं और क्या कार्यवाही हुई है?

श्री कैलाश प्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजियाबाद में उद्योगों के लिये भूमि-क्रय

*१४१--श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--

क्या राजस्व मंत्री के पास इस किस्म की कोई शिकायत पहुंची है कि गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में कालोनाइजर्स तथा कारखाने वाले साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद रहे हैं जिसमें जेड० ए० ऐण्ड एल० आर० ऐक्ट की धारा १५४ सेक्शन १६३ की अवहेलना हो रही है? अगर हां, तो क्या सरकार परगनाधीश व गांव सभाओं को आदेश देने की कृपा करेगी कि वे ऐसी भूमि पर अधिकार कर लें? अगर नहीं, तो क्यों? और क्या यह सही है कि सरकार कुछ व्यक्तियों के आग्रह पर इस धारा में तरमीम करने जा रही है, यदि हां, तो कब तक?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। औद्योगिक कारखाने वालों के विरुद्ध कुछ शिकयातें जिलाधीश के पास आई हैं। ऐसी भूमि पर सरकार के आदेश द्वारा अधिकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की मौजूदा नीति है कि उद्योगों के लिये साढ़े बारह एकड़ भूमि से अधिक भूमि देने में रुकावट न डाली जाय। अधिनियम की धारा १५४ उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, १९६२,

श्री हुकुमसिंह विसेन--

की धारा ८ द्वारा १३ दिसम्बर, १९६२, से संशोधित हो चुकी है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उद्योग के लिये साढ़े बारह एकड़ के प्रतिबन्ध के बावजूद उतनी भूमि खरीद सकता है जो उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर, द्वारा उक्त उद्योग के लिये आवश्यक प्रमाणित की जाय।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ कार्यालय के श्री विजयशंकर मिश्र का फंड

*१४२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के किन-किन लिपिकों की मृत्यु दिसम्बर, सन् १९६२ में हुई और उनके परिवार वालों को प्राविडेंट फंड अब तक दिया गया कि नहीं? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

दिसम्बर, १९६२ में जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय के प्रधान लिपिक श्री विजय शंकर मिश्र की मृत्यु हुई थी।

स्वर्गीय श्री मिश्र के प्राविडेन्ट फंड की रकम उनके परिवार वालों को अब तक नहीं मिली है, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी अभी न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।

हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जन्म तिथि के मामलें

*१४३--श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक अनिर्णित हाई स्कूल सार्टीफिकेट में जन्म तिथि में त्रुटि सुधार के कितने और कौन-कौन से मामले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, यू० पी० इलाहाबाद के दफ्तर में पड़े हुये हैं और उन पर क्या-क्या कारवाई हो चुकी है? उनमें से कितने केस सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर कब तक विचार हो जाने की आशा है?

श्री कैलाशप्रकाश--

वांछित सूचना एकत्र एवं संकलित की जा रही है।

*१४४--श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

क्या शिक्षा मंत्री छात्रों की इस अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण कठिनाई को शीघ्र दूर कराने के लिये किसी योजना पर कार्यवाही करने का विचार कर रहें हैं? यदि हां, तो कौन सी योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं। प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि के संशोधन की वर्तमान प्रणाली विचार विमर्शोपरान्त अपनाई गई है और ठीक है। इस संबंध में किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने से इसके दुरुपयोग होने की आशंका है।

*१४५--श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया--

क्या शिक्षा मंत्री किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहें हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वृहत् परीक्षा कार्य को सरल तथा शीघ्रतम बनाने के लिये हाई स्कूल परीक्षा का संचालन रीजनल बेसिस पर हो? यदि हां, तो वह योजना कब से कार्यान्वित होगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

फतेहपुर जिले में चकबन्दी अधिकारियों के पेशकार

*१४६--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री बेदराम--

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ में जिला फतेहपुर में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी A. O. (C.) द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारियों के कितने पेशकार नियुक्त किये जाने के संबंध में सिफारिश की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) फतेहपुर ने सन् १९६३ में सहायक चकबन्दी अधिकारियों के पेशकार नियुक्त किये जाने के लिये कोई सिफारिश नहीं की। उन्होंने स्वंय ४ पेशकारों की नियुक्तियां की थीं।

*१४७--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

[हटा दिया गया।]

*१४८-१४९--श्री केसरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मंगलदेव--

[हटा दिये गये]

अध्यापकों का प्रशिक्षण

*१५०--श्री रघुवीर तथा श्री सुरजनराम विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में मार्च, १९६० में शिक्षा विभाग से एक ऐसा जी० ओ० निकाला गया कि जिन अध्यापकों ने तीन वर्ष या ३ वर्ष से अधिक समय से किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में अन्ट्रेन्ड मास्टर रहते हुये पढ़ाया हो, उन मास्टरों को ट्रेनिंग देने का प्राविधान सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, किन्तु विशेष कारणों से यह कार्यान्वित नहीं किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण की एक अन्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

वसूली विभाग के वासिल बाकीनवीस व चपरासी

*१५१--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वसूली विभाग के सहायक वासिल बाकीनवीसों का विलीनीकरण कलेक्टरेट में हो गया है ? यदि हां, तो अभी तक इस को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो क्या इनके विलीनीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वसूली विभाग के अन्य लिपिकों की भांति सहायक वासिल बाकी नवीसों का कलेक्टरेट में विलीनीकरण हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

*१५२--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार बतायेगी कि वसूली विभाग के स्थायी होने के बावजूद भी उसी विभाग के चपरासियों को अभी तक क्यों स्थायी नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वसूली विभाग के चपरासियों के जो पद स्थायी कर दिये गये हैं उन पर स्थायी नियुक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

विधायक निवास में कमरों का किराया

*१५३—श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

२१ फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ३ अतरांकित के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्यों की उपलब्धियों का संशोधन अधिनियम, १९६३ गत मार्च, १९६३ में संशोधन होने के बाद एक साल की अवधि बीत जाने पर भी उसका धारा २ ख (२) के क और ख श्रेणी के बड़े व छोटे कमरे में होने वाले व्ययों और उनका प्रतिकर भत्ता देने के संबंध में बनायी जाने वाली नियमावली को जब तक अन्तिम रूप देने में कौन सी कठिनाइयां उपस्थित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

संबंधित नियमावली को वित्त विभाग तथा विधायिका विभाग के परामर्श तथा गृह समिति और आवास समिति को दिखाने के पश्चात् अन्तिम रूप प्रायः दे दिया गया है । अगले सत्र में इस नियमावली को विधान मन्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

*१५४—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि अधिनियमों के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये कोई समय निर्धारित है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अधिनियमों के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं है ।

हाउसिंग सोसायटी तथा उद्योगों के लिये भूमि प्राप्ति नियम

*१५५—श्री ब्रह्मदत्त मायर, आदि—

क्या सरकार-प्रान्त में मकान बनाने के लिये हाउसिंग सोसाइटियों तथा उद्योगों के लिये सरकार द्वारा खेती की उपजाऊ जमीन को एक्वायर करने से पहले जिले के समस्त विधायकों की एक समिति के सामने वह सब प्रार्थना-पत्र जो इस बारे में प्राप्त हों विचारार्थ रखने की सहानुभूतिपूर्वक कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

भूमि-अध्याप्ति के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निदेशों में यथेष्ट व्यवस्था है कि खेती की उपजाऊ जमीन यथा संभव अध्याप्त न की जाय । हाल में ही संशोधित लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ५५ के अन्तर्गत भारत सरकार ने नियम बनाये हैं कि इसी संबंध में प्रदेश स्तर पर एक समिति होगी । यह समिति संगठित हो चुकी है । इसके निम्नलिखित सदस्य हैं ।

१—सदस्य, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश (भूमि अध्याप्ति के इन्चार्ज)

२—श्री श्रीनारायण आचार्य, उप-सचिव, उद्योग विभाग,

३—श्री शशिकान्त भटनागर, उप-सचिव, कृषि विभाग,

४—श्री आर० सी० पन्त, उप-सचिव, शिक्षा विभाग,

५—श्री गेंदासिंह, सदस्य, विधान सभा,

६—श्री अल्ताफ हुसैन, गोरखपुर (कृषि विशेषज्ञ),

७—श्री पद्मपत सिंघानिया, कानपुर।

उपर्युक्त परिस्थिति में प्रत्येक जिले के लिये अलग-अलग समिति बनाना सरकार आवश्यक नहीं समझती।

बाराबंकी जिले में स्कूलों का अनुदान रुकना तथा लखनऊ में बोर्ड की परीक्षा से रोके गये अभ्यर्थी

*१५६—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में ऐसे स्थानों के हाई स्कूलों जहां की आबादी पन्द्रह हजार से कम है और जो लड़कियां इन स्कूलों में कक्षा ८ तक पढ़ती हैं उन की फीस का रिइम्बर्समेंट उन स्कूलों को कब से नहीं दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

बाराबंकी जिले के स्कूलों को उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६३–६४ का अनुदान नहीं दिया जा सका है।

*१५७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

इस अनियमितता को दूर करने के लिये सरकार पुनः आदेश जारी करके शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अनुदान न दिये जाने का कारण अनियमितता नहीं थी, वरन् स्कूलों के प्रार्थना-पत्रों का देर से प्राप्त होना था। अनुदान का भुगतान इस वर्ष किया जायगा।

*१५८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में जितने हाई स्कूल और इन्टर कालेज हैं, उनमें से हर एक में से कितने-कितने कैन्डीडेट इस वर्ष बोर्ड आफ हाई स्कूल परीक्षा सन् १९६४ में सम्मिलित होने से किन-किन कारणों से रोक दिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ७८२–७८४ पर।)

भरवारी–महेवाघाट मार्ग निर्माण

*१५९—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद स्थित भरवारी महेवाघाट मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पत्थर की गिट्टी करछना से लाकर गिरायी जा रही है जिस पर अनुमानतः १५० रु० प्रति ट्रक व्यय हो रहा है जब कि इसी के पास पबोसा पहाड़ी से गिट्टी तोड़ कर लायी जा सकती है जिस पर कि बहुत कम व्यय होगा, तो उतनी दूरी से गिट्टी मंगाने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण के लिये गिट्टी भरतकूप व शंकर गढ़ से क्रमशः १४६ रु० व ६८ रु० प्रतिशत घनफुट के दर पर मंगाई जा रही है ।

पवोसा पहाड़ी की गिट्टी डामर की सड़क के उपयुक्त नहीं है ।

गन्ना विकास इंटर कालेज, मुण्डेरवा में अध्यापकों का वेतन

*१६०—श्री श्यामलाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास इन्टर कालेज, मुन्डेरवा, बस्ती में इन्टर कक्षाओं को कई वर्ष से पढ़ाने वाले अध्यापकों को पूरा वेतन-क्रम नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । इण्टर कक्षाओं को पढ़ाने वाले केवल दो अध्यापकों को लेक्चरर वेतन-क्रम नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये चुनाव समिति द्वारा पदोन्नत नहीं किये गये हैं ।

*१६१—श्री श्यामलाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती को इसकी जानकारी है कि कानून के विरुद्ध कई प्राध्यापकों को जो योग्य हैं तथा इन्टर कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनको पूरा वेतन-क्रम नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस ओर कोई ठोस कदम उठाया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के अधिकारियों को इन्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट के अनुसार नियुक्ति करने को पहले भी और इस वर्ष भी आदेश दिया है ।

अतारांकित प्रश्न

घाटमपुर तहसील में लेखपालों का भत्ता

१—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब यह सत्य है कि कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील के रेगुलर लेखपाल तहसील मुख्यावास में उपस्थित रहकर चकबन्दी रिकार्ड आपरेशन का कार्य करते रहे, तो क्या उन्हें भूमि लेख नियमावली के पैरा ग्राफ २०–२३–क के अन्तर्गत जिस भत्ते के पाने के जो लेखपाल अधिकारी हैं, दिया गया, नहीं तो क्यों ? और यदि दिया गया, तो किन-किन को कितना और कितने समय का तथा कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील घाटमपुर के मुख्यावास पर रेगुलर लेखपाल समय-समय पर भूमि अभिलेख तैयार करने के लिये उपस्थित रहे हैं । लेखपाल सर्विस नियमावली के अनुच्छेद २३ के अन्तर्गत इन्हें भत्ता देने के हेतु कार्यवाही की जा रही है । बिल बनाने में विलम्ब होने के कारण भत्ता खजाने से नहीं बरामद हो सका ।

२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी व्यवस्था है कि लेखपालों के स्थानान्तरण दूसरी तहसीलों को भी हों ? यदि हां, तो इन अल्प वेतन भोगियों के प्रति ऐसा करने के विशेष कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपाल–सेवा–नियमावली के नियम २१ के अन्तर्गत लेखपाल का एक तहसील से दूसरी तहसील को शासन संबंधी आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जा सकता है। ऐसी आवश्यकता कम ही पड़ती है, किन्तु स्थानान्तरण सजा नहीं है और शासन के हित में कभी-कभी करना ही पड़ता है।

बरेली जिले में नायब तहसीलदार व तहसीलदार

३—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में काम करनेवाले ऐसे तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार कौन-कौन हैं जो गत पांच वर्षों से बरेली जिले में ही काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री रघुबीर सिंह बरेली जिले में १ अक्तूबर, १९५८ से सदर कानूनगो के पद पर थे। १ अक्तूबर, १९६२ से वे तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं।

फूलपुर तहसील में तकावी की माफी

४—श्री दौलतलाल—

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के किन-किन गांवों की तकावी माफ की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् १९५५ में आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में किसी ग्राम की तकावी माफ नहीं की गई। उक्त वर्ष में १६९ गांवों की ऐक्ट १२ की तकावी मुलतवी की गई और यह बकाया १९५६ में माफ किया गया। संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ७८५–७८७ पर)

अस्थायी अधिशासी अभियन्ता

५—श्री गुलाबसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसे कितने अधिशासी अभियन्ता हैं जो सात साल से कार्य करने के उपरान्त अब तक टैम्पोरेरी हैं यदि ऐसा है, तो क्यों ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को तीन साल अच्छा कार्य करने के उपरान्त परमानेण्ट करने पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९ अधिशासी अभियन्ता। ये अधिशासी अभियन्ता, स्थायी पद रिक्त न होने के कारण अब तक अस्थायी हैं।

सरकार ने अभी हाल में अधिशासी अभियन्ताओं के कुछ पदों को स्थायी कर दिया है। उक्त पदों को भरते समय इन अस्थायी अधिशासी अभियन्ताओं के पिछले कार्य, व्यवहार तथा ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुये स्थायी करने के मामले में सरकार यथा-समय विचार करेगी।

चकरौता त्यूनी तथा मखवाड़-बरकोट मार्ग

६—श्री गुलाबसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री चकरौता त्यूनी मार्ग को जो कि सामयिक दृष्टि से बहुत महात्वपूर्ण है और जो करीब-करीब पूर्ण हो गया है शीघ्र पक्का करने पर विचार करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस मार्ग को अभी पक्का बनाने की कोई योजना नहीं है ।

७—श्रीगुलाबसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मखवाड़ बरकोट मार्ग जो कि बालसी-बरको मार्ग का हिस्सा है, जो अभी तक अधूरा है, कितना रुपया और सरकार ने उसको पक्का और अच्छा करने के लिये मंजूर किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

लखवाड़-बरकोट मार्ग के सुधार का कार्य दो भागों में स्वीकृत है—

१—लखवाड़-नौगांव खंड के ३२ मील का भाग ३८.२० लाख रुपया की अनुमानित लागत पर अगस्त, १९६३ में स्वीकृत हुआ ।

२—नौगांव-बरकोट के १० मील का भाग १२.१५ लाख रुपये की लागत पर नवम्बर, १९६२ में स्वीकृत हुआ ।

८—श्री गुलाबसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालसी लखवाड़ मार्ग, जो कि कालसी बरकोट मार्ग का हिस्सा है, जिसकी बने करीब दो साल हो गये हैं, पक्का करने का प्रोग्राम सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह किस वर्ष किया जायेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। इस कार्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका आगणन तैयार हो जाने और प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति मिल जाने पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

कासगंज तहसील में लगान में छूट देने की प्रार्थना

९—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

इस वर्ष अधिक तुषार पड़ने के कारण आलू की फसल तहसील कासगंज, जिला एटा में बहुत मारी गयी है और नष्ट हुई है। इस सूचना को सही मान कर क्या सरकार रबी, सन् १३७१ फसलों की फसल में काश्तकार को कुछ छूट लगान में देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आलू की फसल को तुषार पड़ने से कुछ क्षति हुई, पर नियमों के अनुसार छूट फसल के आधार पर नहीं बल्कि जोत (holding) के आधार पर दिये जाने के कारण वहां छूट देना संभव नहीं है ।

चांदपुर-हलदौर-बिजनौर मार्ग

१०—श्री श्रीराम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब से १३ वर्ष पूर्व बिजनौर जिले में चांदपुर हल्दौर और हल्दौर से बिजनौर रोड जो स्थगित की गयी है उस पर किसानों को जमीन का मुआवजा देने और पुलिया बनाने पर सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क के लिये भूमि अध्याप्त करने के सम्बन्ध में रु० ६५६६.७५ नये पैसे (छः हजार पांच सौ छासठ रुपये, पचहत्तर नये पैसे) मुआवजे के रूप में बांटा गया था।

इस सड़क पर पुलिया बनाने में कुल ४९,८४७ रुपये (उन्चास हजार आठ सौ सैंतालीस रुपये) व्यय हुआ है ।

११—श्री श्रीराम—

क्या सरकार इस स्थगित सड़क को बनाने का विचार करेगी ?
यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क का निर्माण करने के लिये प्राविधान नहीं है। धनाभाव के कारण इसका निर्माण चालू आयोजना काल में सम्भव नहीं है।

गांवपुरा छितरिमा के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के विरुद्ध शिकायत

१२—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि आगरा जिले के अन्तर्गत फतेहाबाद के गांव पुरा छितरिमा के प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक ने स्कूल के ६—७ बड़े—बड़े पेड़ बिना जिला परिषद् की आज्ञा के बेच डाले जिसकी शिकायत लिखित रूप में डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल को दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रधानाध्यापक द्वारा कोई पेड़ काटे जाने तथा बेचने की शिकायत नहीं है, बल्कि श्री अमरसिंह सहायक अध्यापक द्वारा तीन छोटे-छोटे बबूल के पेड़ काट कर घर के काम में प्रयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई है।

१३—श्री बनवारीलाल विप्र—

यदि हां, तो अब तक उस प्रधानाध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और यह शिकायत किसके द्वारा की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस मामले में जांच की जा रही है। यह शिकायत विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री बाबूलाल द्वारा की गयी है ।

१४—श्री नाथूराम शिक्षक—

[हटा दिया गया ।]

गुन्नौर तहसील के लेखपाल पर मुकदमा

१५—श्री जुगलकिशोर तथा श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील गुन्नौर में कितने लेखपालों के खिलाफ अदालत में इस समय राहजनी व नाजायज असलाह रखने के केस चल रहे हैं और आज तक वे क्यों मुअत्तल नहीं किये गये जबकि पुलिस ने मुअत्तली की रिपोर्ट कर दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपालों के खिलाफ नहीं। केवल एक लेखपाल के खिलाफ नाजायज असलाह रखने तथा राहजनी का केस चल रहा है। न वह मुअत्तल है न पुलिस से मुअत्तली की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पी० टी० अध्यापक

१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० टी० अध्यापक प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त हो सके ? इसके लिये किसी ऐसी योजना पर विचार करेंगे कि प्रत्येक स्कूलों से पी० टी० अध्यापकों के शिक्षण हेतु उम्मीदवार लेकर यथाशीघ्र ट्रेन्ड किये जा सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अगले कुछ वर्षों में प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित पी० टी० अध्यापक उपलब्ध हो जायें।

बिष्णु विद्यालय इंटर कालिज, बरेली के अध्यापकों का बकाया वेतन

१७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विष्णु विद्यालय इंटर कालेज, बरेली की प्रबंधक समिति ने भूतपूर्व प्रिंसिपल व कई अन्य अध्यापकों को, जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली द्वारा कई बार लिखे जाने के बावजूद अभी तक जुलाई, १९५९ से सरकार द्वारा लागू किये गये नये ग्रेडों का एरियर नहीं दिया है, जबकि इस सम्बन्ध में समस्त ग्रान्ट सरकार से वसूल कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कर्मचारियों को एरियर दिलाने का प्रबंध करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विष्णु विद्यालय इंटर कालेज, बरेली को १९५८ में मान्यता प्राप्त हुई और वह १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में अनुदान सूची पर प्रथम बार आया। इस विद्यालय के सभी अध्यापकों का १ जुलाई, १९५९ से शासन द्वारा घोषित वेतन क्रम के अनुसार निर्धारित किये गये वेतन, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९६१–६२ से मान्य है। किन्तु १९६१–६२ से पूर्व अध्यापकों को दिये गये वेतन के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबंध समिति पर है, न कि शासन पर, क्योंकि उस समय विद्यालय असहायिक था।

दीक्षा विद्यालय, शिवपुर में भर्ती व छात्रवृत्ति

१८—श्री हरिगेनराम—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के राजकीय दीक्षा विद्यालय, शिवपुर में सन् १९६२–६३ में प्रवेश हेतु गवर्नमेन्ट नामिनी कुल कितने छात्राध्यापक थे तथा कितने नामिनी छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

१९—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन उपरोक्त छात्राध्यापकों में से इस साल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी और न देने का क्या कारण ? क्यामंत्री जी जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी, देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

२०—श्री हरिगैनराम—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सेवापुरी दीक्षा विद्यालय में प्रवेश हेतु सन् १९६३–६४ के लिये वाराणसी कमिश्नरी के प्रत्येक जिले के कितने-आवेदन-पत्र आये थे और उनमें से कितने लिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सन् १९६३–६४ के सत्र के लिये नई तालीम अध्यापन मंदिर सेवापुरी (वाराणसी) के दीक्षा विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु वाराणसी कमिश्नरी के कुल ७० आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे जिनका जिलेवार व्योरा निम्न प्रकार है:—

१—वाराणसी	जिले से	५३ आवेदन-पत्र		१—वाराणसी	जिले से	२३ निर्वाचित
२—गाजीपुर	,,	६		२—गाजीपुर	,,	३
३—मिरजापुर	,,	७		३—मिरजापुर		५
४—जौनपुर	,,	३		४—जौनपुर		१
५—बलिया	,,	१		५—बलिया		१
योग ..		७०		योग		३३

इन ७० आवेदन-पत्रों में से कुल ३३ अभ्यर्थियों का चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु हुआ था जिनका विवरण जिलेवार निम्न प्रकार है :—

२१—श्री हरिगैनराम—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक जिले से कितनी सीट निर्धारित की गयी थीं और क्या सीट के अनुसार कोटा पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उपरोक्त विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए विभाग से कोई ऐसा आदेश नहीं है जिसके द्वारा जिलेवार कोटा निर्धारित हो । ऐसी परिस्थिति में जिलेवार कोटा पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाराणसी जिला परिषद् को शिक्षा अनुदान

२२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला परिषद् के वित्तीय वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में शिक्षा की मद में अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया और वह धनराशि किन-किन कार्यों में अलग-अलग किस प्रकार खर्च की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में रु० २४,६१,१९८.४८ न० पै० वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में रु० २४,०३,६८१.६९ न० पै० जिस मद में व्यय की गयी उसका विवरण †संलग्न है ।

†छापा नहीं गया ।

फूलपुर तहसील में हरिजन चपरासी

२३—श्री बंशीलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में कुल कितने लेखपाल व चपरासी अस्थायी एवं स्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनमें कितने-कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस तहसील में ६२ स्थायी एवं ११ अस्थायी लेखपाल हैं। इनमें कोई हरिजन नहीं है। कलेक्शन विभाग समेत कुल चपरासियों की संख्या ४० है जिसमें २३ स्थायी और १७ अस्थायी हैं। इनमें हरिजन चपरासी २ स्थायी तथा १ अस्थायी हैं।

२४—श्री बंशीलाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुरक्षित सीटों का कोटा पूरा न होने का क्या कारण है ? सरकार इनकी पूर्ति कब तक करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपाल पद के लिये कोई ट्रेनिंग स्कूल से पास हरिजन उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

चपरासियों में सुरक्षित सीटों का कोटा इस कारण पूरा न हो सका कि उम्मीदवारों में हरिजनों की संख्या बहुत कम थी। ट्रेन्ड हरिजन उम्मीदवार न मिलने के कारण लेखपालों की जगह पर तो कोटा पूरा करने का समय बताना सम्भव नहीं है। चपरासी की जगहों पर अधिक देर नहीं होगी अगर जगहें हुई और हरिजन उम्मीदवार मिलते गये।

विधान भवन के लिफ्ट चालक

२५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान भवन में कितने लिफ्ट चालक हैं और उनका वेतन मासिक क्या है और उन्हें मंहगाई का भत्ता किस दर से दिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विधान भवन में केवल आठ लिफ्ट चालक हैं। उनके मासिक वेतन व भत्ते का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ७८८ पर)

श्री झिलमिटराम का चकबन्दी विषयक पत्र

२६—श्री झिलमिटराम तथा श्री रघुवीर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ जनवरी, सन् १९६४ को मुख्य मंत्री के गाजीपुर जाने पर प्रश्नकर्ता ने ब्लाक मरदह के ए० सी० ओ० नोनरा ब्लाक बिरनो के ए० सी० ओ० बिरना तथा ब्लाक जखनिया ए० सी० ओ० जलालाबाद ग्रामों के चकबंदी के गड़बड़ी तथा अधिकारियों के खिलाफ एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्य वाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। कथित दिनांक को प्रश्नकर्ता श्री झिलमिट राम ने एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को उनके गाजीपुर जाने पर दिया था जिसमें ग्राम विरनो, डोंडेसर, जलालाबाद, तियारा तथा नोनरा में चकबंदी कार्य के विषय में शिकायत की गई थी। उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच के

फलस्वरूप ग्राम विरनों तथा डोडेसर की शिकायतों में कोई तथ्य नहीं पाया गया। ग्राम जलालाबाद में चकबंदी कार्य लगभग समाप्त हो गया है। कुछ त्रुटियां पाई गई हैं जिनके निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ग्राम तियरा में मूल्यांकन की पर्चियों के उद्धरण जारी न करने की शिकायत पर लेखपाल के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। ग्राम नोनारा में चकबंदी अधिकारी के समक्ष शिकायत सम्बन्धी आवश्यक उज्रदारियां प्रस्तुत की जा चुकी हैं और उन्हें वे नियमानुसार सुन रहे हैं।

राबर्टसगंज-धारावल रोड

२७--श्री रामनाक पाठक (जिला मिर्जापुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज धारावल रोड पर पुलिया आदि बन जाने पर भी सड़क इसलिए नहीं बन पा रही है कि जमीन का एक्वीजीशन का कार्य नहीं हो पाया है? क्या सरकार राबर्ट्सगंज-पन्नूगंज रोड जो मंजूर है उस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां। राबर्ट्सगंज-पन्नूगंज मार्ग का आगणन तैयार किया जा रहा है। आगणन की स्वीकृति के पश्चात् निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बस्ती जिले में निर्माण-कार्य

२८--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बस्ती जिला में किन-किन सड़कों तथा पुलों का निर्माण करने का सरकार विचार करती है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची "क" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ ७८९ पर)

२९--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार इस वर्ष या आगामी वर्ष बांसी से मेहदावल तथा उस्का से मेहदावल की सड़क बनाने का विचार करेगी कि जिससे मेहदावल बाजार तथा पासवर्ती भाग का विकास हो सके?

श्री जगनप्रसाद रावत--

बांसी से मेहदावल तक पक्की सड़क बनी है। उस्का से मेहदावल तक सड़क बनाने की अभी कोई योजना नहीं है।

३०--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में बस्ती जिले में किन-किन सड़कों का तथा पुलों का निर्माण होना है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची "ख" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ ७९०-७९१ पर)

फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट के पुराने कर्मचारी

३१—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अब तक कभी भी किसी तहसील में नहीं भेजे गये या अधिक से अधिक ६ माह के लिये ही भेजे गये, इसके कारण क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

छः ऐसे स्थायी कर्मचारी हैं जो अब तक किसी भी तहसील में नहीं भेजे गये हैं तथा तीन ऐसे स्थायी कर्मचारी हैं जिन्होंने तहसील में ६ मास या उससे कम कार्य किया है ।

ऐसा कोई नियम या आदेश नहीं है ? जिसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का तहसील में भेजा जाना अनिवार्य हो ।

३२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है या नहीं कि कलेक्ट्रेट (Collectorate) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिले के बाहर होने पर लास्ट पेमेंट सार्टिफिकेट देर से मिल पाते हैं जिसके कारण कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई होती है ? यदि हां यह सत्य है तो क्या सरकार ट्रांसफर आर्डर के साथ ही लास्ट पेमेन्ट सार्टिफिकेट देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

शासन को किसी ऐसे मामले की सूचना नहीं है । वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार स्थानान्तरण के समय लास्ट पेमेन्ट सर्टिफिकेट दिया जा सकता है किन्तु यदि किसी समय स्थानान्तरण शीघ्र अनिवार्य हो तो ट्रान्सफर आर्डर के साथ ही लास्ट पेमेन्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से नहीं दिया जा सकता ।

गाजियाबाद में हिन्दुस्तान लीवर्स की भूमि

३३—श्री तेजसिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि महमदसराय उर्फ कोट (गाजियाबाद) में हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड ने १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा १५४ की अवहेलना करते हुए खरीदी है, जिसके फलस्वरूप भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा १६३ की कार्यवाही तहसीलदार के कोर्ट में की जा रही है ? क्या यह सही है कि उस कार्यवाही को वापस लेने के लिये सरकार से प्रार्थना की गयी है ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हिन्दुस्तान लीवर्स ने लगभग १८ एकड़ जमीन खरीदी । इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा १६३ के अन्तर्गत कोई कार्यवाही तहसीलदार की अदालत में नहीं हुई । अतः ऐसी किसी कार्यवाही को वापस लेने के लिये सरकार से प्रार्थना का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भोलानाथ संस्कृत महाविद्यालय, उकनी का अनुदान

३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में श्री भोलानाथ संस्कृत महाविद्यालय, उकनी, का जमींदारी उन्मूलन अनुदान जो उसे १९६१-६२ तक ८०० रु० (आठ सौ रुपया) वार्षिक मिलता रहा है, क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

बन्द नहीं है । वर्ष १९६२–६३ में विद्यालय से आवश्यक सूचना प्राप्त न होने के कारण उस वर्ष जमींदारी उन्मूलन अनुदान नहीं दिया गया ।

३५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फैजाबाद कमिश्नरी दफ्तर व कलेक्टरी के अस्थायी कर्मचारी

३६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री मंगलदेव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद कमिश्नर के आफिस में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३७ कर्मचारी ।

३७—श्री बांकेलाल तथा श्री मंगलदेव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कलेक्टरेट में जो पेड अपरेंटिस की लिस्ट जो सन १९६१ ई० में बनने वाली थी वह १९६४ तक नहीं बन पायी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, इसका कारण यह है कि जमींदारी उन्मूलन विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को पेड अपरेंटिस की अनुमोदित सूची में सम्मिलित करने के लिये उनके द्वारा प्रस्तुत परीक्षा प्रमाण-पत्रों को मान्यता दी जाने और उन्हें उन प्रमाण-पत्रों के आधार पर लिखित अर्हता परीक्षा (qualifying examination) से मुक्त किये जाने का प्रश्न विचाराधीन था । अन्त में यह प्रश्न आयुक्त, फैजाबाद मंडल के सम्मुख पेश किया गया तथा उन्होंने १७ फरवरी, १९६४ को उक्त प्रमाणपत्रों को स्वीकृत कर लिया । अब कथित लिस्ट शीघ्र बनने की आशा है ।

चकबन्दी कार्यालय घाटमपुर की सुरक्षा कोष पेटिका

३८—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत सी० ओ० चकबन्दी कार्यालय स्थित घाटमपुर से सुरक्षा कोष पेटिका चोरी चली गयी है। यदि हां, तो सरकार को उसकी सूचना प्राप्त हुई या नहीं ? यदि हां, तो कब तथा सुरक्षा कोष पेटिका चोरी जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

चरखारी तहसील से लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

३९—श्री मदनपालसिंह—

क्या माल मंत्री को पता है कि ग्राम अकठोहां, तहसील चरखारी जिला हमीरपुर के निवासियों द्वारा एक प्रार्थना-पत्र लेखापाल अकठोंहा तथा एस० के० हल्का कुलपहाड़ तहसील चरखारी श्री पांडे के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी दिया गया था जो दिनांक २८ जनवरी, १९६४ को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । प्रार्थना पत्र में वर्णित आरोप पर जांच कराई गई । आरोप निराधार पाये गये ।

४०—श्री मदनपालसिंह—

क्या माल मंत्री ध्यान देने का कष्ट करेंगे कि उक्त एस० के० महोदय श्री पांडे को उस के पहले दो बार चेतावनी दी जा चुकी हैं कि भविष्य में वह ऐसे अनैतिक कार्य न करें, परन्तु उन्होंने चेतावनी की कोई परवाह नहीं की तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अविलम्ब कोई कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ताकि किसानों को राहत मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस कर्मचारी को दो बार चेतावनी विभागीय नियमों के अनुपालन में असावधानी बरतने के कारण दी गई है । वह अनैतिक कार्य करने के लिये दोषी नहीं पाये गये। प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

मगलसी परगना में लगान वसूली

४१—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों ने चकबन्दी के पहले लगान अदा किये थे उसे मगलसी परगना, जिला फैजाबाद में चकबन्दी का पहले का शेष बता कर दोबारा लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

जौनपुर-इलाहाबाद मार्ग

४२—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर-इलाहाबद रोड पर जौनपुर जिले के मछलीशहर कस्बे की १ मील पी० डब्ल्यू०डी० रोड को तृतीय पंचवर्षीय योजना में तारकोल द्वारा बनवा देनी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

४३—श्री माताप्रसाद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अप्रैल, मई, सन् १९६३ ई० में जौनपुर पी०डब्ल्०डी० इंजीनियर ने इस संबंध में कोई एस्टिमेंट सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो वह एस्टिमेंट कितना है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । इस सड़क के सुधार के लिये सहायक अभियंता जौनपुर ने ५४,७०० रु० की लागत का एक प्राक्कलन तैयार किया था, किन्तु धनाभाव के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

चकबन्दी अधिकारियों में ला ग्रेजुएट्स तथा चकबन्दी अपीलें

४४—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश चकबन्दी विभाग में जो सी० ओ० या एडीशनल सी०ओ० या एस० ओ० सी० या डी० डी० सी० काम कर रहे हैं उन में से कितने ला ग्रेजएट्स हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी विभाग में ३६ चकबन्दी अधिकारी, ९ बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा ४ डिप्टी डायरेक्टर चकबन्दी ला ग्रेजुएट्स हैं।

४५—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला एटा में चकबन्दी की कितनी अपीलें साल सन् १९६३ में डी०डी०सी० की अदालत में दायर हुई और उस में से कितनी अपील मंजूर हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् १९६३ के आरम्भ में जिला एटा में पिछले वर्ष की १०५ अपीलें बकाया थीं। वर्ष भर में डी०डी०सी० की अदालत में ७०३ अपीलें दायर हुईं। इस प्रकार कुल ८०८ अपीलों में से ८०६ अपीलें तय हुई जिनमें २२१ अपीलें मंजूर हुई।

नरौली–कासगंज सड़क

४६—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगीं कि कस्बा कासगंज, जिला एटा में कोई पक्की सड़क ग्राम नरौली, तहसील कासगंज तक की बनाने के लिये कितना रुपया पिछले १० वर्ष में खर्च किया गया?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है और न इसके निर्माण में इस विभाग द्वारा कोई खर्चा किया गया है।

४७—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार इस मामले में कोई जांच करायेगी कि वहां कोई सड़क क्यों नहीं बनी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण का कार्य किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं था। अतः सड़क बनने का प्रश्न नहीं उठता।

दीक्षा विद्यालय, रायबरेली के पुराने अध्यापक

४८—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, रायबरेली में ऐसे भी अध्यापक हैं जो कि तीन साल से अधिक रायबरेली में ही हैं और उनका स्थानान्तरण रायबरेली से नहीं हुआ। यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां।

ये अध्यापक अराजपत्रित कर्मचारी हैं जिनको तीन साल के बाद स्थानान्तरित करने का नियम नहीं है।

संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है, कल माननीय अध्यक्ष ने दरख्वास्त पढ़ते हुए ऐलान किया कि माननीय शिब्बन लाल सक्सेना, श्री नरसिंह नारायण पांडेय और श्री दुर्योधन प्रसाद ने कांग्रेस में जाने का प्रार्थना-पत्र दिया है वह स्वीकार किया जाता है और यह जा रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर, लीडर आफ दी हाउस या कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंटरी इंचार्ज के बिना दस्तखत किये किसी सूचना की घोषणा अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कर सकते हैं. अगर कोई माननीय सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाता है तो उसे चाहिए कि पहले वह विधान सभा में अपने सदस्य पद से इस्तीफा दे और कांग्रेस चुनाव लड़े तभी वह सदस्य विधान सभा में बैठ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। कृपया आप बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आप डिप्टी लीडर से पूछ लीजिए कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी पार्टी में जाते हैं तो वह किसको सूचना देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

वे हमें खबर भेजते हैं और हम उसकी सूचना हाउस को दे देते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, पार्टी तो हमारी है और ये कांग्रेस में ले लिए गये हैं। कांग्रेस में ले लिए गये हैं या नहीं, इसकी घोषणा तो होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

घोषणा हो चुकी है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जितने भी सदस्य हैं, प्रिज्यूम यह किया जाता है कि वे सब सदन के सदस्य हैं। जो कुछ भी बात होगी वह इस सदन के सदस्य और सरकार की हैसियत से होगी। यह जो आप पार्टी के झगड़े की बात चला रहे हैं कि कौन किस पार्टी में थे और कौन किस पार्टी में है यह बिल्कुल गलत चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में पार्टियों का क्या स्थान है। श्री नरसिंह नारायण का संबंध पार्टी विशेष से रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह अर्ज किया कि किसी माननीय सदस्य को यह पूरा अधिकार है कि वह किस पार्टी में रहे। जब वह यह लिख कर देते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये और उसकी घोषणा के समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं कहा तो इससे यह साफ है कि उन्हें मंजूर और इसमें कोई उलझन की बात नहीं है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

हमें कोई आपत्ति नहीं है । वे हमारे भाई हैं । वे रहें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब भी तस्कर व्यापार की जांच होगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई तरीका नहीं है । कृपया आप बैठिये। यह कोई समय नहीं है । केवल दुश्मनी से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, दुश्मनी से नहीं । यह एक महत्वपूर्ण सवाल है । कहीं ऐसा न हो कि इसकी जांच ही न हो ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, बेहतर हो कि काशीनाथ जी भी उधर चले जायें ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४, जो विधान सभा द्वारा १३ अप्रैल, १९६४, को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के, दिनांक ७ मई, १९६४ को वापस प्राप्त हो गया है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ४ सूचनाएं आई हैं । एक एटा, बुलन्दशहर जिलों की नहरों की बाबत है । इस विषय पर आज वक्तव्य होने वाला है शाम को । उसी समय इस पर भी बात हो सकेगी । इस लिये इसे मैं ने अस्वीकृत कर दिया है ।

दूसरे झांसी जिले के ताल बेहर ब्लाक में भ्रष्टाचार की बात कही गयी है । भ्रष्टाचार के लिये आम तौर से सब जगह कहा जाता है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

वहां भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है । अनशन भी चल रहा है और भूख हड़ताल भी चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

भ्रष्टाचार की शिकायत इतनी ज्यादा है कि वह एक आम बात हो गयी है । इसलिये नियम ५२ में यह नहीं आ सकता ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

इटावा जिले के बारे में आज शाम को वक्तव्य है जब कि प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत एटा जिले के बारे में है । आप मंत्री जी को आदेश दें कि वक्तव्य के साथ एटा और बुलन्द-शहर जिलों का मामला भी ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे कोई एतराज नहीं है और ज्यादा जिले वे चाहें तो एडमिट कर लें। फिर इसे मंजूर करने से क्या फायदा निकलेगा, क्योंकि आज से सदन स्थगित होने जा रहा है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

कार्यवाही के लिये मंत्री महोदय के पास भेज दें ताकि नहरों में पानी आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

एक सूचना श्री काशीनाथ मिश्र तथा उग्रसेन जी की है। यह मामला पुराना है और अविलम्बनीय नहीं है। इसलिये इसे मैं अस्वीकृत करता हूं।

एक सूचना कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के बारे में है जो बहुत दिनों से नजरबन्द हैं। इसे भी मैंने अस्वीकृत किया है।

श्री नेकराम शर्मा--

पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

राज्य सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सर्व श्री शंकर दयाल तिवारी, अशोक बोस, शिव शर्मा, प्रतापकुमार टंडन, विद्यासागर नौटियाल, नन्दनसिंह बिष्ट, श्री दत्ता.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

अस्वीकार करने पर भी आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा वाला भी आपको पढ़ना होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

१०-१२ माननीय सदस्यों की तरफ से यह आया है। इसलिये पढ़ कर सुनाये देता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या यह व्यवस्था है कि १०-१२ माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो पढ़ कर सुना दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

महत्व को देखते हुए और माननीय सदस्यों की रिक्वेस्ट को देख कर पढ़ रहा हूं--

"और श्री भट्ट तथा रिपब्लिकन पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध लगभग डेढ़ वर्ष से नजरबन्द कर रखा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस मत के पश्चात् भी कि यह नजरबन्दियां मौलिक अधिकारों पर प्रहार हैं और देश के माने जाने कानूनवेत्ताओं के इस निश्चित मत के बाद भी कि भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत नजरबन्दियां अनुचित एवं अवैधानिक हैं सरकार उनको जेल में रखने की अपनी हठधर्मी पर तुली हुई है।" चूंकि यह कोई नयी बात नहीं है, इसलिये मैंने इसको मंजूर नहीं किया।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

यह गम्भीर सवाल है। इसके ऊपर हमको कुछ कहने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैंने एडमिट नहीं किया इसलिये कहने की कोई बात नहीं है ।

श्री जेड०ए०अहमद--

तो फिर हम इस सवाल के ऊपर एक घंटे के लिये वाक आउट करते हैं ।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री नेकराम शर्मा--

आपने इसको अस्वीकार कर दिया । माननीय उपनेता सदन बैठे हुये हैं, उनसे पूछ तो लीजिये । जब शेख अब्दुल्ला को उन्होंने छोड़ दिया जो भारत के टुकड़े कराना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई सवाल नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा--

तो हम भी वाक आउट करते हैं ।

(श्री नेकराम शर्मा सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आपने कहा कि बार-बार आ चुका है और रिजेक्ट कर दिया गया है । तो जब रिजेक्ट कर दिया तो क्या आप उसे बार-बार पढ़ेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

कहां पढ़ा ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आप चेयर पर बैठ कर कैसी बात करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जैसी बात करते हैं वैसी बात मैं नहीं करता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

ये सब बातें प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जायं, क्योंकि अनर्गल हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं ।

कतिपय विषय

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, कल दो घंटे तक हमने इस बात पर विवाद किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव हों, लेकिन ये स्थगित कर दिये गये । तो यह बात तो जाहिर हो गयी, लेकिन यह बात जाहिर नहीं हुई कि वह जून में हो जायेंगे या अक्तूबर, नवम्बर में होंगे । अगर माननीय उपनेता सदन उसको क्लेरिफाई कर दें तो प्रदेश की जनता में संतोष आ जाय ।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

सवाल का घंटा ११ से १२ तक होता है । अगर आप दिन भर सवाल ही करते रहियेगा तो हम कहां तक जवाब देंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह तो टालने वाली बात है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

दफा ५२ का प्रस्ताव मेरा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो खत्म हो गया ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

उसमें मेरा भी नाम जोड़ दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जोड़ दिया जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, साढ़े ७ करोड़ जनता का सवाल है । आप उपनेता सदन से इस विषय में सूचना दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

चेयर कभी गवर्नमेंट या अपोजीशन को मजबूर नहीं करती ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

सही जवाब दिला सकते हैं, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक दफा मैंने उनको काल कर लिया । उन्हें जो कुछ कहना था जवाब दे दिया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि माननीय उपनेता सदन सही बात बतला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वे चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं, मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

चुनाव जून में नहीं होगा, आगे कब होगा यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर जीवनोपयोगी सामग्री अत्यधिक मूल्य पर प्राप्त होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

उपाध्यक्ष महोदय, जिला चमोली में खुले बाजार में गेहूं और चावल का अभाव अवश्य है । सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा खाद्यान्न सब के लिये उपलब्ध करने की व्यवस्था की गयी है । सरकारी गल्ला गोदामों में गेहूं तथा चावल का पर्याप्त मात्रा में स्टाक उपलब्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। उपभोक्ताओं को नित्य के उपयोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, आटा, चीनी उपलब्ध कराने के हेतु सरकार की ओर से गल्ले की दुकानें पर्याप्त मात्रा में खोली गई हैं, जिनकी संख्या क्रमशः १२७ तथा ८७ है।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेंहूं का भाव प्रति क्विन्टल ५४ रुपये ६२ नये पैसे से ५५ रुपये ७५ नये पैसे तक है तथा आटे का प्रति क्विन्टल भाव ५२ रुपये ४३ नये पैसे से ९६ रुपये २१ नये पैसे तक है। चीनी का फुटकर भाव प्रति क्विन्टल १३१ रुपये ९७ नये पैसे से १९८ रुपये ३ नये पैसे तक है। चाय के आधे किलो के पैकिट का मूल्य ३ रुपये ७५ नये पैसे है तथा ईंधन की चिरी हुई लकड़ी बद्रीनाथ में २१ रुपये ४३ नये पैसे प्रति क्विन्टल और अन्य स्थानों पर, जो मोटर मार्ग पर हैं, १३ रुपये ४० नये पैसे प्रति क्विन्टल है।

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है जिसके अन्तर्गत उन उपभोक्ताओं को जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, आटा मिल सकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बद्रीनाथ में स्टाक कितना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, यद्यपि स्टाक बताना उचित नहीं है, क्योंकि इससे व्यापारी नाजायज फायदा उठाते हैं, इसलिये बताता नहीं, लेकिन आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि काफी है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन दुकानों पर प्रति दिन कितना आटा और चावल देते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसकी मात्रा निश्चित नहीं रखते जितनी आवश्यकता होती है उतनी देते हैं। मार्च में १४० क्विन्टल दिया था और १०५ ही उठाया, अप्रैल में १९० दिया और १३८ उठाया, इसी तरह से मई में ३१० दिया था और कुल ३० ही उठाया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--

श्रीमन्, मंत्री जी ने तो महीने का हिसाब बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बद्रीनाथ में जो राशन की दुकानें हैं उनमें तथा मार्ग में जैसे जोशीमठ है, वहां औसतन कितने आटे की खपत हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

बद्रीनाथ के पट कल खुलेंगे। अभी तो लोग एडवांस में गये हैं। आज हमने टैलीग्राफिक आदेश जारी कर दिया है कि :--

"To avoid inconvenience to Badrinath and Kedarnath pilgrims allow fair price shops at Chatties on Pilgrim Route....."

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)--

कृपया हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

जब इनको अक्ल नहीं है तो दूसरों को क्या समझायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

"To sell up to one rupee worth of Atta half kilo rice and half kilo sugar to each *bona fide* pilgrim without presentation of card or parchi. If at any *chatti* a fair price shop is not already functioning a new shop be set-up immediately."

किसी तरह से आदमियों को कष्ट न हो, इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत कर दी गयी है कि केदारनाथ और बदरीनाथ के रास्तों में दुकानें अगर नहीं खोल रही हैं तो तुरन्त खोल दें । हर यात्री को एक रुपये का आटा और आधा किलो चावल और आधा किलो चीनी बगैर परमिट के और परची के या कार्ड के मिल जाय । अगर चट्टी पर अभी दुकानें न हों तो तुरन्त खोल दें । अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि उन यात्रियों को भी चावल और आटा बराबर-बराबर दिया जाय, इसमें फर्क न किया जाय, अगर एक रुपये का आटा दिया जाय तो एक रुपये का चावल दिया जाय, तो इससे सुविधा होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसमें सुविधा नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के लोग जाते हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी ओर के लोग जाते हैं । इसमें सब का निर्वाह हो जाता है ।

श्री हिम्मतसिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि बोनाफाइडी पिल्ग्रिम को ही सुविधा प्रदान की जा रही है । तो यह कैसे पहचानेंगे कि वह बोनाफाइडी पिल्ग्रिम है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जो वहां का रहने वाला नहीं है वह पिल्ग्रिम है ही ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि बस द्वारा मार्गों पर टिकट न ईश्यू होने के कारण यात्रा मार्ग के मुख्य मुख्य स्थानों पर बहुत अधिक भीड़ इकट्ठा हो गयी है, इसलिये उन स्थानों में कुछ कमी हो गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह स्थान जैसे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली हैं इनमें पहले से बहुत सी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय मंत्री जी उन जगहों के स्टाक्स बतला दें तो मैं मान लूंगा ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने इसलिये कहा कि वहां हमारे ईश्यू गोडाउन हैं । वहीं से सब जगह वितरण होता है । उन जगहों पर, पैसेंजर बस न होने के कारण अगर पिल्ग्रिम्स को एक आध रोज के लिये रुक जाना पड़ता है, या सड़क टूट गयी, यद्यपि वहां पर ट्रांस्पोर्ट की व्यवस्था बड़ी पक्की रहती है, ज्यादा से ज्यादा परमिट पिल्ग्रिम्स सीजन के लिये दिये जाते हैं, इसलिये रुकावट होती

नहीं, फिर भी अगर इस तरह की रुकावट पड़े तो उसके लिये पर्याप्त प्रबन्ध है, इस तरह की कोई कठिनाई होगी नहीं ।

नहर माट ब्रांच के बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा जिलों के अन्तर्गत क्षेत्रों के सभी रजबहों, माइनर तथा कुलाबों को बन्द करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि अप्रैल, १९६४ में माट ब्रांच और उसकी उप-शाखायें इत्यादि ३ अप्रैल से १६ अप्रैल, तक चलाई गईं । मुख्य शाखा में १५०० क्यूसेक पानी था । १ मई से इस नहर की शाखायें पुनः चालित हुईं और मुख्य ब्रांच में १८०० क्यूसेक पानी था । (चार मई को इस शाखा में १७०० क्यूसेक पानी था) गंगा कैनाल में पानी सप्लाई करने का जो आधार है इसी के अनुकूल माट ब्रांच में पानी दिया जा रहा है ।

सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय नहर के कुलाबों के हटाये जाने से है । इस संबंध में निवेदन है कि माट ब्रांट के क्षेत्र में ९० फीडर ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं, जिनका कमांडेड एरिया ६२७७८ एकड़ है, जिसमें लगभग ४०,००० एकड़ वह क्षेत्र है जिसकी सिंचाई नहरों के द्वारा होती रही है । शेष क्षेत्र या तो खाली है या नहरों द्वारा इसको पानी नहीं मिलता था । इस पूरे क्षेत्र को ९० फीट ट्यूबवेल्स योजना के अन्तर्गत पानी देने का प्रस्ताव था । इस संबंध में ट्यूबवेल की पक्की नालियों का निर्माण कार्य हो रहा है तथा यह नालियां नहर की गूलों से मिलाई जा रही हैं । जहां-जहां यह कार्य पूर्ण हो गया है, नहरी कुलाबे हटा दिये गये हैं । शेष ५२ कुलाबे रह गये हैं ।

वाकया यह है कि कुछ कुलाबे तो सन् १९६२ में बन्द कर दिये गये थे और तब से काश्तकारों के खेतों की सिंचाई ट्यूबवेल से हो रही है । जांच करने से पता चला कि काश्तकारों को विशेषकर शिकायत ट्यूबवेल सिंचाई से इस बात की है कि ट्यूबवेल की नालियां कभी-कभी टूट जाती है जिससे उनको पानी मिलने में कठिनाई होती है । अतः इस बात का प्रबन्ध कराया है कि इन ट्यूबवेलों की नालियों को ठीक हालत में रखा जाय ताकि काश्तकारों को पानी मिलने में दिक्कत न हो । यह भी इन्तजाम करलिया गया है कि केवल उन्हीं काश्तकारों के नहर के कुलाबें बन्द किये जायेंगे जिनको ट्यूबवेल से पानी देने का प्रबन्ध पूरी तरह से कर लिया गया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि माट ब्रान्च से जैसे पहले सिंचाई मिलती थी उससे ट्यूबवेल के पानी की भी सिंचाई उसी तरीके से ली जायगी जैसे नहर पर वे लोग देते थे । अतः इससे काश्तकारों को कोई अधिक बोझ नहीं पड़ने वाला है ।

चूंकि उस इलाके के काश्तकारों को बहुत अरसे से नहर का पानी मिल रहा था और वह तरीका बदला जा रहा है और उनको ट्यूबवेल से पानी दिया जायगा, इसलिये सम्भवतः उनको इस तब्दीली की वजह से कुछ आशंका हो रही है, परन्तु इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि उनको पानी मिलने में कोई कठिनाई न हो और यदि कोई कठिनाई सरकार के या नहर विभाग के अधिकारियों के सामने आई तो उसको तुरन्त दूर किया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि यह ९० ट्यूबवेल्स की योजना कब चालू की गई थी और चालू करते वक्त सरकार ने क्या आश्वासन दिये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह ट्यूबवेल्स की योजना १९५४ में प्रारम्भ हुई थी। उस वक्त क्या आश्वासन दिये गये थे यह तो मेरे सामने इस वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त हम यह कर रहे हैं कि जो पानी दे रहे हैं ट्यूबवेल से उस पानी का दाम वही लेंगे जो नहर का लेते थे।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो आश्वासन उस वक्त दिया गया था और आज भी उन्होंने कहा उसके खिलाफ ट्यूबवेल रेट से ही नहर के इलाके में भी सिंचाई की दरें वसूल की गई ? यदि हां, तो उनको वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि सिंचाई वसूल की गई, लेकिन अभी तो हमने यह आदेश दे दिये हैं कि सिंचाई की दरें हम उनसे वही लेंगे जो नहर से ली जा रही थी।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों में इन कुलावों को किसानों ने नहीं उखाड़ने दिया, इनके विभाग ने रात में उनको उखाड़ दिया। अब तक वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है और जनता में असन्तोष है। इस बन्धे पर दीवार लगा दी गई। तो जब तक वहां पर पानी की व्यवस्था न हो जाये उसके पूर्व यह दीवार कैसे लगाई गई और कुलावे कैसे उखाड़ें गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हमने इस बात के आदेश दिये हैं कि जहां पर ट्यूबवेल का पानी अभी तक नहीं पहुंचता है वहां बम्बे बन्द न किये जायं। उस वक्त तक बन्द न किये जायं जब तक पूर्ण रूप से पानी का प्रबन्ध न हो जाय।

श्री जसरामसिंह--

वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। कुलावे आपके विभाग ने उखाड़ दिये हैं। वहां पर विद्रोह की भावना जनता में उत्पन्न है और इन गांवों में बड़ा भारी असन्तोष है। इसका जवाब दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दे दिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह आदेश कब गये हैं कि वहां के कुलावे उखाड़े न जायं और उस पर अमल हो रहा है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने यह कहा कि जब मेरे नोटिस में यह बात आई कि वहां कुछ ऐसी स्थिति है और कुछ हिस्से में पानी नहीं पहुंचता है और पानी पहुंचना सम्भव नहीं है, तो हमने इस बात के आदेश दिये। मैं यह भी बतलाऊं कि हमारे सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर सब वहां गये थे और उन लोगों ने जाकर चारों तरफ से उसको देखा। उसका प्रबन्ध हो गया है। मथुरा जिले में भी पानी का प्रबन्ध नहीं था और ट्यूबवेल वहां पर बन नहीं सकता था, उसके लिये यह सोचा गया कि जहां पर ट्यूबवेल बन सकते हैं वहां ट्यूबवेल का पानी दिया जाय। जिस हिस्से को पानी नहीं पहुंच सकता है उस हिस्से को दिया जाय। इसकी कीमती स्कीम है, फिर भी लोगों के लिये सुविधाजनक बातें की गईं। मैं विकल जी की जानकारी के लिये

यह भी बतला दूं कि नये ट्यूबवेल जो बने, वे उस लाइन पर बने जिसमें वह एरिया नहीं आया, फिर भी हमने यह आदेश दिये कि हमारे इंजीनियरों का यह काम है कि नाली ठीक तरह से चलें और हर शख्स के खेत पर पानी पहुंचे और वह उसी मात्रा में पहुंचे जिस मात्रा में उसको पहले मिलता था। जैसी सहूलियत किसानों को पहले थी, वही अब भी पहुंचने की बात हमने कही है और नहर या कुलाबे उस वक्त तक नहीं उखाड़े जायेंगे जब तक वह सहूलियत उनको न हो।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गत ५ वर्षों में जो किसानों की हानि हुई है फसलों के सूखने से और रेगिस्तान की स्थिति उत्पन्न होने से, इस पर सदन की कोई जांच कमेटी बैठायेंगे, जो यह देखे कि कितना रुपया सरकार का खर्चा हुआ है और उस मात्रा में किसानों को पानी मिला है या नहीं? और जब तक वह कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे उस वक्त तक सरकार यह आदेश दे कि नहर, बम्बा और माइनर को बन्द न किया जाय और उनको जारी रखा जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं तो आज की बात आपसे बता रहा हूं। जब तक लोगों को पानी न मिल जाय तब तक बम्बे जारी रहेंगे। पुरानी बात की सूचना मेरे पास नहीं है। उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं सदन की एक कमेटी की मांग कर रहा हूं। उसके लिये माननीय मंत्री जी का क्या जवाब है?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया है कि हम पानी दिला देंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी को ज्ञात है कि मथुरा जिले में बिलकुल पानी नहीं आया और मथुरा जिले के किसानों ने प्रदर्शन किया। उनका मांग-पत्र भी आपकी सेवा में आया होगा। वहां पर गल्ले की फसल बिलकुल बरबाद हो गई है। इस पर मंत्री जी क्या विचार कर रहे हैं और क्या सरकार उसके लिये हरजाना देगी जो ५ लाख मन गन्ने का बीज मर गया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मथुरा में तो नहर से ही पानी आयेगा और नहर का पानी कहीं और गया नहीं। उसमें जितना पानी था दिया गया, लेकिन यह सही है कि नहर में पानी कम था और इसलिये हम पानी का इंतजाम कर रहे हैं और ४५ लाख रुपया लगा कर यह ९० ट्यूबवेल्स हमने बनाये हैं।

श्री जसरामसिंह—

सरकार की योजना यह है कि बुलन्दशहर जिले के किसानों का पानी रोक कर मथुरा जिले को दिया जाय और वहां के लिये ट्यूबवेल बना दिये जायं। तो इस से बुलन्दशहर में बड़ा असंतोष है और वहां के किसान उजड़ रहे हैं और परेशान हैं। वहां विद्रोह की भावना है। इसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जैसा मैंने बतलाया, उनके जिले को जितना पानी पहले मिलता था उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर ट्यूबवेल में पानी कम होगा तो हम नहर से पूरा कर देंगे और आपको उतना ही पानी देंगे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

मंत्री जी ने कहा कि ट्यूबवेल और कैनाल के रेट्स एक ही होंगे। तो क्या फसल के मुताबिक जो पानी किसान को चाहिये उसे देने की आपकी गारन्टी होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आप गलत न समझें। यह केवल मांट ब्रान्च के लिये है। यह एक्सेप्शन केवल उन्हीं ट्यूबवेल्स के लिये है। लेकिन आपकी जानकारी के लिये बतला दूं कि उनसे नहर से ज्यादा पानी ही आपको मिलेगा, कम नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से इस प्रकार की स्थिति आयी है कि नहरों में पानी कम रह गया और बनारसीदास जी के जिले के लोग रो रहे हैं। तो जिन अफसरों की लापरवाही की वजह से यह स्थिति आयी है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

नहरों में पानी की कमी लापरवाही की वजह से नहीं, ऊपर की किसी वजह से है और उसका उपाय आप कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी का कहना है कि बादलों की बदतमीजी की वजह से पानी की कमी हैं। तो क्या सिंचाई विभाग में जो नहरों के इंचार्ज थे उन्होंने सरकार को कोई ऐसी रपट दी थी, जिसमें बतलाया गया हो कि ऊपर से पानी कम आने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या ऐसी कोई रपट सरकार के पास है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पानी तो रोज कितना चलता है इसकी भी रिपोर्ट हमारे पास रहती है, लेकिन आप देहातों में घूमते हैं आपको जानकारी है।

श्री उग्रसेन--

रिपोर्ट जब मिल गयी थी तो सोते क्यों रहे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब प्रश्न नहीं होंगे, आप बैठिये।

श्री रामचन्द्र विकल--

मैं कई बार खड़ा हुआ, लेकिन आपने मुझे.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको ४ बार मौका दिया है .....

श्री रामचन्द्र विकल—

आप देख लीजिये, केवल दो बार मौका दिया है आपने। ऐसे आश्वासन और वक्तव्य देते-देते ५ वर्ष हो गये, मगर यह समस्या नहीं सुलझ रही है। एक कमेटी के लिये कहा गया, वह मांग भी मंजूर नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, हम गवर्नमेन्ट को मजबूर नहीं कर सकते।

इलाहाबाद जिले में पाले से फसल नष्ट हो जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जनवरी, १९६४ के दूसरे पखवारे में शीत लहर और पाले से अन्य जिलों के साथ-साथ जिला इलाहाबाद भी प्रभावित हुआ। क्षति का प्रभाव जिले की सभी तहसीलों में हुआ। रबी की मुख्य फसलों में अरहर, मटर, चना, गेहूं, जौ, सरसों की फसलें और साथ में सब्जियां आदि भी प्रभावित हुईं। कुल प्रभावित ग्रामों की संख्या ४,००५ थी और ८.१२ लाख एकड़ के कुल बोये गये क्षेत्र में से ४.६४ लाख एकड़ क्षेत्र में क्षति पहुंची। भिन्न-भिन्न ग्रामों में क्षति का प्रभाव भिन्न-भिन्न था और यह कहना असत्य है कि इस आपदा में सम्पूर्ण फसलें नष्ट हो गयीं।

जायद फसलों की स्थिति संतोषजनक है, २०,६०० एकड़ में से १५,१३१ एकड़ क्षेत्र में बोआई हो चुकी है। ११४.५ टन उर्वरक और १,००२ क्विंटल बीज (रबी के बीज सहित) बांटे जा चुके हैं। रबी की फसलों की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। ईख और जायद फसलों की सिंचाई चल रही है। रबी की फसलों से बोये गये क्षेत्र में कोई न्यूनता न थी। प्रभावित क्षेत्रों में सहयता के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किया गया है—

(१) खरीफ १३७१ फसली का रु० ३,७७,५२२.७४ नये पैसे की मालगुजारी (सरचार्ज सहित) स्थगित कर दी गई है। ५,७७,०२१.२१ रुपये की तकावी की बकाया और ४५,३८७.७४ रु० की अन्य बकाया भी स्थगित कर दी गई है। उन मामलों में जिनमें माफी करने का प्रस्ताव है, रबी की किस्त की वसूली भी रोक दी गयी है। चकबन्दी के बकाया की वसूली ३० सितम्बर, १९६४ तक रोक दी गई है।

(२) अहेतुक सहायता के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में २५,००० रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

(३) प्रधान मंत्री के सहायता कोष में पीड़ित व्यक्तियों को ३,००० रुपये बीज के रूप में और २,००० रुपये की धनराशि नकद रूप में वितरित की गयी है।

(४) प्रभावित क्षेत्रों में २ लाख रुपये की आपत्तिकालीन तकावी वितरित की जा रही है।

(५) प्रभावित क्षेत्र में पहले से खुली हुई ६ सस्ते गल्ले की दूकानों के अतिरिक्त ६१ सस्ते गल्ले की दुकानें इस आपदाकाल में और खोली गयीं। जिले में ३६१ चीनी की दूकानें खुली हुई हैं और पीड़ितों को बेचनें के लिये आटा भी दिया जा रहा है।

(६) जलाशयों को गहरा करने के हेतु टेस्ट वर्क आरंभ किये गये और इसके लिये २५,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी, परन्तु मजदूर पर्याप्त संख्या में उपस्थित नहीं हुए, अतएव यह कार्य बन्द कर देने पड़े। ऐसा ज्ञात हुआ कि फसलों की कटाई के आरम्भ हो जाने के कारण मजदूर अधिक लाभप्रद कार्य पा सके।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

जिले की साधारणतः स्थिति चिन्तनीय नहीं है और इस आपत्ति के निवारणार्थ सरकार ने सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिये हैं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वहां पर नहर में पानी जाने की व्यवस्था कितनी जल्दी हो जायेगी ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

नहर के बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

लगान में जो यह छूट हर साल दी जाती है, यह काफी बढ़ती जाती है । दो आने भी लगान देनेकी क्षमता किसानों में नहीं रह गयी है । तो क्या माननीय मंत्री जी उनके लगान की रकम एकदम समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह बड़ा मुश्किल है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

तो क्या सरकार वहां पर कोई ट्यूबवेल लगायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सिंचाई मन्त्री जी से पूछिये ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इलाहाबाद जिले में खरीफ की फसल को कितना नुक्सान हुआ है, इसका स्टेटमेंट है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो बयान में बताया गया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि उसने उस क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को कितना रुपया अहेतुक सहायता के रूप में दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अहेतुक सहायता दी गयी है ,कितनी, यह याद नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

२५ हजार के करीब है, क्या उसे और बढ़ायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

इलाहाबाद जिले में पहले से फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है । तो क्या वहां टेस्ट वर्क की व्यवस्था करगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

टैंक खुदवाने के लिये हमने व्यवस्था की, मगर हमको लेबर ही नहीं मिली।

श्री हिम्मतसिंह--

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि वहां पर कितने गांव में ८ आने का नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ?

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पर टैंक खोदने के लिये मजदूर नहीं मिले। तो क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मजदूर इसलिये नहीं मिले, क्योंकि उनकी मजदूरी बहुत कम थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

टेस्ट वर्क में जो रेट दिया जाता है, वही था।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वह जो लगान मुल्तवी करते जा रहे हैं और किसानों पर मुल्तवी बढ़ती जा रही है, तो क्या कभी इस को माफ भी करेंगे या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री उग्रसेन--

टेस्ट वर्क पर मजदूरों को पहले चार आना मजदूरी मिलती थी और बच्चों को ढाई आना। यह सबसे पहले बहराइच से ही बढ़ाई गई, तो क्या मंत्री जी भारत सरकार को यह लिखेंगे कि टेस्ट वर्क की वर्तमान मजदूरी इस महंगाई को देखते हुये बहुत कम है, इसलिये इसको बढ़ा कर १ रु० कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१० आना, ८ आना और ६ आना है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की किन-किन तहसीलों में कितना-कितना नुकसान हुआ और वहां लगान की कितनी छूट दी गयी ?

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सब किसानों को जो नुकसान हुआ है, वह सिंचाई समय पर न होने की वजह से हुआ है, यदि हां, तो क्या मन्त्री जी सिंचाई विभाग से किसानों की जेब से निकले हुए पैसे को दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

नहर विभाग की बात मैं कैसे अर्ज करूं।

प्रधान मंत्री के गोरखपुर जाने पर हुई घटना के समाचार के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ४-५-६४ को लगभग दिन के ११ बजे जब कि प्रधान मंत्री हवाई जहाज से कुसुंभी हवाई अड्डे पर उतरने वाले थे। कुछ व्यक्तियों ने बेरीकेड और बाउन्ड्री तार जाली से खिंचे हुये हवाई अड्डे के उस स्थान पर जाने का प्रयत्न किया, जिस स्थान पर केवल पास से ही जाने की आज्ञा थी। इन व्यक्तियों ने तार और बेरीकेड के ऊपर कूद कर तथा अवैधानिक प्रकार से हवाई अड्डे के उस भाग में जाने का प्रयत्न किया। पुलिस के कर्मचारियों ने जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, उनको समझाया कि बिना पास के इस निषेध एरिया में कोई नहीं जा सकता। पास ही खड़ी हुई जनता ने भी इन लोगों से निषेध एरिया में जाने पर आपत्ति की और इस पर इन लोगों और जनता के बीच झगड़ा होने लगा, जिससे वातावरण अशांत हो गया। अतः झगड़ा रोकने के लिये ११ व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ा। परन्तु लोग जमीन पर लेट गये, इसलिये उन्हें बलपूर्वक गाड़ी पर बिठा कर थाने ले जाना पड़ा। इस सब में कुछ व्यक्तियों के चोटें आयीं। ५ मई, १९६४ को प्रधान मंत्री की वापसी यात्रा पर भी ४ व्यक्तियों द्वारा निषेध एरिया जाने तथा वहां झगड़ा करने की तैयारी की सूचना प्राप्त हुई। अतः शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से सिटी मैजिस्ट्रेट गोरखपुर को एक रिपोर्ट दी गई और इन चारों व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी के वारन्ट प्राप्त किये गये। ५ मई, सन् १९६४ को उनमें से तीन व्यक्ति पकड़े गये और चौथा व्यक्ति अभी फरार है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पर्चे बांटने की वजह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो।

आजमगढ़ जिले में शारदा कैनाल में पानी न होने के संबंध में वक्तव्य

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

आजमगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी शारदा कैनाल सिस्टम की टेल पर पड़ती है, जिस पर ग्राम फूलपुर, सराय मीर फरीहा स्थित हैं। यह आजमगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी पिछले साल ही पूर्ण रूप से बन कर तैयार हुई थी और खरीफ १३७१ फसली में पहली बार चलाई गई थी। इस डिस्ट्रिब्यूटरी से जो सिंचाई हुई वह नीचे दी गयी है :

	प्रस्तावित सिंचाई	वास्तविक सिंचाई
खरीफ १३७१ फसली ..	३९२७	१८१७
रबी १३७१ फसली ..	७८५४	२७०५

लगभग ६०० एकड़ गन्ने की सिंचाई इस खरीफ फसल में हो चुकी है और सिंचाई अब भी हो रही है।

यह सत्य है कि शारदा कैनाल सिस्टम पर पानी की बहुत कमी है। चूंकि उस साल शारदा नदी में ही पानी कम आ रहा है। आजमगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी जो शारदा कैनाल के बिलकुल टेल पर है, उसमें भी पानी की विशेषतया कमी रही है। इन सब बातों को देखते हुये स्थानीय एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सम्बन्धित जिला अधिकारियों को पिछले महीने में इस विषय में सूचना दे दी थी कि जायद और खरीफ फसलों को कम्पेन (compaign) में इस बात को ध्यान रखें। फिर भी आजमगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी में ज्यादा से ज्यादा पानी देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

शिक्षण संस्थाओं में राजकीय हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना के संबंध में संकल्प (क्रमागत*)

श्री उपाध्यक्ष--

अब श्री रामायण राय द्वारा उपस्थित संकल्प पर बहस होगी।

(श्री रामायण राय के उपस्थित न होने पर, शिक्षा मंत्री को बुलाया गया।)

मंत्री जी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय रामायण राय जी से पहले तो माननीय शिक्षा मंत्री ही नहीं हैं।

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

उनको रिप्रेजेंट करने के लिये मैं यहां बैठा हूं। मैं उनकी तरफ से बोलूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस संकल्प के बाद आगे जो सूची में संकल्प है, उस पर बहस हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं, यह कैसे हो सकता है? इसको हम नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

तो क्या इतना समय उनकी इन्तजारी में सदन का खोया जायगा?

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय रामायण राय जी आ गये, वे आप के सामने मौजूद हैं, उनकी तरफ से जवाब तो हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप माननीय रामायण राय जी को बोलने के लिये कहेंगे और अगर आप सब इस राय के होंगे कि अभी इस पर बहस जारी रहे, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

(श्री रक्षपालसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, हम और माननीय रामायण राय जी स्पीकर साहब के कमरे में एक मीटिंग में थे और हम दोनों एक साथ ही इस हाउस में घुसे हैं। जैसे ही आपने रेफर किया बोलने के लिये, तो मैं बोलने के लिये तैयार हूं। मुझे कभी भी बोलने नहीं दिया जाता, इसलिये कृपया इस शिक्षा सम्बन्धी संकल्प पर मुझे बोल लेने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप लोगों की राय होगी तभी मैं उन को बोलने के लिये कहूंगा।

---

*२३ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही से।

श्री उग्रसेन--

बोलने के लिये तो सभी की राय है, उनको बोलने से हम क्यों बन्द करें, बोलने दिया जाय। श्री रक्षपाल सिंह को आपने पहले बुला लिया है, इसलिये पहले आप उन को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, पहले रक्षपाल सिंह ही बोल लें। कृष्णानन्द राय जी बाद में बोल लेंगे।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामायण राय जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत हुआ था जिसमें शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था, राजकीय हस्तक्षेप आदि के कारण जो भ्रष्टाचार फैला है उसके सम्बन्ध में मैं बोलना चाहता हूं। उस पर माननीय चन्द्रजीत यादव का भी एक संशोधन आया है कि 'शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की सम्भावनाओं पर विचार हेतु' बढ़ा दिया जाय, इसका मैं पूर्णरूपेण विरोध करता हूं।

यह निर्विवाद है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और कांग्रेस पक्ष के और विरोध पक्ष के सभी लोग इस बात से सहमत हैं। एक कारण तो यह दिया गया है कि शैक्षिक संस्थाओं में अव्यवस्था व्याप्त है, यह कारण जो है इसकी सीमा का तो पता है और जितनी आर्थिक समस्या और कठिनाइयां हैं उनका कारण असन्तोष ही होता है और उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार का पक्षपात और राजकीय हस्तक्षेप का रवैया अवश्य है और संस्थाओं को योग्यता के अनुसार सहायता नहीं दी जाती है। सरकारी हस्तक्षेप के बारे में मैं कहूंगा कि वह तो प्राइमरी पाठशाला के स्टेज से लेकर विश्वविद्यालय तक व्याप्त है और सरकार हर स्टेज पर हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। प्राइमरी पाठशालाओं में जो अध्यापकों की नियुक्ति होती हैं जो कि हमारे प्राइमरी शिक्षा देने वाले लोग हैं, वह भी राजनीतिक पीड़ित या अन्य आधार पर लिये जाते हैं और शैक्षिक योग्यता या अनुभव का कोई लिहाज नहीं किया जाता, इन लोगों से तरह-तरह के काम लिये जाते हैं। चुनाव के दिनों में नामों की सूची बनाने के और अन्य काम लिये जाते हैं। इन बोर्डों के अध्यक्षों द्वारा जहां कांग्रेस का बहुमत है वहां अगर कोई उन के कहने के अनुसार काम नहीं करता तो उन अध्यापकों को २०-२५ मील दूर ट्रान्सफर कर दिया जाता है, उन को नौकरी भी छोड़ना पड़ती है और वह लोग मजबूर हो कर उन्हीं के रास्ते पर चल कर भ्रष्टाचार करते हैं।

इन्टरमीडियेट कक्षाओं में भी ऐसी ही हालत है। जो सहायता सरकार देती है या जो मान्यता प्राप्त करने के लिये शर्तें हैं, उन में भी सरकार के द्वारा हस्तक्षेप होता है और सहायता और मान्यता देने का एक स्तर नहीं रखा जाता, उसमें भी हस्तक्षेप किया जाता है। विश्वविद्यालय के स्टेज पर आटोनामस होने के नाते यद्यपि कोई हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं रहती, लेकिन आप जानते हैं कि गोरखपुर और इलाहाबाद युनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न आया, उससे आप जानते हैं कि कैसी अखाड़ेबाजी और पक्षपात होते हैं, गुट विशेष का ध्यान रख कर नियुक्ति की जाती हैं। जो अधिकार उनको दिया गया है उसके आधार पर अध्यापकों द्वारा जो पढ़ाई की ओर दुर्लक्ष्य होता है, मेरा सुझाव है कि अध्यापकों को राजनीति के पचड़े में पड़ने का मौका नहीं देना चाहिये। प्राइवेट संस्थाओं में काफी कर्मचारी हैं, वहां टीचर्स को समय पर वेतन नहीं मिलता, कम वेतन दे कर ज्यादा पर दस्तखत कराये जाते हैं, ६, ६ महीने तक वेतन नहीं मिलता है। हम लोगों का नारा है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रश्न नहीं क्योंकि एक ही सी शिक्षा सब जगह दी जाती है। लेकिन अगर आप संस्थाओं को भी सरकार के हाथ में सौंप देंगे तो जो प्राइवेट लोगों से उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्थिक सहायता मिलती है वह भी बन्द हो जायगी। सरकार के हाथ में जाने से ज्यादा सुधार नहीं हो सकता। आज सरकार अनेक बातों में प्राइवेट संस्थाओं की तुलना में काफ़ी पीछे हैं, इसलिये यह कहना कि सरकार के हाथ में जा कर टीचर्स की हालत सुधर जायगी यह गलत है। हां ऐसा कर दिया जाय कि प्रबन्ध समिति को उचित रूप से गठित करने के लिये सरकार इंटरमीडियेट ऐक्ट में संशोधन करे और ऐसी समिति बने जिसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधि, टीचर्स का और अभिभावकों के प्रतिनिधि रहें तथा शिक्षा के विशेषज्ञ भी रखे जायं। ऐसी मैनजमेंट कमेटी सब स्कूलों में बने। सरकार को नियमावली बनानी चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों की भांति अध्यापकों और कर्मचारियों को मानते हुए उनका वेतन उन्हीं प्राइवेट संस्थाओं से दिलाने के लिये इंतजाम कराया जाय। अगर ऐसा मेरा सुझाव है वैसी मैनेजमेंट कमेटी बन जाय तो टीचर्स की कठिनाइयां दूर होंगी, समय पर उनको वेतन भी मिलेगा और सब कुछ सरकार को सौंप देने का जो नारा है उससे भी टीचर्स को राहत मिलेगी। इसलिये माननीय चन्द्रजीत यादव का जो राष्ट्रीयकरण का संशोधन है उस का विरोध करते हुये मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा एहसान मंद हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे बोलने की आज्ञा दी। श्रीमन् यही नहीं मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी कि इस प्रस्ताव पर विवाद समाप्त न किया जाय और उसको जारी रखा जाय, उस अनुरोध को भी आपने मान लिया। इसके लिये भी मैं बहुत ही आभारी हूं।

(इस समय १ बज कर १२ मिनट पर, अधिष्ठाता श्री काशीनाथ मिश्र, पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस समय इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूं आप इस कुर्सी पर विराजमान हुए। मैं भली भांति जानता हूं कि आप की शिक्षा के प्रति अत्यन्त अभिरुचि है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस विषय की गम्भीरता और गुरुता को देखते हुए न केवल मुझे अपितु इस पर सदन के सारे सदस्यों को बोलने देंगे क्योंकि यह विषय काफी गम्भीर है। वास्तविकता तो यह है कि जो प्रस्ताव माननीय रामायण राय जी ने रखा है वह उनको रखने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सरकार को इस प्रस्ताव को लाना चाहिए था। श्रीमन्, यह बड़ा दुर्भाग्य है। केवल हमारे प्रदेश की ही हालत नहीं है, सारे प्रदेश की हालत है कि जितनी शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे देश में गम्भीरता बनायी गयी है शायद ही किसी प्रश्न के सम्बन्ध में नहीं बनायी गयी हो। श्रीमन, सैकड़ों वर्षों के बाद मान्यताएं और परम्परायें स्थापित हो चुकी हैं। इस समय में हमारे राष्ट्र की मानसिक और अध्यात्मिक क्षति भी हुयी थी। मुझे आप को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की जो पद्धति प्रचलित हुई थी उसका क्या दृष्टिकोण था। यह कहा जाता है कि अंग्रेजों में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हमारे देश में की वह केवल यह सोचकर की थी कि कुछ मध्यम वर्ग के लोगों को हम इस प्रकार की शिक्षा दें कि वे हमारी नौकरियों में शामिल हो सकें और जो शासन वे देश में चला रहे हैं उसमें वे सहयोगी हो सकें। इसलिये उसी प्रकार की शिक्षा पद्धति को उन लोगों ने स्वीकार किया और जिसमें हमारे देश के लोगों का मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण कुछ एक अजीब बेढंगा और गिरी हुई स्थिति का बनता गया था। श्रीमन्.....

*श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है और वह यह है कि माननीय रामायण राय जी का जो संकल्प है वह इस प्रकार है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

अव्यवस्था, अशांति तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप एवं गिरी आर्थिक दशा के फलस्वरूप शिक्षा स्तर के गिरने और अनुशासनहीनता फैलने की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की जाय। पर माननीय कृष्णानन्द जी तो सारे हिन्दुस्तान का वर्णन कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं आप उसके ही सम्बन्ध में बोल रहे हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा काम बहुत सरल कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय कल्पनाथसिंह जी कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैं माननीय रामायण राय जी के संकल्प के सम्बन्ध में नहीं बोल रहा हूं। हमारी जो शिक्षा संस्थायें हैं उनके पीछे भी एक इतिहास है और उस इतिहास की पृष्ठभूमि में यदि हम नहीं जायेंगे तो श्रीमन्, हम कोई समाधान नहीं निकाल सकेंगे।

श्रीमन्, आप को स्वयं विदित है कि किसी भी विषय पर चर्चा के पूर्व उस की पृष्ठभूमि देना आवश्यक है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी अगर हरजतगंज या बनारस की सड़कों पर देखेंगे कि विद्यार्थियों के जुलूसों में कितनी अव्यवस्था होती है, तो वे उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर हमारे देश और प्रदेश के पुलिस मिनिस्टर पहुंचते हैं। तो अगर वह हड़ताल को देखें तो उसमें विद्यार्थी नारे लगा रहे हैं। सरकार तथा अधिकारियों के विरुद्ध और उस समय अगर उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न करेंगे तो सिवाय इसके कि लाठी और गोली चलवा दें उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसलिये आवश्यक हो गया है उस समस्या का समाधान निकालने के लिये उस पृष्ठ भूमि में जाने के लिये जिसके कारण हड़ताल की आयोजना होती है और तभी उस समस्या का ज्यादा अच्छा समाधान निकल सकेगा। जो पृष्ठभूमि आज जिम्मेदार है, जननी है शिक्षा में अव्यवस्था व्याप्त करने लिये, उसका बदलना जरूरी है। हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि जितने विषय विधान सभा में आते हैं उनमें दो प्रकार की डेंसीज वर्क करती हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ कह दिया और माननीय मन्त्री जी ने हल्के रूप से उस का जवाब दे दिया। नतीजा यह होता है कि लाखों रुपया जो हम पर व्यय होता है उसके बावजूद भी समस्या का पूर्णरूपेण समाधान नहीं निकल पाता है। दूसरे पार्टी दृष्टिकोण से एक अगर समर्थन करता है तो दूसरा उसका विरोध करता है और वह विषय केवल डिबेट का रूप धारण कर लेता है। शिक्षा ऐसा विषय है जिसमें पार्टी का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। विरोधी दल की तरफ से अगर यह प्रस्ताव आया है तो उस पर गंभीरतापूर्वक विवेचन होना चाहिये। मेरी समझ में शिक्षा से अधिक गंभीर विषय दूसरा नहीं हो सकता और इस पर अधिक से अधिक समय लिया जा सकता है। अगर शिक्षा का ठीक से विश्लेषण किया जाय तो आप को ज्ञात होगा कि १०० वर्ष पहले हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने जिस दृष्टिकोण से शिक्षा की नींव डाली थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। देश को स्वतंत्रता के बाद भले ही सिंचाई, सड़कें और अस्पताल के बारे में प्लानिंग न बनी होती, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार कर लिया जाता कि देश मे किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की नींव डाली जाय और किस प्रकार शिक्षा संस्थाओं को संचालित किया जाय और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मस्तिष्क को किस प्रकार का बनाया जाय, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तान ने ज्यादा तरक्की की होती, बनिस्बत उन तीन योजनाओं के जो चलाई गयीं।

किसी भी देश में उसकी पृथ्वी, तेल, लकड़ी, लोहे आदि का मूल्य होता है, लेकिन राष्ट्र के लिये उसका उतना अधिक मूल्य नहीं होता जितना उस राष्ट्र के व्यक्ति के निर्माण का मूल्य होता है। मैं मानता हूं कि विश्व में आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह भी जानता हूं कि यदि हिन्दुस्तान ठहरा हुआ है तो वह एक कारण से ठहरा हुआ है और वह कारण यह है कि नैतिकता, आत्मबल, मनोबल और संस्कृति के कारण आज भी विश्व में आर्थिक दृष्टि

से, सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत न होते हुये भी हिन्दुस्तान ठहरा हुआ है । यह ४२, ४५ करोड़ जन-संख्या इस देश की है । क्या दुनियां में एक दर्जन या इससे अधिक राष्ट्र अवश्य ऐसे हैं जिनके पास आज हमसे अच्छे, आधुनिक अस्त्र, शस्त्र हैं और दर्जनों राष्ट्र ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की सौदेबाजी कर लेते हैं कि उनसे अस्त्र और शस्त्र हमसे अधिक पा सकते हैं । ऐसी हालत में आज की दुनियां में हम टिक नहीं सकते थे । लेकिन एक संस्कृत, एक परम्पारा थी जिसे आप बुद्ध के नाम से कहें या गांधी जी के नाम से कहें, उसी को पकड़ कर हिन्दुस्तान अपनी आजादी की लड़ाई के जमाने में भी खड़ा रहा और आज भी हम दुनियां के सामने खड़े हुये हैं और विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम लोगों का स्थान बना हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका भाषण बड़ा जनरल हो रहा है । यह प्रस्ताव शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त आशान्ति, अव्यवस्था और सरकार के हस्तक्षेप आदि के विषय में है । इसी के विषय में आप चर्चा करें और अपने ठोस सुझाव दें तो अच्छा होगा, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें हों ।

श्री कल्पनाथसिंह—

यही तो मैंने पहले कहा था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैं स्वयं उनसे कह रहा हूं । पहले तो आप भूमिका बतला रहे थे, लेकिन सारा भाषण भूमिका के बारे में ही हो, संकल्प के विषय में न हो तो यह उचित न होगा । इसलिये मैं कहूंगा कि आप प्रस्तुत संकल्प के विषय में ही अपने सुझाव दें ।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि आपने थोड़ा-सा हमारा मार्ग दर्शन किया । माननीय कल्पनाथजी का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने भी कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य ही कहूंगा कि यद्यपि मै इस प्रस्ताव के ही विषय में अपने विचारों को रखना चाहता हूं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि शायद मैं अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे में वह क्षमता नहीं है, इसलिये आप या माननीय सदस्य यह अनुभव कर रहें हैं कि मैं विषयानन्तर हो रहा हूं यद्यपि मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बुद्धि से ठीक इस प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हमारे देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई, तो उसको केवल एक कार्य करना चाहिये था कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने कायम की थी उसमें आमूल परिवर्तन करने की सोचती । उसको एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनी चाहिये थी कि वह अपने देश के बच्चों को किस लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहती है और उस लक्ष्य को तय करने के बाद उसे राष्ट्र में एक प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का आयोजन करना चाहिये था ताकि हमारे बच्चे उस लक्ष्य को उन शिक्षा संस्थाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते । लेकिन श्रीमन्, आजादी प्राप्त हुई और कोई भी राष्ट्रीय नीति शिक्षा के बारे में निर्धारित करने के लिये गंभीरतापूर्वक इस देश में प्रयास नहीं किया गया । नतीजा यह हुआ कि आज से डेढ़ सौ साल पहले जो शिक्षा चलती थी वही पढ़ाई चलती रही । एक क्षण के लिये भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया कि सैकड़ों वर्ष से जो शिक्षा संस्थायें हमारे यहां चल रही हैं और शिक्षा प्रणाली चल रही है, उससे राष्ट्र को लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है ?

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, इसमें तो कोई समय नहीं होना चाहिये और अभी तो बहुत कम समय हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

१३ मिनट आप बोल चुके हैं और १५ मिनट होने चाहिये। आप कितने मिनट बोलना चाहते हैं ?

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, यह तो वैसे ही लंच का समय है। मैं कम से कम एक घंटा बोलना चाहता हूं। लंच के समय में सारी नियमावली ससपेंडेड रहती है।

श्री अधिष्ठाता—

१५ मिनट से अधिक समय नहीं दिया जा सकता है। ऐसा नियमावली में है। २–४ मिनट का समय और मिल सकता है। लंच में नियमावली ससपेंडेड नहीं रहती है। सिर्फ कोरम के विषय में यह सवाल है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन, जब अधिष्ठाता मंडल के स्थान पर बैठते हैं तो नियमावली देखते हैं और इधर ऐसी बातें करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें।

श्री कृष्णानन्दराय—

इस प्रकार राष्ट्रनीति निर्धारित न करने के कारण आज शिक्षा संस्थाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है और जैसा कि माननीय रामायण राय जी ने कहा है कि इनमें अव्यवस्था और अनुशासनहीनता है और सरकारी हस्तक्षेप तो इतना कम हो गया है, उसके लिये मैं आपको एक जिले का दृष्टिकोण बताता हूं। हमारे शहर में सिटी हायर सेकेन्डरी स्कूल है जिसको जर्मन मिशन ने स्थापित किया था। १९१४ में जब महायुद्ध छिड़ा तो भारतीय सरकार ने शत्रु द्वारा संचालित स्कूल मानकर इस पर बैन लगाना चाहा, तो जर्मनी ने इस स्कूल को भारतीय सरकार को दे दिया। दिल्ली से इसका मैनेजमेंट होना कठिन था। इसमें १५०० विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ६० अध्यापक हैं और इसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। हमारे जिले गाजीपुर से राष्ट्रीय नेता पैदा हुये हैं। वे इसी शिक्षा संस्थाओं पढ़े हुये थे। वह स्कूल अब खत्म होने जा रहा है। मैं श्रीमन, आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी ओर अविलम्ब ध्यान दें और हम चाहेंगे कि वे इसके संबंध में स्पष्ट घोषणा कर दें, नहीं तो वे शिक्षा के प्रति बड़ा अन्याय करेंगे।

श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियों से बाध्य होकर जर्मनी ने इसको भारतीय सरकार को दे दिया था। जब सरकार को दे दिया तो यह जनता का विद्यालय नहीं रह गया, बल्कि भारतीय सरकार का विद्यालय हो गया। सब डाकूमेंट्स उनके विभाग में मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी पढ़ते नहीं। सेक्रेटरी महोदय बिलकुल गलत रिपोर्ट दे देतेहैं। भारत सरकार ने बाकायदा लिखित डाकूमेंट्स से उत्तर प्रदेश की सरकार को ट्रांसफर किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंस्पेक्टर आफ स्कूल को आदेश दे दिया कि इस संस्था के तुम मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, इस संस्था को चलाओ। मैं आपसे माननीय मंत्री जी से और सदन के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब जर्मन मिशनरी ने भारत सरकार को स्कूल ट्रांसफर कर दिया, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार को ट्रांसफर कर दिया और उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इंस्पेक्टर को आज्ञा दे दी। तो सरकारी स्कूल है, या जनता का स्कूल है, कल्पनाथसिंह जी बता दें कि स्कूल किस का है ?

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिये शिक्षा मंत्री, जो अधिकारी मंत्री होंगे, वह जवाब में बतायेंगे।

श्री कृष्णानन्दराय—

यह कंट्रावर्सी है। आपको सुन कर ताज्जुब होगा, पिछले दस वर्षों से हमारे शहर में आन्दोलन हो रहा है। न मालूम कितने पेटीशंस लिखे गयें, लेकिन आज तक सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच पायी कि वह स्कूल सरकारी है या जनता का है। मैं माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जर्मन मिनशरी ने ट्रांस्फर कर दिया सेंन्ट्रल गवर्नमेंट को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिख दिया कि इस स्कूल की आप व्यवस्था करें, जमीन पर, भवन पर, कुर्सी मेज पर, सभी पर सरकार ने आधिपत्य कर लिया। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपने इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को यह आदेश लिख कर भेज दिया कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स कि वह इसकी वव्यस्था करें।

श्री कल्पनाथसिंह—

एक बात आपने नहीं बतायी। माननीय सदस्य कृपया बताने का कष्ट करें कि उसकी मैनेजिंग कमेटी ने जो उसका मैनेजमेंट था, उसको किसके जिम्मे सौंप दिया?

श्री अधिष्ठाता—

एक विद्यालय के बारे में इतनी लम्बी बहस चलायेंगे तो इस संकल्प के बारे में चर्चा नहीं होगी। आप रेफरेंस कर दीजिये, खत्म हो गया।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं यह साबित करना चाहता हूं, आप विरोधी दल की तरफ बैठते हैं, कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है शिक्षा के संबंध में। इस सरकार को यह भी पता नहीं है कि इस प्रदेश में उक्त विद्यालय जो चल रहा है, वह उनका है या जनता का है। संस्थायें चाहे मर जायं तब भी इनकी कान पर जूं नहीं रेंगती। आप जिस बात को रोज कहते हैं आज मैं कह रहा हूं। जर्मन ट्रस्ट वालों नें केन्द्रीय सरकार को ट्रांसफर कर दिया और उनकी मैनेजमेंट कमेटी खत्म हो गयीं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लिख दिया कि तुम मैनेजमेंट करो।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, बत्ती बुझा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

२५ मिनट हो गये हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इस पर मुझे बोल लेने दीजिये। पांच हजार आदमियों से आपका रिसेप्शन करवाऊंगा। आप हमारे पड़ोसी हैं, कृपा करके लाइट बुझा दें, मैं पांच मिनट में अपनी बात कह लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपके २५ मिनट हो गये, दो मिनट और आप बोल लीजिये।

श्री कृष्णानन्दराय—

अच्छा श्रीमन्, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह पूर्ण रूपेण सरकारी स्कूल है क्योंकि मिशनरी ने उसे राज्य सरकार को दिया और राज्य सरकार ने इन्सपेक्टर को दे दिया। कोई मैनेजिंग कमेटी उसकी नहीं है, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स उसको चलाता है। लेकिन सरकारी स्कूल की मान्यता उसको नहीं दी जाती और सरकारी स्कूल के अध्यापकों का वेतन वहां के अध्यापकों

[श्री कृष्णानन्दराय]

को नहीं दिया जाता। यह है कि सरकार पूर्ण रूप से उनके वेतन का व्यय बर्दाश्त करती है। हम लोगों ने निवेदन किया, प्रश्न द्वारा भी मैंने पूछा कि श्रीमान जी, उस स्कूल को.....

श्री कल्पनार्थसिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने अपने भाषण में यह कहा कि ५ हजार आदमियों से प्रदर्शन कराऊंगा। श्रीमन्, मेरा आग्रह यह है कि यह वाक्य प्रोसीडिंग्स से आप निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

बिलकुल यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और यह प्रोसीडिंग्स से नहीं निकाला जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह--

अपनी व्यवस्था देने के पहले मेरी बात आप सुन लें। ५ हजार आदमियों से प्रदर्शन कराने की बात जिस प्रसंग में कही गई उसका किसी तरह से भी औचित्य मालूम नहीं होता। यह मैंने माना कि आप बलिया के रहने वाले हैं और वह गाजीपुर के रहने वाले हैं, वह आपके पड़ोसी हैं, लेकिन यहां इस सदन में ५ हजार आदमियों का प्रदर्शन कराने की बात आपके खिलाफ कही जाय.....

श्री अधिष्ठाता--

यह हमारे खिलाफ नहीं है, आप बैठिये।

श्री कृष्णानन्दराय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने कत्तई आपको प्रभावित करने के लिये नहीं कहा था। मैंने तो यह कहा था कि इतनी भावुकता है कि इस प्रश्न को लेकर वहां पर कि आप का इसका समाधान हो जाने दें दो-चार मिनट में तो स्वतः पब्लिक आपका रिसेप्शन करेगी।

तो मैंने प्रश्न पूछा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी यह स्कूल आप सरकारी कानून के अन्तर्गत क्यों नहीं चलाते, तो शिक्षा मंत्री जी ने वह जवाब दिया "कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे पास कोई स्कीम नहीं है जिससे कि हम निजी स्कूलों को सरकारी स्कूलों के रूप में ले लें, लिहाजा हम इस पर सरकारी व्यवस्था नहीं लागू कर सकते"। हमारी समझ में नहीं आता स्कूल आपका, भवन आपका, बिल्डिंग आपकी, यह सब आपको ट्रांसफर हुये, फिर इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना की स्कीम कैसे लागू हो जाती है? उसको नये सिरे से राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न तो यह है नहीं। वह तो सरकार की सम्पत्ति है। सरकार पर यह आरोप है कि वह उसका सदुपयोग नहीं होने दे रही है। इसके बाद एक बहुत गलत आर्डर शिक्षा मंत्री जी के विभाग से चला गया है कि एक प्राइवेट मैनेजिंग कमेटी वहां बना दी जाय। श्रीमन्, एक तरफ तो यह आग्रह हो रहा है कि सारे प्रदेश में सभी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और स्कूलों में जो गड़बड़ हो रही है, उनकी व्यवस्था को ठीक करने के लिये सरकार उनको अपने अधिकार में लें और दूसरी तरफ सरकार, सरकार का ही जो स्कूल है उसके लिये कहती है कि प्राइवेट कमेटी उसकी व्यवस्था चलाये। यह कोई तृतीय पंचवर्षीय योजना में आने वाला स्कूल नहीं है कि उसकी स्कीम का प्रभाव इस पर पड़े। यह माननीय शिक्षा मंत्री जी के डिपार्टमेंट से बिलकुल गलत और अनैतिक आदेश हमारे जिले में चला गया है। इसको लेकर बड़ा तूफान वहां मच गया है। उसमें लिखा है प्राइवेट कमेटी जो बनाई जाय वह किनकी बनायी जाय? सिटी मैजिस्ट्रेट उसका ऐडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है और कलेक्टर अध्यक्ष बनाया जा रहा है और डी० पी० ओ० ट्रेजरर बनाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि कोतवाल को उसका प्रिंसपल बना दीजिये। बताइये, क्या मजाक है? जहां पर १६ सौ विद्यार्थी पढ़ते हों, सिटी मैजिस्ट्रेट उसका मैनेजमेंट कैसे करेगा? वह तो और वहां गोली चलवा देगा।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृष्णानन्दराय ने बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से बात आज सदन के सम्मुख रखी और इतने मजे से मैं इनकी बात आज सुन पाया जितना कि पहले कभी नहीं सुन पाया था और मुझे लगता है, अगर मेरी बात सही हो, तो सरकार की वकालत माननीय कृष्णानन्दराय जी जो वक्त वक्त पर किया करते हैं, आज वह थोड़ा कम करके सदन को एक व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने समझाया है। रामायण राय जी के संकल्प का मंशा तो यह है कि जो शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसका तरीका और तौर जो गलत है और शासन का जो उसमें हस्तक्षेप है उसके संबंध में एक आयोग की स्थापना होनी चाहिये। यही इस संकल्प का मत है। अंग्रेजी सरकार के जाने के बाद यदि भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा के संबंध में कोई अपना कोड नहीं बना पाई। गान्धी जी की वर्धा स्कीम के संबंध में यह सरकार कुछ नहीं कर पाई, वही अंग्रेजी भाषा आज भी इस प्रदेश में चल रही है, जिससे अंग्रेजी सरकार १००, २०० वर्ष तक यहां पर राज्य करती रही और वह भाषा आज भी हमारे शिक्षा जगत में विद्यमान है, इससे मुझे ऐसा लगता है अंग्रेज नाम का बनिया तो यहां से पीछे हट गया है, लेकिन जो वह अपनी तराजू और बाट छोड़ गया है उसी से ये भारतवर्ष की किस्मत को तोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हिन्दी भाषाभाषी लोग रहते हैं और हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र है। अगर यहां पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षण संस्थाओं में स्थान दिया जाता है तो यह कहां तक उचित हो सकता है? यह सरकार अंग्रेजी भाषा को बराबर प्रोत्साहन देती जा रही है जो कि गुलामी मनोवृत्ति का परिचायक हो सकता है। इससे अधिक मैं और क्या इस सरकार के लिये कहूं। कितनी ही बार सोशलिस्ट पार्टी ने सदन के बाहर यह बात दोहराई है कि हिन्दी का माध्यम हिन्दी भाषाभाषी प्रदेश में होना चाहिये। यदि हिन्दी आज भी अपना उचित स्थान उत्तर प्रदेश में ग्रहण नहीं कर पाती तो यह सरकार की राजनीतिक पालिसी का परिणाम है। आज सारी शिक्षण संस्थायें मंत्रियों के चुनाव का अखाड़ा बनी हुई हैं। सारी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें यही काम करती हैं कि उनके मैनेजर पोलिंग एजेन्ट का काम करें। आज उन लोगों का अस्तित्व इसी कारण से है कि वे चुनाव में मंत्रियों का काम करें। इसी आधार पर उनको सहायता मिलती है। इसी कारण से उनके ऊपर नियन्त्रण रखा जाता है। मैनेजर लोग चुनाव में कांग्रेस का झंडा लेकर घूमते हैं। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बात को आज सब जानते हैं कि शिक्षा संस्थायें आज बिलकुल चुनाव का अखाड़ा बनी हुई हैं। वहां पर पार्टीबाजी बहुत होती है। जो सरकार इस तरह से शिक्षण संस्थाओं में करती हो वह अगर जनतन्त्र की दुहाई देती रही हो। तो फिर यह कहां तक उचित है? यदि हम सरकार की आलोचना करते हैं तो किसी आधार पर ही करते हैं। मैं एक नहीं। अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

बहुत से स्कूलों में देखा गया है कि मैनेजमेंट कमेटी में झगड़ा होता है। ऊपर स्तर के लोग भी लड़ते हैं। इस कांग्रेस सरकार के अन्दर दो ग्रुप बने हुये हैं। वही ग्रुप शिक्षण संस्थाओं में भी लड़ाई करते रहते हैं। जहां पर शिक्षण संस्थायें विरोधी पक्ष के लोगों के हाथ में हैं वहां तो उनको निकाला ही जाता है। आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उसके लिये मैं एक उदाहरण कैलाशप्रकाश जी के सामने रखना चाहता हूं जिससे रामायणराय जी की मन्शा पूरी हो जायगी। ४, ५ साल पहले की बात है कि अहेन स्कूल का झगड़ा हाथरस, जिला अलीगढ़ में चला। वहां पर दो दल थे। एक दल गुप्ता जी का था और दूसरा दल गौतम जी का था। सब जानते हैं कि गुप्ता जी के दल ने गौतम जी के गले में जूतों का हार पहनाया। एस० पी० के सिर में चोट आई और वह मुकदमा हाईकोर्ट तक चला। जवाहरलाल जी ने वह फैसला अदालत में जाकर कराया। यह आपस के झगड़े हैं। इससे अधिक और क्या पार्टीबाजी हो सकती है?

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

रामायणराय जी की बात इस संकल्प पर सही मालूम पड़ती है। ऐसे अवसर पर यह सरकार जनतन्त्र की परम्पराओं की बात बिलकुल भूल जाती है। यहां पर वही स्थिति दिखाई देती है कि जिस समय मुगल साम्राज्य मिट रहा था तो वह बहादुरशाह आपस में झगड़ा कर रहा था। आज इस सरकार के राज्य में वही बात हर क्षेत्र में दिखाई देती है और हर क्षेत्र में वही बात चलती आती है।

अधिष्ठाता महोदय, अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश में जनतांत्रिक परम्परायें पनपें, शिक्षा की उन्नति हो और सरकार का अंकुश इन संस्थाओं पर रहे और उनमें राजनीतिक वातावरण न बढ़े। तो उनके लिये इस सरकार को पहल करनी पड़ेगी। जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो सरकार कहती है कि विरोधी पक्ष उनके साथ जुड़ा हुआ है। विरोधी पक्ष तो हर दशा में सरकार का ही अंग हुआ करता है और कहीं भी सुधार करने के लिये पहला कदम सरकार को ही उठाना होता है। सरकार में तो ऊपर से नीचे तक पार्टीबंदी है। न जाने कितनी ही शिक्षा संस्थाओं को इसी कारण गलत ऐड दी जाती है। मांटेसरी स्कूलों के बहाने न जाने कितना रुपया हमारे कांग्रेसी भाई ले चुके हैं और उस पैसे से चुनाव में मदद की जाती है। तो इस प्रकार जनतांत्रिक परम्पराओं को यह सरकार पनपने नहीं देना चाहती। मुझे समाजवादी दर्शन पढ़ने से मालूम हुआ है कि इस स्थिति में ही अनार्किज्म बढ़ता है और यह सरकार उसे बढ़ाना चाहती है। मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह शिक्षा संस्थाओं को अच्छी प्रकार से चलाना चाहती है, अगर वह चाहती है कि वह प्रजातांत्रिक ढंग से बढ़े, पनपें, तो आपको इस आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये। उसमें सरकारी और गैर सरकारी, दोनों प्रकार के सदस्य हों और वह सरकार को एक नीति दे, एक दिशा दे, एक कोड आफ कंडक्ट दे, तभी हम सफल हो सकते हैं। सरकार हमारी बात को मान कर इस संकल्प को जरूर माने। इसमें उसे हिचक नहीं होनी चाहिये। इससे उसका कल्याण ही होगा। मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह हमारी बातों पर ध्यान देकर इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे।

*श्री रामलखन शुक्ल--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कुछ निवेदन करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे दुख है कि इस समय प्रस्तावक महोदय उपस्थित नहीं हैं। मेरे ख्याल से उनको मौजूद रहना चाहिये, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपके माध्यम से उनके पास मेरी बातें पहुंच जायगी और वे उन पर विचार करेंगे।

जिन कठिनाइयों के कारण प्रस्तावक महोदय ने आयोग की मांग की है उनमें अनुशासन-हीनता, आर्थिक दुरवस्था, गिरी हुई दशा, आदि अनेक कारण हैं। संकल्प के दो भाग हैं। पहले भाग में कारण है और दूसरे में आयोग की मांग है। हमें देखना है कि इनमें कितनी वास्तविकता है। जहां तक कारणों का सम्बन्ध है राजकीय हस्तक्षेप, अनुशासनहीनता, गिरी हुई दशा, आदि सब हैं और उनसे सब सहमत हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अनुशासनहीनता जो है उसका विस्फोट समय-समय पर हुआ करता है और उससे सदन के बहुत से सदस्य परिचित हैं। गिरी हुई दशा से भी हम सब परिचित हैं।

राजकीय हस्तक्षेप भी किन-किन अवसरों पर होते हैं, कितने आवश्यक और अनावश्यक होते हैं, कितने विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क के कारण उनका दुरुपयोग होता है और संस्थाओं के हित में उनका उपयोग होता है या नहीं, तो इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन यह सच है कि अनुशासनहीनता है, आर्थिक अवस्था गिरी हुई है, राजकीय हस्तक्षेप भी है परन्तु जरा हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारणों की ओर विचार करें। यह सिर्फ कह देना कि अनुशासनहीनता है और आयोग के गठन की बात कह देना, इससे ही समस्या का हल नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति तो आज समाज की ही नहीं, देश और प्रदेश की गिरी हुई और अगर इन आर्थिक कठिनाइयों से हमारी शिक्षा संस्थायें संकट करती है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। उस रोज प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि राजकीय हस्तक्षेप हमारी शिक्षा संस्थाओं में होता है। तो "शिक्षा संस्था" शब्द काफी व्यापक है। यह यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी शिक्षा तक के लिये प्रयुक्त हो सकता है। तो हमें बहुत विवरण के साथ विचार करना होगा कि किन-किन अवसरों पर हस्तक्षेप होता है और हुआ है। अब प्रश्न यह है कि वह संस्थाओं और अध्यापकों के हित में हुआ है या नहीं। जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां तो राजकीय हस्तक्षेप का प्रश्न बहुत कम उठता है और अगर हुआ है तो उनके हित में ही हुआ है और प्राइमरी स्कूलों में राजकीय हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता। उनको लोकल बाडी चलाती हैं और सरकारी अधिकारी एक निश्चित मर्यादा और कानून के अन्तर्गत काम करते हैं। अब जहां तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडियट कालिजों का सम्बन्ध है उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको सरकार सीधे चलाती है और अधिकांश प्राइवेट मैनेजमेंट में हैं। सरकार जो चलाती हैं तो वह तो सरकारी हैं ही। जो प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा चलाये जाते हैं उनमें सरकारी हस्तक्षेप की शिकायत की जा सकती है। एक अध्यापक की हैसियत से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी हस्तक्षेप अगर हुआ है तो उन संस्थाओं और वहां के अध्यापकों की बिगड़ी हुई अलग हालत को सुधारने में ही हुआ। अगर रामायणराय जी गौर से देखें तो सैकड़ों ऐसे केसेज पेंडिंग में हैं ट्रिब्यूनल्स के सामने जिनमें प्राइवेट मैनेजमेंट ने अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार किया। वेतन लिखाते हैं १२० और दस्तखत उसके कराते हैं और देते हैं ८० रुपये। ढाई सौ दिखा कर डेढ़ सौ देते हैं और प्रिंसिपल को ४०० दिखाकर ढाई सौ देते हैं। वह बाकी रुपया कहां जाता है? उस संस्था के पास जाता है। तो ऐसा अन्याय अध्यापकों के साथ न हो और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें इसके लिये व्यवस्था करना सरकार का काम है, कर्त्तव्य है। इसीलिए जनता सरकार बनाती है ताकि एक सुव्यवस्थित ढंग से उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और वह पर्याप्त सुविधायें पा सकें।

अगर सरकार की ओर से हस्तक्षेप न हो तो कौन ऐसा संगठन है जो आज अध्यापकों को सुरक्षा दे सकता है? यदि उनका वेतन क्रम ठीक न हो, वे मैनेजिंग कमेटी द्वारा परेशान किये जायं। तो उस सब को कौन देखेगा? आप सरकार किसी प्रकार की भी बनावें, वह हमारी हो अथवा आपकी, लेकिन उससे यह अधिकार छीन लेना कि वह हस्तक्षेप न करे, मैं समझता हूं कि सरकार के कर्त्तव्यपालन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को छीन लेना है।

इस प्रस्ताव में एक संशोधन है कि इन शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। इधर के लोगों ने भी इसके पक्ष में आवाज उठायी है। आज की स्थिति में मेरा ख्याल है कि इन संस्थाओं का भले ही अफसरीकरण या सरकारीकरण हो जाय, राष्ट्रीयकरण होना संभव नहीं है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी ओर यह कहना कि उनमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो, कहां तक उचित मालूम होता है। प्रस्तावक महोदय ने ही कहा कि विभिन्न स्तरोंपर सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक है और इसलिये आयोग की स्थापना की जाय, मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति में यह फिट बैठता नहीं। आज सरकारी हस्तक्षेप इन संस्थाओं में केवल एक अंग पर है और जितना हस्तक्षेप है वह मैं समझता हूं कि अध्यापकों के कल्याण के लिये है, उन संस्थाओं के कल्याण के लिये है। आज अनेक ऐसी संस्थायें हैं कि जिनके अध्यापकों को वेतन सरकार स्वयं देती है। उनका मैनेजमेंट आपस में लड़ता रहता है। सरकार की ओर से अगर हस्तक्षेप न हो तो आपके पास रेमिडी भी क्या है? इसलिये मैं प्रस्ताव के उस अंश का जिस पर माता प्रसाद जी का संशोधन है कि उसको निकाल दिया जाय, समर्थन करता हूं। सरकार कोई भी हो, आपको उसे यह अधिकार देना होगा। हां, यदि वह अनुचित हस्तक्षेप करे तो आपको उसे रोकने के अधिकार से कोई वंचित नहीं करता।

[श्री रामलखन शुक्ल]

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि क्या अभी तक कोई आयोग नहीं गठित किये गये जो यह मांग की जा रही है और यदि कोई आयोग गठित किया जाय तो उसके लिये शर्तें क्या होंगी। वह कैसे अपना कार्य करेगा और किस सीमा तक उसकी सिफारिशों को मानेगी, यह सब तय होना चाहिये। आज तक जितने आयोग बने हैं उनको आप जानते हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी। मुदालियर कमेटी, इसके अतिरिक्त सर राधाकृष्णन कमीशन आदि अनेक कमेटियां बनीं। मेरी शिकायत है कि अभी तक जितनी कमेटियां बनीं उनकी सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। सरकार को आर्थिक कठिनाईयां हो सकती हैं, लेकिन आयोग न गठित होने के कारण वर्तमान अवस्था है। ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आयोग गठित हुए हैं उनकी सिफारिशों को अगर पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट किया गया होता तो आज इस संकल्प के लाने की आवश्यकता ही न पड़ती और इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि जब तक जितनी सिफारिशें आयी हैं उनको पूरी कराने के लिये वह सरकार से कदम उठायें। अनुशासनहीनता आदि को दूर करने के लिये उसमें सुन्दर सुझाव हैं। आर्थिक अवस्था को भी दुरुस्त करने के इन रिपोर्टों में सुझाव हैं। राजकीय हस्तक्षेप किन अवसरों पर हों, इसका भी पर्याप्त संकेत है। मैं समझता हूं कि उन्हीं रिपोर्टों का एक रिव्यू किया जाय और सरकार पर जोर डाला जाय कि उनके सुझावों पर अमल करने की कोशिश करे।

शिक्षा के स्तर, स्वरूप और सिद्धांत पर यह आयोग प्रकाश डाले, यह एक अलग बात है। आज से नहीं, प्रारम्भ में ही समाज के ढांचे को कैसे संचालित किया जाय, इस सम्बन्ध में शिक्षा शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों और राजनीतिक पुरुषों में सदैव मतभेद रहा है। आज भी हमारे सामने एक बड़ा इंटेरोगेशन यह है कि शिक्षण संस्थाओं का संचालन कैसे हो। क्या रामायणराय जी कलम की नोक से ये संस्थायें चलें या शिक्षा शास्त्रियों की बात के अनुसार या समाज शास्त्रियों की इच्छा के अनुसार चलें? इस पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। मेरी राय में सरकारों को इसमें कम से कम दखल देना चाहिये। जो बात शिक्षा शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों में तय हो, सरकार उसमें सहायक बने। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम हर चीजों के लिये सरकार की तरफ देखते हैं। इस प्रश्न वाचक चिन्ह का उत्तर कोई आयोग ही दे, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके महत्व को पूरी तरह से हृदयंगम करके इसपर विचार किया जाय। मैं बहुत स्पष्ट रूप से समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार के आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि अब तक के गठित आयोगों की रिपोर्टों को रिव्यू किया जाय और उनमें जो सार्थक सुझाव हों। उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार से आग्रह किया जाय। शिक्षा की नीति और उद्देश्यों के बारे में रूसी और वाल्टेयर ने शिक्षा के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर दिया है। अगर उन्हीं के पद-चिन्हों पर हम चलें तो हमारी शिक्षा का क्रम आगे बढ़ेगा और अनुशासनहीनता का नितान्त अभाव हो जायगा। इसलिये मैं आयोग के गठित होने से सहमत नहीं हूं।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामायणराय जी ने आयोग की स्थापना की मांग इसलिये रखी है कि प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में अव्यवस्था है, अशान्ति है, राजकीय स्तरों पर हस्तक्षेप है, आर्थिक दशा गिरी हुई है, जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है और अनुशासन-हीनता फैलती जा रही है। यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और मांग भी समय के अनुसार बहुत ही उचित है।

अभी हमारे वक्ता महोदय ने जो कारण दिया उसमें उन्होंने वाल्टेर और रूसी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और कहा कि उन्होंने शिक्षा की जो नीति बनाई है वह बहुत ही पर्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भारतीय परम्पराओं का ज्ञान नहीं है और जैसे अंग्रेजों ने शासन कांग्रेस को विरासत में दे दिया है उसी प्रकार की गुलामी को लेकर वह ऐसी बातें कहते हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय परम्परा के अनुसार शिक्षा की नीति पर विचार किया जाय। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो अशान्ति और दूषित वातावरण शिक्षा संस्थाओं में है वह अवश्य दूर हो सकता है। अभी हमारे कृष्णानन्दराय जी ने एक बात बहुत हिम्मत के साथ कह दी कि शिक्षा मंत्री के कार्यालय से गलत आदेश जाते हैं जिनसे बहुत अशान्ति और अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न होता है। मैं भी यह आरोप लगाना चाहता हूं। अभी उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से देहातों में अंग्रेजी शिक्षा को कायम करने का एक परि-पत्र भेजा। जिसमें उन्होंने कहा कि १ से ५ तक जो अंग्रेजी की शिक्षा दी जायगी उसमें फीस लगेगी। जिन स्थानों पर प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य है वह भी फीस लगने से असन्तोष और अशान्ति का वातावरण निश्चय रूप से पैदा होगा। बहुत सी जिला परिषदों ने कहा कि हम फीस नहीं लेंगे। अगर यह राजकीय हस्तक्षेप शिक्षा संस्थाओं से हट जायं और उन्हें पल्लवित होने दिया जाय तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे बढ़ेंगी, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, अनुशासनहीनता नहीं होगी और आर्थिक प्रयास भी शिक्षा संस्थायें ठीक से करेंगी। हमारे सामने कुछ उदाहरण भी हैं। महामना मालवीय जी ने जब हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो उनके पास क्या था? वह एक भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में घूमते और उनके जीवन का एक लक्ष्य था। उससे उन्होंने एक महान् विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में की। आज उसकी स्थिति सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इसी तरह से शिक्षा प्रेमी स्थान-स्थान पर संस्थाओं को चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी प्रत्येक क्रिया पर अंकुश रखना चाहती है, यह कह कर कि वेतन कैसे दिया जायगा, अध्यापकों के हित की वह रक्षा कर रही है, हम ग्रान्ट-इन-ऐड देते हैं।

आपको याद होगा कि आचार्य नरेन्द्र देव लखनऊ विश्वविद्यालय में जब उपकुलपति थे तो उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली का माध्यम हिन्दी होगा, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हिन्दी के प्राध्यापक पढ़ाते हुये भी यह कहते "Kalidas was a noble poet; Tulidas was a noble poet." थे कि इस प्रकार से वे अंग्रेजी में पढ़ाते थे : श्रीमन्, यह बहुत ही व्यापक प्रस्ताव है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस समय गड़बड़ चल रही है, जैसे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है, स्कूल की मैनेजिंग कमेटीज में संघर्ष चल रहा है और इसका सारा उत्तरदायित्व सरकार पर है, क्योंकि जब आर्थिक सहायता दी जाती है तो किसी स्कूल को ज्यादा और किसी स्कूल को कम दी जाती है। जिन संस्थाओं का स्तर गिरा हुआ है उनको ज्यादा और जिन संस्थाओं स्तर ऊंचा है उनको कम सहायता दी जाती है। कभी विद्यार्थीयों की फीस बढ़ा दी जाती है और कभी कम कर दी जाती है, कभी पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन कर दिया जाता है। एक साल एक पुस्तक चली दूसरे साल दूसरी प्रकार की पुस्तक आ गयी। इसमें अभिभावकों को परेशानी होती है। इन चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में अव्यवस्था न हो। कई बार सरकार ने भी इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है कि अनुशासनहीनता बढ़ रही है, शिक्षा संस्थाओं का स्तर गिर रहा है, स्कूलों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर क्या वजह है कि सरकार आयोग की स्थापना करना नहीं चाहती है। जो पूरे प्रदेश की प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट पेश करे और शिक्षा संस्थाओं की प्रगति में सहायक सिद्ध हो। मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस का यह शासन अपने बहुमत के बल पर विरोधी दलों की ओर से जो भी चीज पेश की जाती है उसको ठुकराने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और मेरा विश्वास है कि उसका हल निकल आयेगा। यह आयोग शिक्षा नीति और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने हमारी मदद करेगा।

मेरे एक मित्र ने कहा कि यह बताया जाय कि राजकीय हस्तक्षेप कहां होता है। माध्यमिक विद्यालयों में जहां इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स काम करते हैं वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप का डंडा लेकर

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

ही मैनेजिंग कमेटीज में घुसे रहते हैं और इसी बात से प्रभावित होकर अपने निर्णय देते हैं। यह हस्तक्षेप नहीं तो क्या है ? अगर राजकीय व्यवस्था सहायता और सहयोग के रूप में होती तब तो मान्य हो सकती थी। अगर उसकी वजह से हरएक शिक्षा संस्था उन्नति करती जाती तब कहा जा सकता था कि राजकीय सहयोग उचित है। उससे वहां के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती और वे भी ठीक प्रकार से आगे बढ़ते जाते। लेकिन देखने को यह मिलता है कि इन शिक्षण संस्थाओं में पार्टीबन्दी घुसी पड़ी है जिससे वे विभिन्न प्रकार के रानजनीतिज्ञों का अखाड़ा बनी हुई हैं और उसके परिणाम यह है कि उसकी वजह से हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर विद्यार्थियों में भी अनुशासन को भंग करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है और अध्यापकों के अन्दर भी एक असन्तोष की लहर व्याप्त है। आज वे भी अपनी जगह पर अपनी नौकरियों को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या है ? उसका मूल कारण यह राजकीय हस्तक्षेप है। जिस तरह से आज हमारे देश के अन्दर मंहगाई बढ़ रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और हमारी स्वतंत्रता को खतरा है जिसका अपहरण करने के लिये आज उत्तर में चीन तथा पाकिस्तान की सेना खड़ी है और जिसकी तरफ आज सारे भारतवर्ष की आंखें लगी हुई हैं, तो इस सारे भ्रष्टाचार की जड़ क्या है ? यह मानी हुई बात है कि यह सब सरकारी नीतियों की वजह से है। अगर सरकार की नीतियां ठीक होती तो आज जो अराजकता का दृश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखलायी पड़ता है, कभी भी दिखलायी नहीं पड़ सकता। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी जीवन असुरक्षित है, शिक्षा के क्षेत्र में जीवन असुरक्षित है और आर्थिक क्षेत्र में भी आज इंसान भूखों मर रहा है और यह सब सरकारी नीतियों का ही परिणाम है। अगर सरकार की नीति ठीक होती तो निश्चित रूप से एक सन्तोष की लहर प्रदेश के अन्दर दिखलायी पड़ती।

अगर एक सिद्धांत के रूप में माना जाय तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार की नीति गलत रही है जिसके कारण शिक्षा संस्थाओं के अन्दर अव्यवस्था, अशान्ति व इस प्रकार के सारे भ्रम फैले हुये हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर शिक्षा की अभिवृद्धि हो, प्रदेश में शिक्षा का संचालन करने वाले लोगों के अन्दर एक उत्साह हो, तो यह आवश्यक है कि माननीय रामायणराय जी के इस संकल्प को मान कर एक आयोग की स्थापना की जाय।

श्री कृष्णानन्दराय--

जरा यह भी बतला दें कि आयोग जांच करेगा या सुझाव देगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

आयोग का काम तो सुझाव देना ही है। इस संकल्प में तो दिया हुआ ही है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था, अशान्ति तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप एवं गिरी आर्थिक दशा के फलस्वरूप शिक्षा स्तर के गिरने और अनुशासनहीनता फैलने की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय ? तो इसमें आपने कौन सा नया प्रश्न कर दिया ?

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग आपस में बातचीत न करें। अब आपका समय समाप्त।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन विचारधाराओं और भावनाओं से, प्रेरित होकर यह संकल्प इस सदन में उपस्थित किया गया है, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं। गोया संकल्प जिस रूप में उपस्थित किया गया है उसके अन्दर बहुत-सी कमियां व खामियां हैं, परन्तु उन कमियों और खामियों में न जाते हुये मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है उसे पाट पालिटिक्स से अलग होना चाहिये। कोई भी राष्ट्र और समाज जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझता, वह अपने भविष्य को संवारने में हमेशा असमर्थ साबित हुआ है क्योंकि जो भविष्य की प्लानिंग है और जिस विकास को आप भविष्य में करना चाहते हैं उसकी सारी पृष्ठ-भूमि हमारी शिक्षा पर आधारित है। जिस देश की शिक्षा कमजोर है, जिस देश की शिक्षा एक गुमराह इंसान की तरह आगे बढ़ती है, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप जब प्लानिंग की बात करते हैं तो जमीन की प्लानिंग की बात करते हैं, नदियों की प्लानिंग की बात करते हैं, सड़कों की प्लानिंग की बात करते हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस हिन्दोस्तान की विद्वता का लोहा पिछले जमाने में सारा संसार मानता रहा है, वहां दिमाग की प्लानिंग का आज तक आपने जो परिचय दिया है वह बहुत ही दुखद परिचय है और जिस देश में इतने ऊंचे विद्वान हों और वह अगर भविष्य के लिये शिक्षा का प्लानिंग न कर पायें तो यह बहुत ही दुख का विषय होगा। मैं क्यों इतना दुखी हूं, छोड़ दीजिये गरीबी की बात को। छोड़ दीजिये आर्थिक परिस्थिति को, आप के पास पैसा नहीं है, ठीक है लेकिन जिन अक्षरों द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है उन की शक्ल क्या होगी यह भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं शिक्षा के और जो स्पेशलिस्ट्स हैं उन के दिमाग में कोई चीज स्थिर नहीं होती और वह अक्षरों की सूरत को बदलने का निर्णय करते हैं। मुझे महान दुख है कि जब हमारे बच्चों को आधी पाई और फटे सिर के अक्षरों की किताबें दी गई और उन से पढ़ने को कहा गया और फिर कुछ दिन बाद उस को वापस लिया गया। कारण इस राज्य की हेराफेरी का यह है कि वह लोग जो एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बनते हैं उनको अपनी बुद्धि पर स्वयं भरोसा नहीं है, उनके दिमाग में कोई भविष्य की प्लान या तस्वीर नहीं है। वह नहीं समझता कि फोनेटिक सम्बन्ध आवाज का और दिमाग का क्या है, उनके दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पाते।

श्री अधिष्ठाता—

आप २ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

तो फिर मैं बोलता ही नहीं।

श्री कृष्णानन्दराय—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी आपको उन्हें बोलने की इजाजत देना चाहिये, जब उन्होंने हाउस की फ्लोर बोलने के हेतु टेकअप कर लिया तो उनको आप कैसे रोक रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था की बात है, जब मैंने उनको इजाजत दी थी तब मेरे सामने लिस्ट नहीं आई थी, लिस्ट आने पर मालूम हुआ कि वह पहले इस पर बात बोल चुके हैं। इसलिये मैं जब समझता हूं कि वह २ मिनट में समाप्त कर दें। अब इस पर गैर सरकारी दिनों में पहले काफी बहस हो चुकी है और अगर माननीय रामायणराय जी चाहें तो इस प्रस्ताव को अब....

श्री कृष्णानन्द राय—

अभी तो बोलने को और लोग तैयार हैं।

*श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया इस के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस के सम्बन्ध में संसार के मनीषियों ने हर प्रकार की रायें दी हैं। हमारे देश में भी जो शिक्षा पद्धति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

चल रही है उसके सम्बन्ध में भी अलग अलग रायें दी जाती हैं। शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में हमारे देश के जो बड़े-बड़े विद्वान हैं उन्होंने यह बात जरूर कही है कि आज की जो शिक्षा है वह हमारे नवयुवकों के लिए पूर्ण नहीं कही जा सकती क्योंकि उसमें बहुत तरह की कमियां हैं। यह तो ठीक ही कहा जाता है कि अंग्रजों ने यहां पर आरम्भ में अपनी क्लर्कों की जरूरत को पूरा करने के लिये शिक्षा का प्रसार किया। परन्तु आजादी के बाद परिस्थिति बदली। लेकिन आज भी हमारी पुरानी पद्धति भी ठीक से नहीं चल पा रही है क्योंकि आज जितने शिक्षा के विशेषज्ञ कहे जाते हैं वह इन्हीं यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, वह कायल हैं कि जब तक अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा नहीं दी जायगी तब तक यह पूर्ण नहीं होंगे हमारे देश देश में कुछ ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं जिनका सरकार से कोई सम्बन्ध में नहीं है और जो यूनिवर्सिटीज से अपने स्नातक निकलते हैं उनसे किसी प्रकार भी वह योग्यता में कम नहीं है। सवाल यह है कि जब सरकार ने कुछ सर्विसेज को मान्यता दे रखी है कि इस प्रकार की जो शिक्षा पाकर निकलेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, जब सरकारी नौकरी का ऐल्योरमेंट है तो स्वाभाविक (लालच) है कि हर आदमी उस शिक्षा की तरफ झुकेगा। यह बात सही है कि शिक्षा सरकारी छत्रछाया में पूर्ण रूप से फलवती नहीं हो सकती, और यह भी सही है कि सरकार चाहे तो भी सारी शिक्षा संस्थाओं को उस स्टैन्डर्ड पर नहीं चला सकती, क्योंकि जितना पैसा चाहिये आपके पास। उतने साधन नहीं हैं और आज जितनी शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उनमें सरकारी संस्थायें बहुत कम हैं। सरकार उन को आर्थिक सहायता देती है पर यह बात भी अपनी जगह सही है कि वह सरकार के रुख को देखा करते हैं कि कहीं सरकार हमसे नाराज न हो जाय, या सरकारी नियमों की उपेक्षा न हो जाय। हमारे सामने यह प्रश्न है कि क्या सरकार इन शिक्षा संस्थाओं को ले कर चला सकती है कि नहीं? माननीय रामायणराय जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसकी वजह शायद यह हो कि सरकार अपनी छत्रछाया में ले ले, या कमीशन कोई ऐसा उपाय बता देगा जिससे हम इन कमियों को दूर कर देंगे। मेरा विश्वास कमीशंस में नहीं रहा क्योंकि जितने कमीशन आये उनकी सिपारिशों पर पूरे तरह से आचरण नहीं हुआ। जिस प्रकार से और ऐक्सपेरीमेंट होते हैं उसी तरह वह भी एक ऐक्सपेरीमेंट बन कर रह जाता है। लेकिन उनके अनुसार काम करने पर आप यह मान लें कि हमारी शिक्षा संस्थायें सुधर जायेंगी और बच्चों में अनुशासन आ जायगा। तो अनुशासन के लिये अगर फौजी शिक्षा दी जाय तब तो अनुशासन के लिये उससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। इन शिक्षा संस्थाओं में जिस प्रकार की बनावटी शिक्षा दी जाती है, उससे विद्यार्थी आरामतलब बनते हैं, यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनसे हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमको अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी है, ऐसे वीर पैदा करने हैं जिसका स्वप्न हमने ४०,५० साल पहले देखा था। जो गांधी जी ने नान-कोआपरेशन का आदर्श हमारे सामने रखा वह चीज हमको देखने को नहीं मिलती। वह जो चीजें हमको मिली हैं उन राष्ट्रीय संस्थाओं से ही प्राप्त हुई हैं जो कार्य से विमुख होकर उन्होंने एक अपनी प्रेरणा की शक्ति प्रदान की है। लेकिन आज वे शिक्षा संस्थाएं भी सरकार का रुख देख रही हैं। वे राष्ट्रीय संस्थाएं भी सरकारी बनती जा रही हैं। इस बात का दुःख होगा जब ये राष्ट्रीय संस्थाएं सरकार के हाथ में आ जायंगी। उन युवकों को जिनको हम देश के भावी राष्ट्र निर्माता बनाना चाहते हैं उनके अन्दर यह भावना, स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती जब तक कि वे स्वतंत्र संस्थाओं में शिक्षा न पायें।

श्रीमन्, सरकार केवल यह चाहती है कि खाली कुत्ते और बिल्ली की कहानियां पढ़ाकर बच्चों को शिक्षा दी जाय। दूसरी बात यह है कि जो कोर्स होता है वह हर साल बदला जाता है। इस को भी एक प्रकार का रोजगार बना रखा है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे कैरीकुलम में ऐसी किताबें हों जो स्तर को ऊंचा करने वाली हों और जो न हों उनको अवश्य बदल दिया जाय, लेकिन टैक्स्टबुक्स जो एक रोजगार की व्यवस्था हो गयी है न बनने दिया जाय। हमारे जो पब्लिशर्स हैं वे भी हमारा रुख देख कर ही किताबें लिखते हैं कि कौन-कौन सी किताबें चल सकती हैं उनको

ही लिखना शुरू करते हैं। हमारे यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण इसलिए बनायी थी कि हमारे गांव के लोग या हमारे देश के लोग इसको पढ़ कर शिक्षा प्राप्त करें। हर एक हिन्दुस्तानी के घर में जहां पर कोई लाइब्रेरी नहीं थी वहां पर यह रहे और हम लोग इससे आचरण करना सीखें कि मनुष्यता का और आदमी के साथ आदमी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ भाई को कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके सारे आदर्श जो एक मानव को मिलने चाहिए वह रामायण हमको देती है और आज हम जिन किताबों को बच्चों को पढ़ाते हैं जिन आदर्शों को शिक्षा संस्थाओं में रखते हैं उससे हमारे युवकों का उत्थान नहीं होने वाला है, यह मेरा निश्चित मत है। इसका उत्तरदायित्व आप पर और हमारे ऊपर सब के ऊपर है। यह कहकर हम नहीं भाग सकते कि इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। आज जो कुछ बुराई है वह हमारी जिम्मेदारी है। उसको हम दूर नहीं कर पाते हैं। अगर हम उन्हें अपनी कायरता के साथ कबूल कर लेते हैं तो कम बरी नहीं हो सकते। चूंकि हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं इसलिए जितनी जिम्मेदारी अध्यक्ष की है उससे हम हमारी और आपकी नहीं है। कभी-कभी यह जवाब दिया जाता है कि अगर अंग्रेजी शिक्षा यहां से गयी तो लोग विज्ञान कैसे पढ़ेंगे। पर स्मरण रहे कि रूस और जर्मनी में किसी भी देश में साइंस की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से नहीं होती। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति है उसका मूल श्रोत इस बात में है कि हम जिस बात को जानना चाहते हैं हमारे भीतर जिज्ञासा है। आज हम कम्पल्सरी एजूकेशन की बात करते हैं। एजूकेशन में ५ और १६ साल तक की प्रारम्भिक शिक्षा में तो आप जरूर अनिवार्य कर लें, लेकिन आज जिस प्रकार की चीजों में हमारे युवक इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ गये हैं वे हैं लगजरी की चीजें। सफेद कपड़ा पहनना। भड़कीले कपड़े पहनना वे ज्यादा शोभा की बात समझते हैं और धूल लग जाय तो अपमान समझते हैं। मस्तिष्क और शरीर दोनों का विकास आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता--

सफेद कपड़ा पहनना तो शिक्षा के विरुद्ध नहीं है ?

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

बात ठीक कही, लेकिन उससे हमारे शरीर की सुन्दरता भले ही बढ़ती हो, अन्दर की प्रतिभा नहीं बढ़ती। आज हमारे मुल्क को जरूरत अर्जुन तथा अभिमन्यू जैसे वीर पुरुषों की है और दुर्गा तथा लक्ष्मी जैसी वीर औरतों की है। हम ऐसे वीर पुरुषों और रमणियों को पैदा करें जो हमारे देश के उत्थान में सहायक हो सकें। जो कायर हैं उनमें बहादुरी की लहर पैदा कर सकें। आज हम अपनी कायरता को यह कह कर छिपाते हैं कि हमसे क्या मतलब है ? कांग्रेस वाले हैं ही, वह शासन को चला रहे हैं और इतना कह कर उनकी ड्यूटी की इतिश्री हो गई। प्रारम्भिक शिक्षा माताएं देती हैं। गुरुकुल में जब हम जाते हैं तो गुरुजन हमको वह शिक्षा देते हैं कि समाज में जा कर हम किस प्रकार बरतें ? हमको आज बहस के लिये बहस नहीं करनी है। हमको यह देखना है कि शिक्षा हमारी ऐसी हो जो सारे राष्ट्र के बलवान बना सके, जो हमारे भीतर कमजोरियां आ गयी हैं उसके लिये औषधि का काम करे और वे कमजोरियां तब तक रफा नहीं हो सकतीं जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होता है।

आज जातीयता के नाम पर लोग फायदा उठाना चाहते हैं। यह वृत्ति खत्म होना चाहिये। हमको स्वावलम्बी बनना चाहिये। अपने परों पर खड़ा होकर काम करना सीखना चाहिये और किसी के सामने हाथ फैला कर काम करने में अपमान समझना चाहिये और राष्ट्र की यह कमजोरी तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हम भीख मांगना नहीं छोड़ते।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प पर विवाद खत्म किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामायणराय—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया था उस संकल्प के ऊपर इस सदन ने अपने कीमती ढाई दिन खर्च किये और मैं ऐसा समझता हूं कि दोनों ही पक्षों के शिक्षा विषय में दिलचस्पी रखने वाले लगभग ४० सदस्यों ने अपन पुनीत विचार सदन के समक्ष व्यक्त किये हैं। जहां तक मेरे संकल्प का प्रश्न है, मैंने जिस समय यह संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था मैंने सदन को इस संकल्प के पीछे हमारे क्या पुनीत उद्देश्य हैं उससे अवगत कराया था। किन्तु मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे उस संकल्प को सम्भवतः पढ़ने का कष्ट नहीं किया या कोई और कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने उसका विरोध किया। वैसे जब मैं उस पूरी सूची की तरफ ध्यान देता हूं जो इस संकल्प पर वक्ताओं की है तो अधिकांश ने हमारे इस संकल्प के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस माननीय सदन के पिछले अवसर पर जिस समय हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे जैसे ही यह सदन उठा। उसके ठीक दूसरे दिन समाचार-पत्रों में मुझे यह पढ़ कर बड़ा संतोष हुआ कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री। माननीय छागला साहब ने यह स्वयं स्वीकार किया कि इस तरह के आयोग के गठन की नितान्त आवश्यकता है। मान्यवर, आपने उनका वह वक्तव्य समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। छागला साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि आज तक शिक्षा के सभी स्तरों के लिए कोई आयोग गठित नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालयों के लिए राधाकृष्णन् कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन गठित किये गये, स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी की अध्यक्षता में हायर सेकेन्ड्री स्टेज के लिये एक कमीशन गठित किया गया। इन आयोगों ने अपना रिपोर्ट भी दीं, लेकिन इनके बावजूद—आज केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी की बात जाने दीजिये—पिछले चार, छै वर्षों में हमारी राज्य सरकार ने जो भिन्न-भिन्न अवसरों पर इस सदन के सामने संशोधन पेश किये और जो पेश करने जा रही है, शायद आपको इस बात की सूचना न हो...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरीसिंह जी, जरा शिक्षा पर भाषण सुन लीजिये, अलग सभा न कीजिये।

श्री रामायणराय—

आज जब मैं इस समय सदन की सेवा में उपस्थित होने आ रहा था तो एक संशोधन विधेयक, १९६४ मुझे भी पीजियन होल में प्राप्त हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से पिछले ४–६ वर्षों के भीतर भिन्न-भिन्न अवसरों पर विश्वविद्यालयों और इंटर-मीडिएट स्तर के बारे में कई संशोधन विधेयक लाये गये। माननीय सदस्यों ने जब अपने विचार व्यक्त किये तो कुछ माननीय सदस्यों को यह कहना था कि जो पिछली रपटें हैं उनमें जो सिफारिशें की गयी हैं उनको संगृहीत कर के उन्हीं पर अगर यह सरकार अमल करना शुरू कर दे। तो शायद शिक्षा की दुर्दशा समाप्त हो जाय।

मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी राय से इत्तफाक नहीं करता हूं। इसका कारण यह है कि पिछले आयोगों का गठन किस समय और जिन परिस्थितियों में किया गया था वह भिन्न थीं। आज जिस समय हम इस आयोग के गठन की बात कर रहे हैं, वह बिलकुल बदली हुई है। सरकार का समय समय संशोधन विधेयक लाना स्वयं हमारे तर्क का सब से प्रबल प्रमाण है। मुख्यतः तीन कारणों की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा शिनकी वजह से ऐसे आयोग के गठन की घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी करें।

सब से पहला कारण यह है कि शिक्षा के स्तर पर समग्र रूप से बिचार करने के निमित्त कोई आयोग नहीं बना। दूसरे यह कि आयोग के गठन काल और समस्यायें भिन्न थीं और तीसरा कारण यह है कि उनकी रिपोर्ट दार्शनिक और सैद्धान्तिक विषयों कि विशद विवेचना करती है। जहां तक एजूकेशन की फिलासफी का सवाल है उसके ऊपर काफी ब्यौरेवार विवेचन की है, काफी अच्छे विचार हैं और काफी अच्छे और उक्ति सुझाव हैं। लेकिन उन आदेशों पर कैसे पहुंचा जाय, प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक ढांचा कैसा हो, उसका प्रशासन कैसा हो, उनमें काम करने वाले गुरुजनों का पुरुस्कार क्या हो और छात्रों के अनुशासन के प्रश्न को कैसे हल किया जाय आदि सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना है और जब भावात्मक एकता प्रश्न राष्ट्र के सामने है तो प्रत्येक शिक्षा शास्त्री को मानना पड़ता है। पिछले दिनों चाहे जितने आयोग गठित किये गये हों और चाहे जितने प्रबल प्रयास किये गये हों लेकिन हम असफल रहे हैं। (व्यवधान) असफलता के चाहे जो भी कारण रहे हों। लेकिन यह भी सही है कि हम उनके कार्यन्वियन में असफल रहे हैं और इसको माननीय रामलखन शुक्ल जी मानते हैं। इसके साथ ही साथ हमें पूरे ढांचे के बारे में सोचना है तो मैं इसके एक जांच कमीशन की बात करता हूं। आज जो सरकार संशोधन विधेयक लाने जा रही है उसमें तथा राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि दोनों दो दिशाओं की ओर जा रहे हैं।

मान्यवर, आज यह परिस्थिति नहीं है कि कार्यान्वियन क्यों नहीं किया गया, बल्कि जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया था और जो सिफारिशें की गई थीं, उनके प्रतिकूल कार्य किया जा रहा है। क्या यह सही नहीं है कि राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुये विश्वविद्यालय की शिक्षा का आदर्श यह उपस्थित किया था कि हमारे विश्वविद्यालय औद्योगिक क्षेत्र के लिये, सामाजिक जीवन के लिये और प्रत्येक क्षेत्र के लिये हमें अच्छे नेता देंगे, अच्छे अगुआ देंगे। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि आज के हमारे विश्वविद्यालय इस दिशा में पूर्णतया असफल हैं।

जहां तक आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है उसमें चाहे जो भी पुनीत विचार रखे गये हों, लेकिन जो इंटरमीडिएट का कानून है और जो स्वर्गीय आचार्य जी के कमीशन की रपट है दोनों में कोई सामंजस्य नहीं दिखायी देता है। इसीलिए मेरा यह आग्रह रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपा करके जो हमने सदन के समक्ष संकल्प रखा था उसको फिर से देखें। हो सकता है कि उनके विचार से जो कारण मैंने प्रस्तुत किये हैं उनमें से एक आध कारण ऐसे हों जिन्हें किन्हीं कारणों से वह स्वीकार न करें, लेकिन इतना वह भी मानेंगे कि हम इस दिशा में पूर्णतया असफल रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा दो मिनट में कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिधर ध्यान जाते हुए कम से कम मैं तो ऐसा मानता हुं कि अगले वर्षों में भी शायद कुछ इस दिशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की आशा नहीं है माध्यमिक शिक्षा के अन्दर। उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश के ६ पिछड़े हुए प्रदेशों में है। जिस प्रदेश ने तुलसी, सूर जैसे विद्वानों को पैदा किया हो, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए हों, वह प्रदेश सम्पूर्ण देश के पिछड़े हुए प्रान्तों में हो, यह हमारे लिए बहुत ही दुःख की बात है। जिन बच्चों को सरस्वती मन्दिर तक जाने का अवसर नहीं मिलता है उसमें सम्पूर्ण देश का २८ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ऐसे अभागे बच्चे रहते हैं। ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की संख्या २४० लाख उत्तर प्रदेश में है, उनमें ४३.४७ प्रतिशत स्कूलों में है। क्या सरकार ने, जैसे कि मैंने वह भी आंकड़े प्रस्तुत किये थे, यह पता लगाने प्रयास किया कि जितने बच्चे दरजा 'अ' में पढ़ते हैं उनकी संख्या क्रमशः घटती क्यों जाती है? मैं मानता हूं कि आप की मंशा विश्वविद्यालय की शिक्षा तक सबको ले जाने की नहीं है। लेकिन उस संख्या में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बहुत बड़ी कटौती हो। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

कितना समय लेंगे आप।

श्री रामायणराय--

मुझे इसका आभास है कि हमारे इस संकल्प के बाद जो दूसरा संकल्प आने वाला है उसमें कुछ माननीय सदस्यों की बहुत रुचि है। मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। कन्या शिक्षा का जहां तक सवाल है ६५-६६ में २ करोड़ ९० लाख उनकी संख्या होगी जिसमें से ५० लाख उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में होगी और उसमें २.४३ लाख को पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। देश भर में कुछ स्कूल न जाने वाली बालिकाओं का २३ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी भयावह है, ११ प्रतिशत कुल बालिकायें स्कूल जा पाती हैं। और जो प्रश्न है अध्यापकों के पुरष्कार का, शिक्षा के गिरते हुए स्तर का, विद्यार्थियों में फैलती हुई अनुशासनहीनता का, उन प्रश्नों के ऊपर विशद विवेचन इस सदन ने किया है। मैं तो मान्यवर, ऐसा मानता हूं कि शिक्षा मंत्री जी कृपा करके पिछले दो ढाई दिनों में इस विषय पर जो विभिन्न लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं, उनको यदि देखें तो स्वयं वह भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि ऐसा आयोग स्थापित करना इस प्रदेश के लिए बड़ा ही कल्याणकारी होगा। इसलिए अन्त में, पुनः मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि व्यक्ति जनतंत्र की आधारशिला है। अगर व्यक्ति का उत्थान करने में जनतांत्रिक व्यवस्था असफल रहती है तो मैं ऐसा समझता हूं कि और कोई भी हमारी मनहारी कल्पना केवल कल्पनामात्र ही रह जायगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और इस पूरे सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिस पुनीत उद्देश्य से मैंने इस सदन के सामने संकल्प को प्रस्तुत किया है, उस उद्देश्य को देखते हुए माननीय सदस्य उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

(इस समय ३ बजकर १ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

*शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश-)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र रामायण राय जी का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया और इस संकल्प के द्वारा माननीय सदस्यों के विचार शिक्षा के सम्बन्ध में सुनने को मिले। उनका संकल्प शिक्षा के विषय में एक आयोग स्थापित करने का है। श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने बहुत से विचार रखे हैं, आज भी और पिछले दिन भी जब इसी संकल्प पर विचार विनिमय हो रहा था तब भी मुझे उनके बिचार सुनने का अवसर मिला। इस संकल्प के द्वारा शिक्षा के पूरे क्षेत्र का विवेचन करने का अवसर मिला है और कुछ जो कमियां शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सदस्यों को प्रतीत होती हैं उनकी भी चर्चा हुई है। यह तो मेरे लिए संभव नहीं है कि थोड़े से समय में मैं माननीय सदस्यों की सभी बातों के सम्बन्ध में अपने विचार यहां रख सकूं क्योंकि काफी समय इस संकल्प पर सदन ने दिया और यह विषय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का विषय ऐसा है जो सभी से संबंधित है और यह विषय ऐसा भी है कि जो आज के युग में हमारी उन्नति और विकास से संबंधित है। विकास और उन्नति का शिक्षा से सीधा सम्बन्ध है यद्यपि इस बात में कभी कभी भूल की जाती है और जब प्राथमिकता देने का प्रश्न आता है तब सम्भवतः कुछ लोग शिक्षा को वह प्राथमिकता देना नहीं चाहते हैं। शिक्षा एक समाज कल्याण की चीज समझी जाती है। वास्तविकता मेरे दृष्टिकोण से यह है कि समाज कल्याण का कार्य तो है ही, लेकिन शिक्षा में जो धन खर्च किया जाता है वह एक इन्वेस्टमेंट है, वह एक पूंजी है। जिस तरीके से हम आर्थिक क्षेत्र में फैक्टरी लगाते हैं और किसी भी फैक्टरी में जब तक अच्छी तरह से पूंजी न लग जाय तब तक वह फैक्टरी अच्छा कार्य नहीं कर सकती है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में पैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खर्च करना, शिक्षा में धन लगाना एक पूंजी है। अगर उस क्षेत्र में पूंजी कम पड़ जाय और दूसरे क्षेत्रों में बड़ा खर्च भी किया जाय तो उसका उतना उपयोग नहीं हो सकता है। यह हमारे लिये कुछ लज्जा की बातें हैं। सदन ने इस बात का उत्तरदायित्व मुझको दिया है। मेरे लिये यह और भी लज्जा की बात है। मुझे बार बार यह सुनना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। श्रीमन्, बजट के समय भी और आज भी मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं। किन्तु क्यों पिछड़े हुये हैं इसकी विवेचना की आवश्यकता है। क्यों हम उस रूप में प्रगति नहीं कर पाये और क्यों बावजूद हमारी कोशिशों के भी, बावजूद सुझाव आने के भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित है। मैंने निवेदन किया कि शिक्षा का सीधा सम्बन्ध रुपया खर्च करने से है। एक बड़ी अजीब परिस्थिति है जो कि समाज की और आर्थिक क्षेत्र की है। बड़ा विषम चक्र है। गरीब तो अधिक धन ऐसे कार्य पर व्यय नहीं कर सकता। ऐसे कार्य पर अधिक व्यय नहीं हो सकता तो वह और गरीब होता चला जाता है। हमारे प्रदेश में मेरे विचार से ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है। हम शिक्षा में सबसे पीछे हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि हमारी आमदनी, हमारी पैदावार भी बहुत कम है। मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं, किन्तु आंकड़े देने की सम्भवतः मुझे आवश्यकता नहीं होगी। सब सदस्यों को मालूम है कि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी अन्य देशों की तो बात ही क्या करें, अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में भी कम है। जब अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में हमारी प्रतिशत आमदनी कम है तो यह सही बात है कि सरकार के कोष में जो कि नागरिकों से पैसा आता है, टैक्स द्वारा पैसा आता है उस कोष में कमी होगी। कर लगाने की एक सीमा होती है। यहां पर जितनी नागरिकों की आमदनी होगी उसी हिसाब से कर लगाया जाता है। जब भी माननीय सदस्यों के सामने कर लगाने का प्रस्ताव आता है तो माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया क्या होती है, यह बात स्पष्ट है। मैं समझता हूं प्रतिक्रिया होने का कारण नागरिकों की आर्थिक दशा है। आर्थिक दशा को नजरन्दाज करके कर लगाना दुश्वार होता है और यदि कर न लगाया जाय तो सरकार के कोष में भी आय कम होती है। यदि सरकार के कोष में आय कम होती है तो उसमें जो इस तरह के कार्य हैं, चाहे वे पूंजीगत कार्य हों या समाज कल्याण के कार्य हों, उनमें बहुत पैसा खर्च नहीं किया जा सकता।

मैंने इस बात को जानने का प्रयास किया है कि आखिर जो दूसरे प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों में शत प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा हो गई है। आशय यह है कि हम समझते हैं कि ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को स्कूल चला जाना चाहिये। संविधान के अनुसार हमने यह संकल्प किया है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे को प्राथमिकता दी जायगी, वह निःशुल्क और सार्वभौमिक होगी। अभी मेरे मित्र, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं और जिनको उस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी है जिससे मैं संबंधित कुछ आंकड़े दिये। ऐसे प्रदेश इस देश में हैं कि जिनके ६ से ११ वर्ष तक के सारे बच्चे स्कूलों में हैं। वह इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमारे यहां शत प्रतिशत शिक्षा पाने योग्य बच्चे स्कूल में हैं। उन्होंने इस बात का प्रबन्ध किया है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं इसके पूर्व शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में गया था और वहां मुझे केरल के आंकड़े देखने को मिले। जो फारमूला है इस एज ग्रुप के बच्चों की संख्या निकालने का, उससे ज्यादा संख्या में बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। दस फीसदी उनकी संख्या अधिक थी। इसका मतलब यह था कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको फिर से पढ़ने की सुविधा भी उनको वहां प्राप्त है। यह इस बात का द्योतक है कि उन प्रदेशों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। वह व्यवस्था किसी अधिनियम के बनाने से या पाठ्यक्रम के बनाने से, या निरीक्षण तेज कर देने से नहीं हुई। यह इसलिये है कि उन प्रदेशों में शिक्षा पर अधिक धन व्यय हो रहा है। जो टोटल बजट होता है प्रदेश का, उसका कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है यह बतलाने की स्थिति पूरे तौर से स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिये कि गरीब प्रदेशों का टोटल बजट भी कम ही होगा, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो सकती है कि वे अपने प्रदेश में शिक्षा पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और चीजों के अनुपात में।

[श्री कैलाश प्रकाश]

वैसे तो मेरे पास इस सम्बन्ध में पिछले तीन साल के आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन मैं केवल १९६३–६४ के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। आंध्र जो कि आगे वाले प्रदेशों में सम्मिलित है, अपने टोटल बजट का साढ़े १९ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। आसाम भी लगभग इतना ही खर्च करता है। केरल, जिसके विषय में मैंने चर्चा की, अपने टोटल बजट का ३५.२ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। मद्रास २७.७ फीसदी, राजस्थान २१.७ खर्च कर रहा है अपने बजट का और उत्तर प्रदेश केवल १६ फीसदी खर्च कर रहा है।

मैंने ऐसे आंकड़े जानने का भी प्रयास किया कि प्रति व्यक्ति यह प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में क्या खर्च कर रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कर्च काफी कर रहे हों और अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अपनी कार्य-कुशलता में कमी के कारण न बढ़ रहे हों। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रति व्यक्ति भी कम खर्च कर रहे हैं। मैं थोड़ा पढ़ दूं। आंध्र में ५.९ रुपया प्रति व्यक्ति, आसाम में ७.२, बिहार में ३.२, गुजराज में ५.९, जम्मू एंड कश्मीर में ८.३, केरल में १२.३, मध्य प्रदेश में ७.३, मद्रास में ८.२, महाराष्ट्र में ५.७, मैसूर में ७.५, उड़ीसा में ४.२, पंजाब में ६.९, राजस्थान में ६.४, वेस्ट बंगाल में ५.१, और इस प्रदेश में ३.६। इससे यह बात स्पष्ट है कि हम अपनी शिक्षा के ऊपर अन्य प्रदेशों की तुलना में कम खर्च कर रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकर करता हूं कि इस कम खर्च का प्रभाव संस्थाओं पर पड़ रहा है, उनको रुपया पैसा देने में पड़ रहा है, उनको सहायता करने में पड़ रहा है और हमारे कृषक समुदाय पर पड़ रहा है। क्योंकि जब पैसा कम है, शिक्षा का प्रसार करना है तो तर्कसंगत न होते हुए भी कम वेतन देना पड़ता है। प्रश्न हो सकता है कि इतना कम खर्च क्यों करें, क्यों ऐसा बजट न बनायें कि ऐसी स्थिति न रहे ? लेकिन यह सबको विदित है हमारे साधन सीमित हैं। फिर उसके लिये हमें प्राथमिकताएं निश्चित करनी पड़ती हैं और अपनी परिस्थिति और आर्थिक अवस्था को देखना पड़ता है जिसके अन्तर्गत हमें अपने प्रदेश को ऊंचा से ऊंचा ले जाना है।

हमारी आर्थिक अवस्था अन्य प्रदेशों से भिन्न है। यह प्रदेश जन संख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है, करीब साढ़े ७ करोड़ के यहां की जन-संख्या है। अगर हम यूरोप के देशों पर दृष्टिपात करें तो ऐसे कम देश होंगे जिनकी जन संख्या इस प्रदेश के बराबर हो। शिक्षा का सीधा संबंध जन-संख्या से है, क्षेत्र से नहीं है। जितनी जन-संख्या होगी उतना ही शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ेगा। वह चाहे थोड़े क्षेत्र में रहते हों या बड़े क्षेत्र में रहते हों। इसलिये जनसंख्या के अनुपात से शिक्षा का उत्तरदायित्व सीधा सीधा आता है। इस प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या से करीब १/६ है, बहुत से देशों से कहीं अधिक है, यह भी बड़ी भारी समस्या है।

दूसरी समस्या यह है कि आज विज्ञान का युग है। अन्य देशों में और अपने देश के कुछ प्रदेशों में विज्ञान के द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यदि हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना है तो आज के विज्ञान का लाभ उठाना होगा। लाभ वही उठायेगा जो देश शिक्षित होगा। शिक्षा का प्रबन्ध उस समय हो सकता है जब पैसा हो और अच्छा पैसा अच्छी आर्थिक स्थिति में उपलब्ध हो सकता है यह चक्र हमारे यहां चला हुआ है।

हमारा प्रदेश कृषिप्रधान है। (व्यवधान) कृपया आप शांतिपूर्वक सुनें। मैं अपनी कठिनाइयां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण यह प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति के नियम और प्रकृति की चीजें कृषि प्रधान देश के ऊपर तबतक असर करती है जब तक वह विज्ञान के द्वारा उन्नतिशील न हो जाय। प्रायः प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि कृषि को हमें प्राथमिकता देनी होती है, क्योंकि उसी के द्वारा पैदावर होगी, उसी से आर्थिक दशा सुधरेगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। बजट बनाते समय प्राथमिकता कृषि से संबंधित चीजों को, जैसे सिंचाई, ट्यूबवेल और बिजली, सड़कों का प्रबन्ध इन सब को देनी होगी। हमको आपको सबको वस्तुस्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते।

इन चीजों को कहने का अवसर नहीं मिलता है । बजट के समय भी बहुत सी बातें कही जाती है, लेकिन आज माननीय रामायण राय जी की कृपा से थोड़ा अवसर मिल गया है, तो मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूं और जब मैंने आपकी बातों को शांति के साथ बैठकर सुना, तो मेरी बातों को भी, चाहें वह आपको पसन्द न भी हों, शांति के साथ सुनना चाहिये ।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रदेश में, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जब हम प्राथमिकता निर्धारित करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना हमको धन देना चाहिये वह हम नहीं दे पाते । वह उपलब्ध ही नहीं हो पाता । तीसरी योजना की समाप्ति के बाद भी हम शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों से पीछे होंगे । इस योजना में ६१ फीसदी का हमारा लक्ष्य है । उसके द्वारा पूरा करने के बाद भी हम पिछड़े रहेंगे । उसका कारण यह है कि जितने साधन हो सकते थे उनको इकट्ठा करने के बाद भी हम उससे और आगे नहीं जा सके । इसमें किसी को कोई संदेह नहीं कि लोगों की इच्छा होती है कि वे शिक्षा प्राप्त करें । इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आज लोगों में गांव-गांव में स्कूल खोलने की इच्छा जागृत होती है । यह बात जरूर देखी गयी है कि बालकों में शिक्षा प्राप्त करने का जितना उत्साह है उतना बालिकाओं में अभी नहीं बढ़ा है । बालिकाओं के संबंध में यह देखने में आया है कि उनके लिये साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी वे शिक्षा प्राप्त करने की प्रति ज्यादा उत्साह नहीं रखती हैं । परन्तु जहां बालकों का संबंध है, वे जरूर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और गांव-गांव में स्कूल चाहते हैं । इस ओर यदि कोई कमी है, तो उसको, अपने आर्थिक साधनों को दृष्टि में रखते हुए पूरा करने के लिये सरकार और जिला परिषदें भरसक प्रयत्न करती हैं ।

एक प्रश्न यह किया जाता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । इस प्रश्न को बहुत जोरों के साथ एक बार शिक्षक समुदाय की ओर से उठाया गया । इस बारे में मैं कुछ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं । जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा है, यह बात मेरी भी समझ में नहीं आती है । क्या आज हम लोग, क्या शिक्षक समुदाय, क्या कोई राजनीतिक पार्टी, इस बात को स्वीकार करती है कि जो शिक्षा आज दी जा रही है वह अराष्ट्रीय है, या प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वह अराष्ट्रीय है ? नयदि वह अराष्ट्रीय शिक्षा नहीं है तो फिर राष्ट्रीयकरण का प्रश्न कैसे उठ सकता है । मैं हीं समझ पाता कि यह चीज यहां कैसे आती है ? यहां इस शब्द का किस प्रकार से प्रयोग होता है ? यह शब्द संभवतः आर्थिक क्षेत्र से लिया गया है । आर्थिक क्षेत्र में अवश्य कहा जाता है कि फैक्ट्री का नेशनेलाइजेशन किया जाय । लेकिन वहां की परिस्थिति अलग है । वहां फैक्ट्री का एक मालिक होता है उसका लक्ष्य उससे अधिक से अधिक लाभ लेने का हो सकता है और उसमें काम करने वाले मजदूरों का उद्देश्य दूसरा हो सकता है, उनका उद्देश्य अपने परिश्रम के अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का हो सकता है । इस प्रकार एक दूसरे के दृष्टिकोण में मतभेद होता है । जो चीज एक चाहता है दूसरा उसको नहीं चाहता है । लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह चीज नहीं हो सकती है । यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, और ऐसा काम करने वाले चन्द व्यक्ति हो सकते हैं .....

श्री राधेश्याम शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बोलते हुए ३० मिनट हो गये, लेकिन अभी तक हम यह नहीं समझ पाये कि वे आयोग की स्थापना करना चाहते हैं या नहीं । कभी कहते हैं कि कृषि की पैदावार इस तरह से बढ़ाई जा रही है और अभी कहते हैं पढ़ाई का राष्ट्रीयकरण कैसे हो । कृपया आप उनसे कहें कि वह असली बात पर आ जायं ।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं माननीय सदस्य की बात ही कह रहा हूं । माननीय सदस्य ने ही नेशनेलाइजेशन का क्रिक्र किया था, उन्होंने अपनी बात कही । वह बात उनकी दृष्टि से बहुत ऊंची हो सकती है,

[श्री कैलाशप्रकाश]

लेकिन अब वे मेरी भी बात तो सुन लें कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि मंत्री होने के अतिरिक्त मेरा शिक्षा से वैसे भी संबंध रहा है ।

तो मेरा कहना यह था कि राष्ट्रीयकरण का शब्द आर्थिक क्षेत्र से लिया गया है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र की इस चीज को यदि शिक्षा के क्षेत्र में लाया जायगा, तो मेरे विचार से शिक्षा के लिये वह अहितकर होगा । यहां तो शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक संबंधों की बात है । कोई भी शिक्षा संस्था स्थापित करता है तो उसका मूलभूत उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना ही होता है । साधारणतः जो शिक्षा संस्था को स्थापित करता है, चाहे वह प्राइवेट ही क्यों न हो, उसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देने का ही होता है । वह उसी बात से प्रभावित होता है कि इन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने वालों का उद्देश्य शिक्षा देना है, शिक्षकों का उद्देश्य शिक्षा देना है, विद्यार्थियों का उद्देश्य शिक्षा लेना है, इस तरह से सब का लक्ष्य और उद्देश्य एक है और उसमें कोई पारस्परिक मतभेद नहीं है । ऐसी हालत में शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र की टर्मिनालाजी को लाकर कोई विवाद खड़ा कर देना और एक ऐसा वातावरण पैदा कर देना जिससे झगड़े और कलह का वातावरण पैदा हो, उस वातावरण में कम से कम शिक्षा नहीं दी जा सकती है । और कोई चीज दी जा सकती हो, और सारी बातें बतायी जा सकती हों, वह तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा ऐसी सूक्ष्म चीज जिसका संबंध भावनाओं से है, जिसका संबंध सुषुप्त भावनाओं को जाग्रत करने से है, जिसका संबंध एक चीज को एक बच्चे के अन्दर पैदा करने से है, वह एक विवाद के वातावरण में नहीं आ सकता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस ट्रेड यूनियन और नेशनलाइजेशन की टर्मिनालाजी को तथा विवाद व झगड़े की टर्मिनालोजी को शिक्षा के क्षेत्र में लाना, शिक्षा के लिये अहितकर है ।

एक बात मेरे एक मित्र ने कही कि शिक्षक लोग राजकीयकरण चाहते हैं । आखिर वे यह क्यों चाहते हैं ? संभवतः वे इस कारण से यह चाहते हैं कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को वेतन अधिक मिलता है और आज प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में उनको कम वेतन मिलता है । यदि आज शिक्षक लोग अधिक वेतन की मांग करें तो मुझे बुरा नहीं लगता और इसमें कोई अनुचित बात नहीं मालूम होती है कि उनको ज्यादा वेतन मिले । और प्रयास भी अपनी सीमाओं को देखते हुए हम करते ही रहते हैं कि उनको वे सुविधायें उपलब्ध हों । किन्तु उस उद्देश्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस तरीके का वातावरण या ऐसी बात पैदा की जाय, कम से कम निवेदन करूंगा ....

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय मंत्री जी के लिये कितना समय निर्धारित किया है, क्योंकि बाद वाला संकल्प बहुत ही महत्वपर्ण है । नियम के अन्तर्गत तो इसके लिये ३० मिनट का ही समय है ।

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य ने कहा कि अगला संकल्प अधिक महत्व का है, लेकिन मैं इस संकल्प को उससे भी अधिक महत्व का समझता हूं, ऐसे वह तो महत्व का है ही ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अभी तक माननीय मंत्री जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें कोई सार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, अभी आप कितना और समय लेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी मुझे घंटा डेढ़ घंटा और चाहिये । माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कही हैं उन सब का उत्तर मैं देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप आधे घंटे में समाप्त कर दें।

श्री कैलाश प्रकाश--

मान्यवर, आज तक कोई संकल्प ऐसा आया है जिस पर इतने दिनों तक माननीय सदस्यों ने बहस की हो ? मैं तो यही देखता आया हूं कि मेरे प्रति काफी बातें कही गयी हैं और इतनी सारी आलोचना माननीय सदस्यों ने की है, तो उसका उत्तर तो हमें देना ही चाहिये। इतने कम समय में उन सब का उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

रूल में ऐसा है कि इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता। इसलिये आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा में समाप्त कर दें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

किस नियम के अन्तर्गत आप उनको यह समय दे रहे हैं ? ३० मिनट से ज्यादा तो आप उनको दे ही नहीं सकते।

श्री कैलाश प्रकाश--

प्रयास मैं करता हूं, नहीं तो आप थोड़ा और समय दे दीजियेगा...

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मैंने कुछ सवाल उठाये हैं इसलिये मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिये जो समय मंत्री जी मांगें, वह उन्हें आप अवश्य दे दें ताकि मुझे जवाब मिल जाय।

श्री कैलाश प्रकाश--

मैं निवेदन कर रहा था कि यह बात तो मेरी समझ में आती है कि राज्यकरण हो, लेकिन शिक्षा के राज्यकरण का एक कारण उन को यह प्रतीत होता है कि इस तरह से उन का वेतन उतना ही हो जायगा जितना कि राजकीय संस्थाओं के शिक्षकों को मिलता है, लेकिन यदि वह मांग हो तो वह सीधी सादी होनी चाहिये। इस चीज को हमें शिक्षा के दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि इन संस्थाओं का राज्यकरण हो या न हो ? जितने लोकतांत्रिक देश हैं और जहां भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां शिक्षा का राज्यकरण या राष्ट्रीयकरण ठीक नहीं माना जाता, बल्कि वहां का राज्य या शासन इस बात का प्रयास भी करता है और शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है तो उन लोकतंत्रों के नागरिक और वहां की संस्थायें स्वयं उस का विरोध करते हैं क्योंकि लोकतंत्र की बुनियादी बात यह है कि शिक्षा जैसी चीज एक तरीके से पूर्णतः शासकीय नियंत्रण में न रहे और चूंकि मैं लोकतंत्र का हामी हूं इसलिये उस सिद्धांत के अनुरूप भी जो अनिवार्य आवश्यकता हो, उसके दृष्टिकोण से भी, मेरा दृष्टिकोण यह है कि शिक्षा का इस तरीके से राज्यकरण नहीं करना चाहिये जिस तरह से कि किसी और दूसरे रूप के शासन में होता है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

यह आप की व्यक्तिगत राय है या शासन की ऐसी नीति है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं तो अपनी राय बता रहा हूं, वैसे जो आप चाहें समझ लें। यह बात इस सदन में कही गई है और जब मैं शिक्षा मंत्री नहीं था और दूसरे शिक्षा मंत्री थे तो उनकी ओर से भी कही गई है ।

शिक्षकों के वेतन की मांग से मुझे कोई परेशानी नहीं है, उन की मांग में औचित्य है, लेकिन उनकी मांग को इस तरह से और इस दृष्टिकोण से रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है । इस प्रस्ताव में मेरे मित्र ने कुछ चीजें कही हैं और कहा है कि उन के कारण शिक्षा में अव्यवस्था है और उस को दूर करने के लिये आयोग बैठना चाहिये। प्रयास तो मैंने यह किया था कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कहा है उसको नोट करके उत्तर दूं। लेकिन अब जैसा आपने आदेश दिया है मैं अब बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक बात यह कही गयी कि अव्यवस्था है, अनुशासनहीनता है । मैं अव्यवस्था का कारण माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी पूरी शिक्षा का ढांचा लोकतांत्रिक रूप में है । प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन जिला परिषदों के पास है ....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

माननीय मंत्री जी कितनी देर और बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो तय हो चुका है । आप बीच में अब न रोकें जिससे माननीय मंत्री जी का जल्दी समय समाप्त हो।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं कह रहा था कि माननीय सदस्यों ने अनुशासन और अव्यवस्था का प्रश्न उठाया है । जहां तक हमारी प्राथमिक शिक्षा का संबंध है वह जिला परिषदों के हाथ में है । उनको पूरा अधिकार है सिवाय इसके कि पाठ्यक्रम यहां से निर्धारित होता है । यहां से कई बार अव्यवस्था के बारे में प्रश्न हुये हैं। जो शिकायतें मुझे भी मिलती हैं उनसे कभी-कभी यह प्रतीत होता है कि जो मौजूदा प्रशासन चल रहा है उसमें सुधार की आवश्यकता है । किस तरह से सुधार किया जाय यह विचारणीय बात हो जाती है । किन्तु मैंने यह देखा कि जो प्रश्न साधारणतः जिला परिषदों में पूछे जा सकते हैं और केवल प्रश्न नहीं ही नहीं पूछे जा सकते बल्कि वहां बैठकर उन चीजों को आसानी से सुधारा जा सकता है, वह बातें बहुधा यहां आती है । जिला परिषदों को जो अधिकार शिक्षा के संबंध में दिये हुये हैं, मेरा निवेदन है कि उन कमियों को उसी स्तर पर माननीय सदस्य दूर कर सकते हैं क्योंकि वह उसके सदस्य होते हैं । अक्सर शिकायत आती है कि शिक्षकों को२,३ महीने तक वेतन नहीं मिलता। उनको वेतन समय पर मिलना चाहिये क्योंकि अल्प वेतन भोगी हैं। यदि हमारी जिला परिषदें सचेत हो तो इस काम को कर सकती हैं और यदि इस बात में शासन की कार्य प्रणाली के कारण कोई अड़चन है तो उनको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है । मेरा मतलब यह है कि चीजों को सुधारने के लिए जिस स्तर पर हम काम करते हैं उसी स्तर पर हमें देखना चाहिये।

इस समय प्रस्ताव में कहा गया है कि शासन का हस्तक्षेप बहुत होता है इसलिये आयोग बैठाना चाहिये । मुझे अफसोस के साथ इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि जिस तरीके से शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध हो रहा है उसमें कई बार शासन को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और माननीय सदस्य चाहते हैं कि शासन हस्तक्षेप करे। पहले कई बार यह तो महसूस होता है प्रशासन में हस्तक्षेप करने की, चीजों को सुधारने के लिए माननीय सदस्यों ने जो कमी या जो दोष हमारे सामने रखे है उनको तुरन्त सुधारने के लिये अधिकार सदन ने नहीं दिये हुये हैं । यदि कहीं दोष है तो वे जो वहां की मैनेजिंग कमेटियां हैं, विभिन्न संस्थाओं में एक नयी चीज पैदा हुई कि मैनेजिंग कमेटीज में आपस में झगड़े खड़े हो जाते है । किसी मैनेजिंग कमेटी

का चुनाव हुआ और चुनाव भवन से निकलने के पश्चात् एक पार्टी कहती है कि चुनाव में हम जीत गये और दूसरी पार्टी कहती है कि हम चुनाव में जीत गये। दोनों पार्टियां अपने आपको मैनेजर और प्रबन्धक कहने का प्रयास करते हैं तो एक परेशानी की बात होती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं विद्या विनोदनी परीक्षा का। प्रयाग महिला विद्यापीठ विद्या विनोदिनी की परीक्षा लेने की अधिकारी है। नियमों के अनुसार वहां एक संस्था बनी। उसमें चुनाव होता है। एक चुनाव हुआ। उस चुनाव के पश्चात् एक पार्टी के लोगों ने कहा कि हम वाइस चान्सलर बनेंगे हम रजिस्ट्रार बनेंगे और दूसरी पार्टी के लोगों ने भी इसी प्रकार कहा। दफ्तर खुला और बाद में मामला अदालत में चला गया और जब कहीं मामला अदालत में चला जाता है तो शासन उसमें कुछ नहीं कर सकता। मामला न्यायालय के विचाराधीन रहता है और सालों लग जाते हैं, तो शासन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

एक मेरे मित्र ने, शायद श्री रियासत हुसेन साहब ने, कहा था कि सयाने के इंटरमीडिएट कालिज में, जो कि बुलन्दशहर जिले में है, राजनीतिक दलबन्दियां बनायी जाती हैं; झगड़ा खड़ा किया जाता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई राजनीतिक दलबन्दी या राजनीतिक पार्टियों का उसमें प्रश्न नहीं है। मैनेजमेन्ट और प्रिन्सिपल का झगड़ा होता है। उसकी शिकायत है कि प्रबन्ध ठीक से नहीं चलता है। वहां पर वर्षों से झगड़ा खड़ा है। विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देते बनता है। उनके प्रशासन को इस बात का अधिकार है कि अगर परिस्थिति इस प्रकार की आ जाय तो पुलिस की सहायता ले सकता है। वहां पर परीक्षा देने के हेतु पुलिस की सहायता लेनी पड़ी आज जो रिपोर्ट मेरे सामने है उसके अनुसार विभाग एक एड-मिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है। कभी कभी जब मामला न्यायालय में चला जाता है तो उनमें हस्तक्षेप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और उस पर विचार है भी कि उन सारी चीजों का अध्ययन करके किस तरीके से उन में सुधार किया जाय। मेरे एक मित्र ने बहुत ब्योरे में गाजीपुर के एक सिटी स्कूल के बारे में कहा। यह ठीक है कि मैं बहुत सी बातें नहीं पढ़ता हूं जो डाक मेरे पास आती है, लेकिन यह बात जरूर कहता हूं कि सिटी स्कूल का मामला खूब देखा है। यह ठीक है कि वह एक जर्मन संस्था थी और जब युद्ध चला तो फारेन नेशनल होने के कारण उसने संस्था दे दी जिसका एक प्रशासक नियुक्त हो गया। लेकिन केवल प्रशासक नियुक्त हो जाने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह सरकारी संस्था हो गयी।

श्री राधेश्याम शर्मा—

डेढ घंटा मंत्री महोदय को बोलते हुए हो गये। ३० मिनट से अधिक समय किस नियम के अन्तर्गत दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

१० मिनट और टालरेट कर लीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश—

आधे घंटे का समय आपने पहले मुझे और दिया था। अभी तो वह भी समाप्त नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप १० मिनट में समाप्त कर दीजियेगा।

श्री कैलाश प्रकाश--

तो मैं कह रहा था कि गाजीपुर के सिटी स्कूल के बारे में यह कहा गया कि उसे राजकीय संस्था बना दिया जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय--

उस स्कूल की सम्पति किस की है ? किसी व्यक्ति की तो है नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--

मैं निवेदन कर चुका हूं कि वह संस्था एक प्रशासक के सुपुर्द कर दी गयी और वह प्रशासक उस संस्था को चलाता रहा जैसे कि और प्राइवेट संस्थायें प्रशासक के अधीन चलती हैं । जहां तक इसके राजकरण का सवाल है माननीय सदस्यों को याद होगा कि इसी सदन में बार बार इस बात की चर्चा होती है कि सरकारी स्कूलों में खर्चा ज्यादा होता है इसलिये उनको तोड़ दिया जाय । एक इकोनामी कमेटी बैठी थी । उसने भी इस बात की सिफारिश की की थी कि जहां और संस्थायें हैं वहां सरकारी संस्थायें न रखी जायं । एस्टिमेट कमेटी ने भी कुछ इसी प्रकार की सिफारिश की थी । तो यह सोचा गया कि जहां और संस्थायें हों वहां इस बात को ध्यान में रखते हुये गौर किया जाय या न किया जाय । उनको पूरी तौर से मान लेने में कठिनाई होती । कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राइवेट संस्थायें स्थापित नहीं की जा सकतीं, लेकिन शिक्षा वहां देनी ही होगी । वहां राज्य को आना चाहिये । कुछ बालिकाओं के क्षेत्र में दिक्कत पड़ती है तो राज्य वहां उसको करता है । इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन चीजों को नहीं रखा गया । इसलिये अब हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वहां अच्छी तरह से सुचारु रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके । राजकरण हो या न हो इस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । मैं यह नहीं कहता कि शिक्षण संस्थाओं में चीजें देखने योग्य अथवा सुधार करने योग्य नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

५ मिनट में अब आप अपना भाषण समाप्त कर दीजिये ।

श्री कैलाश प्रकाश--

संकल्प का आशय यह है कि एक आयोग स्थापित किया जाय । मेरा निवेदन यह है कि इस बात को स्वीकार करते हुए कि सुधार की आवश्यकता है । यह जो मांग है आयोग को स्थापित करने की मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के स्थापित करने से कोई विशष लाभ होने वाला नहीं है । इन प्रश्नों पर एक बार नहीं कई बार आयोग बैठाया जा चुका है और उन आयोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी । विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा के संबंध में राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें करीब-करीब सभी विषयों पर चर्चा है और सिद्धान्ततः उसमें चर्चा की गयी है । हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालयों को देखने के लिये एक आयोग बैठा था जिसने इधर उधर जा कर और सब विश्वविद्यालयों की हालत को देख कर उन विश्वविद्यालयों पर अपनी रिपोर्ट दी है । यदा कदा विश्वविद्यालयों की बातें सदन के सामने आती रहती हैं । जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है उसके बारे में भी इसी प्रदेश में कमेटियां बैठ चुकी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टें पेश की हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मंत्री जी को थोड़ा सा टाइम और दे दीजिये । गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इतना घोटाला मचा हुआ है, मैंने चार्जेज लगाये हैं । सारी बातों का जवाब मंत्री जी देते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहते ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

कल्पनार्थसिंह जी, कृपा कर के यह आप वहीं पूछ लीजियेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

राधेश्याम जी, मुझको यहां भी पूछने का हक है और वहां भी हक है । आपको अगर हक नहीं है तो आप छोड़ कर चले जाइये ।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं यह कह रहा था कि तरह-तरह के आयोग बिठाये जा चुके हैं और उन्होंने बहुत अध्ययन करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट दी है । अब एक नया आयोग बिठाने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है । और कभी-कभी यह भी कह दिया जाता है कि किसी मामले को अगर लटकाना है तो एक कमेटी बिठा दो । मैं लटकाना नहीं चाहता । माननीय सदस्यों के सुझावों को बहुत शान्ति के साथ ग्रहण करने की कोशिश की है और उन पर कार्य करने का भी प्रयास किया जायगा और आमंत्रित करता हूं माननीय सदस्यों को जो इस प्रदेश की शिक्षा को सुधारना चाहते हैं कि मैं सदा उनके लिये उपलब्ध हूं । इसके अतिरिक्त शिक्षा समस्याओं पर केन्द्र में भी विचार होता रहता है और वहां भी विभिन्न स्तरों की कमेटियां हैं । जो केन्द्र का विश्वविद्यालय आयोग है वह विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर देखता रहता है । वहां सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी है । वह भी वहां के स्तर आदि को देखता रहता है । ऐसी हालत में मैं यह नहीं समझता कि कोई नया आयोग बिठाने से कोई लाभ होने वाला है ।

अब श्रीमन्, मुझे और किसी प्रश्न पर अगर माननीय सदस्य सुनना चाहें तो मैं तैयार हूं बशर्ते कि आप और अधिक समय देने को तैयार हों ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैं बार-बार गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कह चुका हूं । आप मंत्री जी से उसका उत्तर दिलवायें । मैंने पहले भी यह कहा था .....

श्री राधेश्याम शर्मा--

अब माननीय कल्पनार्थसिंह जी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हाथ उठाने का ही मौका मिलेगा । एक फुदक कर तो उधर चले गये ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ चार्जेज यूनिवर्सिटी के संबंध में सरकार पर लगाये थे कि पक्षपात को प्रश्रय देती है, वहां के एकाउंट्स में गड़बड़ी है, टीचर्स के एप्वाइंटमेंट्स में गड़बड़ी है, प्रॉक्टर पीटा जाता है और रजिस्ट्रार पीटा जाता है । इससे बढ़कर वहां की और क्या दुर्दशा हो सकती है ? इसके बारे में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, ...

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने एक बार मंत्री जी को बिठा दिया और वे जवाब दे चुके जो देना था, तो पुनः किस नियम के अनुसार उनको आप खड़ा कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने सवाल पूछा है । उसका वे जवाब दे रहे हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, यह क्या कोई नियम ५२ है जो सवाल पूछे जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

एक आध सवाल की कोई बात नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अकेले कल्पनार्थसिंह जी की बात को लेकर सरकार टाल रही है, इसलिये खामख्वाह समय ले रही है । आप हमारे हितों की रक्षा कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप चिन्ता न करें । वह आ जायगा, २/३ सवाल कर लेने दीजिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, ५-३० बजे तक सदन चलेगा, यह कब आ जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आ जायगा ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी से सभी सदस्य सवाल पूछेंगे और वे जवाब देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया यह कोई स्टेटमेंट नहीं है जिस पर सवाल किये जा सकें । अगर क्लैरिफिकेशन करना था तो उस समय कर सकते थे, तो क्या आप व्यवस्था दे रहे हैं कि सब लोग प्रश्न पूछें ?

श्री उपाध्यक्ष--

सब के लिये नहीं कह रहा हूं । एक दो साहब पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ?

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

किस नियम के अन्तर्गत इजाजत दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये कल्पनाथ जी, एक सवाल कर लीजिये उसका उत्तर हो जाय । आप नियम भी बता दें ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, मंत्री जी ने भाषण के दौरान में मेरे प्रश्न करने पर कहा था कि आप समय देंगे तो वे जवाब दे देंगे । आपने मुझे आज्ञा दी मैंने अपनी बात कह दी और आपने मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, आप ही अव्यवस्था करा रहे हैं। आपके पूछने पर उन्होंने नियम तो बताया नहीं। फिर भी आप कहते हैं कि ५ मिनट और लग जायें।

कुंवर श्रीपालसिंह--

अब आप इस पर केवल मत ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।

श्री रामायणराय--

मंत्री जी का उत्तर होने के बाद आपको मत लेना चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर है। आपने मुझे यह आज्ञा दी कि मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगूं। मंत्री जी को आपने बुलाया। मंत्री जी खड़े हुए। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा कैसे बदल गयी? कब्ल इसके आप मत लें आप मंत्री जी से कहें कि वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में अपना वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कोई नियम नहीं बता सके। लोगों को एतराज है। एतराज होने पर कायदे के हिसाब से चलेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह--

या तो आप उत्तर दिलवायें या मुझे व्यवस्था दें। आपकी व्यवस्था के बाद इस पर औचित्य का प्रश्न कैसे उठ सकता है? आपकी आज्ञा मेरे हक में हो गयी। आपने मंत्री जी को बुला लिया उत्तर देने के सिलसिले में और अगर चन्द लोगों की मर्जी पर यह सदन चलने वाला हो तो मैं कतई सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जरा बैठ जाइये। आपने मांग की और मैंने समझा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न किया। आप कोई नियम नहीं बता सके।

श्री कल्पनाथसिंह--

कोई भी सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकता है। आप रूल्स देखें, वह आपके पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का सवाल उधर से पेश हुआ। उसमें कोई रूल नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनाथसिंह--

व्यवस्था के सवाल पर खड़ा हूं। मैं नहीं बैठूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय कल्पनाथसिंह का यह कथन कि नहीं बैठूंगा यह हाउस का कंटेम्प्ट है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

यह तो गलत बात है, इस किस्म से कहना कि मैं नहीं बैठूंगा। आप कड़ाई से काम लीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की व्यवस्था के बारे में मैंने चार बार पूछा ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथसिंह जी, देखिये, मेरा निवेदन सुन लीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय--

उपाध्यक्ष जी, हाउस ऐडजर्न कर दीजिये, बड़ी अव्यवस्था हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, सब लोग खड़े हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है । एक-एक साहब बात कीजिए ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इधर के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल्पनाथसिंह जी केवल इसलिये खड़े किये गये हैं कि जिससे हाउस में हुल्लड़ हो और इसी बीच में सदन को समाप्त कर देने का आपको मौका मिले । इसलिये मैं अपने सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि कल्पनाथसिंह जी जिनके बारे में अखबारों में निकल चुका है कि वह कांग्रेस में जाने वाले हैं उनको ही सुन लें, हम अगले संकल्प को छोड़ेंगे नहीं । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथसिंह जी, बैठ जाइए । सुनिए । देखिये, मेरा निवेदन यह है कि जितना टाइम दिया जा सकता था माननीय मंत्री जी को वह उन्हें मिल गया । उसके बाद आपने एक प्रश्न किया । अगर किसी को उस पर एतराज न होता तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब व्यवस्था का प्रश्न उठा और यह कहा गया कि यह व्यवस्था के खिलाफ है तो मैंने आपसे पूछा कि कौन-सा नियम है कि जिसके मुताबिक मैं आपको सवाल की इजाजत दूं । आपने कोई बात नहीं कही न कोई नियम बताया । तो ऐसी सूरत में अब जो नियम के खिलाफ है उसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता । इसलिये अब मैं इस पर मत लेता हूं । पहले संशोधन ले रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव की अंतिम पंक्ति में "जांच के लिये" और "एक आयोग" के मध्य में निम्नलिखित रख दिया जाय :

"तथा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की सम्भावनाओं पर विचार हेतु ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति दो में "तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप" निकाल दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था, अशान्ति तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप एवं गिरी आर्थिक दशा के फलस्वरूप शिक्षा स्तर के गिरने और अनुशासन हीनता फैलने की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

राज्य मंत्रि परिषद् के सदस्यों को अपनी तथा अपने परिवार की चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा करने के संबंध में संकल्प

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के मंत्रि परिषद् के सभी सदस्य इस पद पर नियुक्त होते समय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अपनी तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों की सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से किया करें तथा बताया करें कि उक्त सम्पत्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई ।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के बाद यह और जोड़ दिया जाय कि "और इस बात की घोषणा करें कि मंत्री होने के पहले उनके पास कितने ठेके, परमिट और लाइसेन्स थे और मंत्री होने के बाद उनकी संख्या कितनी बढ़ गई ।"

श्री मुकुटबिहारीलाल--

मान्यवर, आज यह बात सभी देश के बड़े-बड़े नेता और महापुरुषों ने स्वीकार की है कि हमारे देश और प्रदेश में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार पूर्णरूप से फैला हुआ है । अभी थोड़े दिन हुये माननीय नन्दा जी ने, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने सारे देश को इस बात का आश्वासन दिया है कि हम २ वर्ष के अन्दर सारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे और अगर वह इस कार्य में असफल रहे तो इस पद से अपना त्यागपत्र दे देंगे । हमें उनकी बात का ध्यान रखते हुये, उनका सम्मान करते हुये उनके कार्य में सहायता करना है ।

मान्यवर, आज आप देखते हैं कि मंत्रि परिषद् के लोग जिस प्रकार से अन्धाधुन्ध कमाई पर लगे हुये हैं उससे सारा देश प्रभावित है । वही बात हो रही है कि यथा राजा तथा प्रजा । आज आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक सभी लोग भ्रष्टाचार में लगे हुये हैं । उसका एक ही कारण है कि ऊपर के मंत्रिगण जब स्वयं भ्रष्टाचारी हैं तो उनके द्वारा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है तब नीचे के लोगों को कैसे रोका जा सकता है ? मान्यवर, एक बात उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी विभाग को देखें, हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मेरा ऐसा विश्वास है कि ऊपर से सारा भ्रष्टाचार शुरू होता है, नीचे से नहीं । अगर आज इस बात को मान लिया जाय कि ऊपर से मंत्रिगण ठीक हैं और कायदे से काम करते हैं तो मेरा निश्चित विश्वास है कि नीचे भ्रष्टाचार एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता । मान्यवर, मैं उदाहरण के लिये कुछ मंत्रियों की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । इससे पहले कि मैं वह बात शुरू करूं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश ने जनतांत्रिक पद्धति शासन के लिये अपनायी है और उसके अनुसार ही हम जन प्रतिनिधि चुन कर यहां आये हैं और हम सब ने मिल कर यह सरकार बनायी है । इस सरकार के मंत्रियों पर यहां, इस सदन में, बाहर और पार्लियामेंट में भी आरोप लगाये गये और विरोधी पक्ष ने बराबर इस बात की मांग की है कि उन मामलों की जांच की जाय । इस बात की आवश्यकता है मान्यवर, कि जनता अपने जन प्रतिनिधियों पर विश्वास करे । यदि वह विश्वास टूट जायगा तो यह जनतंत्र खतरे में पड़ जायगा । इसलिये भी आवश्यक है कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाय ।

इसी सदन में पिछले दिनों माननीय मुजफ्फर हसन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को आमदनी करा कर काफी रुपया नाजायज हिस्से में प्राप्त किया । उस पर सरकार की ओर से जांच कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई जांच अभी तक नहीं करायी गयी । इसी तरह से डाक्टर सीताराम के ऊपर भी, नरसिंह नारायण जी ने, जो अब कांग्रेस में चले गये हैं, आरोप लगाये और सबूत में बही खाते पेश किये, जिनकी बिना पर वह जेल

[श्री मुकुटबिहारीलाल]

गये बिना बच नहीं सकते थे, लेकिन सरकार ने उस सारे मामले को दबा दिया । हम इसका घोर विरोध करते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस तरह की बातें कहना न्याय संगत और विधान के अनुकूल हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल—

एक ही मंत्री के लिये यह बात नहीं है । पिछले दिनों कमलापति त्रिपाठी जी के लिये भी इसी प्रकार आरोप लगाये गये थे । माननीय चतुर्भुज शर्मा जी के खिलाफ अभी आरोप थे । यह विचार करने की बात है । अभी आल इंडिया कांग्रेस के प्रेसीडेंट ने इस बात को स्वीकार किया था कि जिन मंत्रियों के पास झोपड़ी नहीं थी उनके पास कोठियां हो गयी हैं । कारण यह है कि उनका डकैतों से संबंध है, तमाम भ्रष्टाचार की आमदनी है । मैं इसका एक नमूना और दूं । माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा इलाहाबाद जिले में वहां के एक वकील श्रीमती एस-एस० रहमान को गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त किया गया जब कि इस प्रकार की कोई मांग वहां से नहीं थी । उसके बाद माननीय न्याय मंत्री जी अपने पद से हट गये और मुख्य मंत्री जी न्याय मंत्री हुये । एडवोकेट जनरल इस बात के लिये लिखा पढ़ी कर रहे थे कि यह कार्य गलत हुआ है और उन्होंने मुख्य मंत्री जी द्वारा उनको उस पद से हटवा भी दिया । लेकिन फिर जब न्याय मंत्री जी अपने पद पर नियुक्त हुये तो उन्होंने उन श्रीमती एस० एस० रहमान को उसी पद पर नियुक्त कर दिया और पिछले दिनों का वेतन भी जो ६०० रुपये माहवार के हिसाब से था उसे दिलाने की व्यवस्था करा दी । मान्यवर, इस प्रकार से अपने संबंधियों के साथ जो बातें की जाती हैं बहुत घृणित हैं ।

माननीय गोविन्द सहाय जी समाजवाद के बहुत बड़े पंडित हैं । मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं । बिजनौर जिले की नगीना तहसील में उन्होंने एक फार्म खोल रखा है पहले वह बहुत छोटा सा फार्म था । लेकिन उनके मंत्रित्व काल में वह कितना बड़ा फार्म हो गया ? (व्यवधान) उससे लगा हुआ जंगल है । जंगल की बहुत सारी जमीन उनके फार्म में शामिल हो गयी । चूंकि यह सरकार के आदमी हैं, किसी की हिम्मत कुछ कहने की नहीं होती वहां पर एक क्रशर भी लगा हुआ है । उस क्रशर का उन्होंने कभी लाइसेन्स नहीं लिया और बिना लाइसेन्स के ही चल रहा है । जो पास का जंगल है वहां से तमाम लकड़ी, बिना किसी अधिकार के उन्होंने काट ली । जब वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी कुछ कहता है तो उसको धमकी दी जाती है कि तुमको बरख्वास्त कर दिया जायगा, गोली मार दी जायेगी । अभी पिछले दिनों की ही बात है । उसी जंगल के एक फारेस्ट गार्ड ने कुछ आपत्ति की उनके गलत कामों के लिये । मामला यहां तक पहुंचा कि उनके लड़कों ने उस गार्ड को गोली मार दी । चूंकि यह उनका मामला था, उसमें कुछ नहीं हुआ । श्रीमन्, बिजनौर जिले के जितने हिस्ट्रीशीटर हैं, वे सब वहां पर पनपते हैं । किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ कोई कुछ कर सके । अगर वहां का कोई व्यक्ति कोई आपत्ति करता है तो उसकी जांच तक नहीं होती है । अब तो यह लोग यहां तक कहते हैं कि अब तो हमारे ग्रुप के माननीय चरणसिंह जी मंत्री हैं ।

एक बात और कहना चाहता हूं । सरकार ने एक विजिलेन्स कमेटी बनायी है । हमारी मांग थी कि सरकार जो विजिलेन्स कमेटी बनाये वह मंत्रियों के कारनामों की भी जांच करे, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना । मैं इस बात की चुनौती देना चाहता हूं कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो जनतंत्र बदनाम हो जायेगा । आनेवाली पीढ़ियां जयचन्द की तरह इनको याद रखेंगी । इस सरकार ने देश का बटवारा करके लाखों आदमियों की जानों के साथ खिलवाड़ किया ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस बात की जोरदार मांग करता हूं कि सरकार अगर अपने प्रति ईमानदार है, निर्दोष है, तो वह हमारे चैलेन्ज को स्वीकार करे और जिस वक्त कोई व्यक्ति मंत्रीपद ग्रहण करे वह अपनी सम्पत्ति आदि की घोषणा करे और बराबर करता रहे। आज सरकार की गलत बातों के कारण ही प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जब राजा बेईमान होता है तो राज्य नहीं पनपता है। बाराबंकी जिले में एक एम० एल० ए०, माननीय रामआसरे वर्मा पर हमला हुआ। मैंने वहां मीटिंग में कहा कि उनकी जान का खतरा है। मंत्री जी उसी जिले से आते हैं, पर वह भी कुछ सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। बाराबंकी जिले में जितने भी कत्ल, चोरियां और डकैतियां हुईं सरकार उनका पता लगाने में असफल रही। २०, २० हजार रुपये की चोरियां हुई, लेकिन कोई पता नहीं चला। उलटे यह कहा गया कि तुम्हारे ऊपर जुर्म लगाया जायगा। मंत्री महोदय कल ही उत्तर में कह रहे थे कि हम तो उन्हें नहीं हटावेंगे। क्यों नहीं हटावेंगे ? हम लोग भी १, १ लाख जनता से चुनकर आते हैं। रामआसरे जी की जान जाती है तो जाय, उन्हें कोई परवाह नहीं है। बापूजी ने कहा था कि हम देश में रामराज्य लावेंगे। आप जानते हैं कि रामराज्य क्या है ? आप बहुत जनतंत्र का नाम लेते हैं। रामचन्द्रजी ने जनतंत्र की रक्षा की है। एक धोबी के कहने पर उस सती साध्वी माता सीता की उन्होंने अग्नि परीक्षा की कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह कितना छोटा हो, उसे सन्तोष दिलाया जाय। आज ये लोग रामराज्य का मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह दकियानूसी बात है। पहले कहा गया कि ७ तारीख तक असेम्बली चलेगी, उसके पहले कहा गया कि ११ तक चलेगी, फिर कहा गया कि ८ तक चलेगी, इस प्रकार अपनी पार्टी के हित में यह सरकार जनता का पैसा बरबाद करती है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस सरकार के लोग अपनी निजी सम्पत्ति का लेखा-जोखा दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह नहीं लिया जा सकता। हमारे नियमों में है कि यदि संशोधन की एक प्रति संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित दिन के छत्तीस घंटे पूर्व सचिव को न दी जा चुकी हो, तो कोई सदस्य उस संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा। आप सुबह देते, तो भी मैं ले लेता।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुकुटबिहारीलाल जी की बात मैंने सुनी। प्रजातंत्र में, मान्यवर, जब तक एक एक जागरूक आस्था सारे संसदीय जीवन में नहीं होती है तब तक कोई भी मंत्रि मंडल या सदन स्वच्छ रूप से नहीं चल सकता है। मैं कोई हलकी फुलकी बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि लांछन से यह सरकार बहुत घबराती है। जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका सीधा-सा मतलब है कि भ्रष्टाचार दूर हो। यही इसकी मंशा है। इस मंशा से हमारी सरकार के लोग भी, मैं समझता हूं, सहमत होंगे। इसी सदन में, श्रीमन्, माननीय मुजफ्फर हसन के विरुद्ध कितने गम्भीर आरोप आये। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जांच हो रही है। माननीय डाक्टर सीताराम जी के खिलाफ चार्जेज आये। उस मामले में तो एक नई ही बात हो गई। वादी और प्रतिवादी दोनों मिल गये। मुझे बड़ा दुःख है। ६ महीने इन्तजार करते हुये हो गये प्रदेश की ७ करोड़ जनता को कि तस्कर व्यापार के केस में क्या होता है। हमने तो उसी वक्त कहा था कि ये वहीखाते फर्जी हैं। ६ महीने इंतजार करते हो गये, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ और कल अचानक पहाड़ टूटा, बिजली चमकी और वही आदमी जो यह कहता था कि अगर आरोप निराधार निकले तो विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा और उधर मंत्री जी ने कहा कि मेरे ऊपर यदि आरोप साबित हो गये तो मंत्रि

[श्री राधेश्याम शर्मा]

मंडल से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसके बाद वादी और प्रतिवादी, फर्जी बहीखाते और तस्कर व्यापार दोनों एक जगह इकट्ठा हो गये, फिर कैसे समझा जाय कि यह सरकार सही कार्यवाही करेगी ? स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी तो बूढ़े हो गये बीमार हैं । उनके बारे में क्या कहें । माननीया सुचेता कृपालानी को छोड़ कर, क्योंकि उनके खिलाफ हमारे चार्जेज नहीं हैं, ढूंढे भी नहीं हैं, लेकिन बजात खुद वे बहुत ही ईमानदार हैं, एक रामकुमार शास्त्री और हैं जो पहले सोशलिस्ट थे । इनको छोड़कर हर मंत्री की जन्म कुन्डली सोशलिस्ट पार्टी के पास है । मैं व्यक्ति गत बात तो कहता नहीं हूं, लेकिन सब प्रकार के चार्जेज हैं---जातिवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, जुल्म, कुनबापरस्ती यह सरकार रोज रोज करती चली आ रही है । यह हमारी बात नहीं साढ़े आठ करोड़ जनता की यह धारणा है । माननीय मुकुटबिहारीलाल जी ने बहुत ही उचित किया इस प्रस्ताव को रख कर । भला मंत्रिगणों को इसमें ऐतराज क्या हो सकता है कि उनकी जायदाद की जांच हो जाय और अगला वित्तीय वर्ष आये तो फिर हो जाय । उसमें सच्चाई और गड़बड़ घोटाला सब पता हो जायगा । एक ही सरकार को यहां १५ साल हो गये, वह हमेशा तो बरसरे इक्तदार नहीं रहेगी, जब सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी तो एक एक मंत्री की कार्य-वाही सामने आयेगी । वह काम अपने आप ही क्यों नहीं कर लेते हैं ? यह प्रस्ताव बिलकुल लोकतंत्र को सही करने के लिये है ।

इस सरकार की क्या हालत है ? ए०सी०ओ० से लेकर जिला मैजिस्ट्रेट तक किसी की भी शिकायत कीजिये, वह दरख्वास्त लौट कर उसी विभाग के उसी कर्मचारी के पास आ जाती है और वे कर्मचारी जनता के प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाते हैं । अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा एक महीने में हो जानी चाहिये । यह कहां का न्याय है कि कितने ही स्पेसीफिक चार्जेज लगाये जायं, लेकिन उसकी इंक्वायरी में ही एकएक साल लगा दिया जाय ? कहां तक धीरज रखा जाय ?

मैं तो एक और भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक चीज रह गयी । इसमें यह भी होना चाहिये था कि मंत्रियों के लिये ही नहीं इधर और उधर के सब लोगों के लिये यह चीज हो जाय । सब लोगों के लिये एक कोड आफ कंडक्ट बना दिया जाय, चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो । सब की ईमानदारी और बेईमानी साबित हो जाय । राजनीतिज्ञों के लिये एक कोड आफ कंडक्ट बने और विधान सभा के सरकारी पक्ष व विपक्ष जितने माननीय सदस्य हैं या मंत्री लोग हैं उन सब की चल व अचल सम्पत्ति की हर वित्तीय वर्ष में जांच हो जाया करे, इससे सबकी पोजीशन साफ रहेगी और यह बिलकुल ईमानदारी का काम रहेगा । मैं समझता हूं कि इस बात को सरकार को मान लेना चाहिये, लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार इस संकल्प को नहीं मान सकती । इसलिये कि एक और बीमारी कांग्रेस पार्टी और सरकार के अन्दर पैदा हो गयी है । कल ही सदन में बात हुई तो श्री चतुर्भुज शर्मा ने कहा कि वे चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं । तो अब इस तरह की बातों में भी मंत्री लोग बड़े माहिर होते जा रहे हैं कि कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं ।

आपको मालूम होगा क्योंकि आप भी सरकारी पार्टी के आदमी हैं । माननीय नन्दा जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इसकी उन्होंने कसम खायी है जब कि इस सरकार के लोगों ने यह कसम खायी है कि वे भ्रष्टाचार को नहीं मिटाने देंगे । इस तरह से दोनों तरफ से एक अजीब रस्साकसी है । ब्रिटेन या दुनिया की किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी के इतिहास में आप यह नहीं पायेंगे कि वहां अपनी पार्टी के चुनाव में इतना जबर्दस्त संघर्ष हुआ हो और इस तरह की अखाड़ेबाजी हुई हो जिस तरह की अखाड़ेबाजी यहां पर देखने को मिलती है । यहां तो छुरे तक चल जाते हैं, चुनाव में रुपये बंटते हैं और कांग्रेस के प्रेसीडेंटशिप तक को रुपये से खरीद लिया जाता है । इस तरह की कार्यवाही यहां रोज रोज होती है । मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि नन्दा जी ने कहा कि ६१ के बाद जो परमिट या लाइसेंस होल्डर होंगे वे कांग्रेस के चुनाव म नहीं खड़े हो सकेंगे और ऐसे लोगों की लिस्ट उन्होंने राज्य सरकार के सप्लाई

आफिस से भेजने को कही थी। जब इस तरह की कैद उन्होंने लगा दी, लेकिन राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी के हेड को वह लिस्ट ही नहीं दी। तो जब इतनी बड़ी बेईमानी इनके आपस में ही है तो जनता कैसे विश्वास कर सकती है कि यह सरकार स्वच्छ और ईमानदार है? मेरा निश्चित मत है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और इसके लिये आवश्यक है कि सरकारी पक्ष के या विरोधी पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनके लिये एक आचार संहिता बननी चाहिये और साथ ही साथ उनकी सारी चल व अचल सम्पत्ति की जांच होनी चाहिये। इससे सारी बातें साफ हो जायेंगी और यह हम सब के हित में रहेगा तथा जनता भी जानती रहेगी कि हमारे प्रतिनिधि की हैसियत चुनाव के पहले क्या थी और अब क्या हैसियत है।

मुझे कई मंत्रियों के बारे में मालूम है, जैसे आचार्य जुगलकिशोर, जो मेरे ही जिले के हैं, अब मंत्री नहीं हैं तो फटी हुई चप्पल पहन कर निकलते हैं, फटीचर कुर्ता और एक फटीचर टोपी पहन कर निकलते हैं। जब वे मिनिस्टर थे लोहा किया हुआ कुर्ता, लोहा की हुई टोपी तथा बढ़िया चप्पल थे तथा बड़ी अच्छी कार पर चलते थे व खासे अच्छे बंगले में रहते थे, लेकिन आज उनकी हालत फटीचर सी है और भी बहुत से मंत्री जब अपने पद से हटा दिये गये हैं वे फटीचर हालत में ही रहते हैं।

एक नवलकिशोर जी हैं जो कमेटीज वगैरह में हैं इसलिये कुछ चमकता हुआ कुर्ता पहनते हैं क्योंकि उनको हम लोगों के साथ बैठना पड़ता है। रावत जी जो मंत्रिपरिषद् से हट गये उनकी भी हालत कुछ इसी तरह की है। श्री जगनप्रसाद रावत जी अब मंत्रिपरिषद् में आ गये हैं पहले उनकी क्या हालत थी, पहले वे कितना तेज बोलते थे, न जाने उनकी वह तेजी अब कहां चली गयी? जिस दिन वे मंत्री बन गये उस दिन से उनकी हैसियत देख लें और जब वे मंत्री नहीं थे तो वही बिना लोहा किया हुआ फटीचर कुर्ता पहनते थे और फटीचर चप्पल पहनते थे जबकि मिनिस्टर हो जाने के बाद एक अजीब हालत है। फर्स्ट क्लास की कार है, फर्स्ट क्लास का बंगला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप खत्म करें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

सिर्फ एक मिनट दे दें। सरकार के प्रति सारी जनता म जो भ्रम फैला हुआ है कि मंत्रियों की हैसियत पहले क्या थी और अब क्या है, उसकी भी सफाई हो जायगी क्योंकि, मुझे निजी तौर पर मालूम है कि ऐसे मंत्री जिनके घर पर एक पड़वा या भैंसा भी नहीं था आज उनके घर पर ट्रैक्टर्स हैं और बड़े बड़े फार्म्स हैं। इसलिये आवश्यक है कि उनके लिये एक आचार संहिता बन जाय जिससे जनतंत्र अच्छी तरह से चल सके और इसमें आपकी भी मान्यता रहेगी। मेरी बात आपको कड़वी अवश्य लगी होगी, लेकिन जनतंत्र में इसको सफाई होना बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्री जे० पी० मिश्र बोलेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं नियमावली की धारा ९८ की ओर ध्यान दिलाऊंगा। उसमें लिखा है कि यदि संशोधन की एक प्रति संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित दिन के ३६ घंटे पूर्व सचिव को न दी जा चुकी हो तो कोई सदस्य उस संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और वह आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

लेकिन यह कोई आपत्ति नहीं हुई है और आप ने स्वयं ही हमारे संशोधन को रूलआउट कर दिया। आप संशोधन को मूव करने की इजाजत दें नियमों के प्रतिकूल काम आप न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस के माने हैं कि आपत्ति हो सकती है। मैंने ठीक किया है। आप बैठें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मेरा समय लेने के लिये वह यह कह रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप यह किस नियम से कह रहे हैं?

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव अभी माननीय मुकुटबिहारीलाल जी ने जो इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया और जिसका कि सब की हिस्ट्रीशीट जेब में डालकर आरोप लगाने वाले नौजवान लोहिया सोशलिस्ट श्री राधेश्याम जी शर्मा ने समर्थन किया। (व्यवधान) माननीय मुकुटविहारीलाल जी ने बड़े तरोताजा शब्दों में माननीय मंत्रियों के लिये कुछ बातें कहीं, जिन का कि इस प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह प्रस्ताव पढ़ने में जिस तरह से था, मैं आप से निवेदन करूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी का जहां तक सम्बन्ध है—विरोधी पार्टी की बात तो मैं नहीं जानता—हमारे एक एक आदमी को एक एक सदस्य को चल और अचल सम्पत्ति का लेखा जोखा देना पड़ता है। वह कानूनी है, वह जरूरी है और लेखाजोखा इधर के सब लोगों का सरकार के पास मौजूद है। मैं अपनी बात कहता हूं उनके मुताबिक मैं नहीं कहता। हमारे यहां यह पाबन्दी है, प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का यह आदेश है कि चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक हर कांग्रेस के सदस्य को अपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा देना होता है, लेकिन विरोधी दल की चल और अचल सम्पत्ति नहीं है? और वह नहीं होना चाहिये, क्योंकि उनको छूट है, लेकिन हम तो सरकार चलाते हैं हमारे ऊपर पाबन्दी है। हम तो खैर हिसाब इस तरह से देते हैं ही, लेकिन मैं उनसे पूंछू और श्री मुकुटबिहारीलाल जी से पूंछू तो वह अभी नाराज हो जायेंगे कि सीताराम जैपुरिया का पौने दो लाख रुपया कहां गया और रामसिंह का ५० हजार रुपया, जो वोट बेच कर लिया गया वह कहां गया? उस को जनसंघ ने कहां जमा किया? वैसे तो श्री मुकुटबिहारीलाल और उनके दल के सभी लोग बड़े तेजरतार हैं, जेब में सब की हिस्ट्रीशीट डाले उधर के लोग फिरते हैं। डालमिया ग्रुप के जो यह लोहिया सोशलिस्ट २३ गिरफ्तार हुये जो शुद्ध और विशुद्ध सोशलिस्ट हैं उन का हड़पा पैसा कहां गया? यह ४-४ लाख रुपया राममनोहर लोहिया के फर्रुखाबाद के चुनाव में कहां से आया? क्या कोई काले का खजाना उनके पास है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रतीपाल जी, आप बैठ जायं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पीच के बीच में व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

अब स्पीच नहीं होगी अगले दिन कन्टीन्यू रहेगी ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो वातावरण सदन में बन रहा है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रश्न पर हम विचार करना चाहते हैं उसका अगर स्तर इतना नीचा जाने देंगे तो उचित नहीं है। (व्यवधान) इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया आदि के बारे में जो बात कही गयी है वह रिकार्ड से हटा दी जाय। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं केवल कांग्रेस सदस्यों से ही नहीं, बल्कि अपने विरोधी दल के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि जो वातावरण बन रहा है और जैसी बातें कही गयी हैं, मैं समझता हूं कि उनको अभी न आगे बढ़ायें। मुझे डर है कि अभी और कड़वी बात आने वाली है अगर हम यहां नहीं रुकते हैं। (व्यवधान)

(श्री जे० पी० मिश्र के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस संकल्प के सम्बन्ध में तो बहस खत्म कर दो ।

[* * *]

श्री शारदाभक्तसिंह—

आप जो नेहरू जी के बारे में शब्द कहे गये हैं वे भी प्रोसीडिंग्स से निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं देख कर निकलवा दूंगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, अगर मेरे शब्द निकलवाये गये तो उस ओर के माननीय सदस्य के भी शब्द निकालवाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात मेरे ऊपर छोड़िए।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया बताने की कृपा करेंगे कि चोर और बदमाश शब्द कहना इस आदरणीय सदन में संसदीय है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ये शब्द अनुचित हैं। मैंने आपको बता दिया है कि मैं सारी प्रोसीडिंग को देखकर उधर के और इधर के सदस्यों के जो अपशब्द होंगे उन्हें निकलवा दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—

ये संसदीय शब्द हैं या नहीं ?

[**] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी सदस्य के लिये अगर कहा है तो अनुचित शब्द हैं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के आज वापस प्राप्त हो गये हैं।

कृषि विभाग में १५ वर्ष से ऊपर के काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी न करने के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब कि हमारे सामने खाद्य समस्या एक भयंकर रूप में है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने का सवाल है उस समय कृषि विभाग किस प्रकार काम कर रहा है इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। आप भी यह समझते होंगे कि कृषि विभाग का जो कार्य है उसको किसी प्रकार से काबिल तारीफ नहीं कहा जा सकता। इसके कर्मचारियों में अत्यन्त निकम्मापन, भ्रष्टाचार और बुराइयां हैं, लेकिन अगर इस सिलसिले में थोड़ा-सा गौर से देखें तो मालूम होगा कि यह सब क्यों है। इस सम्बन्ध में मैंने तीन सवालात किये थे। उनका मन्त्री जी की तरफ से विधान सभा में जो उत्तर मुझे मिला उससे मैं बिल्कुल असन्तुष्ट हूं और मैं समझता हूं कि वह एक तरीके से सही नहीं है या ऐसा है जिससे इस विभाग की खामियां को छिपाने की पूरी कोशिश की गयी है। मेरा पहला सवाल था कि इस विभाग की कोई ग्रेडेशन लिस्ट है या नहीं। तो उसका जवाब यह दिया कि नान-गजटेड स्टाफ की तो ग्रेडेशन लिस्ट है, लेकिन गजटेड आफिसर्स की नहीं है। यह क्यों नहीं है? आजतक उसकी जरूरत क्यों नहीं समझी गयी? कृषि विभाग कोई नया विभाग नहीं है, बल्कि पुराना विभाग है। उन्होंने यह बताया कि स्थायीकरण हो रहा है उसके बाद बनायी जायगी। तो स्थायीकरण से पहले क्यों नहीं बनायी गयी? स्थायीकरण करते वक्त वह मददगार साबित होती।

दूसरा सवाल मेरा था कि इस विभाग का सर्विस मैनुअल है या नहीं। उसका जवाब 'जी नहीं' में दिया गया। मैं पूछता हूं कि अगर सर्विस मैनुअल किसी विभाग के लिये जरूरी नहीं होता तो और विभागों में क्यों है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने बताया कि चूंकि यह एक एग्जीक्यूटिव विभाग नहीं है, इसमें धीरे-धीरे डेवलपमेंट हो रहा है इसलिये अभी नहीं है। तो और भी तो डिपार्टमेंट्स हैं जो पुलिस की तरह एग्जीक्यूटिव नहीं हैं, लेकिन उनका सर्विस मैनुअल है। जैसे पी० डब्ल्यू० डी० एक टेक्निकल विभाग है, लेकिन उसके अन्दर भी सर्विस मैनुअल है। मैंने वहां के कर्मचारियों से बात चीत की। उन्होंने बताया कि सर्विस मैनुअल का होना जरूरी है ताकि मालूम हो सके कि उनके क्या-क्या हकूक हैं और क्या ड्यूटीज हैं। लेकिन मन्त्री जी ने आजतक इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक लुत्फ की बात और है, मन्त्री जी ने वह न बताया होता तो अच्छा होता, कि कृषि विभाग भी सर्विस मैनुअल बना रहा है। आखिर उन्होंने भी इसकी जरूरत समझी, लेकिन उसका एक चैप्टर ७–८ साल के अन्दर बना है, मैंने मालूमात की इसके सिलसिले में तो पता चला कृषि विभाग के अधिकारियों से कि वह भी अभी पूरा नहीं हुआ है। न मालूम ५० साल में, १०० साल में या न जाने कब वह तैयार होगी। कृषि मैनुअल के तैयार न होने से कृषि कर्मचारी यह ख्याल करते हैं कि उनकी हक तलफी की जाती है और जो उनकी सेवा हैं उनका उसको फल नहीं मिलता है।

इसके साथ ही साथ कितने दुःख और अफसोस की बात है कि कृषि विभाग में १४१ कर्मचारी ऐसे हैं य उस वक्त थे जब कि १३ अप्रैल को उत्तर दिया गया था जिनको १५ वर्ष या इससे अधिक सेवा करते हुये हो गये थे, लेकिन वे स्थायी नहीं हुये थे। मैं यकीनसे कह सकता हूं कि ५ मार्च से पहले उनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में थी जिनको वर्षों सेवा करते हुये गुजर जायं और वे स्थायी न किये जायं। इससे उनकी पेंशन पर भी असर पड़ता है और उनकी एफीशियेंसी पर भी असर पड़ता है। बहुत से कर्मचारी ऐसे भी थे जिनको वर्षों सेवा करते हुये हो गये और वे मर गये, लेकिन उनके बाल बच्चों को या परिवार को कोई राहत नहीं दी गई। इस तरीके से मान्यवर सब बातें स्पष्ट करने के लिये नियम ५० के अन्तर्गत आप को सूचना दी है और आप का आभारी हूं कि आपने उसे स्वीकार कर लिया।

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुमताज मुहम्मद खां साहब ने जो प्रश्न किये थे उनका उत्तर उनको उसी समय दे दिया गया था। आप की शिकायत यह है कि गजटेड आफिसर की ग्रेडेशन लिस्ट नहीं बनी है। जो भी गजटेड आफिसर होगा उस को अपनी पोजीशन का ज्ञान है और वह अपनी सर्विस के बारे में पूरी जानकारी रखता है। इस डिपार्टमेंट में कई सैक्शन्स हैं और उनमें काम करने वाले गजटेड आफिसर्स की इतनी तादाद नहीं है कि उनको अपने ग्रेडेशन लिस्ट के बारे में जानकारी न हो। यह सही नहीं मालूम होता है कि ग्रेडेशन लिस्ट न होने से अधिकारियों को असुविधा या परेशानी होती है।

नान गजटेड कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट मौजूद है और यह माननीय सदस्य को बता भी दिया गया था। आपने कहा है कि इस डिपार्टमेंट में सर्विस मैनुअल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सदस्य को गलतफहमी है क्योंकि डिपार्टमेंट मैनुअल होता है न कि सर्विस मैनुअल। सर्विस रूल्स होते हैं जो कि सब गवर्नमेन्ट सरवेंट्स के लिए एक से होते हैं और हर एक गवर्नमेंन्ट सरवेंट जानता है कि उनके मुताबिक उनकी सर्विस चलती हैं। डिपार्टमेंटल मैनुअल हर एक विभाग का अलग-अलग होता है और एग्रीकल्चर विभाग का भी मौजूद है। उसमें तरमीम करने की बात है। इसके लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और जो हमारे कृषि निदेशक हैं वे इसकी तैयारी में हैं। हमें आशा है कि समय के भीतर उसको वे तैयार कर देंगे। १४१ कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य ने सवाल किया। उस का भी जवाब दिया गया। माननीय सदस्य को उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक पब्लिक सर्विह कमीशन से वे कर्मचारी स्वीकृत नहीं होते हैं तब तक उनका किसी बड़ी सर्विस में स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है। जिसमें उनका कनफर्मेशन है उसमें वे स्थायी हैं। मैं मानता हूं कि जो १५ साल या उससे अधिक सर्विस के कर्मचारी हैं, उससे कम १२, १०, ८, ६ साल वाले कर्मचारियों को भी पब्लिक कमीशन के सामने जाना पड़ा और उनका इंटरव्यु हुआ है। धीरे-धीरे जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन से उनकी स्वीकृति आयेगी और जिस क्रम से वहां से सूची आयेगी, उसी क्रम से उनका कनफर्मेशन होगा। विभाग अपनी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई भी कर्मचारी जिसका कैरेक्टर रोल ठीक है, जिसकी इफीशेंसी ठीक है और वह पब्लिक सर्विस कमीशन से स्वीकृत है उसके कनफर्मेशन के लिए विभाग कार्यवाही कर रहा है। यह दूसरी बात है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी का कैरेक्टर रोल ठीक नहीं है। उसके खिलाफ चार्जेज हैं, वह कनफर्म न हो। मैं समझता हूं कि इसके सिलसिले में माननीय सदस्य की शिकायत अपने आप समाप्त हो जायगी, क्योंकि बराबर विभाग से कोशिश की जा रही है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज पत्रित अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट नहीं है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी है, इसलिए उनको अपनी पोजीशन का ज्ञान है। क्या माननीय

[श्री मैनेजर सिंह]

मंत्री जी ऐसा अनुभव करते हैं कि जो राजपत्रित अधिकारी जिनकी संख्या सैकड़ों में है, उनको अपनी पोजीशन का ज्ञान कैसे हो सकता है जब कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति का समय और तारीख तो याद नहीं रखता, न जानकारी होती है। कोई अधिकारी बलिया में, है, किसी नये अधिकारी की नियुक्ति हुई और उसको बरेली भेज दिया तो बलिया वाले अधिकारी को नहीं मालूम कि हमारे बाद किस की नियुक्ति हो गई।

दूसरी बात यह है कि ग्रेडेशन लिस्ट न होने की वजह से एक पक्षपात की गुंजायश होती है पक्षपात न भी हो तो भ्रम पैदा होता है। इन कारणों से आप इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझते कि ग्रेडेशन लिस्ट जल्द से जल्द बनायी जाय ताकि राजपत्रित अधिकारी संतुष्ट हो सकें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

माननीय मैनेजर सिंह का यह कहना है कि ग्रेडेशन लिस्ट नहीं रहती तो हो सकता है कि किसी अधिकारी के साथ पक्षपात हो। ग्रेडेशन लिस्ट का मतलब यह है कि जो प्रिंटेड लिस्ट है वह सबके पास पहुंच जाय।

वैसे डिपार्टमेंट में ग्रेडेशन लिस्ट हर राजपत्रित अधिकारी की है लेकिन वह पब्लिस्ट लिस्ट नहीं है कि जिसको हर व्यक्ति देख सके, यह जरूर उसमें कमी है और जब ऐसा अवसर आयेगा तो उस समय वह सूची प्रकाशित भी हो सकती है। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि जिसको कि अपनी पोजीशन का ज्ञान न हो। हर अधिकारी हमेशा सचेष्ट रहता है जब वह सर्विस कर रहा है तो उसके बारे में उसकी जानकारी रहनी चाहिये और उसको जानकारी रहती है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय मंत्री जी ने एक बात कही जिस से कुछ शान्ति मिलती है, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी अपनी कथनी को करनी में लगायेंगे कि जो छोटे कर्मचारी हैं इनकी शिकायत कोई कृषि विभाग की ही नहीं है, हर विभाग में ये छोटे कर्मचारी हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त तो सिर्फ कृषि का ही मामला है।

श्री लखीसिंह—

हां, वही मैं कह रहा हूं। यह १४१ जो हैं यह तो कोई थोड़े नहीं हैं कि वह बेचारे टेम्पोरेरी पड़े रहें। तो क्या आज की जो बात आपने कही है उसमें बहुत जल्दी करके इनको स्थायी करने की कृपा करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने तो नान गजटेड स्टाफ को ऐग्रीकल्चर विभाग कि जो १४१ संख्या बतलायी, उनके बारे में स्पष्ट कर दिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका हाल ही में इन्टरव्यू हुआ है और उसका जो नतीजा है उसके आने पर जिस क्रम से वहां से सूची बनाकर आयेगी उसी क्रम से उनके स्थायी करण के सम्बन्ध में विचार होगा और वह स्थायी किये जायेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि विभाग में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स रूल्स लागू हैं और उन्होंने यह भी बताया कि १४१ कर्मचारी ऐसे हैं कि जो अनेक सालों से हैं और स्थायी नहीं किये जा सके तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स रूल्स में ऐसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति कितने दिनों तक सरकारी कर्मचारी बना रहे और वह स्थायी नहीं होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने यह निवेदन किया कि जो १४१ ये कर्मचारी हैं लोअर ग्रेड में उनका कन्फर्मेशन है, वे स्थायी हैं, लेकिन जिस ग्रेड में वे काम कर रहे हैं उसमें उनके स्थायीकरण का प्रश्न है। जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन उस ग्रेड में उनको अप्रूव नहीं कर देता तब तक उनका उस ग्रेड में स्थायीकरण नहीं हो सकता है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वह चाहे डिपार्टमेंटल मैन्युअल हो चाहे सर्विस मैन्युअल हो, जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी ने बताया था उस मैन्युअल के एक चैप्टर के बनने में सात-आठ साल लग गये तो पूरा मैन्युअल कितने सौ सालों में बनेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उपाध्यक्ष जी, मैंने यह निवेदन किया था कि विभाग की ओर से इस बात की कोशिश की जा रही है कि वह डिपार्टमेंटल मैन्युअल जल्दी से जल्दी तैयार हो। इसके लिये शासन की ओर से कृषि निदेशक को आदेश दिया जा चुका है और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है यह उम्मीद है कि वह जल्दी तैयार हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मैन्युअल का बनना कब शुरू हुआ था और कब तक वह कम्पलीट हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह ठीक बात है कि इस मैन्युअल का काफी समय पहले बनाना प्रारम्भ किया गया था और उसके लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मैन्युअल तैयार नहीं हो सका, किन्तु अब सरकार इसके लिये सचेष्ट है अब जल्दी तैयार हो जायेगा।

श्री कमला सिंह यादव--

मैंने पूछा था कि कब यह शुरू किया गया तो कम से कम ईयर तो बता दें कि किस सन् में शुरू किया गया और किस सन् तक तैयार हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं इस समय इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि काफी समय से यह प्रश्न विभाग के सामने है। मुझे ठीक याद नहीं है कि यह कब से है। यह मैं नहीं बता सकता। काफी अर्से से है। यह उम्मीद की जाती है कि आगामी चन्द वर्षों में यह तैयार हो जायगा।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जब कृषि पर इतना बल दिया जा रहा है और सारी प्लानिंग का बल कृषि पर है और कृषि विभाग को बढ़ाने की बात की जा रही है तो ऐसे समय में आपको अपने अलग से सर्विस रूल बनाने में क्या दिक्कत है ? चरणसिंह जी जैसा मंत्री इस विभाग को प्राप्त है जिनकी लगन और मेहनत के बारे में कोई ऊंगली नहीं उठा सकता, जिसको हम मानते हैं कि मंत्रि परिषद् में एक मात्र वह ऐसे मंत्री हैं जिनको अपने विभाग का ज्ञान है तो ऐसे मंत्री के प्राप्त होते हुये भी ८ वर्ष से १ चैप्टर मैनुअल का तैयार हुआ है और पूरा मैनुअल नहीं बन सका तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष जी, माननीय मैनेजरसिंह का कहना है कि इस विभाग के पृथक से सर्विस रूल हो और इसके होने में क्या दिक्कत है ? मैंने पहले कहा था कि सर्विस रूल होते हैं और हरएक विभाग में होते हैं। सरकारी नौकरों के लिये ही सर्विस रूल बने होते हैं। मैं यह निवेदन करूं कि हमारे कृषि विभाग में भी सर्विस रूल हैं और वह अलग हैं जैसा कि और विभागों में होते हैं। मैनुअल के बारे में मैंने यह निवेदन किया कि मैनुअल तैयार किया जा रहा है और वह मैनुअल निकट भविष्य में तैयार हो जायगा। इसमें जरूर बड़ा लेबर है और परिश्रम है। उसके बनने में समय अवश्य लगेगा। इसमें कोई शुबहा की बात नहीं है। हमारे कृषि मंत्री महोदय को अपने विभाग के बारे में पूरी जानकारी है और वह पूरी जानकारी रखते हैं और उनका ही यह प्रयास है और वे बराबर इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द यह मैनुअल तैयार हो जाय। यह आशा की जाती है कि जल्दी यह काम होगा। हम चाहते यह हैं कि प्रदेश में कृषि का उत्पादन बढ़े। कृषि की तरक्की हो और हमारे प्रदेश में जो आज पैदावार कम होती जा रही है उसमें वृद्धि हो। वह इस हद तक हो कि जो हमारे प्रदेश की आवश्यकता है उसको ही वह पूरा न करे बल्कि हम कुछ दूसरों को भी दे सकें। उसके लिये जरूरी है कि अच्छे कार्य-कर्त्ता हों, अच्छे कर्मचारी हों और वे मन वचन और कर्म से कृषि विभाग में रह कर उत्पादन का कार्य करें। इसके लिये जरूरी है कि सर्विस रूल ठीक हों। उनके लिये ठीक प्रकार से मैनुअल हो जिस से प्रोत्साहन उनको मिलता रहे। उसके लिये जैसा मैंने निवेदन किया हमारे विभाग के मंत्री जी और इस विभाग के हमारे विभागीय अधिकारी प्रयत्नशील हैं और यह डिपार्ट-मेंटल मैनुअल जल्दी-से जल्दी तैयार हो जायं। यह मेरा निवेदन है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो सर्विस मैनुअल तैयार किया जा रहा है यह किन-किन चीजों से सम्बन्धित है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो डिपार्टमेंटल मैनुअल होता है उसमें यह होता है कि किस-किस की क्या ड्यूटीज हैं, डाइरेक्टर की क्या ड्यूटीज हैं, डिप्टी डाइरेक्टर, ऐडीशनल डाइरेक्टर आदि की क्या ड्यूटीज हैं, यह सारी बातें उसमें रहती हैं। जितनी भी उसकी शाखाएं हैं उसका उस में उल्लेख होता है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाबात से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी को यह बताना चाहिये था कि ग्रेडेशन लिस्ट क्यों नहीं बन पायी ? इसमें क्या दिक्कतें थीं ? जब आप कहते हैं कि वह आपके पास मौजूद है तो उसे पब्लिश कराने में क्या दिक्कत है ? लोगों को मनमाने तरीके से तरक्की दी जाती है, मनमाने तरीके से लोगों को रिटायर किया जाता है, यही कारण है कि अभी तक ग्रेडेशन लिस्ट तैयार नहीं कराया गया। वरना कोई कारण नहीं था कि ८ वर्ष के अन्दर वह बन कर तैयार न हो पाती। जब अधिकारियों और कर्मचारियों को यह पता न हो कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, तब वे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे यह विभाग चलता है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है ? मैं मंत्री जी को यकीन दिलाता हूं मैंने बहुत से कर्मचारियों से बातचीत की है, एक ज्वाइंट डाइरेक्टर से भी बात की है, उनमें बड़ा असंतोष है। अजीब तरीके से यह विभाग चल रहा है। मंत्री जी यह तक नहीं बता सके कि कब तक यह मैनुअल तैयार हो जायगा। इस विभाग में सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जो कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं हो सके। माननीय चरणसिंह जी ने कहा कि बहुत सी स्कीम्स टैम्पोरेरी हैं, इसलिये मुस्तकिल करने का प्रश्न नहीं उठता। मैं पूछता हूं कि क्या उनके लिये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह उनको स्थायी करे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय मुमताज साहब की यह मुख्य शिकायत है कि ग्रेडेशन लिस्ट नहीं तैयार हो पायी। उन्होंने यह चार्ज लगाया कि मनमाने ढंग से प्रमोशन कर दिये जाते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं, यह बिलकुल गलत चार्ज है, यह विभाग के ऊपर एक आक्षेप है। (व्यवधान) ग्रेडेशन लिस्ट के बारे में मैंने उनसे निवेदन किया कि ग्रेडेशन लिस्ट है, मगर वह पब्लिश नहीं हो पायी है। वैसे जो अधिकारी हैं उनको अपने-अपने बारे में पूरी जानकारी है कि उनकी पोजीशन क्या है। विभाग में उनकी एक सूची भी है। उसमें उनकी सीनियारिटी भी लगी है। हरएक को अपने बारे में जानकारी है। केवल उसको पब्लिश करने की ही बात है। जो चार्ज उन्होंने लगाया है वह गलत है।

विधान सभा का सत्रावसान

श्री उपाध्यक्ष--

अब मुझे दो घोषणाएं करनी हैं। पहली यह है--

भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (क) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान उसकी दिनांक ८ मई, १९६४ के उपवेशन की समाप्ति से करते हैं।

सदन को आहूत करने के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा को दिनांक २७ जुलाई, १९६४ को ११ बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में वर्ष १९६४ ई० के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और २७ जुलाई, १९६४ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर सोमवार, २७ जुलाई, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
८ मई, १९६४

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत २० मार्च, १९६४ को स्थगित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०३ पर]

चकबन्दी की योजना के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग में भिन्न-भिन्न वेतन क्रम में कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों की सूची

क्रम-सं०	वेतन-क्रम	पदों की संख्या	पदों का नाम	५ वर्ष से ऊपर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या
१	२	३	४	५
१	आई० ए० एस० सीनियर स्केल	३	चकबन्दी आयुक्त तथा संयुक्त निदेशक।	
२	पी० सी० एस० (ऐक्जीक्यूटिव ब्रांच) २५०–८५० रु०।	६५	उप निदेशक, सहायक निदेशक, चकबन्दी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधान, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी और अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी।	१०
३	राजपत्रित पद के अन्तर्गत अधीनस्थ वर्ग २००–४०० रु०	१८४	उप-सहायक निदेशक, चकबन्दी अधिकारी, समकोण अधिकारी, सीनियर इंस्ट्रक्टर तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी।	७८
४	रु० १२०–२०० ..	८९१	सहायक चकबन्दी अधिकारी जूनियर इंस्ट्रक्टर तथा सहायक समकोण अधिकारी।	५०४
५	रु० ७५–१२५ ..	२,०१२	चकबन्दी कर्ता, पेशी कानूनगो तथा रेकटेगुलेटर।	७५६
६	रु०४०–६५ ..	३२२	ट्रेसर ..	५७
७	रु०६०–१२० ..	१,६६५	ड्राफटमैन, रीडर, अहलमद तथा कोर्ट क्लर्क और टैबुलेटर।	५४१
८	रु०३३–५५ ..	९,१३०	लेखपाल ..	२,३१८

क्रम-सं०	वेतन-क्रम	पदों की सं०	पदों का नाम	५ वर्ष से ऊपर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या
९	३००–४०० रु० ..	१	अधीक्षक (हेडक्वार्टर) ..	..
१०	१२०–३०० रु० तथा ४० रु० विशेष भत्ता ।	३	सहायक अधीक्षक ..	..
११	रु०८०–२४० ..	१६	प्रवर वर्ग सहायक तथा रिकर्ग कीपर ।	८
१२	रु०६०–१०० ..	९४	अवल वर्ग सहायक, टाइपिस्ट संदर्भदाता, नकलनवीस ।	२५
१३	रु०८०–१४० ..	१५	एकाउन्ट्स क्लर्क, एकाउन्टेंट, लाइब्रेरियन, नाजिर	..
१४	रु०१५०–२०० ..	१	चीफ एकाउन्टेन्ट ..	१
१५	रु०४०–(निर्धारित) ..	३	अपरेंटिसेस ..	..
१६	रु०१३०–२५० ..	१	स्टेनोग्राफर ..	१
१७	रु०१००–२४० ..	१५	तदैव ..	५
१८	रु०१००–२०० ..	४४	तदैव ..	८
१९	रु०७५–१५० ..	७	तदैव ..	..
२०	रु०२२–२७ ..	४,९४२	चपरासी, जमादार, डाकरनर, चैनमैन, वाटरमैन, चौकीदार ।	१,०४९
२१	रु०३२–३७ ..	४३	बन्डल लिफ्टर, दफ्तरी ..	२६
२२	रु०४५–६५ ..	१९	जीप ड्राइवर ..	११
२३	रु०८५–१४५ ..	१५७	सीनियर क्लर्क, एकाउन्ट्स क्लर्क ।	८०
२४	रु०१५ (निर्धारित) ..	४०	मेहतर (दिन में कुछ काल के लिये) ।	८
२५	रु०१००–१५० ..	४०	हेड क्लर्क ..	१८

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत २० मार्च, १९६४ के स्थगित तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१० पर]

पाले से हुई क्षति का विवरण

नाम फसल	क्षति की मात्रा
अरहर	७५ न० पै०
चना	५० न० पै० से ७५ न० पै०
मटर	५० न० पै० से ७५ न० पै०
गेहूं	२५ न० पै० से ५० न० पै०
जौ	२५ न० पै० से ६२ न० पै०
गेहूं जौ	२५ न० पै० से ५० न० पै०
गेहूं चना	३७ न० पै० से ६२ न० पै०
बेझड़	३७ न० पै० से ७५ न० पै०
तिलहन	७५ न० पै०
अन्य फसल	२५ न० पै० से ५० न० पै०
आलू	२५ न० पै० से ५० न० पै०

तहसील बिन्दकी

नाम फसल	क्षति
गेहूं, चना, जौ, बेझड़, रेड़ी, लाही, सरसों, मटर, मसूर, अरहर, आलू, टमाटर मिर्चा	इन फसलों में २ आने से सोलह आने तक क्षति पहुंची है (१२ न० पै० से १०० न० पै०) क्षति प्रत्येक ग्राम में भिन्न-भिन्न है।

तहसील फतेहपुर—

नाम फसल	क्षति
गेहूं	१० न० पै० से ४० न० पै० तक
गेहूं जौ	१० न० पै० से ४० न० पै० तक
गेहूं चना	२० न० पै० से ६० न० पै० तक
जौ	१० न० पै० से ४० न० पै० तक
बेझड़	२५ न० पै० से ६० न० पै० तक
चना	३० न० पै० से ६० न० पै० तक
मटर	२५ न० पै० से ६० न० पै० तक
लाही सरसों	२० न० पै० से ८० न० पै० तक
आलू व अन्य तरकारी ..	१० न० पै० से ५० न० पै० तक
अन्य फसल	१० न० पै० से २० न० पै० तक
अरहर	७५ न० पै० से ८० न० पै० तक।

क्षति प्रत्येक गांवों में भिन्न-भिन्न है।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत २० मार्च, १९६४ का स्थगित तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर]

विनोबापुरी ग्रामवासियों पर १९५४– से १९६४ तक निम्न मदों में निम्नलिखित धनराशि व्यय की गयी

क्रम-सं०	मद का नाम	ग्रहीता का नाम व पता	दी गई धनराशि	तिथि	विशेष विवरण
			रु० न० पै		
१—(i)	हरिजन बस्ती निर्माण हेतु ..	श्री कान्त सिंह संयोजक ..	५,६००.००	१४–१२–५८	केन्द्रीय अनुदान से जिला नियोजन समिति द्वारा भुगतान किया गया।
(ii)	२८ मकानों के लिये ..	भू-दान समिति बिनोबापुर ..	१,४००.००	६–५–५६	
(iii)	,, ,,	,, ,, ..	५००.००	१६–६–५६	
(iv)	,, ,,	,, ,,	९००.००	११–१०–५८	
२	एक स्कूल भवन निर्माण हेतु ..	,, ,, ..	२,५००.००	२८–७–५६	,, ,,
३	जनरल कूप निर्माण हेतु (४ कूप हेतु) ..	,, ,, ..	२,०००.००	८–१०–५४	,, ,,
४	चमड़ा रगाई के लिये ..	श्री सुख लाल, विनोबापुरी ..	२५०.००	२३–१२–५७	हरिजन कल्याण विभाग के अनुदान से भुगतान किया गया।
५	सुअर के बालों के लिये ..	श्री अयोध्या प्रसाद ,, ..	२५०.००	,,	
६	सुअर पालन ,, ..	श्री ननकऊ पासी ,, ..	२५०.००	६–२–६०	
७	दर्जी गीरी के लिये ..	श्री सागर प्रसाद ,, ..	३००.००	,,	,, ,,
८	बढ़ई गीरी के लिये ..	श्री बुधई राम ,, ..	२५०.००	,,	,, ,,
९	एक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु	श्री कान्त सिंह संयोजक विनोबापुरी	४८०.००	२०–७–५९	विकास क्षेत्र डलमऊ के अनुदान से भुगतान किया गया।
१०	२ हैंड पम्प के लिये ..	,, ,, ..	५२०.००	१७–६–६०	
११	(i) एक बीज भंडार हेतु ..	श्री सत्य सरन दीक्षित ..	३६०.००	२९–५–६०	
(ii)	,, ,, ..	मंत्री भू-दान समिति ..	८००.००	२५–५–६२	,, ,,
१२	बैल क्रय करने के लिये ..	श्री सत्ती हरिजन विनोबापुरी ..	१,१२५.००	२९–९–६२	,, ,,
			१८०.००	२८–२–६३	हरिजन कल्याण अनुदान से।
		कुल धनराशि का योग ..	१७,६६५.००		

अवध प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

ग्राम विनोबापुरी के हरिजनों की सूची जिन्हें ग्राम थुलरई एवं ग्राम धूरी में भूमि के पट्टे दिये गये

क्रमांक	काश्तकार का नाम व पता			भूमि का क्षेत्रफल बीघे में	ग्राम का नाम जहां भूमि स्थित है
१	श्री अयोध्या प्रसाद पुत्र काली	नि०	विनोबापुरी	६	थुलरई
२	मु० ननका स्त्री छटऊ	..	..	५। ३	,,
३	श्री रामनाथ पुत्र बैजू	..	..	५	,,
४	श्री भरोसे पुत्र बदल	..	..	६। ४	,,
५	श्री बदल पुत्र गुरदीन	..	..	२१।।।	,,
६	श्री मेड़ई पुत्र बदल	..	..	४।।। २	,,
७	श्री सुरजू पुत्र मक्कू	..	..	६	,,
८	श्री ननकऊ पुत्र भगान	..	..	६।	,,
९	श्री बुधई पुत्र बदल	..	..	७।	,,
१०	श्री रामअौतार पुत्र शितलू	..	..	६	,,
११	श्री मैकू पुत्र भदई	..	..	५	,,
१२	श्री अंगनू पुत्र कन्धई	..	..	५	,,
१३	श्री बुद्धी पुत्र बचानी	..	..	६	,,
१४	श्री रामचरन पुत्र सुरजू	..	..	२।।	,,
१५	श्री राम चरन पुत्र बचानी	..	..	३	,,
१६	श्री पाल व श्री दुलारे पुत्र नन्हू	..	..	६	,,
१७	श्री संकटा प्रसाद पुत्र गाजी	..	..	६	,,
१८	श्री छेदी पुत्र देवी	..	..	५।।	,,
१९	श्री दुलारे पुत्र देवी	..	..	५	,,
२०	श्री राम भरोसे पुत्र छेदी	..	..	३	,,
२१	श्री भरोसे पुत्र मेड़ई	..	..	५	,,
२२	श्री समी पुत्र रगुवर	..	..	५	,,
२३	श्री राम चरन पुत्र मन्नू	..	..	६२	,,
२४	श्री शिव चरन पुत्र मन्ना	..	..	६	,,
२५	श्री राम आसरे पुत्र छेदी	..	..	३	,,
२६	श्री राम जियावन पुत्र मन्ना	..	..	६	,,
२७	श्री रघुवीर	..	..	२	,,
२८	श्री शुकुरू पुत्र जोधी	..	..	१	धूरी

विधान सभा

क्रमांक	काश्तकार का नाम व पता	भूमि का क्षेत्रफल बीघे में	ग्राम का नाम जहां भूमि स्थित है
२९	श्री शिवराम पुत्र मन्ना	२	धूरी
३०	श्री रामसेवक पुत्र मन्ना	१॥	,,
३१	श्री मन्ना पुत्र बुधई	२	,,
३२	श्री मेड़ई पुत्र बदल	२	,,
३३	श्री बुधई पुत्र बदल	२	,,
३४	श्री रामचरन पुत्र मन्ना	१	,,
३५	श्री बाबूलाल पुत्र दुलारे	१॥	,,
३६	श्री ननकऊ पुत्र भगान	३	,,
३७	श्री राम जियावन पुत्र मक्का	२	,,
३८	श्री हुबलाल पुत्र सुखलाल	१।	,,
३९	श्री सत्यनारायण पुत्र देवीदीन ..	१। ३	,,
४०	श्री गंगा राम पुत्र मैकू	२	,,
	योग ..	१५७॥। ४	
		अथवा ९८·७	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत २० मार्च, १९६४ के स्थगित तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर]

गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में गत ५ वर्षों में बाढ़, ओला, सूखा, से हुई क्षति स्वरूप दी गई सहायता का विवरण-पत्र

क

क्रम-संख्या	वर्ष जिसमें क्षति हुई	दैवी आपदा जिससे क्षति हुई	दी गई सहायता का विवरण: अहेतुक सहायता	गृह निर्माण सहायता	तकावी	मालगुजारी में छूट	निःशुल्क वितरण किये गये खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक सामग्री
			रु०	रु०	रु०	रु०	
१	१९५८–५९ (१३६६ फसली)	बाढ़	..	..	४५,०००	३६,३९२.६२	..
२	१९५९–६० (१३६७ फसली)	सूखा	..	..	२८,२९५	२१,१७२.०१	..
३	१९६०–६१ (१३६८ फसली)	बाढ़	..	..	१,०४,३९०	८५,५९४.३५	चूना २६५ मन, गुड़ ४४ मन, मिट्टी का तेल १७ टिन, नमक १७ १/२ मन, माचिस २०३ दर्जन ।
		ओला	..	..	१०,८९५	१८,१७९.९४	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४	१९६१–६२ (१३६९ फसली)	.. बाढ़	..	४,०००	१,४९,०००	६८,९२४.७४	चना ५४८ मन, मिट्टी का तेल ४७ १/२ टिन, नमक ४२ १/२ मन, गुड़ २६ मन, माचिस १२० दर्जन ।
		ओला	५०,०००	..	४,१८,३५०	८०,७७३.४०	..
५	१९६२–६३ (१३७० फसली)	.. बाढ़	..	..	३,६४,२९५	७४,५०४.९५	खाद्य पदार्थ १४५७ मन, नमक १७२ मन, मिट्टी का तेल २२४ १/२ टीन, माचिस ४५८ दर्जन, गुड़ १ मन ।
		ओला	१३,०००	..	२०,०००	५८,००१.२४	,,

(ख)

(१) बाढ़ों के समय आवश्यकतानुसार नावों का प्रबन्ध किया जाता रहा ।

(२) पशुपालन एवं स्वास्थ्य विभागों द्वारा सहायता पहुंचाई जाती रही ।

(३) बाढ़ों के आने के समय से सभी निकटवर्ती जंगल चराई हेतु खोल दिये जाते रहे ।

(४) पीड़ितों को नकद गृह-निर्माण सहायता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार गृह-निर्माण हेतु निःशुल्क लकड़ी भी दी जाती रही ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर ।]

श्री उदय प्रताप सिंह का प्रवेश पयागपुर इंटर कालेज, पयागपुर की कक्षा १० में १६-७-६३ को किया गया था। इस विद्यालय में प्रवेश के पूर्व यह छात्र छपरा, बिहार तथा देवरिया जिले के विद्यालय में पढ़ चुका है और कक्षा १० में फेल भी हो चुका है। इस विद्यालय में प्रवेश के बाद से यह विद्यार्थी आये दिन विद्यालय में अशान्ति का वातावरण पैदा करता रहा है। दिनांक २१-२-६४ को कालेज ३.४५ बजे शाम को बन्द हुआ और लगभग ४.१५ बजे शाम को विद्यालय का चपरासी, श्री राम समुझ विद्यालय के कमरों को बन्द करता हुआ जब कला कक्षा के कमरे को बन्द करने गया तो उस कमरे में श्री उदय प्रताप सिंह को कुछ विद्यार्थियों को एकत्र कर मीटिंग करते हुए पाया। चपरासी ने उन लोगों से बाहर निकलने के लिये कहा जिससे कमरा बन्द कर दिया जाय। इस पर उदय प्रताप सिंह ने उत्तेजित होकर चपरासी को छड़ी से मारा, चपरासी ने छड़ी छीन ली और प्रधानाचार्य को विद्यालय में ही घटना की सूचना तुरन्त दी। प्रधानाचार्य उसी चपरासी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और उदय प्रताप सिंह को कमरे से बाहर निकलने को कहा। इस पर भी उदय प्रताप सिंह बाहर न निकले। तब प्रधानाचार्य ने गुस्से में आकर उदय प्रताप सिंह को ५-७ छड़ी मारा। २२-२-६४ को विद्यालय का वातावरण शान्त रहा। दिनांक २३-२-६४ को उदय प्रताप सिंह ने इस घटना की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को बहराइच जाकर स्वयं दी। जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच ने तुरन्त एक प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक को बुलवाकर उदय प्रताप सिंह के साथ पयागपुर विषय की जांच के लिये भेजा। जिसके परिणाम-स्वरूप उदय प्रताप सिंह ने लिखित एवं मौखिक छमा मांगी और मामला शान्त हो गया। चार दिन की होली की छुट्टी थी। दो दिन की प्रधानाचार्य ने अपनी ओर से छुट्टी दी और २ दिन रविवार मिला कर दिनांक २३-२-६४ से १-३-६४ तक विद्यालय होली के अवकाश के सम्बन्ध में बन्द रहा। दिनांक २-३-६४ को विद्यालय खुलने पर आंशिक हड़ताल विद्यालय में रही। दिनांक १५-३-६४ को इस सम्बन्ध में विद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक हुई तथा विचार किया गया। दिनांक १६-३-६४ को उदय प्रताप सिंह को हाई स्कूल परीक्षा का प्रवेश-पत्र दे दिया गया। वह किसान इन्टर कालेज, जरवल रोड, बहराइच केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हुआ। पयागपुर इन्टर कालेज का वातावरण अब पूर्णतया शान्त है।

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ६२७ पर]

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	फसल को हानि		मकानों को हुई हानि का मूल्य (रुपये)	मानव जीवन की हानि
		क्षेत्रफल एकड़	मूल्य (रुपये)		
१	सदर ..	१७,९७५	१७,५०,३००	१९,९००	..
२	बांसगांव ..	७,१९०	२,००,०००	४६,०००	..
३	महाराजगंज ..	१९,५३४	२०,९१,०००	८,३५०	२
४	फरेन्दा ..	११,४०७	९,१२,५६०	७,४५०	..
	योग ..	५६,१०६	४९,५३,८६०	८१,७००	२

अग्रिम प्रतिलिपि

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर]

क्रम-सं० प्रार्थी का नाम व पता तथा प्रार्थना-पत्र का दिनांक

तहसील सदर

१ श्री शीतल, नि० रेहुआलालगंज, दिनांक २७-८-६३ ।

२ श्री माताप्रसाद, नि० रेहुआलालगंज, दिनांक २७-८-६३ ।

३ श्री जीतलाल, नि० रेहुआलालगंज, दिनांक २७-८-६३ ।

४ श्री रामपाल सिंह, नि० गोंडा, दिनांक २७-८-६३ ।

५ श्री हातिम, नि० कसबा प्रतापगढ़, दिनांक २९-८-६३ ।

६ श्री रामसुन्दर, प्रधान गांव सभा, सराय रीहैत तथा विश्वनाथ, प्रधान ग्राम सभा रजवत, दिनांक २२-८-६३ ।

७ श्री इसराइल खां, सिपाही नं० १२६५८६७५ मार्फत ५६ ए० पी० ओ०, दिनांक १३-८-६३ ।

८ श्री रामकिरपाल, प्रधान गांव सभा, नवबस्ता, दिनांक २८-९-६३ ।

तहसील पट्टी

९ श्री हरिभजन, नि० सरवरपुर, दिनांक ८-८-६३ ।

१० श्री रामराज, नि० जलालपुर, दिनांक २२-८-६३ ।

११ श्री गयाप्रसाद तथा हरि प्रसाद, नि० बोबोपुर बारडीह, दिनांक २९-८-६३ ।

१२ श्री रामबन, नि० बीगा, दिनांक २९-८-६३ ।

१३ निवासीगण ग्राम बीगा, दिनांक ३०-८-६३ ।

१४ निवासीगण ग्राम हरंईपट्टी, दिनांक ३०-८-६३ ।

१५ श्री रामकरन पांडे, नि० मगैवरा, दिनांक ५-९-६३ ।

तहसील कुंडा

१६ श्री मंगल, नि० उतरार, दिनांक ३१-८-६३ ।

१७ श्री रघुनन्दन तथा श्री रहमान, नि० देवरपट्टी, दिनांक ४-९-६३ ।

१८ श्री जोधा, नि० सराय जगतसिंह, दिनांक १६-९-६३ ।

१९ श्री रामनरेश त्रिपाठी, नि० बछवल, दिनांक ६-९-६३ ।

२०-२१ निवासीगण अतरसई तथा सिया, दिनांक ८-९-६३ तथा १२-९-६३ ।

२२ श्री रामचरन, नि० बैनीपुर कथौला, दिनांक नदारद ।

नत्थी 'ज'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर]

No. 2452-B/IX-863-51

FROM

SRI I. D. N. SAHI, I.C.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, September 16, 1954

Subject : **Representation of members of the Scheduled Castes in posts and services under the local bodies**

SIR,

L. S. G. DEPTT.

I am directed to say that prior to the adoption of the Constitution of India, the Scheduled Castes were allowed a general reservation of 10 per cent in posts and services under the control of the State Government, in accordance with the policy of the Government of allowing communal representation in services. The Constitution, while doing away with special representation for others, provided for reservation of appointments for backward classes of citizens and laid down specifically that claims of members of Scheduled Castes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in making appointments to services and posts. In the year 1950, therefore, after the adoption of the Constitution of India, the State Government cancelled all their previous orders regarding communal representation and, in pursuance of the provision of clause (4) of Article 16 and of Article 335 of the Constitution, decided that, consistently with the maintenance of efficiency of administration :

(i) the interest of the backward classes shall, in general, be borne in mind in making appointments, and

(ii) there shall be a general reservation of 10 per cent of the vacancies to be filled by direct recruitment for members of the Scheduled Casts in making appointments to services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh; provided that if any one year candidates of the Scheduled Castes fail to be recruited to any service or establishment to the extent of 10 per cent, the deficiency shall be made good in the recruitment to the service or establishment concerned in the following year; and provided further that the reservation on account of the deficiency shall not be carried forward for more than one year.

2. This policy was extended to services and posts under the control of all the local bodies and circular instructions were issued in G. O. no. E—30/IX—863-51, dated July 23, 1962.

3. The State Government have had occasion recently to review the entire position on the subject, when it was felt that, inspite of the efforts that had been made in the past, the Scheduled Castes , who, according to the 1951 Census, constituted about 18 per cent of the total population of this State, were not adequately represented in the public services of the State. With a view to improve the present position, the State Government have decided, vide Appointment Department G. O. no. 2382—II/B-104-52, dated September 22, 1953, to increase the general reservation in favour of the Scheduled Castes, in respect of vacancies in services and posts connected with the affairs of the State and filled by direct recruitment, from 10 per cent to 18 per cent, so as to bring it in accord with the present population ratio. The population of Scheduled Castes is, however, not evenly distributed over all the local areas comprising the jurisdiction of the different local bodies. Any general reservation at the flat rate of 18 per cent, as has been decided by the Government in the case of services and posts under its administrative control might, if made applicable uniformly to services and posts under the control of the local bodies, cause dissatisfaction in the areas where the percentage of the population of the Scheduled Castes is either very much less or very much greater. Government consider that this difficulty can be met if each local body, while making appointments to vacancies in its services and posts filled by direct recruitment, duly bears in mind the claims of qualified candidates from the Scheduled Castes, with a view as far as possible, to secure such appointments to them up to the percentage that the population of the Scheduled Castes, on the basis of 1951 Census, actually bears to the total population of the area included within the jurisdiction of the local body concern.

4. The State Government attach very great importance to the necessity of assisting members of the Scheduled Castes in securing their due representation in the public services, and consider that every effort must continue to be made to ensure that of the vacancies filled by direct recruitment in the services and posts under local bodies, an appropriate percentage, as calculated in accordance with the principle set out in paragraph 3 above, should be made available to the members of the Scheduled Castes who, subject to the fulfilment of the minimum qualifications and other conditions mentioned in paragaph 1 above, should be appointed against such vacancies. The Governor trusts that the local bodies in the State will fall in line with the Government policy in this respect and to this end I am to request that the local bodies in your district should be advised to act accordingly.

5. The rules referred to in the circular Government Order of July 23, 1952, referred to above, which have now become inconsistent with the present position will be rescinded.

Yours faithfully,
I. D. N. SAHI,
Secretary.

No. 2452-B(1)/IX—863-51

Copy forwarded for information to—

(i) All Commissioners of Divisions;
(ii) Joint Director, Panchayat Raj, Uttar Pradesh;
(iii) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(iv) The Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department, U. P.;

(v) The Town and Village Planner, U. P.;

(vi) The Examiner, Local Fund Accounts, U. P. ; and

(vii) All departments of the Secretariat.

No. 2452-B (2)/IX-863-51

Copy also forwarded for information and necessary action to—

(i) All Presidents and Administrators, District Boards, Uttar Pradesh, including the Sub-Board, Bhadohi;

(ii) All Presidents and Administrators, Municipal Boards, Uttar Pradesh;

(iii) All Presidents, Notified Area Committees, U. P.;

(iv) All Chairmen, Town Area Committees, U. P.;

(v) All Administrators, Improvement Trust, U.P.;

(vi) The Administrator, Development Board, Kanpur.

By order,

H. L. BHARGAVA,

Under Secretary to Government

Uttar Pradesh.

अनुभाग पदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९–१० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

सूची 'क'

१९६२–६३ में बलिया जिले के साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की संख्या

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त अनुदान	छात्र संख्या	वास्तविक संख्या (जो ३१ मार्च, १९६२ को सेवा में थे)	अनुमानित (जो कार्य नहीं कर रहे थे)	कुल
१	२	३	४	५	६	७	८
१	एल० डी० मेस्टन	३०,०२४	११०	५७८	२०	३	२३
२	जं गली बाबा गंडवार	२०,५३२	..	५१५	२४	..	२४
३	टाउन इंटर कालेज	४८,७२०	..	७३३	५०	२	५२
४	द्वाबा राष्ट्रीय बैरिया	३५,६५२	३,०००	९०४	३२	३	३५
५	कुंवरसिंह विद्यालय	२४,१९२	१,१००	८५०	२८	५	३३
६	आर० एस० किसान दुवहर।	४८,२४०	..	७६५	३८	..	३८
७	पी० एल० ए० एच० दुबे, छपरा।	३५,३४०	३,०००	१,०१५	३४	३	३७
८	बांसडीह उ० मा० वि०, बांसडीह।	१९,५६०	..	५९३	१९	..	१९
९	के० जी० एस० जुबिली, रसड़ा।	२६,२२०	२,२६०	१,०३८	३५	२	३७
१०	गांधी मोहम्मद काली मेमोरियल, बिलथरा रोड।	२०,९५२	२,१००	४४८	१९	५	२४
११	महात्मा गांधी दलन, छपरा।	१६,६०८	..	३३७	१५	७	२२
१२	सेवा संघ, सोहावन	१६,४१६	१,६४०	३९२	१६	८	२४
१३	श्री सुभाष बाड़ी, बड़ागांव।	१३,६९२	५५०	२०६	१२	१	१३
१४	रामकरन भीमपुर	१७,४४८	१,७४०	४१४	१६	३	१९
१५	आदर्श महाविद्यालय, सिवान कला।	१४,९४०	..	२४५	१२	३	१५
१६	डी० ए० वी० बिल्थरा रोड।	२८,५६०	..	८८६	३५	३	३८
१७	गांधी विद्यालय, सिकन्दरपुर।	३०,८७६	३,०००	५३७	२९	२	३१
१८	बंशी बाजार नवा-नगर।	१९,२७२	..	४२४	१५	९	२४

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त अनुदान	छात्र संख्या	वास्तविक संख्या (जो ३१ मार्च, १९६२ को सेवा में थे)	अनुमानित (जो कार्य नहीं कर रहे थे)	कुल
१	२	३	४	५	६	७	८
१९	सी० बी० सहतवार	१३,५३६	..	३७४	१७	..	१७
२०	रतसर ,रतसर	१३,९३२	१,४००	६१४	२२	३	२५
२१	मर्चेंट्स चित बड़ा-गांव ।	१८,२२८	१,४७०	४६५	१९	२	२१
२२	राम सरन, शिवपुर, पो० बसन्तपुर ।	१६,२६०	..	३४५	१४	१	१५
२३	श्री गांधी इ० कालेज, मलयनगर ।	१४,९२८	१,४९०	५५६	२३	..	२३
२४	महावीरसिंह बादिल-पुर हल्दी ।	२६,२५६	..	४३०	२०	३	२३
२५	श्री के० एन० के० एस० वि०, छितौनी, छाता ।	१२,६४८	१,२६०	२४६	११	२	१३
२६	श्रीनाथ गढ़मलपुर	११,४६०	१,०६०	३८५	१३	५	१८
२७	नरही बाबा कर्ण, छपरा ।	१५,४०८	१,५४०	४६३	१९	..	१९
२८	राष्ट्रीय सड़वापुर	११,७४८	१,९६०	३१७	१२	७	१९
२९	नेहरू, रतूनपुर	१६,४२८	२५०	३८८	१८	८	२६
३०	मनियर, मनियर	१३,२९६	१,३३०	३८८	१७	६	२३
३१	श्री अन्तराय बांस थाना चौरा कौरा ।	८,५९२	८६०	२५४	१४	..	१४
३२	राष्ट्रीय करम्बर	९,६२४	९६०	४२५	१५	५	२०
३३	सिद्दीकि या कोटवारी	८,८६८	..	२१५	१३	२	१५
३४	मुरार मट्टी मुरार-पट्टी, लालगंज ।	७,८००	..	२४५	९	१	१०
३५	श्री परशुराम पकना इनार, रतनपुर ।	५,९८८	..	२६१	९	६	१५
			प्लान के अन्तर्गत				
१	पचरुखा देवी, गाय-घाट ।	५,७००	१,१४०	२२४	८	६	१४
२	बच्चूराम हीरालाल, छाता ।	४,६५६	९३०	२८६	८	५	१३
३	उ० मा० वि०, रेवती	९,७८०	..	२७३	८	४	१२
४	श्री सदिष्ट बारा उ० मा० वि० सदिष्ट-पुरी रानीगंज ।	३,६४८	..	३६३	१६	५	२१
५	जनता उ० मा० वि०, नगरा ।	२,६८८	..	२०२	६	४	१०

सूची 'ख'

बलिया जिले के मान्यता प्राप्त, असाहाय्यिक गैर सरकारी उ० मा० विद्यालयों की सूची जिन्हें पोषण अनुदान नहीं मिलता

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	मान्यता का वर्ष	प्रारम्भिक अनुदान न दिये जाने का कारण
१	२	३	४
१	अमर शहीद श्री कौशल-कुमार उ० मा० वि०, नरायनगढ़।	५७	प्रबन्ध समिति में झगड़ा है जो जिला जज बलिया के कोर्ट में चल रहा है। प्रारम्भिक अनुदान का आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।
२	श्री जय प्रकाश उ० मा० वि० सिताब दियरा, नवबरार कोरहरा।	५८	प्रशासन ने योजना प्रस्तुत ही नहीं की है।
३	उ० मा० वि०, देवकली	६३	प्रारम्भिक अनुदान हेतु आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।
४	उ० मा० वि०, सुखपुरा	६३	वर्ष ६३–६४ में प्रारंभिक अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है।
५	श्री गांधी हरिजन उ० मा० वि०, खन्दावा, पालियाखास।	६३	इस विद्यालय के विरुद्ध हरिजन कल्याण विभाग द्वारा दिये गये अनुदान के उपभोग सम्बन्धी गबन का मामला चल रहा था। अतः शासन के स्पष्ट आदेश थे कि जब तक जिलाधीश बलिया का क्लियरेंस (clearance) रिपोर्ट न मिल जाय प्रारंभिक अनुदान हेतु विचार न किया जाय। वांछित रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण विचार नहीं किया गया।
६	श्री परमहंस उ० मा० वि०, मझौली, बांसडीह रोड	६३	यह विद्यालय जू० हा० स्कूल के रूप में विभाग द्वारा साहाय्यिक है। कक्षा ९–१० में छात्र संख्या कम होने, इंटरमीडियेट अमेंडमेंट के विपरीत बिना विद्यालय जिला निरीक्षक की स्वीकृति के अध्यापकों की नियुक्ति करने एवं निर्वाह निधि योजना चालू न करने के कारण उप शिक्षा निदेशक (मंडल) ने संस्तुत नहीं किया। परीक्षाफल भी अज्ञात था। अतः प्रा० अनुदान हेतु संस्तुति नहीं किया जा सका।

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम	मान्यता का वर्ष	प्रारम्भिक अनुदान न दिये जाने का कारण
१	२	३	४
७	श्री नरहे जी विद्यालय उ० मा० वि०, नरहे, रसड़ा	६३	यह विद्यालय जू० हा० स्कूल के रूप में विभाग द्वारा साहाय्यिक है, किन्तु समय पर विस्तृत विवरण न होने के कारण प्रारंभिक अनुदान हेतु संस्तुत नहीं किया जा सका।
८	श्री पराशर ब्रह्माश्रम उ० मा० विद्यालय, सीताकुन्ड	६४ ६४	यह विद्यालय जू० हा० स्कूल के रूप में साहाय्यिक है वर्ष ६४ या उसके बाद की हाई स्कूल की परीक्षा के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रारंभिक अनुदान हेतु विचार नहीं किया गया।
९	आदर्श उ० मा० वि०, मझावन।	६४	वही
१०	शिव प्रसाद नरहे जी उ० मा० वि०, सन्तनगर डिहवा।	६४	वही
११	आदर्श उ० मा० वि०, नरही।	६४	वही
१२	उ० मा० वि०, मिरूपुर (बहादुरपुर)।	६४	वही
१३	शहीद मंगल पांडे उ० मा० वि०, नगवा।	६४	वर्ष ६४ का विद्यालय है, अतः प्रारंभिक अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। सहाय्यिक जू० हा० स्कूल है।
१४	राजकुमार उ० मा० वि० करां।	६५	वर्ष ६५ का विद्यालय है तथा प्रारंभिक अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र भी नहीं आया। साहाय्यिक जू० हा० स्कूल है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

सूची

पेड अपरेंटिस--

३ स्थान---४ अगस्त, १९६१ से
१ स्थान---२९ नवम्बर, १९६१ से
१ स्थान---२३ दिसम्बर, १९६१ से
५ स्थान---३१ दिसम्बर, १९६१ से

कुल १० स्थान

स्थायी पद--

१ स्थान---३१ दिसम्बर, १९६१ से
१ स्थान---३१ मई, १९६२ से
१ स्थान---१४ जुलाई, १९६२ से
१ स्थान---२५ जुलाई, १९६२ से
१ स्थान---१ नवम्बर, १९६२ से
१ स्थान---४ नवम्बर, १९६२ से

६ नये स्थान जी० ओ० नं० १९४७८/१२---७१ ए०-५३, दिनांक १२ अक्तूबर, १९६२ के द्वारा स्थायी किये गये।

६ नये स्थान---शासकीय आदेश संख्या बी-१३५१/१पी---१७१० बी-५७ दिनांक १४ जून, १९६३ द्वारा स्थायी किये गये।

४ नये स्थान---जी० ओ० नं० ५१-जी/५-६३३-६०, दिनांक २६ जून, १९६३ द्वारा स्थायी किये गये।

कुल २२ स्थान

विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

Copy of the Letter no. F-24, dated January 21, 1933 from Deputy Secretary to Government, U. P., to the Collector, Ghazipur

---

I am directed to say that the City High School, Ghazipur belonging to the Gossner Evangelical Lutheran (A German) Mission was taken over by this Government during the War and has since been run under the management of the Inspector of Schools, Benaras. The property is now vested in a Missionary Board of Trustees with head quarters at Ranchi (Bihar and Orissa). Mr. D.S. M. Panna, B.A. is the Secretary of the Board.

The Government have now decided to purchase the property. Rupees eleven thousand was offered by Government, and has been accepted by the Trustees as the price of the property.

There is some doubt about the title of Trustees and there may be some other claimants to it. In fact Rai Bahadur Jawahar Lal Sinha of Ghazipur now claims an interest in it.

Government are advised that the property may be acquired under Land Acquisition Act. Please take necessary action for the acquisition of the property. A sum of Rs. 11,000 is available during the current financial year for paying compensation to the owners.

The papers submitted by Mr. Panna are sent herewith. A sketch plan and description of the property are also enclosed.

No. 3378, dated Benaras, the 2nd February, 1933

COPY forwarded to the Head Master, City High School, Ghazipur for information.

(Sd.) (ILLEGIBLE),
Officiating Head Clerk,
For *Inspector of Schools, Circle, Benaras.*

TRUE COPY :
(Sd.) *District Inspector of Schools, Ghazipur.*

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

तहसीलों में किसानों को वर्तमान फसलों के खराब होने के कारण सरकारी अफसरों द्वारा दौरे की सूची

तहसील का नाम	नाम अधिकारी जिसने दौरा किया	तारीख दौरा
१	२	३
१ चायल	आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद :	१३-२-१९६४
	अतिरिक्त जिलाधिकारी इलाहाबाद :	१३ व १४-२-१९६४
	परगनाधिकारी ..	२५, २६ व २७-१-१९६४ ।
	तहसीलदार ..	२९, ३०-१-६४, १३, १४, २१, २५ व २६-२-६४ ।
	नायब तहसीलदार	१८, २०, २१ व २२-१-६४ व २४ से २९-१-६४, १०, ११, २२ व २३-२-६४ ।
२ सिराथू	तहसीलदार ..	१२-३-६४ से २६-३-१९६४ ।
	नायब तहसीलदार	२-२-६४ से ४-२-६४, ९ व १०-२-६४ ।
	परगनाधिकारी ..	२३-१-६४ से ३०-१-६४, १६ से२१-२-६४ । २३-२-६४ से ६-३-६४, ८-३-६४ से १३-३-६४ ।
३ मंझनपुर	परगनाधिकारी ..	२५-२-६४ से २५-३-६४
	तहसीलदार ..	२२-१-६४ से १०-३-६४, १८-२-६४, २-३-६४ से २५-३-६४ ।
	नायब तहसीलदार	२८-२-६४ से २५-३-६४ ।
४ सोराम	जिलाधिकारी ..	१-३-१९६४ ।
	परगनाधिकारी ..	११-२-६४ से १५-२-६४, १८-२-६४ से २७-२-६४, ३-३-६४ से १०-३-६४ ।
	तहसीलदार ..	२७-१-६४ से २८-१-६४, १-२-६४ से ३-२-६४ ।
	नायब तहसीलदार ..	५-२-६४ से १५-२-६४, ८-२-६४ व ६-३-६४ से १०-३-६४ ।

तहसील का नाम	नाम अधिकारी जिसने दौरा किया	तारीख दौरा
१	२	३
५ फूलपुर	जिलाधिकारी	५-२-१९६४ से १०-२-१९६४ ।
	परगनाधिकारी	२१-२-१९६४ से १०-२-१९६४ ।
	तहसीलदार ..	२, ८, ९ व १०-२-६४, ६-३-६४ से १५-३-६४
	नायब तहसीलदार ..	१, २, ८, ९, १२ से १६-२-६४, २२, २५-३-६४, ११-३-६४ से २२-२-६४ ।
६ हंडिया	परगनाधिकारी ..	१४-१-६४, ७-२-६४, १४-२-६४, २१-२-६४, २६-२-६४ व २९-२-६४, ५-३-६४, १०-३-६४, १४, १७-३-६४ व २१-३-६४ ।
	तहसीलदार ..	२३ से २९-१-६४, ३-२-६४ से २९-२-६४।
	नायब तहसीलदार ..	१७-१-६४ से २८-२-६४ ।
७ करछना	आयुक्त, इलाहाबाद मंडल	२१-२-६४ ।
	जिलाधिकारी ..	१७-२-६४ से २२-२-६४ ।
	तहसीलदार ..	२०-१-६४ से २९-१-६४ व ३-२-६४ से २२-२-६४ ।
	परगनाधिकारी ..	फरवरी १३, १५, १८, १९, २१ व १४-३-६४ ।
	नायब तहसीलदार व सुपरवाइजर, कानूनगो	२०-१-६४ से १४-२-६४ ।
९ मेजा	परगनाधिकारी ..	२२-१-६४ से १५-२-६४ ।
	तहसीलदार ..	२०-२-६४ से २५-२-६४, ३-३-६४ से २२-३-६४ ।
	नायब तहसीलदार ..	१९-१-६४, से ३१-१-६४, १४-२-६४ से ६-३-६४, ८-३-६४ से १७-३-६४ व २३-३-६४ से २५-३-६४ ।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर।)

अनुक्रमांक

(१) १६१९१७ मोहम्मद हबीब रिजवी, आत्मज मोहम्मद तय्यब रिजवी, बेगमगंज, (बाराबंकी)।

(२) २४५९७२ छबिनाथ प्रसाद, आत्मज बृज बिहारी लाल, ग्राम थानपुर, पोस्ट हैदरगढ़, (बाराबंकी)।

(३) २४५९८३ जगदेव सिंह, आत्मज महाबीर प्रसाद, ग्राम बनियातारा, पोस्ट रसौली, (बाराबंकी)।

(४) २४६०७० रामचन्द्र पांडे, आत्मज रामफल पांडे, ग्राम दुल्हदेपुर, टिकैतनगर, (बाराबंकी)।

(५) २४६०९७ श्रीकान्त पांडे, आत्मज रामशरन पांडे, ग्राम मानपुरहरी, पोस्ट लिही, (बाराबंकी)।

(६) २४६१२६ ओम प्रकाश, आत्मज गुरूबक्श सिंह, बनियातारा, रसौली, (बाराबंकी)।

(७) २४६२०४ जमीरउद्दीन, आत्मज फसीहउद्दीन किदवाई, ग्राम व पोस्ट बड़ैल, (बाराबंकी)।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५९ पर)

तालिका 'क' जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ९० के उत्तर में है।

जिला जौनपुर के ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिनमें अध्यापकों को वेतन दिसम्बर सन् १९६३ तक नहीं दिया गया है ।

१—सार्वजनिक इंटर कालेज, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर।

२—श्री गंगादीन रामकुमार हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामगढ़ा, जौनपुर।

३—नेहरू हायर सेकेन्डरी स्कूल, आलमगंज, जौनपुर ।

४—हायर सेकेन्डरी स्कूल , नीभापुर, जौनपुर ।

५—रजा डी० एम० इंटर कालेज, जौनपुर ।

६—हायर सेकेन्डरी स्कूल, नेवढ़िया, जौनपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६०)

तालिका 'ख'

जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर में है

जिला जौनपुर के ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिन में पी० टी० अध्यापक नहीं हैं ।

क्रमांक	नाम विद्यालय
१	हायर सेकेन्डरी स्कूल, बड़ेरी ।
२	हिन्दू इंटर कालेज, मुंगराबादशाहपुर ।
३	पब्लिक इंटर कालेज, केराकत ।
४	श्री गांधी सार्वजनिक इंटर कालेज, कजगांव ।
५	जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरसटी ।
६	हायर सेकेन्डरी स्कूल, नीभापुर ।
७	श्री गांधी ग्रामोद्योग हायर सेकेन्डरी स्कूल, गौराबादशाहपुर ।
८	राम जानकी हायर सेकेन्डरी स्कूल, सरोखनपुर ।
९	हायर सेकेन्डरी स्कूल, मछलीशहर ।
१०	श्री कृष्ण विद्या मंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, गजेन्द्रपुर, पिलकिछा ।
११	हायर सेकेन्डरी स्कूल, आलमगंज ।
१२	श्री भगवन्त हायर सेकेन्डरी स्कूल, अमहित ।
१३	म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल, राजा बाजार ।

विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६३ पर)

कलक्टरेट बदायूं में पेड अप्रेन्टिसों की अनुमोदित सूची का भाग "अ"

नाम	१६ अगस्त, १९६१ तक की सेवा अवधि		
	वर्ष	मास	दिन
१—सर्वश्री कृष्ण लाल ..	९	०	१७
२— ,, प्रेम प्रकाश ..	८	०	२५
३— ,, मुन्ना बाबू सक्सेना ..	७	११	४
४— ,, महेश सुन्दर लाल ..	७	७	१३
५— ,, चन्द्र प्रकाश ..	७	७	११
६— ,, राम निवास गुप्ता ..	७	६	१६
७— ,, जगदीश सरन गुप्ता ..	७	६	१६
८— ,, राधा कृष्ण ..	७	६	०
९— ,, जमीरुल रहमान ..	७	१	३
१०— ,, अबरार अहमद ..	६	११	०
११— ,, इन्दर स्वरूप ..	६	९	१५
१२— ,, शिव चरन लाल ..	६	४	२७
१३— ,, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ..	६	०	२८
१४— ,, सतीश चन्द्र ..	६	०	२०
१५— ,, नरेश चन्द्र ..	४	११	९
१६— ,, चन्द्र प्रकाश ..	४	२	२३
१७— ,, भगवत सरन ..	४	१	२१
१८— ,, ओंकार सहाय ..	४	१	१६
१९— ,, केशव लाल ..	३	०	२७
२०— ,, पेशावरी लाल ..	१२	४	१२
२१— ,, प्रेम बिहारी लाल ..	११	०	१९
२२— ,, सकट बिहारी लाल ..	१०	३	३
२३— ,, इबततार अली खां ..	१०	३	२
२४— ,, कैलाश स्वरूप ..	८	२	१
२५— ,, महेन्द्र गोपाल ..	२	१	१०

सत्यमेव जयते

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६५ पर)

लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोशियेटेड कालेज के अध्यापकों द्वारा दिनांक ११ मार्च, १९६४ को मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत मांगों की सूची ।

१--अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय।

२--डिग्री कालेजों के अध्यापकों के प्रावीडेंट फंड की दर यूनिवर्सिटी अध्यापकों के समकक्ष किया जाय ।

३--मंहगाई भत्ता दिया जाय।

४--सेवा सुरक्षा दी जाय।

५--यदि किसी विषय में कम से कम ५ विद्यार्थी हों तो वह विषय कालेज से समाप्त न किया जाय।

६--कालेजों के अध्यापकों का स्टेटस यूनिवर्सिटी अध्यापकों के बराबर किया जाय।

७--कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा खोली जाय।

८--एक्जीक्यूटिव तथा एकेडेमिक काउन्सिल में अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६९ पर)

सेवा में,

मा० राजस्व मन्त्री,
उ० प्र०,

महोदय,

निवेदन है कि खखरा खुर्द, थाना सहला, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती यह गांव बस्ती जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर ऐसी जगह स्थित है जहां पहुंचने के लिये आवागमन के समुचित साधन नहीं हैं। बहुत प्रयत्न करने पर जिला एवं तहसील के अधिकारी वहां कभी-कभी पहुंच पाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि इस गांव के निवासी अपने दुख की आह सिसक-सिसक कर भरते रहते हैं। और उनको सुनने वाला कोई नहीं मिलता, जिससे उस क्षेत्र में मनमाने पन का साम्राज्य छाया रहता है।

इस गांव की पूर्वी तरफ डेढ़ सौ बीघे का एक टुकड़ा है जिसमें जमींदारी उन्मूलन के पहले घास कलां उगती थी। यह जमीन हम ग्रामवासियों के कब्जे में थी। उस समय के जिले के कलेक्टर महोदय ने १३-१०-४९ ई० को गांव वालों को यह नोटिस दी कि वे लोग इस जमीन को आबाद करें। इसके बाद ग्राम वासियों ने २६-१०-४९ को उसे आबाद करने की मोहलत के लिये दरख्वास्त दी। पुनः तारीख १४-८-५० ई० को कलेक्टर महोदय ने एक दूसरी नोटिस दी कि गैर आबाद जमीन को आबाद न किया जाय। तारीख १२-१२-५० ई० को श्री मथुरा-प्रसाद पांडेय, श्री रामसमुझ तिवारी और जीउत सा० उस्का बाजार की दरख्वास्त पड़ी कि उक्त जमीन राजनैतिक पीड़ित होने के कारण हम लोगों के पट्टे में दी जाय फिर इसके बीच १२-१-५१ में ग्राम वाले लोगों ने कलेक्टर साहब के यहां दरख्वास्त दी कि पूरी जमीन हम लोग आबाद कर चुके हैं। लेकिन उस जमीन का पट्टा तहसीलदार बस्ती ने १९-१-५१ को श्री मथुरा प्रसाद पांडेय तथा श्री राम समुझ तिवारी के नाम कर दिया। ठीक उसी समय हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दरख्वास्त दी कि जमीन पर हम लोगों का कब्जा है। इस लिये पट्टा मंजूर किया जाय। कलेक्टर साहब ने मौके की जांच हल्का कानूनगो से कराई, जिसमें उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि जमीन मौके पर आबाद है लेकिन यह नहीं मालूम होता कि पट्टे की पहले की जमीन आबाद या पट्टे के बाद की। हम लोग शुरू से अब तक उस जमीन पर काबिज हैं।

उक्त ग्रामवासियों का दुर्भाग्य है कि उस जमीन पर काबिज होते हुए उन लोगों का नाम कागज पर दर्ज नहीं होता और पट्टेदार उसके सीरदार हो चुके हैं और उन लोगों का नाम कैफियत के खाने में काबिज के रूप में भी नहीं दिखाये जाते।

इस प्रकार कुछ प्रभावी व्यक्तियों के नाजायज हस्तक्षेप से उक्त गांव के लोग अपने अधिकार से वंचित रह रहे हैं। यह पत्र आपकी सेवा में भेज कर आशावान् हूं कि आप स्वयं उक्त मामले की जांच कराकर भूमि पर सही मानों में गरीब ग्रामीणों का कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे तथा इन्दराज दुरुस्त करायेंगे।

भवदीय,

ह० चन्द्रपाल रावत
सदस्य विधान सभा, उ० प्र०, बस्ती।

दिनांक २४-२-६४।

प्रतिलिपि प्रेषित :—

१—मा० मुख्य मन्त्री, उ० प्र०।

२—मा० गृह मन्त्री, उ० प्र०।

३—मा० सभा सचिव, श्री रामकुमार शास्त्री।

४—मा० जिलाधीश, बस्ती।

भवदीय,

ह० चन्द्रपाल रावत,

सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश, बस्ती।

दिनांक २४-२-६४।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६६ पर)

संस्कृत विद्यालयों की सूची जिनके आवेदन-पत्र वर्ष १९६३–६४ में प्रारम्भिक अनुदान के लिये शिक्षा निदेशकालय में निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त हुये।

पाठशालाओं की सूची जिनकी संस्तुति निदेशकालय द्वारा शासन को भेजी गयी और शासन ने प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किया।

निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के पत्र संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा प्रार्थना-पत्र निदेशालय में प्राप्त हुए	पाठशालाओं के नाम	वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
१	२	३
पत्र सं० ७७५/१२–१, दिनांक १२–७–६३।	१—रूप कला संस्कृत वि०, अयोध्या, फैजाबाद	७९२
	२—भागीरथी सं० वि०, तेतरी बाजार, बस्ती	५७६
	३—धनश्याम दास आर्य वैदिक विद्यालय, देवरिया	३६०
	४—आदर्श संस्कृत, हिन्दी विद्यालय, भरवलिया, उनवल, गोरखपुर ..	९८४
	५—राजेन्द्रपुरी संस्कृत पाठशाला, मठ चकबहा, सीतापुर	६३६
	६—बाबा रघुनन्दन दास सं० वि०, बिल्हौर, कानपुर	५८८
	७—नाथ चन्द्रावत सं० पा०, जगदीशपुर, गोरखपुर	४९२
	८—मंडलेश्वर सं० पा० गौरा, (मेहनगर) आजमगढ़	१,४८८
	९—बालपुरी संस्कृत विद्यालय, हथगांव, फतेहपुर	४८०
	१०—ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम सं० पा०, देवरी, फतेहपुर	१,१०४
	११—दुर्गा संस्कृत विद्यालय, बड़ी चन्द्रिका महोबा, हमीरपुर	९००
	१२—कालिका धाम संस्कृत विद्यालय, कालिका धाम, वाराणसी ..	५७६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
पत्र संख्या ९२५/नौ–१, दिनांक ५–८–६३।	१३––महर्षि कुल ब्रह्मचर्याश्रम, लक्ष्मणझूला, देहरादून।	९३६
	१४––शिव सं० वि०, वेंकटेश्वर नाथ वरई-पार, जौनपुर	१,३३२
	१५––गोरखनाथ विद्यापीठ, गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर	९२४
पत्र सं० १०३३/नौ–१, दिनांक १७–८–६३।	१६––ग्राम सभा स० वि०, गहरौली, सराय-शंकर, प्रतापगढ़	२८८
	१७––नारायण धर्मोपदेश महा वि०, कौशाम्बी, वेरौचा, इलाहाबाद ..	६२४
	१८––मथुरा दास रामकुमार सं० पा० नाचघर, कानपुर	५१०
पत्र सं० ११८७/नौ–१, दिनांक २–९–६३।	१९––कल्लूमल संस्कृत महाविद्यालय, कानपुर	१,४६४
	२०––भागवत मण्डल सं० वि०, धाता, फतेहपुर	८७६
	२१––स्वर्गाश्रम ट्रस्ट सं० वि०, स्वर्गाश्रम, पौड़ी-गढ़वाल	४५६
	२२––गोरक्षनाथ सं० वि०, मैदागिन, वाराणसी	९७२
पत्र सं० १२७९/नौ–१, दिनांक १७–९–६३।	२३––इन्द्राणी सं० पा०, कटरावलीपुर, प्रतापगढ़	६४८
	२४––आदर्श सं० पा०, सिवानकलां, बलिया	१,३८०
	२५––श्री राम जानकी सं० पा०,जयरामपुर, जौनपुर	२५२
	२६––सरस्वती सं० पा०, परेमदहा, बाबूगंज, प्रतापगढ़	१८०
	२७––हरि किंकर सं० पा० प्रतिष्ठानपुर, मिर्जापुर	१,३४४
पत्र सं० १४६१/नौ–१, दिनांक ९–१०–६३।	२८––श्री राम सं० पा०, स्वर्गद्वारा, अयोध्या, फैजाबाद	४५६
	२९––अखंडाश्रम वेदांग विद्यालय, गढ़ा, हटोरा, जालौन	८१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
	३०—श्री सतसंग नारायण सं० पा० पाली, गोरखपुर	९००
	३१—हरिहर संस्कृत पाठशाला, बाजार गोसाई, आजमगढ़	७२०
	३२—गंगा सागर ट्रस्ट सं० पा०, खुर्जा, बुलन्दशहर	९२४
	३३—नागेश्वर सं० पा०, बेला खुर्द, पुरवा-बाजार, गोरखपुर	१,४५२
पत्र सं० १७१४/नौ–१, दिनांक २१–११–६३।	३४—श्री रामाचारि सं० महा वि०, रामानुज कोट, अस्सी, वाराणसी ..	९४८
	३५ —श्री सरजू सेवक संस्कृत विद्यालय, मरका, बांदा	८४०

पाठशालाओं की सूची जिनकी संस्तुति शासन को नहीं भेजी गयी तथा उनके कारण।

	पाठशालाओं का नाम	असंस्तुति का कारण
पत्र सं० ७७५/१२–१, दिनांक १२–७–६३।	३६—सनातन धर्म संस्कृत वि०, नीमी पिपरी, इलाहाबाद	पाठशाला की छात्र सं० १४ होने के कारण शासन को संस्तुति नहीं भेजी गई।
	३७—संकीर्तन संस्कृत विद्यालय, झूंसी, इलाहाबाद	पाठशाला की छात्र सं० १४ थी अतः शासन को संतुति नहीं भेजी गई।
पत्र सं० ९२५/नौ–१, दिनांक ५–८–६३।	३८—श्री शीतल बुद्धि प्रकाशिनी संस्कृत पाठशाला, कड़ोर सुरयावा, वाराणसी	पाठशाला की छात्र सं० १९ थी अतः शासन को संस्तुति नहीं भेजी गयी।
पत्र सं० १०३३/नौ–१, दिनांक १७–८–६३।	३९—ब्रह्मचारी संस्कृत पाठशाला, रंगीनदास तालाब, तिलैयापार, वाराणसी	पाठशाला की छात्र १९ थी अतः साशन को संस्तुति नहीं भेजी गई।।
	४०—अयोध्यानाथ संस्कृत विद्यालय, महुवा, बांदा	पाठशाला का कोई छात्र, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ तथा निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें ने असंस्तुत किया अतः शासन को संस्तुति नहीं भेजी गयी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
पत्र सं० १२७९/नौ–१, दिनांक १७–९–६३।	४१––श्री राम जानकी संस्कृत पाठशाला, बड़गांव, गोंडा।	पाठशाला की छात्र सं० १२ थी तथा निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं, उ० प्र० इलाहाबाद ने संस्तुत नहीं किया अतः शासन को संस्तुति नहीं भेजी गयी।
पत्र सं० १४६१।नौ–१, दिनांक ९–१०–६३।	४२––हनुमत हिन्दी संस्कृत पाठशाला, विजौली ठेकमा, आजमगढ़।	पाठशाला की छात्र सं० १७ थी अतः शासन को संस्तुति नहीं भेजी गयी।
पत्र सं० १७१४/नौ–१, दिनांक २१–११–६३।	४३––आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, अतरौली, अलीगढ़।	पाठशाला की छात्र सं० १० थी अतः शासन को संस्तुति नहीं भेजी गयी।

फूलचन्दसिंह
१४ अप्रैल, १९६४

गुरुसेवक सिन्हा
सहायक उप-शिक्षा निदेशक (अर्थ)
कृते अति० शिक्षा निदेशक, उ० प्र०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३५–१३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

तालिका

क्रम-संख्या	किस वर्ग की सेवा है	स्थाई	अस्थाई	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति
१	उच्च अधिकारी ..	१८	..	२	..
२	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	११२	..	..	५
३	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	..	७	..	..
४	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	१२९	..	१०	२८
५	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	..	१५	३	१०

अविभाजित प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

तालिका 'क'

लखनऊ शहर में जितने इन्टर कालेज हैं, उनमें से हर एक में से जितने-जितने परीक्षार्थी इस वर्ष बोर्ड आफ हाई स्कूल की इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९६४ में सम्मिलित होने से जिन-जिन कारणों से रोके गये हैं, उनकी तालिका।

क्रमांक	संस्था का नाम	विनियम ५ (३) अध्याय १२ के अन्तर्गत उपस्थिति की न्यूनता के कारण रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या	विनियम ५ (११) अध्याय १२ के अन्तर्गत अत्यन्त असंतोष-जनक कार्य के कारण रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या	condition of eligibility की न पूर्ति करने के कारण रोके गए परीक्षार्थियों की संख्या	विशेष विवरण
१	ला मार्टिनियर कालेज, लखनऊ।	..	..	१	हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण।
२	शिया कालेज, लखनऊ	..	१३	..	
३	कालीचरण इन्टरमीडिएट कालेज, लखनऊ।	१	..	..	
४	लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ।	९	..	..	
५	दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज, लखनऊ।	२	..	..	
६	हरिश्चन्द्र इन्टर कालेज, लखनऊ।	..	१	..	
७	ख्वायज ऐंग्लो बंगाली इन्टर कालेज, लखनऊ।	..	३	..	

क्रमांक	संस्था का नाम	विनियम ५ (३) अध्याय १२ के अन्तर्गत उपस्थिति की न्यूनता के कारण रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या	विनियम ५ (११) अध्याय १२ के अन्तर्गत अत्यन्त असंतोष-जनक कार्य के कारण रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या	condition of eligibility की न पूर्ति करने के कारण रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या	विशेष विवरण
८	इण्डस्ट्रियल इन्टर कालेज, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ।	१	..	..	
९	लोरेटो कान्वेन्ट इन्टर कालेज, लखनऊ	..	८	..	
१०	अमीरुद्दौला इस्लामिया इन्टर कालेज, लखनऊ।	२	..	..	
	योग ..	१५	२५	१	
	कुल योग ..		४१		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

लखनऊ शहर के उन हाई स्कूल इन्टर कालेज जिनमें से प्रत्येक में जितने-जितने छात्र हाई स्कूल परीक्षा, १९६४ में सम्मिलित होने से जिन-जिन विनियमों के अन्तर्गत रोके गये हैं, की तालिका।

क्रमांक	संस्था का नाम	उपस्थिति की कमी के कारण	असंतोषजनक कार्य के कारण	१९६४की परीक्षा के हेतु बहिष्कृत होने के कारण
१	श्री दुर्गा गीता विद्यालय हा० से० स्कूल, लखनऊ	१	..	..
२	गांधी आदर्श विद्यालय हा० से० स्कूल, अमावा, लखनऊ ..	..	१	..
३	काली चरन इन्टर कालेज, लखनऊ ..	१	..	..
४	हिन्दू एजूकेशन सोसाइटी टेक्निकल हा० से० स्कुल, लखनऊ ..	२	..	..
५	बाबा ठाकुर दास हा० से० स्कूल, लखनऊ	..	३	..
६	सुन्नी हा० से० स्कूल, लखनऊ ..	..	३	..
७	हरीचन्द्र इन्टर कालेज, लखनऊ ..	३	४	..
८	के० के० हा० से० स्कूल, बाबूगंज, लखनऊ	२	२	..
९	सनातन धर्म हा० से० स्कूल, रकाबगंज लखनऊ	२	..	..
१०	विद्यान्त हिन्दू इन्टर कालेज, लखनऊ	२	..	..
११	हुसेनाबाद राजकीय इन्टर कालेज, लखनऊ	१	..	..
१२	शिया कालेज, लखनऊ ..	४	५	..
१३	एम० डी० शुक्ला इन्टर कालेज, लखनऊ ..	५	१५	..
१४	महात्मा गांधी हा० से० स्कूल, मलीहाबाद, लखनऊ	१	..	..
१५	मुमताज हा० से० स्कूल, लखनऊ ..	१	..	..
१६	ब्वायज एंग्लो बंगाली इन्टर कालेज, लखनऊ	..	१०	१
१७	वैदिक कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, लखनऊ	१	..	..
१८	म्युनिसिपल महिला इन्टर कालेज, काश्मीरी मुहल्ला, लखनऊ ..	१	..	..
१९	भारतीय बालिका विद्यालय, लखनऊ	१	..	..
२०	अमीरुद्दौला इस्लामिया इन्टर कालेज, लखनऊ	७	६	..
	योग ..	३५	४९	१

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'फ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर)

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	२
१	निकासीपुर
२	दरियापुर
३	पारा
४	वैरी
५	फोदहरा
६	बेलवाना
७	पकरौल
८	करुई
९	महुआ नेवादा
१०	देह दुवार
११	वैरंग डीह
१२	सखौलिया
१३	हडवा
१४	नरईपुर
१५	फतेहपुर
१६	राजापुर
१७	गुम्बाई
१८	रामपुर कला
१९	पलिया
२०	रसूलपुर
२१	मखसूदिया
२२	बस्ती चक गुलारा
२३	जल्दीपुर
२४	पवई
२५	वहीरा पारा
२६	भीलमपुर छपरा
२७	कौडिया
२८	बूढ़नपुर
२९	ढ़ढ़ारी
३०	जलालपुर जनननन्द पट्टी
३१	लहरपारा
३२	जमालपुर
३३	मोहौली

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	२
३४	कुरथुवा
३५	बस्ती कपूरी
३६	लसड़ा कला
३७	रंगडीह
३८	मखदूमपुर
३९	दुवांवा
४०	मकरहा
४१	मंगुरगढ़
४२	रतुवापार
४३	करसडा
४४	पुरन्दर पुर
४५	कस्बा फतेहपुर
४६	बिहरा
४७	कंतालपुर
४८	मादेपुर
४९	वाजीदपुर
५०	बरौना
५१	दुबरा
५२	कन्दरी
५३	गन्डी
५४	आंधीपुर
५५	अरुसा
५६	गहजो
५७	नौहरा
५८	कुसवा
५९	फूलेस
६०	कालेपुर
६१	खजुरा
६२	कोहरौली
६३	वहाउद्दीनपुर
६४	सोनहरा
६५	चिकसांवा
६६	कुम्ह

उत्तर प्रदेश संसदीय विधि संस्थान

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	२
६७	सुरहन
६८	नोनारी
६९	फतुही
७०	जगदीशपुर
७१	बस्ती कपूरी
७२	कसड़ा
७३	चकसार
७४	पूराधनी
७५	तिवरिया
७६	छितौनी खास
७७	कन्तालपुर
७८	चिस्तीपुर
७९	परमेश्वरपुर
८०	दोमनपुर
८१	भवानीपुर
८२	शेखां
८३	लाला पट्टी
८४	गौरा
८५	हूसेपुर
८६	खजूरी
८७	आम गांव
८८	पल्थी
८९	इमादपुर
९०	बेकहरी इमादपुर
९१	चूक
९२	खरसहन खुर्द
९३	डीहपुर
९४	खेता पट्टी
९५	महमद्दीन पुर
९६	महुवारा खुर्द
९७	शाहपुर
९८	अमदेय
९९	खाज जहांपुर
१००	खैरुद्दीनपुर
१०१	सजई
१०२	बीबीगंज
१०३	धौरहरा तौफी
१०४	टडवा पटखैली
१०५	केशोपुर
१०६	दसभढ़ा

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	२
१०७	सैदपुर
१०८	तुंजी
१०९	नेवादा
११०	सरावा
१११	बेनगांव
११२	शेखोलिया
११३	बरंगडीह
११४	कैथौली
११५	महुआरा कलां
११६	चुमुकनी
११७	दारुपुर
११८	विष्टारा
११९	अतरैठ
१२०	खोलनपुर
१२१	गौरी
१२२	अम्वारी
१२३	सारंगपुर
१२४	पिपरी
१२५	खानपुर
१२६	वनकट जगदीश
१२७	मिझूरी
१२८	लहरपुर
१२९	मखदूमपुर
१३०	झीसूपुर
१३१	भगतपुर
१३२	देहुला गोसाईं
१३३	सिकन्दपुर
१३४	परमश्वरपुर
१३५	थिरई पट्टी
१३६	पलिया करौदी
१३७	पकड़डीह
१३८	महेशपुर
१३९	भीऊरा
१४०	बैरनपुर
१४१	बहेरा
१४२	नान्हू साह
१४३	बिशुनपुरा
१४४	चर्तुपुर मधई पट्टी
१४५	बिलारी
१४६	भर चकिया

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	२	२	२
१४७	पलिया माफी	१५९	भट पुरवा
१४८	पलिया माफी	१६०	रिठिया
१४९	नोनारी	१६१	बासीपुर
१५०	भोलनापुर	१६२	देहुला गोसाई
१५१	खानपुर चन्दू	१६३	भवानीपुर
१५२	खेमीपुर	१६४	भीखपुर
१५३	कुशल गांव	१६५	कटोही
१५४	पाइन्दापुर	१६६	भुखलिसपुर
१५५	पूरा किशुनी	१६७	औरंगाबाद
१५६	संग्रामपुर	१६८	यूसुफपुर खानपुर
१५७	भीरपुर	१६९	कुम्हड़ा
१५८	बैंशपुर		

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८२ पर)

विधान भवन में आठ लिफ्ट चालक हैं जिनमें से दो नियत अधिष्ठान (Regular establishment) पर हैं और छः कार्य प्रभारित अधिष्ठान (Work charge establishment) पर हैं।

२—दो लिफ्ट चालक जो नियत अधिष्ठान (Regular establishment) पर हैं। उनमें से प्रत्येक का मासिक वेतन व भत्ता निम्नलिखित है—

		रु०
१—वेतन	..	३७
२—तदर्थ (ad-hoc) वेतन		५
३—मंहगाई भत्ता	..	३३
४—शहर का भत्ता (City allowance)	..	२
कुल	..	७७

३—छः लिफ्ट चालक जो कार्य प्रभारित अधिष्ठान (Work charge establishment) पर हैं उनको मासिक वेतन व भत्ता अलग-अलग दर से नहीं दिया जाता, उनको कुल रुपया मासिक, निम्नलिखित दिया जाता है—

		रु०
१—एक लिफ्ट चालक को		६१
२—एक लिफ्ट चालक को	..	५७
३—एक लिफ्ट चालक को	..	४९
४—एक लिफ्ट चालक को	..	४८
५—दो लिफ्ट चालकों में से प्रत्येक को।		४६

विधान सभा

नत्थी 'भ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८३ पर)

सूची 'स'

बस्ती जिले में १९६४-६५ में निम्नलिखित सड़कों तथा पुलों पर कार्य प्रगति में होगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत		चालू योजना—
		१—बासी तालपुरवा।
		२—तालपुरवा इटवा, तुलसीपुर (बिल्लोहेर होते हुये)।
		३—बांसी मेंहदावल।
		नई योजना—
		१—घनघटा मुखलिसपुर।
		२—हरैया बभनान मार्ग के ७वें मील से परसरामपुर तक।
चीनी मिल क्षेत्र में	..	१—बस्ती महदावल सड़का का बढ़ाना।
		२—हरैया शेरमा।
		३—बभनान मीर।
		४—बभनान गौरीघाट।
		५—डुमरियागंज मार्ग से खेरखोरल।
		६—पंडियाहनुमानगंज।
		७—गोरा घमौरा।
		८—महसूं पहरीन्द।
केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत		१—महसों महोली सड़क।
ग्रामीण वन शक्ति योजना के अन्तर्गत		१—मेंहदावल करनेनी।
		२—सल्तवा गोपालपुर।
		३—मर्हपुर पिपरावा।
तराई क्षेत्र में	..	१—घपरुहा शोहरतगढ़ सड़क पुलों के साथ।
		२—मोहन लोटन कुल्क्षमी पुलों के साथ।
		३—बांसी बिसौहर तुलसीपुर सड़क।
		पुल—
तराई क्षेत्र योजना के अन्तर्गत	..	१—मंवूरियाघाट पर बूढ़ी राप्ती का पुल
		२—डुमरियागंज पर राप्ती नदी का पुल
		३—शोहरतगढ़ नेपाल बार्डर पर डोई वाले का पुल।

नत्थी 'म'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८३ पर)

सूची 'ह'

तृतीय योजना तथा अन्य योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में निम्नलिखित सड़कों तथा पुलों का कार्य सम्मिलित है—

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

चालू योजना—

१—बासी तालपुरवा ।
२—बस्ती मेंहदावल ।
३—ताल पुरवा इटवा तुलसीपुर बिल्लौहर होते हुये ।
४—बासी मेंहदावल
५—डुमरियागंज रुदौली
६—उस्का बृजमनगंज

नई योजना—

१—घनघटा मुखलिसपुर
२—हरैया बभनान मार्ग के ७ मील से परसराम-पुर तक ।
३—छावनी कलवारी ।

चीनी मिल क्षेत्र में

१—हरैया बभनान
२—खलीलाबाद मेंहदाल
३—बिसुनाथपुर महोली
४—बस्ती मेंहदावल
५—बस्ती मेंहदावल का बढ़ाना
६—बस्ती कलवारी
७—बस्ती डुमरियागंज
८—मुन्डेर वा लालगंज
९—हरैया शेरमा
१०—बभनान गौर
११—बभनान-वारी घाट
१२—डुमरियागंज मार्ग से खेरखोरल
१३—पड़िया हनुमानगंज
१४—गौरा घमौरा
१५—महसूं पहरीन्द
१६—जगदीशपुर से सेमरयानु तक

केन्द्रीय सड़क निधि योजना में

१—महसानी महोती मार्ग का निर्माण

ग्रामीण जन शक्ति योजना में

२—मेंहदावल करनेनी
३—सुल्तवा गोपालपुर
४—बर्दपुर पिपरावां

तराई क्षेत्र योजना के अन्तर्गत	..	१—बेवरूवा शोहरतगढ़ तथा पुल २—मोहन लोटन कुलवी तथा पुल ३—वासी बिसोहर तुलसीपुर मार्ग (१ मील)
		पुल—
चालू योजना	..	१—मुखलिसपुर में कुआनो नदी का पुल २—मेचरयाघाट पर बूढी राप्ती का पीपे का पुल ३—बस्ती बढ़नी मार्ग पर डुमरियागंज में राप्ती नदी का पीपे का पुल
नई योजना (तराई क्षेत्र)	..	१—मनचूरवा घाट पर बूढी राप्ती का पुल २—डुमरियागंज में राप्ती नदी का पुल ३—शोहरतगढ़ नेपाल बार्डर पर डोई नाले का पुल।

———

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५३ एल० ए०—१९६४—८६०।